CENTER FOR
CIVIL SERVICES
DEDICATED TO UPSC CSE

2025 NOVEMBER

करेंट अफेयर्स मैगजीन

CENTER FOR
CIVIL SERVICES
DEDICATED TO UPSC CSE

Address: Police Line Road, Daltonganj, Palamu, Jharkhand
Contact: 7909017633
email: contact@ccsupsc.com Website: ccsupsc.com

CCS UPSC & JPSC

@ccsupsc

CCS UPSC

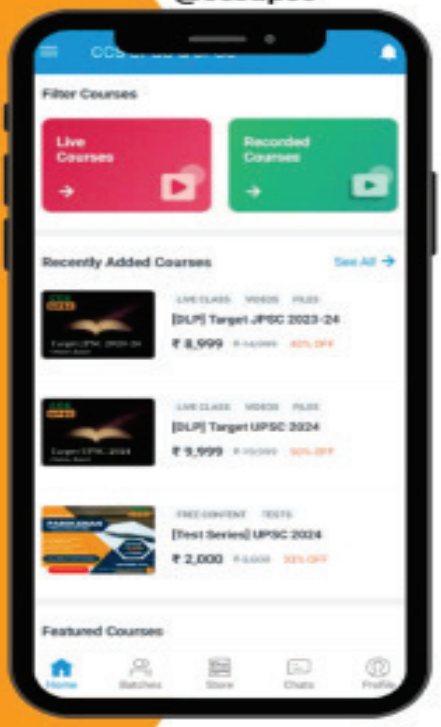

अब करें तैयारी UPSC/JPSC/BPSC की कहीं से!

- Live + Recorded क्लास
- विशेष रूप से तैयार समग्र पाठ्यसमग्री
- अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज
- नि:शुल्क पाठ्यसमग्री
- नि:शुल्क टेस्ट सीरीज
- करेंट अफेयर्स
- 24*7 डाउट समाधान
- बेहद किफायती फीस
- उच्च गुणवत्ता की तैयारी

GET IT ON Google Play

Download: ccsupsc.com/get-app

CCS UPSC & JPSC

@ccsupsc

CCS UPSC

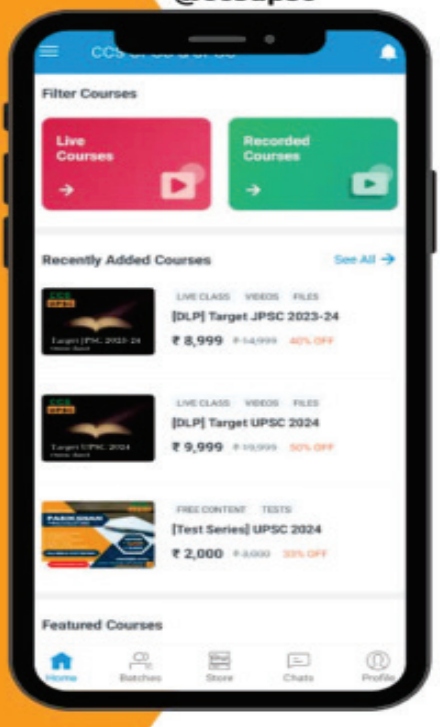

Now prepare for UPSC/JPSC/BPSC from Anywhere!

- Live + Recorded Classes
- Study Materials
- All India Test Series
- Free Study Materials
- Free Test Series
- Current Affairs
- 24*7 Doubt Support
- Highly Affordable Fee
- Highly Effective Prepration

GET IT ON Google Play

Download: ccsupsc.com/get-app

नवम्बर- 2025

करेंट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
इतिहास एवं संस्कृति	**1-5**
भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025	
साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025	
यूनेस्को ने चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का विश्व का पहला आभासी संग्रहालय लॉन्च किया	
कोटाडा भाडली - हड़प्पा स्थल	
जीआई टैग इंडी और पुलियानकुडी नींबू की पहली हवाई खेप	
सरदार वल्लभभाई पटेल	
राजव्यवस्था	**6-20**
100 पर यूपीएससी: योग्यता और राष्ट्र-निर्माण का संरक्षक	
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ	
महामारी आपातकाल की नई परिभाषा	
20 पर आरटीआई: गिरावट पर पारदर्शिता	
चीन ने अनुचित ईवी और बैटरी सब्सिडी पर भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ शिकायत दर्ज कराई	
आपातकालीन देखभाल को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है	
ग्रामीण शिक्षा और युवा प्रवास	
संवैधानिक नैतिकता की रूपरेखा	
लोकपाल	
भारत में शहरी नियोजन	
भारत टैक्सी - भारत की पहली सहकारी कैब सेवा	
विशेष गहन संशोधन 2025	
असमानता के युग में कृषि	
भूगोल	**21-27**
भारत का दूसरा खनिज अन्वेषण अनुबंध	
चक्रवात शाखा	
अटाकामा रेगिस्तान	
डूरंड लाइन	
दक्षिण अटलांटिक विसंगति (एसएए) - चुंबकीय कमजोर धब्बे	
तूफान मेलिसा	
दिल्ली में क्लाउड सीडिंग	
नौरादेही अभयारण्य चीतों का तीसरा घर बनेगा	
पर्यावरण	**28-37**
पर्यावरण निगरानी	

दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक
IUCN विश्व विरासत आउटलुक 2025
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)
ग्रीन पटाखे
मध्य एशियाई स्तनधारी पहल (CAMI)
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी)
क्रायोडिल
अमेज़ॅनफेस प्रयोग
यूएनईपी अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025
सारंडा वन्यजीव अभयारण्य

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **38-45**

डिजिलॉकर
सुविधा की लागत: डिजिटल उपकरणों के स्वास्थ्य खतरे
रोबोटिक्स में AI - भारत की स्वास्थ्य सेवा, कृषि और उद्योग को बदलना
क्रू एस्केप सिस्टम (सीईएस)
प्रोजेक्ट त्रिनेत्र: एआई प्रेडिक्टिव पुलिसिंग
चंद्रा की वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर-2 (CHACE-2) पेलोड
जीसैट-7आर उपग्रह
बेंजीन
खुफिया क्रांति को सशक्त बनाना: कैसे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर भारत के एआई डेटा सेंटर बूम को बढ़ावा दे सकते हैं

अर्थव्यवस्था **46-60**

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA)
बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs)
भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा
NHAI: राजमार्गों पर QR कोड साइन बोर्ड
स्टेबल कॉइन
एक एकीकृत राष्ट्रीय रोज़गार ढांचे की ओर
भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का परिवर्तन
तालिबान कूटनीति के बीच भारत-अफगानिस्तान संबंध
दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के नौ वर्ष
राज्यों के लिए राजकोषीय स्थान बहाल करना
8वां केंद्रीय वेतन आयोग
संकट में रोज़गार क्षमता
विनिर्माण की पुनर्कल्पना

पीआईबी **61-74**

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)
राष्ट्रीय दलहन मिशन
अनुमानित कराधान
समाचारों में अभ्यास
DRAVYA पोर्टल
दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन (2025-26 से 2030-31)
मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (एमसीपीएस)
उड़ान योजना
ब्लू फ्लैग समुद्र तट
अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस

'23for23' पहल
रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) 2025
महा मेडटेक मिशन
चक्रवात मंथा
भारत में बुजुर्ग
कोइला शक्ति डैशबोर्ड
मॉडल युवा ग्राम सभा पहल
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (एनबीएस)
समाचार में सैन्य अभ्यास

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **75-81**

भारत और बहुध्रुवीय पश्चिम: चुनौतियाँ और अवसर
तालिबान कूटनीति के बीच भारत-अफगानिस्तान संबंध
मर्कसुर (MERCOSUR - दक्षिणी साझा बाजार)
भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग का नया आर्क
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की विकसित भूमिका
80 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र (UN): संभावना और अपूर्ण आशा का प्रतीक
संयुक्त राष्ट्र (UN)

सामाजिक मुद्दे **82-86**

लड़कियों की शिक्षा का परिवर्तन
संपीड़ित श्वासावरोध
ईपीएफ नए निकासी नियम 2025
डोपामाइन ओवरडोज - आधुनिक जीवन शैली हमारे दिमाग को फिर से तैयार कर रही है
कचरा कैफे

रक्षा **87-90**

युद्धक्षेत्र और परिवर्तन
असम-नागालैंड सीमा विवाद
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ)
जेएआई रणनीति

योजना नवम्बर 2025 **91-98**

1. करियर के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण
2. दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा
3. रचनात्मकता और उद्यमशीलता का विकास
4. किशोर और एक साइबर सुरक्षित दुनिया
5. कौशल आधारित शिक्षा
6. शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली

कुरुक्षेत्र नवम्बर 2025 **99-105**

1. राष्ट्रीय पोषण माह: सामाजिक व्यवहार संचार परिवर्तन (एसबीसीसी)
2. भारत के भविष्य का पोषण
3. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के अंतर्गत ECCE पहल
4. मोटापे से निपटने के लिए पोषण साक्षरता को बढ़ावा देना
5. जड़ों का पोषण: आदिवासी समुदायों के लिए पोषण न्याय
6. परिवारों का मिलकर पोषण

1 इतिहास एवं संस्कृति

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025

संदर्भ:

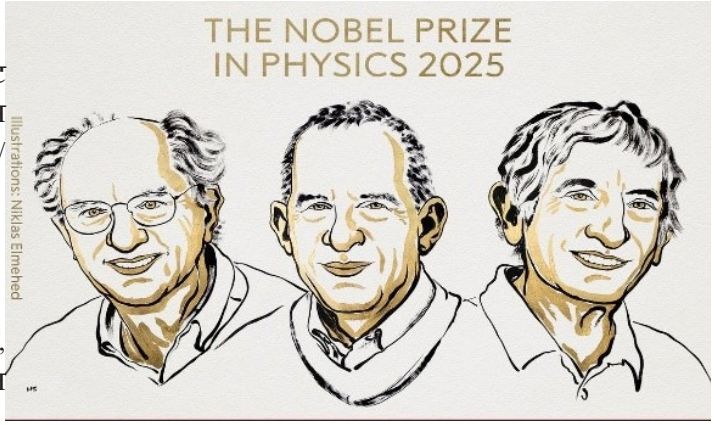

भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को विद्युत परिपथों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण (ऊर्जा का निश्चित मात्रा में अवशोषण/उत्सर्जन) की उनकी अग्रणी खोज के लिए प्रदान किया गया।

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में:

यह क्या है?

- नोबेल पुरस्कार: 1901 में स्थापित भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान का सम्मान करता है जो ब्रह्मांड की मानवीय समझ को आगे बढ़ाते हैं।
- पुरस्कारकर्ता: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसमें वैश्विक प्रतिष्ठा और 11 मिलियन SEK (लगभग ₹8.5 करोड़) का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है।

विजेता:

- जॉन क्लार्क: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले (USA) में प्रोफेसर।
- मिशेल एच. डेवोरेट: येल विश्वविद्यालय (USA) में प्रोफेसर।
- जॉन मार्टिनिस: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा (USA) में शोधकर्ता।

क्वांटम टनलिंग के बारे में:

- यह क्या है?: क्वांटम टनलिंग का अर्थ है कि छोटे कण (जैसे इलेक्ट्रॉन) उन बाधाओं को पार कर सकते हैं जिन्हें सामान्य भौतिकी में वे पार नहीं कर सकते।
  - उदाहरण: यदि आप एक गेंद को पहाड़ी पर रोल करते हैं और उसमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, तो शास्त्रीय भौतिकी में वह वापस लुढ़क जाती है। लेकिन क्वांटम दुनिया में, गेंद जादुई रूप से दूसरी तरफ दिखाई दे सकती है—जैसे उसने बाधा के आर-पार "सुरंग" बना ली हो।
- यह इसलिए होता है क्योंकि कण तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, और उस तरंग का एक छोटा सा हिस्सा बाधा के माध्यम से "रिसाव" कर सकता है और दूसरी तरफ जारी रह सकता है।

यह कैसे काम करता है?:

- जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की दीवार से टकराता है, तो उसकी तरंग का कुछ हिस्सा गुजरता है—ऐसा लगता है जैसे कण दीवार के माध्यम से "चुपके से" निकल जाता है।
- अतिचालकों में, दो युग्मित इलेक्ट्रॉन (कूपर जोड़े) एक विद्युतरोधी परत के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं—एक विद्युत प्रवाह का निर्माण करते हैं, भले ही बाधा को इसे अवरुद्ध करना चाहिए।
- नोबेल विजेता वैज्ञानिकों क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस ने दिखाया कि न केवल एकल कण, बल्कि संपूर्ण विद्युत परिपथ भी ऐसा कर सकते हैं—वे अदृश्य दीवारों के माध्यम से टनलिंग करते हुए विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच कूद सकते हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- असामान्य भौतिकी: यह रोज़मर्रा के नियमों को तोड़ता है—आप कभी भी किसी फ़ुटबॉल को दीवार के पार जाते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन परमाणु स्तर पर, यह होता है!
- निश्चित ऊर्जा चरण (क्वांटीकरण): प्रणाली में केवल विशिष्ट ऊर्जा मान हो सकते हैं, बीच में कुछ भी नहीं—जैसे एक रैंप के बजाय सीढ़ी।
- आसानी से विचलित: यहां तक कि छोटे कंपन या गर्मी भी टनलिंग प्रभाव को रोक सकते हैं, इसलिए इसे अति-ठंडे तापमान जैसी बहुत नियंत्रित स्थितियों की आवश्यकता होती है।
- बड़े पैमाने पर खोज (मैक्रोस्कोपिक): पहली बार, वैज्ञानिकों ने अरबों परमाणुओं से बने बड़े परिपथों में इस अजीब क्वांटम चाल को होते हुए देखा, न कि केवल एकल कणों में।

साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025

संदर्भ:

हंगेरियन लेखक लास्लो क्रास्ज़नाहोरकाई को स्वीडिश एकेडमी द्वारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।

साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में:

यह क्या है?

- नोबेल पुरस्कार: अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत (1895) द्वारा स्थापित साहित्य में नोबेल पुरस्कार, स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रतिवर्ष एक ऐसे लेखक को प्रदान किया जाता है जिसने "एक आदर्श दिशा में सबसे उत्कृष्ट कार्य" का निर्माण किया हो।
- पुरस्कार: इस पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन (≈ $1.2 मिलियन) का नकद पुरस्कार और दुनिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता शामिल है।

विजेता – लास्लो क्रास्ज़नाहोरकाई:

- जन्म: 1954 में ग्युला, हंगरी में जन्मे, क्रास्ज़नाहोरकाई अपनी सघन, दार्शनिक और सर्वनाशकारी गद्य के लिए जाने जाते हैं, जो काफ्का और थॉमस बर्नहार्ड की मध्य यूरोपीय साहित्यिक परंपरा में गहराई से निहित है।
- लेखन शैली: उनके लेखन को अक्सर असंगतिवाद, अस्तित्वगत भय और विकृत यथार्थवाद द्वारा चिह्नित किया जाता है, जो पतन के बीच अराजकता, विश्वास और मानवीय लचीलेपन की खोज करता है।

उल्लेखनीय कार्य:

- 'सैंटानटांगो' (1985): उनका पहला उपन्यास—एक गिरते हुए गाँव का एक गहरा, अतियथार्थवादी चित्रण—एक आधुनिक क्लासिक बन गया और इसे बेला टार द्वारा सात घंटे की फिल्म में रूपांतरित किया गया।
- 'द मेलानकली ऑफ रेजिस्टेंस' (1989): एक छोटे हंगेरियन शहर में नैतिक पतन और सत्तावाद की पड़ताल करता है।
- 'युद्ध और युद्ध' (1999): एक अभिलेखागारपाल की आँखों के माध्यम से हिंसा, इतिहास और पारगमन पर एक चिंतन।
- 'हर्शट 07769' (2018): एक हालिया काम जो जर्मन सामाजिक अशांति को सटीकता और सहानुभूति के साथ दर्शाता है, जिसे "एक महान समकालीन जर्मन उपन्यास" के रूप में सराहा गया है।

साहित्यिक विरासत:

- क्रास्ज़नाहोरकाई का कथा साहित्य आध्यात्मिक पूछताछ और सामाजिक आलोचना को पाटता है, जो उन्हें उत्तर आधुनिक युग की सबसे दुर्जेय यूरोपीय आवाज़ों में से एक के रूप में स्थापित करता है।
- उनके लंबे, लयबद्ध वाक्य और गहन कल्पना आध्यात्मिक निराशा और कलात्मक मुक्ति दोनों को उजागर करते हैं, जो उनकी अद्वितीय साहित्यिक शैली को परिभाषित करते हैं।

यूनेस्को ने चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का विश्व का पहला आभासी संग्रहालय लॉन्च किया

संदर्भ:

यूनेस्को ने हाल ही में बार्सिलोना, स्पेन में मोनडियाकल्चर 2025 सम्मेलन में चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का विश्व का पहला आभासी संग्रहालय लॉन्च किया है।

यूनेस्को द्वारा चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय के बारे में:

चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय क्या है?

- यह यूनेस्को द्वारा दुनिया भर से चोरी या तस्करी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं को प्रदर्शित करने, दस्तावेज बनाने और उनका पता लगाने के लिए बनाया गया अपनी तरह का पहला वैश्विक डिजिटल संग्रहालय है।
- संग्रहालय शिक्षा, बहाली और विरासत संरक्षण के लिए एक आभासी मंच के रूप में कार्य करता है, जो प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रों को उनकी विस्थापित कलाकृतियों के साथ फिर से जोड़ता है।
- लॉन्च किया गया: सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर विश्व सम्मेलन (MONDIACULT 2025)।
- आयोजक: यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन)।

उद्देश्य:

- अवैध तस्करी का मुकाबला: चोरी और लूटी गई सांस्कृतिक विरासत पर नज़र रखने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच बनाना।
- सांस्कृतिक पुनर्संयोजन: समुदायों को उनकी खोई हुई विरासत के साथ डिजिटल रूप से फिर से जोड़ना।
- शैक्षणिक मिशन: कहानी कहने और गवाहियों के माध्यम से विरासत शिक्षा और नैतिक संग्रहालय प्रथाओं को मजबूत करना।

आभासी संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं:

- डिजिटल प्लेटफॉर्म: 46 देशों से 240 से अधिक गुम कलाकृतियों को फिर से बनाने के लिए 3D मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी (VR) का उपयोग करता है।

इंटरैक्टिव "रूम":

- चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तु गैलरी: चोरी की गई वस्तुओं के डिजिटल पुनर्निर्माण को प्रदर्शित करती है।
- ऑडिटोरियम: चर्चाएं, विशेषज्ञ वार्ता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।
- वापसी और बहाली कक्ष: सफल पुनर्प्राप्ति मामलों को प्रदर्शित करता है।
- AI पुनर्निर्माण: दृश्य रिकॉर्ड की कमी वाली वस्तुओं के लिए, AI-जनित मॉडल आभासी घूर्णन और अध्ययन की अनुमति देते हैं।
- शैक्षणिक सामग्री: ऐतिहासिक संदर्भ, बहाली प्रथाओं और तस्करी-विरोधी जागरूकता उपकरण प्रदान करता है।

भारत का प्रतिनिधित्व:

- महादेव मंदिर, पाली (छत्तीसगढ़) से औपनिवेशिक युग की लूट के दौरान चोरी की गई दो 9वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर की मूर्तियों—एक नटराज और ब्रह्मा आकृति—को प्रदर्शित करता है।

कोटाडा भाडली - हड़प्पा स्थल

संदर्भ:

डेक्कन कॉलेज, सिम्बायोसिस स्कूल फॉर लिबरल आर्ट्स और एएसआई के एक नए अध्ययन ने गुजरात के कच्छ में कोटाडा भाडली के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले ज्ञात कारवां सराय (Caravanserai) के रूप में पहचाना है, जो 2300–1900 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित व्यापार अवसंरचना का संकेत देता है।

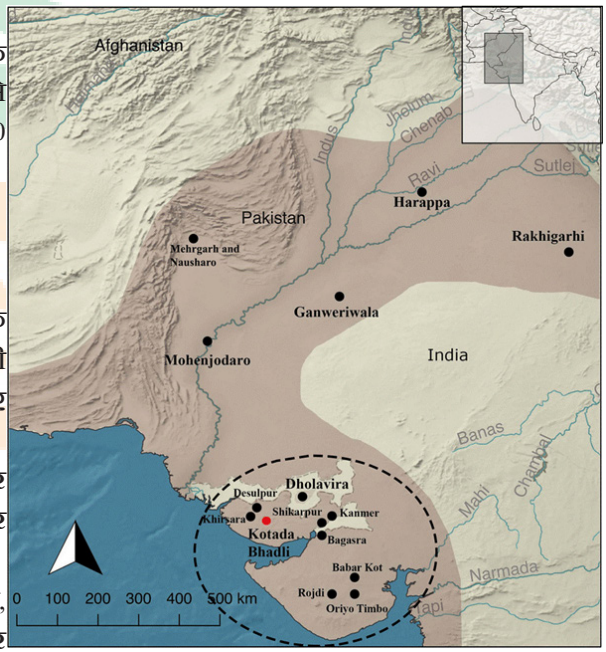

कोटाडा भाडली - हड़प्पा स्थल के बारे में:

यह क्या है?

- कोटाडा भाडली परिपक्व हड़प्पा चरण (2300–1900 ईसा पूर्व) से एक प्राचीन हड़प्पा बस्ती है, जिसे अब सबसे पहले ज्ञात कारवां सराय—लंबी दूरी के व्यापार के दौरान व्यापारियों और मालवाहक जानवरों के लिए एक किलेबंद पड़ाव—के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- स्थान: गुजरात के कच्छ जिले में स्थित, यह स्थल धोलावीरा, लोथल और शिकारपुर जैसे प्रमुख हड़प्पा शहरों को जोड़ने वाले अंतरदेशीय व्यापार मार्गों के साथ रणनीतिक रूप से स्थित है।
- स्थल की प्रकृति: इसने एक ग्रामीण रसद केंद्र के रूप में कार्य किया, जो कांस्य युग के व्यापारियों और उनके कारवां को आश्रय, भोजन और सुरक्षा प्रदान करता था—इसे स्थायी निवास के बजाय छोटे पड़ावों के लिए डिज़ाइन किया गया था।

संरचनात्मक साक्ष्य:

- उत्खनन में एक बहु-कमरे वाला केंद्रीय परिसर, बुर्जों के साथ किलेबंद दीवारें, और बड़े खुले आंगन सामने आए जिनका उपयोग संभवतः सामान के भंडारण और जानवरों को रखने के लिए किया जाता था।
- ये विशेषताएं बाद के ऐतिहासिक काल से ज्ञात कारवां सराय-शैली के लेआउट से मेल खाती हैं।
- ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार, आइसोटोपिक विश्लेषण और सैटेलाइट मैपिंग ने साइट के संरचनात्मक डिजाइन और कार्यात्मक ज़ोनिंग की पुष्टि की।

व्यापार निहितार्थ:

- कोटाडा भाडली हड़प्पा सभ्यता में संरचित overland व्यापार नेटवर्क का सबसे पहला प्रमाण प्रदान करता है।
- इसने धोलावीरा, लोथल और शिकारपुर जैसे अंतरदेशीय और तटीय केंद्रों को जोड़ने वाले एक रणनीतिक पड़ाव के रूप में कार्य किया।
- यह इंगित करता है कि हड़प्पावासी लंबी दूरी के वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने वाले रसद केंद्र और विश्राम स्टेशन बनाए रखते थे।

महत्व:

- कालानुक्रमिक प्रभाव: सिल्क रूट से 2,000 वर्षों से अधिक पहले दक्षिण एशिया की संगठित व्यापार अवसंरचना को पीछे धकेलता है।
- आर्थिक अंतर्दृष्टि: हड़प्पा अर्थव्यवस्था के भीतर उन्नत रसद और प्रशासनिक नियोजन को प्रकट करता है।

जीआई टैग इंडी और पुलियानकुडी नींबू की पहली हवाई खेप

संदर्भ:

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने जीआई-टैग वाले इंडी लाइम (कर्नाटक) और पुलियानकुडी लाइम (तमिलनाडु) की पहली हवाई खेप को यूनाइटेड किंगडम तक पहुँचाने में सुविधा प्रदान की।

जीआई टैग इंडी और पुलियानकुडी नींबू की पहली हवाई खेप के बारे में:

जीआई टैग क्या है?

- भौगोलिक संकेत (GI) बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का एक रूप है जो उत्पादों को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के रूप में पहचानता है, जहाँ उनकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं अनिवार्य रूप से उस उत्पत्ति से जुड़ी होती हैं।
- जीआई टैग भौगोलिक संकेत (माल का पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत हैं।
- जारीकर्ता: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, चेन्नई द्वारा जारी किया जाता है।
- उद्देश्य: क्षेत्रीय उत्पादों की रक्षा करना, प्रामाणिकता को बढ़ावा देना, बाजार मूल्य को बढ़ाना, और पंजीकृत नामों के अनधिकृत उपयोग को रोककर स्थानीय उत्पादकों के लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना।

इंडी लाइम (कर्नाटक) के बारे में:

- क्षेत्र: मुख्य रूप से विजयपुरा जिले, कर्नाटक में खेती की जाती है।
- विशिष्ट विशेषताएं: उच्च रस उपज, उत्साहपूर्ण सुगंध और संतुलित अम्लता के लिए जाना जाता है।
- विशेष गुण: पाककला, पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक प्रथाओं में मूल्यवान, जो कर्नाटक की गहरी जड़ वाली कृषि विरासत को दर्शाता है।

पुलियानकुडी लाइम (तमिलनाडु) के बारे में:

- क्षेत्र: तेनकासी जिले में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जिसे "तमिलनाडु का नींबू शहर" कहा जाता है।
- किस्म: विशेष रूप से कडयम लाइम, जो अपने पतले छिलके, तेज अम्लता और उच्च रस सामग्री (≈55%) के लिए बेशकीमती है।
- पोषक मूल्य: 34.3 मिलीग्राम/100 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो प्रतिरक्षा और पाचन में सहायता करता है।
- मान्यता: अप्रैल 2025 में अपनी क्षेत्रीय विशिष्टता और बेहतर गुणवत्ता को स्वीकार करते हुए जीआई टैग प्राप्त हुआ।

सरदार वल्लभभाई पटेल

संदर्भ:

संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर 2025) पर सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शनों का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत के प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि होंगे।

सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में:

प्रारंभिक जीवन और जन्म:

- जन्म: 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में जन्मे, सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन समर्पित करने से पहले एक सफल वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया।
- सार्वजनिक जीवन में प्रवेश: खेड़ा सत्याग्रह (1918) के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें एक वकील से किसानों के अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले राष्ट्रवादी नेता में बदल दिया।

स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका:

- बारडोली सत्याग्रह (1928) का नेतृत्व किया, जहाँ उनके नेतृत्व ने उन्हें "सरदार" (नेता) की उपाधि दिलाई।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1931, कराची सत्र) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने भगत सिंह की फांसी के बाद अशांत समय के दौरान पार्टी का मार्गदर्शन किया।
- भारत की स्वतंत्रता की दिशा को आकार देने में गांधी, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के साथ मिलकर काम किया।

राष्ट्रीय एकता के वास्तुकार:

- भारत के पहले उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री (1947–50) के रूप में, पटेल ने कूटनीति, अनुनय और दृढ़ता का उपयोग करके 565 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का नेतृत्व किया।
- हैदराबाद (ऑपरेशन पोलो, 1948), जूनागढ़, त्रावणकोर और कश्मीर (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन, 1947) जैसे जटिल विलयों को सफलतापूर्वक संभाला।
- अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की, उन्हें प्रशासनिक एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए "भारत का स्टील फ्रेम" कहा।

विजन और विरासत:

- अनुशासन और राष्ट्रीय एकता में निहित एक मजबूत, एकजुट और आत्मनिर्भर भारत की वकालत की।
- उनका दृष्टिकोण बाद के मील के पत्थर—गोवा का विलय (1961), सिक्किम का विलय (1975), और अनुच्छेद 370 का निरस्त होना (2019)—में परिणत हुआ, जिससे पूर्ण एकता का उनका सपना पूरा हुआ।
- 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी', जिसका उद्घाटन 2018 में केवड़िया, गुजरात में किया गया, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा (182 मीटर) के रूप में खड़ा है, जो उनकी स्थायी विरासत का प्रतीक है।

अद्वितीय तथ्य:

- अपनी दृढ़ता और प्रशासनिक शक्ति के लिए लोकप्रिय रूप से "भारत के लौह पुरुष" (Iron Man of India) के रूप में जाने जाते हैं।
- नगरपालिका अध्यक्ष (1924) के रूप में अहमदाबाद में व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया, जो नैतिक नेतृत्व का एक उदाहरण स्थापित करता है।

2 राजव्यवस्था

100 पर यूपीएससी: योग्यता और राष्ट्र-निर्माण का संरक्षक

संदर्भ:

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी शताब्दी वर्ष मनाई, जो 1926 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है।

- यह भारत में योग्यता और निष्पक्ष सिविल सेवा भर्ती के संरक्षक के रूप में अपनी विरासत का जश्न मनाता है।

100 साल की उम्र में यूपीएससी के बारे में: योग्यता और राष्ट्र-निर्माण के संरक्षक

UPSC का ऐतिहासिक विकास:

- औपनिवेशिक उत्पत्ति: भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने पहली बार एक केंद्रीय भर्ती निकाय का प्रस्ताव रखा, और 1926 में, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ली आयोग (1924) के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
  - उदाहरण: सर रॉस बार्कर पहले अध्यक्ष बने।
- संघीय लोक सेवा आयोग (1935): भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने इसे उन्नत किया, जिससे भारतीयों को औपनिवेशिक शासन के तहत प्रशासनिक भर्ती में अधिक अधिकार मिल गया।
- स्वतंत्रता के बाद का संक्रमण (1950): संविधान के अनुच्छेद 315-323 ने इसे संघ लोक सेवा आयोग में बदल दिया, जिससे इसे निष्पक्ष चयन के लिए संवैधानिक स्वायत्तता मिली।
- वर्तमान भूमिका: अब यूपीएससी सिविल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, वन, रक्षा और सांख्यिकीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित करता है, जो भारतीय शासन की रीढ़ को आकार देता है।

यूपीएससी के मूल सिद्धांत:

- मेरिटोक्रेसी: चयन पूरी तरह से क्षमता और प्रदर्शन पर आधारित है, विशेषाधिकार और संरक्षण को समाप्त करता है।
  - उदाहरण: छोटे शहर भारत की इरा सिंघल (2014 टॉपर) जैसी सफलता की कहानियां समावेशिता का प्रदर्शन करती हैं।
- निष्पक्षता: जाति, लिंग और भाषा में समान पहुंच प्रदान की जाती है, जिससे यूपीएससी परीक्षाएं सामाजिक रूप से न्यायसंगत हो जाती हैं।
  - उदाहरण: उम्मीदवार भाषाई न्याय सुनिश्चित करते हुए 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी में भी मुख्य परीक्षा लिख सकते हैं।
- ईमानदारी: आयोग राजनीति से स्वतंत्रता बनाए रखता है, गोपनीयता सुनिश्चित करता है और कदाचार का विरोध करता है।
  - उदाहरण: 48 विषयों में लिपियों का अनाम मूल्यांकन तटस्थता की रक्षा करता है।
- जटिलता में दक्षता: यूपीएससी 2,500+ केंद्रों में सालाना 10-12 लाख प्रारंभिक आवेदकों को सुचारू रसद और सख्त समयसीमा के साथ संभालता है।

राष्ट्र निर्माण में योगदान:

- प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करना: UPSC अधिकारियों ने संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित करते हुए युद्धों, सुधारों, आपदाओं और महामारी संकटों के दौरान शासन का नेतृत्व किया है।
- शासन में समावेशिता: भर्ती अब ग्रामीण, अर्ध-शहरी और हाशिए पर रहने वाले समूहों तक फैली हुई है, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करती है।
  - उदाहरण: डीओपीटी के आंकड़ों से पता चलता है कि हाल ही में सफल उम्मीदवारों में से 60% से अधिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं।
- सिविल सेवाओं को पेशेवर बनाना: यूपीएससी तटस्थता, ईमानदारी और दक्षता को विकसित करता है, जो प्रभावी लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण है।
- संघवाद को मजबूत करना: अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस) के लिए चयन करके, यूपीएससी संघ-राज्य प्रशासनिक संतुलन सुनिश्चित करता है।

हाल के सुधार:

- तकनीकी एकीकरण: प्रतिरूपण और धोखाधड़ी को कम करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और बायोमेट्रिक/चेहरा-पहचान उपकरण पेश किए गए।
- प्रतिभा सेतु: साक्षात्कार-योग्य उम्मीदवारों को वैकल्पिक कैरियर के अवसरों से जोड़ता है, जिससे मानव पूंजी की बर्बादी कम होती है।

- एआई-सक्षम भर्ती: कुशल स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की योजना है।
- डिजिटल समावेशिता: दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था परीक्षाओं को अधिक सुलभ और निष्पक्ष बनाती है।

आगे की चुनौतियाँ:

- बदलती कौशल मांग: भविष्य के शासन के लिए पारंपरिक प्रशासन से परे एआई, साइबर सुरक्षा, डेटा और जलवायु शासन में कुशल अधिकारियों की आवश्यकता होती है।
- इक्विटी संबंधी चिंताएं: उच्च कोचिंग लागत और शहरी पूर्वाग्रह यूपीएससी द्वारा इच्छित स्तर के खेल के मैदान को नष्ट कर सकते हैं।
- परीक्षा अधिभार: 1:1000 चयन अनुपात के साथ, उम्मीदवारों को तीव्र वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
- जनता की अपेक्षाओं का विकास: नागरिक अब तेज, तकनीक-सक्षम, पारदर्शी शासन की उम्मीद करते हैं, जो उन्नत कौशल की मांग करते हैं।

आगे की राह:

- पाठ्यचर्या अपडेट: सिविल सेवा प्रशिक्षण में प्रासंगिकता के लिए डिजिटल गवर्नेंस, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मामलों को शामिल किया जाना चाहिए।
- समावेशी समर्थन: समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण आउटरीच, वित्तीय छात्रवृत्ति और डिजिटल शिक्षा का विस्तार करें।
- सतत प्रशिक्षण: उभरती चुनौतियों में अधिकारियों को फिर से कौशल प्रदान करने के लिए मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों (एमसीटीपी) को मजबूत करना।
- नैतिकता को मजबूत करना: प्रशिक्षण और सेवा संस्कृति में सहानुभूति, अखंडता और जवाबदेही जैसे मूल्यों के एकीकरण को गहरा करना।

निष्कर्ष

100 पर यूपीएससी एक परीक्षा निकाय से कहीं अधिक है- यह भारत की योग्यता का संरक्षक है. सक्षम, विविध और नैतिक अधिकारियों का पोषण करके, इसने युद्धों, सुधारों और संकटों के माध्यम से राष्ट्र का नेतृत्व किया है। जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, यूपीएससी को निष्पक्षता, अखंडता और विश्वास के अपने मूल मूल्यों को बनाए रखते हुए अनुकूलन करना चाहिए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

संदर्भ:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), जो भाजपा का वैचारिक जनक है, 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में:

यह क्या है?

- हिंदू राष्ट्र के विचार को बढ़ावा देने वाला एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन।
- संघ परिवार के वैचारिक स्रोत के रूप में जाना जाता है।
- स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर के एक चिकित्सक केबी हेडगेवार ने की थी।
- मुख्यालय: नागपुर, महाराष्ट्र।

उद्देश्य:

- जाति, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक विभाजन को पार करके हिंदुओं के बीच एकता को बढ़ावा देना।
- अनुशासन, सेवा और सांस्कृतिक पुनरुद्धार को बढ़ावा देना।
- अखंड भारत के विचार को पुनः प्राप्त करें और भारत को विश्व गुरु (वैश्विक नेता) के रूप में स्थापित करना।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख योगदान:

- सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930): हेडगेवार और कई स्वयंसेवक मध्य प्रांतों में ब्रिटिश वन कानूनों के खिलाफ जंगल सत्याग्रह में शामिल हो गए, हालांकि आरएसएस आधिकारिक तौर पर इससे दूर रहे।
- पूर्ण स्वराज दिवस (1930): आरएसएस की सभी शाखाओं ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, जिसमें कांग्रेस के तिरंगे के बजाय भगवा झंडा फहराया गया।
- विभाजन के दौरान राहत (1947): आरएसएस ने विस्थापित हिंदुओं को आश्रय देने और उनके पुनर्वास के लिए पंजाब, दिल्ली और बंगाल में शरणार्थी शिविरों का आयोजन किया।
- गांधी के साथ संवाद (सितंबर 1947): गांधी ने आरएसएस के अनुशासन, सादगी और सेवा भावना की प्रशंसा की, जबकि इसके बहिष्कारवादी हिंदू-केवल राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी दी।

- स्वतंत्रता के बाद का संक्रमण (1948-51): गांधी की हत्या के बाद (नाथूराम गोडसे द्वारा, आरएसएस/हिंदू महासभा से जुड़ा), आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, गोलवलकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ (1951) के गठन का समर्थन किया।

महामारी आपातकाल की नई परिभाषा

संदर्भ:

संशोधित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) लागू हुआ, जिससे एक नई कानूनी श्रेणी - महामारी आपातकाल लागू हो गई।

महामारी आपातकाल की नई परिभाषा:

यह क्या है?

- एक महामारी आपातकाल आईएचआर के तहत एक नई परिभाषित उप-श्रेणी है जो अंतरराष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (पीएचईआईसी) पर लागू होती है, लेकिन एक बढ़ी हुई सीमा के साथ - जब एक संचारी रोग का व्यापक भौगोलिक प्रसार होता है, स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव पड़ता है, बड़े सामाजिक और आर्थिक व्यवधान का कारण बनता है, और तेजी से, समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

2024 संशोधन और किए गए परिवर्तन:

- जून 77 में संकल्प WHA77.17 के माध्यम से 2024वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में आम सहमति से अपनाया गया।
- संशोधनों को स्वीकार करने वाले राज्यों के लिए 19 सितंबर 2025 को प्रवेश निर्धारित किया गया था।

संशोधनों ने नए कानूनी दायित्वों को पेश किया:

1. WHO के महानिदेशक (DG) यह तय कर सकते हैं कि PHEIC महामारी आपातकाल (अनुच्छेद 12 के माध्यम से) के बराबर है या नहीं।
2. मंत्रालयों में कार्यान्वयन के समन्वय के लिए प्रत्येक देश में राष्ट्रीय आईएचआर प्राधिकरणों को नामित किया जाना चाहिए।
3. महामारी की तैयारियों में विकासशील देशों की सहायता के लिए एक समन्वित वित्तीय तंत्र की शुरुआत।
4. कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक राज्य पक्ष समिति की स्थापना (गैर-दंडात्मक निरीक्षण)।

प्रमुख विशेषताएँ:

- टियर्ड अलर्ट सिस्टम: महामारी आपातकाल पीएचईआईसी से परे एक उच्च स्तर है, लेकिन इसके शीर्ष पर बनाया गया है - घटना को पहले से ही पीएचईआईसी मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
- व्यापक ट्रिगर: व्यापक भौगोलिक प्रसार, स्वास्थ्य प्रणाली अधिभार, सामाजिक आर्थिक व्यवधान और पूरे समाज/पूरे सरकार की प्रतिक्रिया की आवश्यकता की आवश्यकता होती है।
- समानता और एकजुटता: चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच, वित्तपोषण सहायता और सहयोगात्मक वैश्विक प्रतिक्रिया में निष्पक्षता पर जोर।
- संप्रभुता पर कोई नया अधिकार नहीं: संशोधन स्पष्ट करते हैं कि WHO घरेलू नीतियों (लॉकडाउन, आदि) को अनिवार्य नहीं कर सकता है - देश विधायी नियंत्रण बनाए रखते हैं।
- निर्बाध एकीकरण: यह पीएचईआईसी को प्रतिस्थापित नहीं करता है बल्कि इसे समृद्ध करता है; निर्णय लेने को एकीकृत करके डुप्लिकेटिव प्रक्रियाओं से बचता है।

अर्थ:

- कानूनी निश्चितता: वैश्विक महामारी कब और कैसे घोषित की जा सकती है, इसके लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- तेज़ प्रतिक्रिया: वैश्विक संसाधनों को पहले जुटाने और समन्वित हस्तक्षेपों को सक्षम बनाता है।
- विकासशील देशों के लिए समर्थन: वित्तीय तंत्र और दायित्व क्षमता निर्माण में समानता की सुविधा प्रदान करते हैं।

20 पर आरटीआई: गिरावट पर पारदर्शिता

संदर्भ:

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 ने 20 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन खोजी रिपोर्ट और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यह संस्थागत कब्जा, रिक्त पदों और नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए, 2023) से खोखला हो गया है।

20 साल की उम्र में आरटीआई के बारे में: गिरावट पर पारदर्शिता

RTI अधिनियम के बारे में:

- जून 2005 में यूपीए सरकार के तहत अधिनियमित, सूचना का अधिकार

अधिनियम प्रत्येक भारतीय नागरिक को पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी लोकतंत्र सुनिश्चित करते हुए, ₹10 के मामूली शुल्क के लिए सार्वजनिक अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- त्रि-स्तरीय संरचना: एक स्पष्ट पदानुक्रम स्थापित करता है - विभागों में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), अपील के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, और केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग (सीआईसी/एसआईसी) निरीक्षण के लिए, हर स्तर पर जांच सुनिश्चित करना।
- अनिवार्य प्रकटीकरण: धारा 4 सूचना जमाखोरी को रोकने और आरटीआई बोझ को कम करने के लिए बजट, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और व्यय विवरण के सक्रिय प्रकाशन को अनिवार्य करती है।
- समयबद्ध प्रतिक्रिया: सूचना 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए (या तत्काल जीवन या स्वतंत्रता मामलों के लिए 48 घंटे), जिससे आरटीआई एक समय-संवेदनशील जवाबदेही उपकरण बन जाता है।
- दंड प्रावधान: धारा 20 आयोगों को अनुचित इनकार या देरी के लिए ₹25,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देती है, जिसे नौकरशाही चोरी के खिलाफ अधिनियम के मुख्य निवारक के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- नागरिक-विधायक समानता: अद्वितीय खंड यह सुनिश्चित करता है कि संसद को अस्वीकार की गई कोई भी जानकारी नागरिकों को वंचित नहीं की जा सकती है, जो लोकतांत्रिक भागीदारी की समानता का प्रतीक है।

आरटीआई का अब तक का प्रदर्शन:

सफलता:

- नागरिकों का सशक्तिकरण: आरटीआई अधिनियम ने आम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सवाल करने की अनुमति देकर सूचना का लोकतंत्रीकरण किया है। 2005 के बाद से 2.5 करोड़ से अधिक आरटीआई आवेदन दायर किए गए हैं, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं।
- भ्रष्टाचार को उजागर करना: इसने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श आवास घोटाला, और मनरेगा और पीडीएस में अनियमितताओं जैसे प्रमुख घोटालों का खुलासा किया है, जिससे सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ी है।
- शासन को मजबूत करना: आरटीआई आवेदनों ने प्रशासनिक निर्णयों, निविदा और धन के उपयोग में पारदर्शिता को मजबूर किया है - जिससे सेवा वितरण मानकों का बेहतर अनुपालन हुआ है।
- ऐतिहासिक सीआईसी फैसला: राजनीतिक दलों, पीएमओ, आरबीआई और यहां तक कि सीजेआई के कार्यालय को आरटीआई के तहत लाने के आदेश ने लोकतांत्रिक संस्थानों में पारदर्शिता के लिए वैश्विक मिसाल कायम की।
- सार्वजनिक भागीदारी: कानून ने नागरिक-नौकरशाही जुड़ाव को बढ़ावा दिया और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को पेंशन, राशन कार्ड और आवास लाभ जैसे अधिकारों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाया।

भारत में आरटीआई की चुनौतियाँ:

- संस्थागत पक्षाघात: पुरानी रिक्तियों, विशेष रूप से सीआईसी/एसआईसी स्तरों पर, ने सुनवाई को दशकों तक बढ़ा दिया है (तेलंगाना का बैकलॉग = 29 वर्ष), अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर दिया है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप: नियुक्तियां तेजी से सेवानिवृत्ति के बाद के अनिवार्यता के रूप में काम करती हैं, जिससे आयुक्त कार्यपालिका को चुनौती देने के लिए अनिच्छुक हो जाते हैं।
- दंड का गैर-प्रवर्तन: मुश्किल से 1.2% दंडात्मक कार्रवाइयों के साथ, अधिकारी बिना किसी परिणाम के समय सीमा और इनकार को अनदेखा करते हैं, जिससे अस्पष्टता सामान्य हो जाती है।
- कानूनी कमजोरियां: आरटीआई (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने चुनाव आयुक्तों के साथ निश्चित कार्यकाल और वेतन समानता को हटा दिया, जिससे केंद्र को वेतन और कार्यकाल को नियंत्रित करने की अनुमति मिली, जिससे स्वायत्तता कमजोर हो गई।
- DPDPA, 2023 प्रभाव: इसकी धारा 44(3) आरटीआई की धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है, जिससे "व्यक्तिगत जानकारी" प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है - अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के नागरिक के अधिकार को मिटा दिया जाता है।
- कार्यकारी अस्पष्टता: बेरोजगारी, COVID मौतों और अपराध पर प्रमुख डेटासेट को नियमित रूप से रोक दिया जाता है, जिससे भारत को "नो डेटा उपलब्ध सरकार" (SNS, 2025) का लेबल मिलता है।
- न्यायिक सम्मान: अदालतें सरकार को निर्देशित करने के बजाय तेजी से "धक्का देती हैं", जो एक नरम रुख को दर्शाती है जो आरटीआई प्रवर्तन को कमजोर करती है।

आगे की राह:

1. तत्काल नियुक्तियां: SC के 2019 के फैसले के अनुसार CIC/SIC में सभी रिक्तियों को निश्चित समयसीमा के भीतर भरा जाना चाहिए, जिससे निरंतरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
2. संस्थागत स्वायत्तता: निश्चित कार्यकाल और वेतन समानता को बहाल करें, इसलिए आयुक्त चुनाव आयुक्तों के समान बिना किसी डर या पक्षपात के काम करते हैं।
3. गोपनीयता और पारदर्शिता को संतुलित करें: वास्तविक गोपनीयता का सम्मान करते हुए जानने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए व्यापक परामर्श के माध्यम से डीपीडीपीए की धारा 44(3) पर फिर से विचार करें।
4. डिजिटल एकीकरण: लंबित मामलों को कम करने और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई और सार्वजनिक डैशबोर्ड के लिए राष्ट्रव्यापी आरटीआई पोर्टल लागू करें।

5. सार्वजनिक सतर्कता और न्यायिक मुखरता: नागरिक समाज, मीडिया और न्यायपालिका को सामूहिक रूप से एक मूल लोकतांत्रिक मूल्य के रूप में आरटीआई की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।

निष्कर्ष

20 साल की उम्र में, आरटीआई भारत के लोकतंत्र की एक अग्निपरीक्षा के रूप में खड़ा है – जो जीवित है लेकिन उपेक्षा और कब्जा से कमजोर हो गया है। इसका पुनरुद्धार नए कानूनों की मांग नहीं करता है, बल्कि नागरिक सशक्तिकरण, संस्थागत स्वायत्तता और सत्ता पर सवाल उठाने के नैतिक अधिकार के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता की मांग करता है - एक सहभागी गणराज्य का सच्चा सार।

चीन ने अनुचित ईवी और बैटरी सब्सिडी पर भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ शिकायत दर्ज कराई

संदर्भ:

चीन ने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और बैटरी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती हैं।

चीन ने ईवी और बैटरी सब्सिडी पर भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ की शिकायत दर्ज की:

यह क्या है?

- चीन ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक विवाद निपटान प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत की ईवी सब्सिडी नीतियां – कर छूट, पीएम ई-ड्राइव और पीएलआई योजनाओं के तहत प्रोत्साहन सहित – विदेशी उत्पादकों पर भारतीय निर्माताओं का पक्ष लेकर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को विकृत करती हैं।

शामिल पक्ष:

- शिकायतकर्ता: पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (वाणिज्य मंत्रालय)
- प्रतिवादी: भारत गणराज्य (भारत सरकार)
- मध्यस्थता निकाय: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), जिनेवा

शिकायत का कारण:

- चीन का तर्क है कि भारत के ईवी प्रोत्साहन – जिसमें जीएसटी, रोड टैक्स छूट और पीएलआई-लिंक्ड समर्थन शामिल हैं – टाटा मोटर्स और महिंद्रा इलेक्ट्रिक जैसे स्थानीय वाहन निर्माताओं को घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अनुचित बढ़त देते हैं।
- ईवी के लिए भारत की सब्सिडी वाहन लागत का ~46% है, जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 10-26% की तुलना में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है।
- चीन का दावा है कि यह विदेशी उत्पादकों के साथ भेदभाव करके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करके सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर विश्व व्यापार संगठन (एससीएम) के समझौते का उल्लंघन करता है।

विश्व व्यापार संगठन में शिकायत के समाधान की प्रक्रिया:

परामर्श (राजनयिक चरण):

- यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब चीन औपचारिक रूप से डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत भारत के साथ परामर्श का अनुरोध करता है।
- दोनों देशों को अनुरोध के 30 दिनों के भीतर चर्चा में शामिल होने की आवश्यकता है और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए 60 दिनों तक का समय है।
- यह चरण गोपनीय है और इसका उद्देश्य तनाव बढ़ने से पहले मुद्दे को कूटनीतिक रूप से हल करना है।

पैनल स्थापना (निर्णय चरण):

- यदि परामर्श विफल हो जाता है, तो चीन डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) के तहत एक विवाद निपटान पैनल के गठन का अनुरोध कर सकता है।
- पैनल, जो आमतौर पर तीन स्वतंत्र व्यापार विशेषज्ञों से बना होता है, सबूतों की जांच करता है और यह निर्धारित करता है कि क्या भारत की ईवी सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मेजर्स (एससीएम) समझौते का उल्लंघन करती है।
- पैनल के निष्कर्षों को एक औपचारिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है।

अपीलीय समीक्षा (अपील चरण):

- कोई भी देश पैनल के फैसले के खिलाफ डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय में अपील कर सकता है, जो पैनल की कानूनी व्याख्याओं की समीक्षा करता है।
- हालाँकि, चूंकि अपीलीय निकाय 2019 से गैर-कार्यात्मक है, इसलिए बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (MPIA) के तहत विवादों की समीक्षा की जा सकती है।
- यह चरण कानूनी सटीकता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

कार्यान्वयन और प्रवर्तन (अनुपालन चरण):

- यदि डब्ल्यूटीओ पैनल (या अपील) भारत को उल्लंघन में पाता है, तो उसे "उचित समयावधि" के भीतर सब्सिडी उपायों को वापस लेना या संशोधित करना होगा।
- यदि भारत अनुपालन करने में विफल रहता है, तो चीन प्रतिशोधी व्यापार उपायों को लागू करने के लिए प्राधिकरण का अनुरोध कर सकता है, जैसे कि टैरिफ, व्यापार नुकसान के मूल्य के बराबर।
- यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अंतिम प्रवर्तन तंत्र के रूप में कार्य करता है।

आपातकालीन देखभाल को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है

संदर्भ:

तमिलनाडु के करूर में हाल ही में मची भगदड़ ने भारत की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में कमियों को उजागर किया, जिससे आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को न केवल एक सेवा के रूप में, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने वाले एक संवैधानिक कर्तव्य के रूप में मानने के लिए नए सिरे से कॉल किए गए।

आपातकालीन देखभाल के बारे में प्राथमिकता दी जानी चाहिए:

आपातकालीन देखभाल का विकास:

- आधुनिक आपातकालीन चिकित्सा विश्व युद्धों के दौरान युद्धकालीन आघात प्रबंधन से विकसित हुई, जहां संगठित ट्राइएज और तेजी से निकासी महत्वपूर्ण हो गई।
- औद्योगिक क्रांति और आघात और हृदय चिकित्सा में प्रगति ने जीवन-समर्थन क्षमता के साथ संरचित एम्बुलेंस प्रणालियों को जन्म दिया।
- समय के साथ, ध्यान केवल परिवहन से ऑन-साइट स्थिरीकरण तक विस्तारित हो गया, जिससे पैरामेडिक-नेतृत्व वाली और डॉक्टर के नेतृत्व वाली मोबाइल आपातकालीन इकाइयों को जन्म मिला।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत शुरू की गई भारत की 108 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली ने आपातकालीन परिवहन के लिए सार्वजनिक पहुंच को संस्थागत रूप दिया।
- यह अवधारणा विश्व स्तर पर "गोल्डन ऑवर" और बाद में "प्लेटिनम टेन मिनट्स" में विकसित हुई, जिसमें जीवित रहने के निर्धारक के रूप में प्रतिक्रिया गति पर जोर दिया गया।

संवैधानिक अनिवार्यता:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार स्वाभाविक रूप से समय पर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल तक पहुंच की गारंटी देता है।
- राज्य नैतिक रूप से सामूहिक समारोहों और आपदाओं के दौरान अबाधित आपातकालीन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।

समय पर हस्तक्षेप का विज्ञान:

- तीव्र बीमारियों और आघात तेजी से संचार पतन का कारण बनते हैं; तत्काल निदान और उपचार इन जीवन-धमकाने वाली गड़बड़ियों को उलट सकता है।
- "गोल्डन ऑवर" चोट लगने के बाद के महत्वपूर्ण 60 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है जब हस्तक्षेप अपरिवर्तनीय अंग क्षति को रोक सकता है।
- विकसित "प्लेटिनम टेन मिनट्स" मानक इस बात पर जोर देता है कि चिकित्सा सहायता - न केवल परिवहन - पीड़ित तक 10 मिनट के भीतर पहुंचनी चाहिए।
- आधुनिक एम्बुलेंस मोबाइल आईसीयू के रूप में कार्य करती हैं, जो ऑक्सीजन आपूर्ति, डिफिब्रिलेटर, ईसीजी, वायुमार्ग प्रबंधन उपकरण और टेलीमेडिसिन लिंक से सुसज्जित हैं।
- समय पर, कुशल हस्तक्षेप परिणामों को बदल देता है, स्ट्रोक, दिल के दौरे और आघात से रोकी जा सकने वाली मौतों को कम करता है।

मौजूदा पहल:

- 108 एम्बुलेंस सेवा, एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी, 10,000 से अधिक एम्बुलेंस संचालित करती है, जो सालाना 7-9 मिलियन रोगियों की सेवा करती है।
- तमिलनाडु प्लेटिनम टेन बेंचमार्क के करीब 10 मिनट 14 सेकंड के औसत प्रतिक्रिया समय के साथ सबसे आगे है।
- राष्ट्रीय एम्बुलेंस कोड (एआईएस-125) वाहन श्रेणियों में डिजाइन, सुरक्षा और उपकरणों के लिए मानक निर्धारित करता है।
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019, एम्बुलेंस के लिए रास्ते का अधिकार अनिवार्य करता है और बाधा डालने पर दंडित करता है।
- एनएचएम समर्थन आपातकालीन प्रणालियों के प्रबंधन और पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने में राज्य-स्तरीय लचीलेपन को सक्षम बनाता है।

आपातकालीन प्रणालियों में चुनौतियाँ:

- खंडित सेवाएँ: राज्यों और निजी प्रदाताओं के बीच व्यापक असमानताएँ मौजूद हैं, जिससे गुणवत्ता असमान होती है।
- कौशल की कमी: प्रमाणित आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों की कमी और उच्च घर्षण दर निरंतरता को कमजोर करती है।
- बुनियादी ढांचे में कमी: कई एम्बुलेंस में उन्नत जीवन समर्थन प्रणाली और टेलीमेडिसिन एकीकरण का अभाव होता है।
- समन्वय न होना: कॉल सेंटरों, अस्पतालों और एम्बुलेंस टीमों के बीच कमजोर संबंध प्रतिक्रिया में देरी करते हैं।
- जवाबदेही नहीं होना: राष्ट्रीय आपातकालीन नियामक प्राधिकरण की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप असंगत मानक और निरीक्षण होते हैं।

नीतिगत सुधार और सिफारिशें:

- राज्यों में प्रशिक्षण, संचालन और उपकरणों को मानकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा नियामक प्राधिकरण का गठन करना।
- एआई-आधारित प्रेषण प्रणाली, जीपीएस ट्रैकिंग और अस्पतालों के साथ वास्तविक समय डेटा साझाकरण के माध्यम से प्रौद्योगिकी को एकीकृत करें।
- प्रतिधारण और व्यावसायिकता में सुधार के लिए पैरामेडिक्स के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन और वेतन समानता का परिचय दें।
- दूरस्थ पहुंच और अंग परिवहन रसद के लिए हवाई और ड्रोन एम्बुलेंस का विस्तार करें।
- सार्वजनिक समारोहों और शहरी बुनियादी ढांचे की योजना के लिए आपातकालीन पहुंच प्रोटोकॉल को अनिवार्य करें।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले एकीकृत आपातकालीन नेटवर्क के लिए पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

रोबोटिक सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण में सक्षम राष्ट्र को विलंबित एम्बुलेंस या अव्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रणालियों के कारण जीवन नहीं खोना चाहिए। आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को खंडित सेवाओं से एक सही-आधारित, मानकीकृत राष्ट्रीय मिशन में विकसित होना चाहिए। इसे एक संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य के रूप में मान्यता देना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हर नागरिक को हर सेकंड मायने रखने पर मदद मिले।

ग्रामीण शिक्षा और युवा प्रवास

संदर्भ:

हाल के एक विश्लेषण में इस बात की पड़ताल की गई है कि क्या ग्रामीण शिक्षा और स्थानीय रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्कल्पना करने से भारत के शहरी क्षेत्रों में तेजी से युवाओं के पलायन को कम किया जा सकता है, जो अब ग्रामीण आर्थिक पलायन और शहरी स्थिरता दोनों चुनौतियों का सामना कर रहा है।

ग्रामीण शिक्षा और युवा प्रवासन के बारे में:

भारत में वर्तमान प्रवासन स्थिति:

- प्रवासन का पैमाना: भारत की लगभग 29% आबादी प्रवासी है, और 89% ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, जो शहरी अर्थव्यवस्थाओं पर उच्च निर्भरता का संकेत देती है।
- युवा-केंद्रित प्रवासन: सभी प्रवासियों में से आधे से अधिक 15-25 वर्ष की आयु के हैं, जो शहरों में भारत की सबसे अधिक उत्पादक मानव पूंजी के नुकसान को दर्शाता है।
- लिंग विभाजन: जबकि 86.8% महिलाएं शादी के लिए पलायन करती हैं, पुरुष काम के लिए जाते हैं, यह दर्शाता है कि कैसे सामाजिक रीति-रिवाज असमान गतिशीलता को चलाते हैं।
- आर्थिक प्रोफाइल: कम MPCE, SC और OBC समूहों में प्रवासन अधिक है, जो गरीबी से प्रेरित विस्थापन को उजागर करता है।
- महामारी-प्रेरित रिवर्स माइग्रेशन: 2020 के लॉकडाउन में 40 मिलियन कर्मचारी घर लौट आए, जिससे अनौपचारिक शहरी रोजगार की नाजुकता उजागर हुई।

युवा प्रवास के कारण:

- ग्रामीण रोजगार की कमी: दुर्लभ गैर-कृषि नौकरियां युवाओं को असुरक्षित शहर के काम में धकेल देती हैं; 49% दिहाड़ी मजदूर, 39% अल्पकालिक औद्योगिक श्रमिक हैं।
- शिक्षा-रोजगार बेमेल: डिग्री में नौकरी के बाजारों के साथ व्यावहारिक संबंध का अभाव है; स्नातक बेरोजगारी 15% से अधिक (सीएमआईई 2024)।
- आय असमानता: गरीब परिवार मजबूरी से पलायन करते हैं, क्योंकि खेती और स्थानीय श्रम न्यूनतम आजीविका को बनाए रखने में विफल रहते हैं।
- कमजोर बुनियादी ढांचा: अपर्याप्त परिवहन, ऋण और डिजिटल पहुंच स्थानीय उद्यम और नौकरी विविधीकरण को सीमित करती है।
- शहरी खींच: शहर उच्च आय और गतिशीलता का वादा करते हैं, फिर भी प्रवासियों को असुरक्षित आवास और शोषणकारी काम के लिए उजागर करते हैं।

प्रवासन के सामाजिक-आर्थिक परिणाम:

- शहरी भीड़भाड़: दिल्ली और मुंबई जैसे मेगासिटी भीड़भाड़, झुग्गियों और प्रवाह के दबाव से प्रदूषण से जूझते हैं।
- श्रम का अनौपचारिकीकरण: लगभग 88% प्रवासी श्रमिकों के पास नौकरी की सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा जाल नहीं है, जिससे भेद्यता बढ़ रही है।
- ग्रामीण जनसंख्या: प्रवासन युवाओं के गांवों को सूखा देता है, कृषि और स्थानीय शासन क्षमता को कमजोर करता है।
- लैंगिक हानि: महिला प्रवासी शायद ही कभी कार्यबल में शामिल होती हैं, जिससे लिंग अंतर और आर्थिक निर्भरता बिगड़ जाती है।
- मनोसामाजिक प्रभाव: परिवार से अलगाव आश्रितों के बीच अकेलापन, चिंता और वित्तीय असुरक्षा पैदा करता है।

अब तक की गई पहल:

- ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम: मनरेगा ऑफ-सीजन के दौरान मजदूरी सहायता सुनिश्चित करता है, जिससे संकट के कारण होने वाले पलायन को हतोत्साहित किया जा सकता है।
- कौशल विकास मिशन: डीडीयू-जीकेवाई और पीएमकेवीवाई ग्रामीण युवाओं को स्थायी नौकरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- उद्यमिता को बढ़ावा देना: पीएम-मुद्रा, स्टार्ट-अप इंडिया और एसवीईपी छोटे ग्रामीण उद्यमों और स्वरोजगार का पोषण करते हैं।
- कृषि और FPO समर्थन: 10,000-FPO पहल (2025 लक्ष्य) सामूहिक खेती और मूल्य-श्रृंखला संबंधों को बढ़ाती है।
- डिजिटल और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना: भारतनेट, पीएमजीएसवाई और ग्रामीण बीपीओ कनेक्टिविटी और डिजिटल बाजारों तक पहुंच का विस्तार करते हैं।

आगे की राह:

- शिक्षा-नौकरी एकीकरण: नौकरी की मांग के साथ संरेखित करने के लिए ग्रामीण पाठ्यक्रम में कृषि-तकनीक, डिजिटल और व्यावसायिक कौशल को एम्बेड करना।
- गैर-कृषि क्षेत्रों में विविधता लाना: ग्रामीण युवाओं को अवशोषित करने के लिए हस्तशिल्प, रसद, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण डिजिटल इकोसिस्टम: तकनीक-सक्षम रोजगार पैदा करने के लिए 5जी, ई-कॉमर्स और टेली-वर्क हब में निवेश करें।
- रिवर्स माइग्रेशन मॉडल को बढ़ावा देना: गांव आधारित उद्यम को प्रेरित करने के लिए रायगढ़ के बलराम बंदगले जैसे स्थानीय उद्यमियों को उजागर करें।
- सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी: प्रवासी श्रमिकों के लिए पीडीएस, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा की सार्वभौमिक पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

भारत में प्रवासन को मजबूरी से पसंद की ओर विकसित होना चाहिए। ग्रामीण शिक्षा को रोजगार से जोड़कर, उद्योगों का विकेंद्रीकरण करके और युवा-केंद्रित नवाचार में निवेश करके, भारत संकट के प्रवास को रोक सकता है और अपने गांवों को पुनर्जीवित कर सकता है। एक संतुलित ग्रामीण-शहरी विकास मॉडल समावेशी और सतत विकास की कुंजी है।

संवैधानिक नैतिकता की रूपरेखा

संदर्भ:

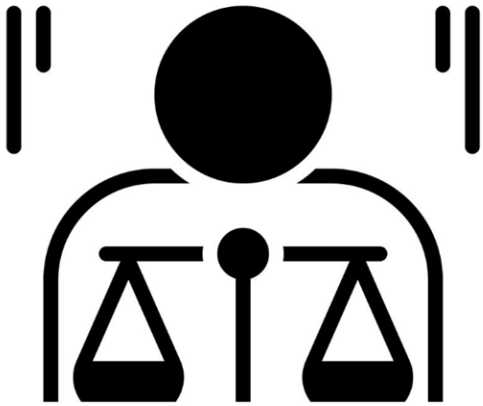

संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा लोकतांत्रिक आचरण और न्यायिक औचित्य पर बहस में फिर से उभरी है, हाल के निर्णयों और राजनीतिक कार्यों ने संवैधानिक सम्मेलनों और लोकप्रिय नैतिकता के बीच संतुलन का परीक्षण किया है।

संवैधानिक नैतिकता की रूपरेखा के बारे में:

यह क्या है?

- संवैधानिक नैतिकता उस नैतिक कम्पास को संदर्भित करती है जो संवैधानिक संस्थानों और अभिनेताओं के कामकाज का मार्गदर्शन करती है, यह सुनिश्चित करती है कि शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के बजाय संवैधानिक मूल्यों के प्रति संयम, निष्पक्षता और निष्ठा के साथ किया जाता है।

सुविधाएँ:

- कानून के शासन का पालन: सभी प्राधिकरणों को संवैधानिक सीमाओं और वैधता के सिद्धांतों के भीतर काम करना चाहिए।
- संस्थागत औचित्य: सार्वजनिक अधिकारियों को उन सम्मेलनों का पालन करना चाहिए जो संस्थागत गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं।
- असहमति के लिए सम्मान: सहिष्णुता और बहस को लोकतांत्रिक गुणों के रूप में प्रोत्साहित करता है।
- जवाबदेही: शक्ति का प्रत्येक प्रयोग नैतिक और कानूनी रूप से न्यायसंगत होना चाहिए।
- पाठ पर आत्मा: यह न केवल संवैधानिक प्रावधानों के प्रति बल्कि उनके नैतिक इरादे के प्रति निष्ठा की मांग करता है।

विचार का विकास:

- प्राचीन जड़ें: भारतीय दर्शन में, धर्म ने कानून और नैतिकता को एकीकृत किया, जो तिरुक्कुरल जैसे कार्यों में परिलक्षित होता है जो अराम (गुण) पर जोर देता है।
- पश्चिमी मूल: इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट (1846) ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच संवैधानिक रूपों के प्रति सम्मान के रूप में "संवैधानिक नैतिकता" गढ़ा।
- अंबेडकर का दृष्टिकोण: ग्रोट से उधार लेते हुए, अम्बेडकर ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र के लिए नैतिकता की आवश्यकता होती है, न कि केवल कानूनी अनुपालन की आवश्यकता होती है - "भारत में लोकतंत्र एक अलोकतांत्रिक धरती पर केवल एक शीर्ष ड्रेसिंग है।
- न्यायिक पुनरुद्धार: मनोज नरूला (2014), सबरीमाला (2018), और नवतेज जौहर (2018) जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इसे शासन और अधिकारों के फैसले के लिए एक नैतिक मानक के रूप में ऊंचा कर दिया।

संवैधानिक नैतिकता के आयाम:

- संस्थागत आयाम: यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के अंग - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका - आपसी सम्मान और संयम के साथ अपनी संवैधानिक भूमिकाओं के भीतर कार्य करें।
- न्यायिक आयाम: न्यायाधीश न केवल पाठ्य निष्ठा से बल्कि संवैधानिक लोकाचार में निहित नैतिक तर्क से कानूनों की व्याख्या करते हैं।
- विधायी आयाम: कानून निर्माताओं को लोकलुभावनवाद पर विचार-विमर्श, जवाबदेही और समावेशिता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- नागरिक आयाम: नागरिक नैतिकता - विविधता के लिए सम्मान, कानून का शासन और तर्कसंगत बहस - एक जीवित संविधान के लिए महत्वपूर्ण है।

संवैधानिक नैतिकता के लिए चुनौतियाँ:

- बहुसंख्यकवादी लोकलुभावनवाद: सामाजिक नैतिकता अक्सर संवैधानिक नैतिकता को ओवरराइड करती है, अल्पसंख्यक अधिकारों को खतरे में डालती है।
- सम्मेलनों का क्षरण: मानदंडों के प्रति राजनीतिक अवहेलना संस्थागत संतुलन को कमजोर करती है।
- न्यायिक अतिरेक: अत्यधिक नैतिक व्याख्या शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करने का जोखिम उठाती है।
- सार्वजनिक अज्ञान: नागरिक संवैधानिक शिक्षा का अभाव नैतिक आंतरिककरण को रोकता है।
- पक्षपातपूर्ण नौकरशाही: कार्यकारी वफादारी अक्सर संविधान से राजनीतिक आकाओं की ओर बढ़ जाती है।

आगे की राह:

- नागरिक संविधानवाद: संवैधानिक साक्षरता को शिक्षा और सार्वजनिक प्रवचन में एकीकृत करना।
- नैतिक नेतृत्व: राजनीतिक दलों को नियुक्तियों और निर्णय लेने में अखंडता को संस्थागत बनाना चाहिए।
- संस्थागत आचार समितियां: संवैधानिक कार्यालयों में सम्मेलनों के पालन की नियमित रूप से निगरानी करें।
- न्यायिक संवेदनशीलता: अदालतों को विधायी विशेषाधिकारों को हड़पे बिना नैतिक मार्गदर्शन बनाए रखना चाहिए।
- नागरिक जुड़ाव: समानता, सहानुभूति और संवाद पर आधारित सहभागी लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

संवैधानिक नैतिकता गणतंत्र की आत्मा है, जो एक कानूनी पाठ को एक नैतिक वाचा में बदल देती है। जैसा कि आंबेडकर ने कल्पना की थी, लोकतंत्र केवल कानून से नहीं बल्कि अपने नागरिकों और नेताओं के नैतिक अनुशासन से जीवित रहता है। जब कानून अंतरात्मा के साथ संरेखित होता है, तो संविधान एक चर्मपत्र वादा नहीं बल्कि न्याय और समानता का एक जीवंत प्रमाण बन जाता है।

लोकपाल

संदर्भ:

भारत का लोकपाल, देश का शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल, आंकड़ों से पता चला है कि शिकायतों में तेज गिरावट आई है – 2022-23 में 2,469 से 2025 में केवल 233 – यहां तक कि इसे सात बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद के लिए निविदा जारी करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

लोकपाल के बारे में:

यह क्या है?

- भारत का लोकपाल लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जो प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है।

Fading engagement

Complaints to the Lokpal have nosedived over the years, with 90% of them being made in the first few years of its establishment

Year	Complaints registered	Preliminary inquiry ordered	Prosecution sanction granted
2019-20	1,427	6	0
2020-21	110	28	0
2021-22	2,258	53	0
2022-23	2,469	43	0
2023-24	166	32	3
2024-25	292	78	4
2025-26	233	49	0
Total	6,955	289	7

Source: https://lokpal.gov.in/

Mandate of Lokpal

It has the jurisdiction to investigate corruption allegations against: ▪ Prime Minister ▪ Union Ministers ▪ Members of Parliament ▪ Senior government officials

Concerns raised by activists

No annual reports have been uploaded since 2021–22

Most complaints are being dismissed on technicalities

The Lokpal was created after a massive public campaign to ensure an independent authority could investigate big-ticket corruption involving top officials

ANJALI BHARDWAJ
RTI activist

इतिहास:

- अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन (2011) जैसे जन आंदोलनों के बाद इसकी कल्पना की गई थी।
- यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ, जिसने केंद्रीय भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण की दशकों की मांग के बाद राष्ट्रीय स्तर के लोकपाल को संस्थागत रूप दिया।
- पहले लोकपाल का गठन मार्च 2019 में किया गया था, जो पारदर्शी शासन के लिए भारत की लड़ाई में एक बड़ा कदम था।

सदस्य और संरचना:

- अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर (2025 तक)।
- सदस्य (कुल 7): इसमें चार न्यायिक और तीन गैर-न्यायिक सदस्य शामिल हैं जैसे कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ प्रशासक।
- नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद की चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है।

कार्य और शक्तियाँ:

- जांच और जांच: लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भ्रष्टाचार के मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच कर सकता है, निष्पक्ष जांच के माध्यम से शासन के सर्वोच्च पदों की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है।
- क्षेत्राधिकार: इसका अधिकार प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों (समूह A-D) तक फैला हुआ है, जिसमें सरकार द्वारा वित्त पोषित या सहायता प्राप्त निकाय भी शामिल हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी लोक सेवक जांच से परे न हो।
- पर्यवेक्षी भूमिका: लोकपाल संदर्भित मामलों में सीबीआई पर निगरानी रखता है, जिससे उसे जांच को निर्देशित करने और निष्पक्षता के लिए केंद्रीय एजेंसियों पर निगरानी बनाए रखने का अधिकार मिलता है।
- अभियोजन शक्तियाँ: यह मुकदमों को मंजूरी दे सकता है, संपत्ति कुर्की का आदेश दे सकता है, और निलंबन या हस्तांतरण की सिफारिश कर सकता है, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
- अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण: दीवानी अदालत की शक्तियों से लैस, यह गवाहों को बुला सकता है, दस्तावेजों की मांग कर सकता है और आदेश जारी कर सकता है - जिससे इसे अपने भ्रष्टाचार विरोधी जनादेश में न्यायिक विश्वसनीयता मिलती है।

लोकपाल की अब तक की सफलता:

- शिकायत रिकॉर्ड: अपनी स्थापना के बाद से, लोकपाल को 6,955 शिकायतें मिलीं, लेकिन केवल 289 ने प्रारंभिक जांच की, जो कम उपयोग और प्रक्रियात्मक अक्षमता को दर्शाती है।
- अभियोजन प्रगति: केवल सात मामले अभियोजन चरण तक पहुंचे हैं, जो शिकायत पंजीकरण और कार्रवाई योग्य न्याय के बीच एक गंभीर अंतर को दर्शाता है।
- संस्थागत विकास: 2025 में एक अभियोजन विंग के निर्माण ने अंततः स्वतंत्र कानूनी कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण शाखा का संचालन किया, जो एक अतिदेय लेकिन महत्वपूर्ण सुधार को चिह्नित करता है।
- पारदर्शिता की कमी: 2021-22 से वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन न होने से जनता के विश्वास को बनाए रखने में कमजोर जवाबदेही और संस्थागत जड़ता का पता चलता है।

लोकपाल के लिए चुनौतियां:

- कम सार्वजनिक जुड़ाव: शिकायतों में 2,469 (2022-23) से 233 (2025) तक की भारी गिरावट सार्वजनिक मोहभंग और घटती विश्वसनीयता को उजागर करती है।
- संस्थागत देरी: अभियोजन विंग की स्थापना में 12 साल की देरी नौकरशाही की उदासीनता और लोकपाल को सशक्त बनाने में राजनीतिक तात्कालिकता की कमी को उजागर करती है।
- प्रक्रियात्मक कठोरता: अत्यधिक तकनीकी शिकायत प्रारूप औपचारिकता के आधार पर बर्खास्तगी का कारण बनते हैं, जिससे वास्तविक व्हिसलब्लोअर और भ्रष्टाचार के शिकार लोग डरते हैं।
- पारदर्शिता की कमी: परिणामों का खुलासा करने या रिपोर्ट प्रकाशित करने में विफलता नागरिक निगरानी को कमजोर करती है और लोकपाल को अपारदर्शी और गैर-जवाबदेह बनाती है।
- फिजूलखर्ची की धारणा: बीएमडब्ल्यू कार खरीद विवाद नैतिक तपस्या और सार्वजनिक जवाबदेही के अपने लोकाचार का खंडन करता है, जो नैतिक वैधता को नष्ट करता है।

आगे की राह:

- डिजिटल पारदर्शिता: नागरिकों को मामले की स्थिति को ट्रैक करने, जवाबदेही और डेटा खुलेपन को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक वास्तविक समय शिकायत डैशबोर्ड विकसित करना।
- नैतिक विवेक: अपने नैतिक और नैतिक अधिकार में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए मितव्ययी संस्थागत आचरण को अपनाएं - विलासिता खर्च से बचें।
- संस्थागत सुदृढ़ीकरण: सख्त समयबद्ध जांच मानदंडों को लागू करते हुए जांच और अभियोजन विंग की स्वायत्तता और पर्याप्त स्टाफिंग सुनिश्चित करना।
- जन जागरूकता: शिकायत प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी साक्षरता को सार्वजनिक अभियानों में एकीकृत करना।

- विधायी समीक्षा: वार्षिक रिपोर्टिंग और संसदीय निरीक्षण को अनिवार्य करने, संस्थागत स्वतंत्रता और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए कानून में संशोधन करना

निष्कर्ष

लोकपाल की कल्पना भारत के लोकतंत्र के नैतिक प्रहरी के रूप में की गई थी, जो नागरिकों को सत्ता के दुरुपयोग से बचाता है। फिर भी, इसकी वर्तमान जड़ता खोए हुए सार्वजनिक विश्वास और संस्थागत बहाव को दर्शाती है। लोकपाल को पुनर्जीवित करने के लिए नैतिक संयम और प्रणालीगत सुधार दोनों की आवश्यकता है - ताकि न्याय का न केवल वादा किया जा सके बल्कि स्पष्ट रूप से पीछा किया जा सके।

भारत में शहरी नियोजन

संदर्भ:

भारत के शहरी नियोजन ढांचे पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है, जो भूमि-उपयोग विनियमन तक ही सीमित है, यह तर्क देते हुए कि विकसित भारत @ 2047 को प्राप्त करने के लिए शहरों को आर्थिक विकास केंद्रों में बदलना होगा।

भारत में शहरी नियोजन के बारे में:

शहरी भारत पर डेटा और सांख्यिकी:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 31% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी – 2047 तक 50% तक बढ़ने की उम्मीद है।
- शहरी क्षेत्र आज भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 63% का योगदान करते हैं, जिसके 2047 तक 75% तक पहुंचने का अनुमान है (नीति आयोग, 2023)।
- भारत में 4,000 से अधिक वैधानिक शहर और 53 महानगरीय शहर (जनगणना 2011) हैं, फिर भी अधिकांश खराब नियोजित हैं।
- विश्व बैंक (2024) का अनुमान है कि भारत को विकास को बनाए रखने के लिए अगले 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे के निवेश में 840 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।

शहरी नियोजन के लिए वर्तमान दृष्टिकोण

- भूमि-उपयोग केंद्रित मॉडल: भारत का शहरी नियोजन ज़ोनिंग और भौतिक लेआउट तक ही सीमित है, जो आधुनिक आर्थिक डिजाइन के बजाय स्वच्छता सुधारों की एक औपनिवेशिक विरासत है।
- मास्टर प्लान सीमाएं: वर्तमान मास्टर और विकास योजनाएं जनसंख्या अनुमानों और बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर निर्भर करती हैं, लेकिन आर्थिक विकास, पर्यावरण और सामाजिक समानता की अनदेखी करती हैं।
- प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार: योजना नगरपालिका की सीमाओं तक ही सीमित है, क्षेत्रीय संपर्कों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों और समग्र विकास के लिए आवश्यक शहरी-ग्रामीण आर्थिक एकीकरण की उपेक्षा करती है।

कमजोरियों की पहचान:

- आर्थिक दृष्टि का अभाव: शहरों में शहरी रूप को औद्योगिक, सेवा और रोजगार सृजन लक्ष्यों से जोड़ने वाली दीर्घकालिक रणनीतियों का अभाव है।
- प्रतिक्रियाशील, रणनीतिक नहीं: योजनाएं शहरी विकास और निवेश को सक्रिय रूप से निर्देशित करने के बजाय केवल अनियोजित विस्तार का जवाब देती हैं।
- संसाधन मायोपिया: पानी, ऊर्जा और अपशिष्ट जैसे सीमित संसाधनों के लिए कोई व्यवस्थित बजट या प्रबंधन नहीं है, जिससे शहर पारिस्थितिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं।
- जलवायु अंधापन: हीटवेव, बाढ़ और प्रदूषण के बढ़ते जोखिमों के बावजूद, योजना ढांचे में जलवायु अनुकूलन और उत्सर्जन में कमी को छोड़ दिया गया है।
- प्रशासनिक विखंडन: स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और राज्य एजेंसियों के बीच कमजोर समन्वय एकीकृत कार्यान्वयन में बाधा डालता है।

आर्थिक दृष्टि आधारित शहरी नियोजन की आवश्यकता

- आर्थिक ब्लूप्रिंट पहले: प्रत्येक शहर को एक आर्थिक आधार से योजना बनाना शुरू करना चाहिए, विनिर्माण, नवाचार और रसद जैसे मुख्य विकास क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए।
- साक्ष्य-संचालित अनुमान: जनसंख्या, आवास और भूमि की मांग यथार्थवादी आर्थिक और रोजगार पूर्वानुमानों से उपजी होनी चाहिए, न कि पुरानी जनसांख्यिकीय रुझानों से।
- विकास केंद्र के रूप में शहर: शहरी क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धात्मकता, उद्यमिता और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने वाले "आर्थिक इंजन" के रूप में विकसित होना चाहिए।
- एकीकृत योजना दृष्टिकोण: जलवायु कार्रवाई, गतिशीलता और संसाधन प्रबंधन को हर शहर के मास्टर और क्षेत्रीय योजनाओं के मुख्य स्तंभ बनाने चाहिए।

आगे की राह:

- आर्थिक और स्थानिक योजना को एकीकृत करना: शहरी भूमि-उपयोग और आर्थिक रणनीतियों को मिलाना सुनिश्चित करना ताकि शहरों को क्षेत्रीय औद्योगिक और सेवा विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जा सके।
- जलवायु-लचीले ढांचे को अपनाएं: ब्लूप्रिंट की योजना बनाने में कम कार्बन गतिशीलता, ऊर्जा दक्षता और आपदा तैयारियों को शामिल करें।
- शहरी शासन को मजबूत करना: यूएलबी को अधिक राजकोषीय और कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना और राज्य एजेंसियों के साथ ऊर्ध्वाधर समन्वय में सुधार करना।
- कानून और शिक्षा में सुधार: पुराने नगर नियोजन अधिनियमों का आधुनिकीकरण करें और अर्थशास्त्र, पर्यावरण और डिजिटल डिजाइन जैसे बहु-विषयक क्षेत्रों में योजनाकारों को प्रशिक्षित करना।
- क्षेत्रीय और टियर-2 शहरों के विकास को बढ़ावा देना: महानगरों में भीड़भाड़ कम करने और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक गलियारों, सैटेलाइट कस्बों और छोटे शहरी केंद्रों को प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष

भारत की शहरी नियोजन को भूमि-उपयोग नियंत्रण से आर्थिक और पर्यावरणीय रणनीति तक विकसित किया जाना चाहिए। शहर केवल आवास नहीं हैं बल्कि विकास इंजन और जलवायु युद्ध के मैदान हैं। विकसित भारत 2047 के लिए लचीले, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहरों के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी, एकीकृत योजना दृष्टिकोण आवश्यक है।

भारत टैक्सी - भारत की पहली सहकारी कैब सेवा

संदर्भ:

भारत सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के तत्वावधान में नवंबर 2025 में दिल्ली में देश की पहली सहकारी कैब सेवा 'भारत टैक्सी' शुरू करने के लिए तैयार है।

भारत टैक्सी के बारे में – भारत की पहली सहकारी कैब सेवा:

यह क्या है?

- भारत टैक्सी एक सरकार समर्थित सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है जो कैब ड्राइवरों को सदस्यों और शेयरधारकों के रूप में सशक्त बनाता है, सामूहिक स्वामित्व, पारदर्शिता और समान आय वितरण सुनिश्चित करता है - कॉर्पोरेट एग्रीगेटर मॉडल से एक प्रस्थान।

मंत्रालय:

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के सहयोग से केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया।
- उद्देश्य: एक निष्पक्ष, पारदर्शी और टिकाऊ कैब इकोसिस्टम स्थापित करना जो ड्राइवर कल्याण सुनिश्चित करता है, शोषणकारी कमीशन को समाप्त करता है, यात्रियों के लिए सस्ती सवारी प्रदान करता है, और भारत के डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम के साथ सहजता से एकीकृत होता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- सहकारी मॉडल: ₹300 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा प्रबंधित और अमूल, इफको, नेफेड, कृभको, नाबार्ड और एनसीडीसी जैसी सहकारी समितियों द्वारा समर्थित।
- ड्राइवर स्वामित्व: ड्राइवर, जिन्हें "सारथी" कहा जाता है, अनुबंध श्रमिकों के बजाय शेयरधारक होते हैं, जो किराए की कमाई का 100% बनाए रखते हैं।
- डिजिटल एकीकरण: सुरक्षित पहचान सत्यापन और सेवा पहुंच के लिए डिजिलॉकर, उमंग और एपीआई सेतु से जुड़ा हुआ है।
- कोई वृद्धि मूल्य निर्धारण या छिपी हुई लागत नहीं: किराया विनियमित और पारदर्शी है, जो यात्रियों के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करता है।
- चरणबद्ध रोलआउट: दिल्ली में 650 ड्राइवर-मालिकों के साथ लॉन्च (नवंबर 2025); 2026 तक 20 शहरों में और 2030 तक देश भर में 1 लाख कैब का विस्तार।

अर्थ:

- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहकारी उद्यमिता मॉडल को बढ़ावा देता है।
- शहरी गतिशीलता चुनौतियों का समाधान करते हुए ड्राइवरों के लिए आय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करता है।
- निजी एग्रीगेटर्स पर निर्भरता कम करता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और स्थानीय स्वामित्व को प्रोत्साहित करता है।

विशेष गहन संशोधन 2025

संदर्भ:

भारत का चुनाव आयोग (ECI) विशेष गहन संशोधन (SIR) 2025 शुरू करेगा, जिसके लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की आवश्यकता होगी।

विशेष गहन संशोधन 2025 के बारे में:

यह क्या है?

- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 लगभग दो दशकों के बाद मतदाता सूचियों को अद्यतन, प्रमाणित और शुद्ध करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर, दस्तावेज़-आधारित मतदाता सत्यापन अभ्यास है।
- यह सुनिश्चित करता है कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही पंजीकृत मतदाता बने रहें, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुरूप हो।

संगठन:

- यह अभियान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की देखरेख में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा लागू किया जाता है।

उद्देश्य:

- आगामी चुनावों से पहले एक स्वच्छ, त्रुटि मुक्त और सत्यापित मतदाता सूची सुनिश्चित करना।
- ऐतिहासिक सूची या सहायक दस्तावेजों के साथ लिंकेज के माध्यम से नागरिकता, आयु और मतदाताओं के पते के विवरण को सत्यापित करना।
- भारत की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, समावेशिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए।

एसआईआर में शामिल प्रमुख पदाधिकारी:

बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ):

- एक मतदान केंद्र (लगभग 1,000 मतदाता) के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।
- प्रत्येक मतदाता के घर से गणना प्रपत्र (ईएफ) वितरित और एकत्र करता है।
- प्रत्येक मतदाता के नाम को पिछली मतदाता सूचियों से जोड़ने में मदद करता है और स्थानांतरित या मृत मतदाताओं की पहचान करता है।
- जिला मजिस्ट्रेट (डीएम): अगर कोई ईआरओ के फैसले से असहमत है तो पहले अपील सुनता है।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ): दूसरी अपील सुनता है और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर प्रक्रिया की देखरेख करता है।

बूथ स्तर एजेंट (बीएलए):

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि।
- वे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म एकत्र करने और मतदाताओं को सत्यापित करने में मदद करते हैं।
- विशेष गहन संशोधन की प्रमुख प्रक्रियाएं

गणना प्रपत्र (EFS) तैयार करना:

- प्रत्येक मतदाता को वर्तमान सूची के आधार पर उनके विवरण (नाम, ईपीआईसी नंबर, पता, आदि) के साथ एक पूर्व-मुद्रित फॉर्म मिलेगा।
- फॉर्म 27 अक्टूबर 2025 तक ईसी के डेटाबेस से तैयार किए जाते हैं।

बीएलओ द्वारा वितरण:

- बीएलओ फॉर्म देने और एकत्र करने के लिए हर घर में तीन बार जाएंगे।
- मतदाता voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं।

पिछली मतदाता सूची से जोड़ना:

- प्रत्येक मतदाता को पुराने 2002-2004 के रोल (ऑनलाइन उपलब्ध) में अपने या किसी रिश्तेदार के नाम का पता लगाना होगा।
- इससे चुनाव आयोग को यह पुष्टि करने में मदद मिलती है कि मतदाता (या परिवार) पहले की सत्यापित सूचियों में मौजूद था।

फॉर्म भरना और जमा करना:

- मतदाता लापता विवरण (जैसे माता-पिता के नाम, जन्म तिथि, आधार, आदि) भरते हैं और बीएलओ या ऑनलाइन जमा करते हैं।
- प्रारंभ में किसी सहायक दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।

ERO/AERO द्वारा सत्यापन:

- प्रपत्रों की जाँच की जाती है। यदि किसी मतदाता को पुरानी सूची का लिंक नहीं मिला, तो उन्हें बाद में उम्र और नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज दिखाने होंगे।

अपील:

- यदि आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो आप पहले डीएम से अपील कर सकते हैं, फिर अपने राज्य के सीईओ से।

असमानता के युग में कृषि

संदर्भ:

यह लेख कॉर्पोरेट कब्जा, हिंसक व्यावसायीकरण और दशकों की नवउदारवादी नीतियों के कारण भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के प्रणालीगत क्षरण को उजागर करता है।

असमानता के युग में कृषि के बारे में:

कृषि पर डेटा और सांख्यिकी:

- किसान आत्महत्या: 1995 से अब तक 4,00,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है; एनसीआरबी (2022) ने 11,290 मौतों की सूचना दी, जो दर्शाता है कि ऋणग्रस्तता और बाजार संकट के कारण हर घंटे एक से अधिक किसान की मौत हो जाती है।
- आय में गिरावट: एनएसएस 77वें दौर (2018-19) से पता चलता है कि औसत कृषि घरेलू आय ₹10,218/माह है, जो 2012-13 से 10% की गिरावट को दर्शाता है, जो बढ़ती लागत के बीच ठहराव को दर्शाता है।
- रोजगार पलायन: 1991 और 2011 के बीच, भारत ने लगभग 15 मिलियन पूर्णकालिक किसानों को खो दिया, जिसमें 2,000 किसान हर दिन कृषि छोड़ रहे थे, जो ग्रामीण व्यवहार्यता में गिरावट का संकेत है।
- असमानता अनुपात: 217 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति (अमेरिकी ट्रिलियन) कृषि बजट के 58× के बराबर है, जो ग्रामीण गरीबी और अभिजात वर्ग संचय के बीच एक स्पष्ट अंतर को उजागर करता है।
- व्यापार की गिरती शर्तें: कपास की क्रय शक्ति में गिरावट आई- जिन किसानों ने 1970 के दशक में 12 ग्राम प्रति क्विंटल सोना खरीदा था, वे आज 1 ग्राम नहीं खरीद सकते हैं, जो इनपुट मुद्रास्फीति और स्थिर उत्पादन कीमतों के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है।

भारत में कृषि का महत्व:

- आर्थिक रीढ़: कृषि भारत के 45% कार्यबल को बनाए रखती है और सकल घरेलू उत्पाद में ~18% का योगदान देती है, जो आजीविका और राष्ट्रीय विकास की नींव के रूप में कार्य करती है।
- खाद्य सुरक्षा एंकर: यह खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करता है, कीमतों को स्थिर करता है और मुद्रास्फीति के झटकों को कम करता है, जिससे यह पोषण सुरक्षा की आधारशिला बन जाता है।
- सामाजिक स्थिरता: बेरोजगारी और महामारी (जैसे, COVID-19 रिवर्स माइग्रेशन) के दौरान एक सदमे अवशोषक के रूप में कार्य करता है, जो ग्रामीण सुरक्षा जाल के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करता है।
- सांस्कृतिक पहचान: यह भारत के सभ्यतागत लोकाचार के धरती-माता का प्रतीक है, जो मनुष्यों, मिट्टी और ऋतुओं के बीच सामंजस्य का प्रतीक है - जीविका की एक नैतिक लय।
- अंतरक्षेत्रीय संबंध: एमएसएमई, परिवहन और खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देता है, जिससे मांग श्रृंखलाएं पैदा होती हैं जो ग्रामीण-शहरी आर्थिक अन्योन्याश्रयता को प्रोत्साहित करती हैं।

असमानता और कृषि से इसका संबंध:

- नीतिगत पूर्वाग्रह: 1991 के बाद उदारीकरण ने पूंजी-गहन कॉरपोरेट्स का पक्ष लिया, जिससे सार्वजनिक निवेश, सब्सिडी और छोटे धारकों को ऋण प्रवाह कम हो गया।
- कॉर्पोरेट पैठ: कृषि व्यवसाय के दिग्गज अब बीज, रसद और बाजारों पर हावी हैं, जिससे किसान स्वायत्तता और पारंपरिक सहकारी समितियों का क्षरण हो रहा है।
  - उदाहरण: भारत में बायर-मोनसेंटो के बीज-मूल्य निर्धारण विवाद बताते हैं कि कैसे एकाधिकार नियंत्रण किसानों के मार्जिन को कम करता है।
- बाजार की विकृतियां: कमजोर एमएसपी प्रवर्तन और मंडी विनियमन ने मूल्य नियंत्रण को व्यापारियों पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे आय विषमता बिगड़ गई है।
  - उदाहरण: 2023-24 में, बिहार में धान किसानों ने एमएसपी से 1,850 रुपये/क्विंटल यानी 250 रुपये कम कमाए, जबकि कॉर्पोरेट खरीदारों ने अनुबंध चैनलों के माध्यम से खरीद हासिल की।
- ग्रामीण अभाव: सिंचाई, बीमा और अनुसंधान में कटौती ने क्षेत्रीय असमानताओं को चौड़ा कर दिया, जिससे किसान ऋण चक्र और अनिश्चितता में फंस गए।

- उदाहरण: कम सिंचाई कवरेज (< 15%) वाले विदर्भ और बुंदेलखंड में भारत की एक चौथाई से अधिक कृषि आत्महत्याएं होती हैं।
- धन एकाग्रता: कॉरपोरेट्स के लिए राजकोषीय "प्रोत्साहन" और कर उदारता ने विशाल सार्वजनिक संसाधनों को छोटे किसानों से दूर स्थानांतरित कर दिया।
  - उदाहरण: 2024 तक, शीर्ष 10 कृषि व्यवसायों को ₹1.3 लाख करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ - सभी छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में पांच गुना अधिक - जो संसाधनों के प्रणालीगत हस्तांतरण को दर्शाता है।

कृषि असमानता के निहितार्थ:

- ग्रामीण पलायन: व्यापक संकट लाखों लोगों को शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करता है, अनौपचारिक श्रम और शहरी गरीबी बेल्ट में वृद्धि होती है।
- पोषण संकट: परिवार अब दूध और अनाज बेचते हैं जो कभी घरेलू उपयोग के लिए थे, जिससे बाल कुपोषण और खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है।
- लोकतंत्र का क्षरण: नीतिगत स्थान पर कॉर्पोरेट कब्जा पंचायती राज संस्थानों और जमीनी स्तर की जवाबदेही को कमजोर करता है।
- सामाजिक असंतोष: दिल्ली किसान विरोध (2020-21) नीति केंद्रीकरण और असमानता के खिलाफ लोकतांत्रिक दावे का प्रतीक है।
- पारिस्थितिक तनाव: मोनोक्रॉपिंग, रासायनिक-गहन खेती और जलवायु के झटके मिट्टी की कमी और जैव विविधता के नुकसान को तेज कर रहे हैं।

आगे की राह:

- सार्वजनिक कृषि में पुनर्निवेश: उचित एमएसपी और सार्वजनिक खरीद तंत्र की गारंटी देते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचे, सिंचाई और अनुसंधान एवं विकास का विस्तार करना।
- नीतिगत प्राथमिकताओं को पुनर्संतुलित करना: सब्सिडी, ऋण और बीमा को छोटे किसानों, एफपीओ और कृषि-सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र की ओर पुनर्निर्देशित करना।
- स्थानीय शासन को सशक्त बनाना: विकेंद्रीकृत, सहभागी योजना सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों, एसएचजी और उत्पादक समूहों को मजबूत करना।
- आजीविका में विविधता लाना: ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार पैदा करने के लिए कृषि-पारिस्थितिक और संबद्ध क्षेत्रों (डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण) को प्रोत्साहित करना।
- सामाजिक सुरक्षा और नैतिकता: गरिमा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और नैतिक निरीक्षण के साथ मनरेगा, फसल बीमा और शिकायत प्रणालियों को पुनर्जीवित करें।

निष्कर्ष

भारत की कृषि गिरावट लाभ और लोगों के बीच गहरे नैतिक असंतुलन को दर्शाती है। इसका समाधान कृषि को छोड़ने में नहीं है, बल्कि न्याय, गरिमा और स्थिरता के माध्यम से इसे फिर से मानवीय बनाने में है। इस प्रकार ग्रामीण इलाकों को पुनर्जीवित करना दान नहीं है - यह भारत की सामूहिक अंतरात्मा का पुनरुत्थान है।

3 भूगोल

भारत का दूसरा खनिज अन्वेषण अनुबंध

संदर्भ:

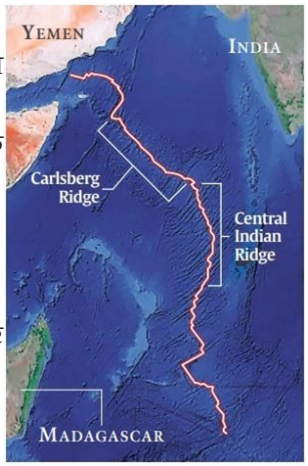

भारत ने कार्ल्सबर्ग रिज, हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (पीएमएस) के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (आईएसए) से दूसरा अन्वेषण अनुबंध हासिल किया है।

- यह भारत को दो पीएमएस अनुबंधों वाला पहला देश बनाता है, जो विश्व स्तर पर पीएमएस अन्वेषण के लिए सबसे बड़ा आवंटित क्षेत्र है।

भारत के दूसरे खनिज अन्वेषण अनुबंध के बारे में:

यह क्या है?

- कार्ल्सबर्ग रिज में 10,000 वर्ग किमी क्षेत्र के लिए UNCLOS ढांचे के तहत ISA के साथ हस्ताक्षर किए गए।
- 2026 से नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (एनसीपीओआर) द्वारा अन्वेषण किया जाएगा।

उद्देश्य :

- भारत के ऊर्जा परिवर्तन, उच्च तकनीक विनिर्माण और संसाधन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों को सुरक्षित करना।
- ब्लू इकोनॉमी और डीप ओशन मिशन में भारत की भूमिका को मजबूत करना।

सुविधाएँ:

- मध्य और दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिज में भारत के पहले पीएमएस अनुबंध (2016) पर बनाता है।

अन्वेषण योजना:

1. टोही सर्वेक्षण (जहाज पर चढ़कर उपकरण)।
2. निकट-समुद्र सर्वेक्षण (एयूवी, आरओवी)।
3. जमा का संसाधन मूल्यांकन।

- भारत के समुद्रयान मिशन और गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकी विकास द्वारा समर्थित।

कार्ल्सबर्ग रिज के बारे में:

यह क्या है?

- हिंद महासागर में एक प्रमुख मध्य-महासागर रिज प्रणाली जो समुद्र तल के फैलने से बनी है।

स्थिति:

- अफ्रीकी, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों के ट्रिपल जंक्शन (2° N, 66°E के पास) से अदन की खाड़ी की ओर फैला हुआ है।
- अरब सागर (NE) को सोमाली बेसिन (SW) से अलग करता है।

सुविधाएँ:

- ~40 मिलियन वर्ष पहले गठित, 2.4-3.3 सेमी/वर्ष की प्रसार दर के साथ।
- गहराई: समुद्र की सतह से 1,800-3,600 मीटर नीचे।
- मध्य घाटी, ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति, धीमी गति से फैलने वाली लकीरों की विशिष्टता है।
- हाइड्रोथर्मल वेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है, पीएमएस जमा में समृद्ध।
- पहले के अन्वेषण स्थलों (~2°S) की तुलना में भारत (~2°N) के करीब है।
- भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जो पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली से जुड़ा हुआ है।

पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (PMS) के बारे में:

यह क्या है?

- हाइड्रोथर्मल वेंट के पास समुद्र तल पर बनने वाले खनिज भंडार।
- जब ठंडा समुद्री जल मैग्मा के साथ बातचीत करता है, गर्म खनिज युक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालता है, समुद्र तल पर ठोस जमा करता है।
- कहाँ पाया गया: 2,000-5,000 मीटर की गहराई पर मध्य-महासागर की लकीरों और हाइड्रोथर्मल वेंट क्षेत्रों के साथ।
- संरचना: तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना और दुर्लभ/कीमती धातुओं की मात्रा में समृद्ध।

अनुप्रयोगों:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च तकनीक उद्योग (तांबा, दुर्लभ धातु)।
- हरित ऊर्जा प्रणाली (सौर और बैटरी के लिए जस्ता, चांदी)।
- एयरोस्पेस, रक्षा और स्वच्छ तकनीक विनिर्माण में रणनीतिक उपयोग।

चक्रवात शाखा

संदर्भ:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तर-पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवात शक्ति के गठन की पुष्टि की है।

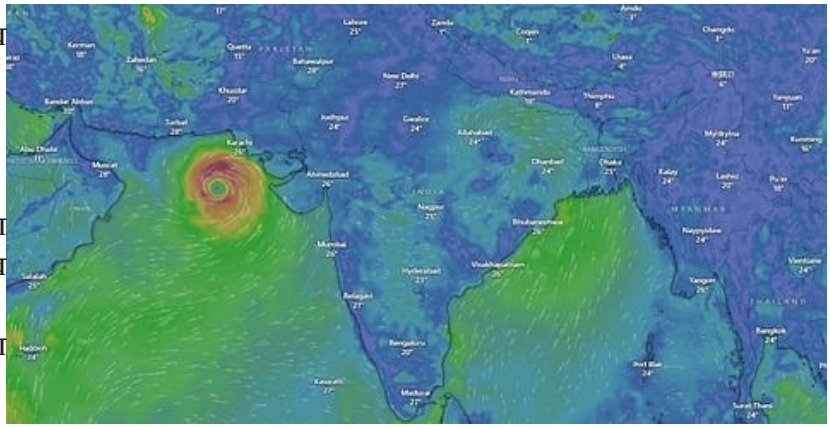

चक्रवात शक्ती के बारे में:

यह क्या है?

- एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान जो द्वारका (गुजरात) से ~ 340 किमी पश्चिम में उत्तर-पूर्व अरब सागर में विकसित हुआ।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की क्षेत्रीय नामकरण प्रणाली के तहत "शक्ती" नाम दिया गया।

मूल:

- अक्टूबर 2025 की शुरुआत में गर्म अरब सागर के पानी पर कम दबाव के विकास के कारण बना है।
- यह प्रणाली 3 अक्टूबर को एक चक्रवाती तूफान (सीएस) में मजबूत हुई और पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण इसके गंभीर चक्रवाती तूफान (एससीएस) बनने का अनुमान है।

सुविधाएँ:

- तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं, ऊंची समुद्री लहरें और भारी वर्षा की संभावना है।
- समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण अरब सागर के चक्रवातों में वृद्धि की प्रवृत्ति का हिस्सा।

बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से भी ज्यादा चक्रवात क्यों आते हैं

1. गर्म पानी:
   - बंगाल की खाड़ी अर्ध-संलग्न और भूमि से घिरी हुई है, जो गर्म पानी (29-30 डिग्री सेल्सियस) को बनाए रखती है।
   - तेज हवाओं और वाष्पीकरण के कारण अरब सागर ठंडा रहता है।
2. नमी की उपलब्धता:
   - खाड़ी नदियों और मानसून के प्रवाह से प्रचुर मात्रा में नम हवा प्राप्त करती है।
   - अरब सागर ओमान और यमन से आने वाली शुष्क हवाओं से प्रभावित है, जिससे चक्रवात की तीव्रता सीमित हो जाती है।
3. बाहरी ट्रिगर (दालें):
   - प्रशांत से आने वाले टाइफून अक्सर कम दबाव वाली प्रणालियों के रूप में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं, जो बाद में तेज हो जाते हैं।
   - अरब सागर को इस तरह के बाहरी इनपुट नहीं मिलते हैं।

अटाकामा रेगिस्तान

संदर्भ:

चिली के अटाकामा रेगिस्तान में असामान्य सर्दियों की बारिश, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक, ने फुकिया रंग के जंगली फूलों के एक दुर्लभ बड़े पैमाने पर खिलने को ट्रिगर किया है, जिससे शुष्क परिदृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई देने वाले एक शानदार पुष्प कालीन में बदल गया है।

अटाकामा रेगिस्तान के बारे में:

यह क्या है?

- अटाकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे शुष्क गैर-ध्रुवीय रेगिस्तान है, जिसे अक्सर वैज्ञानिकों द्वारा इसकी अत्यधिक शुष्कता और खनिज समृद्ध इलाके के कारण मंगल ग्रह के परिदृश्य के लिए पृथ्वी एनालॉग के रूप में उपयोग किया जाता है।

स्थान:

- उत्तरी चिली में स्थित, रेगिस्तान प्रशांत महासागर और एंडीज पर्वत के बीच उत्तर से दक्षिण तक 600-700 मील (1,000-1,100 किमी) तक फैला है।
- उत्तर में पेरू से घिरा, यह लोआ नदी बेसिन तक फैला हुआ है।

प्रमुख भौतिक विशेषताएं:

- औसत वर्षा: ~ 2 मिमी प्रति वर्ष - कुछ क्षेत्रों में दशकों से कोई बारिश दर्ज नहीं की गई है।
- ऊंचाई: अटाकामा पठार पर समुद्र तल से 13,000 फीट (4,000 मीटर) से अधिक तक भिन्न होता है।
- इलाके में नमक के फ्लैट (सलारे), ज्वालामुखीय शंकु, रेत के टीले और जलोढ़ मैदान शामिल हैं।
- तापमान: ठंडे ह्मबोल्ट करंट के कारण हल्का, गर्मियों का औसत 18-19 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है।
- प्रशांत क्षेत्र के ऊपर उठने से बार-बार कोहरे की संरचनाएं (कैमंचका) कुछ वनस्पतियों के लिए सीमित नमी प्रदान करती हैं।

फुकिया फूल खिलने के बारे में:

यह क्या है?

- खिलने में सिस्टैंथे लॉन्गिस्कापा होता है, जिसे स्थानीय रूप से "पाटा डी गुआनाको" के रूप में जाना जाता है, जो एक छोटा, लचीला फूल वाला पौधा है जो दुर्लभ वर्षा की घटनाओं के बाद ज्वलंत फुकिया, गुलाबी और बैंगनी फूल पैदा करता है।
- पर्यावास: अटाकामा रेगिस्तान की शुष्क मिट्टी का मूल निवासी, यह सतह के नीचे बीज के रूप में वर्षों तक निष्क्रिय रहता है, नमी के अंकुरित होने की प्रतीक्षा करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- एक सूखा-सहिष्णु पौधा जो सांस लेने और भोजन बनाने के तरीके को बदल सकता है।
- फूल "डेसिएर्टो फ्लोरिडो" (फूल वाला रेगिस्तान) घटना पैदा करते हैं, जो शुष्क भूमि को हफ्तों तक रंग के समुद्र में बदल देते हैं।
- मिट्टी के पुनर्जनन और जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, संक्षिप्त खिलने के दौरान कीड़ों और छोटे जीवों का समर्थन करता है।

डूरंड लाइन

संदर्भ:

डूरंड रेखा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पार से ताजा झड़पों में दोनों पक्षों के 80 से अधिक सैनिक मारे गए हैं, जिससे विवादित सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है।

डूरंड लाइन के बारे में:

यह क्या है?

- डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा है, जो लगभग 2,600 किमी (1,600 मील) तक फैली हुई है।
- यह 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच सहमत प्रभाव की सीमाओं का सीमांकन करता है, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी भी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है।

स्थान:

- उत्तर-पूर्व (चीन के पास) में काराकोरम रेंज से दक्षिण-पश्चिम (ईरान के पास) में रेजिस्तान रेगिस्तान तक फैला हुआ है।
- खैबर दर्रे और स्पिन घर (सफेद पर्वत) जैसी प्रमुख भौगोलिक और रणनीतिक विशेषताओं से होकर गुजरता है।
- अफगानिस्तान के 12 प्रांतों और पाकिस्तान के 3 प्रांतों खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित-बाल्टिस्तान में यह हमला हुआ है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- एंग्लो-अफगान संदर्भ: 1893 में सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड (विदेश सचिव, ब्रिटिश भारत) और अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच प्रभाव के क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए एक समझौते के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- स्वतंत्रता के बाद की विरासत: 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद, इसे विरासत में यह रेखा मिली; हालांकि, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के खिलाफ मतदान करते हुए इसकी वैधता को खारिज कर दिया।
- पश्तूनिस्तान आंदोलन: सीमा ने पश्तून जनजातियों को विभाजित किया, जिससे एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान और लगातार सीमा पार आदिवासी अशांति की मांग बढ़ गई।

भौतिक विशेषताएं:

- ट्रैवर्स के विविध इलाके - पूर्व में उच्च ऊंचाई वाली श्रेणियां (काराकोरम, हिंदू कुश, स्पिन घर) से लेकर पश्चिम में रेगिस्तान और मैदानों (रेजिस्तान, बलूच पठार)।
- इसमें खैबर दर्रा (व्यापार और आक्रमण मार्ग) और वाखान कॉरिडोर जैसे रणनीतिक दर्रे शामिल हैं, जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अलग करने वाली एक संकरी पट्टी है।
- यह क्षेत्र जातीय रूप से पश्तून-प्रभुत्व वाला है, जिसमें दोनों पक्षों में गहरे जनजातीय, सांस्कृतिक और रिश्तेदारी संबंध हैं।

दक्षिण अटलांटिक विसंगति (एसएए) - चुंबकीय कमजोर धब्बे

संदर्भ:

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के झुंड मिशन के हालिया निष्कर्षों से पता चलता है कि दक्षिण अटलांटिक विसंगति (एसएए) - पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सबसे कमजोर तीव्रता का क्षेत्र - 2014 के बाद से लगभग 0.9% का विस्तार हुआ है।

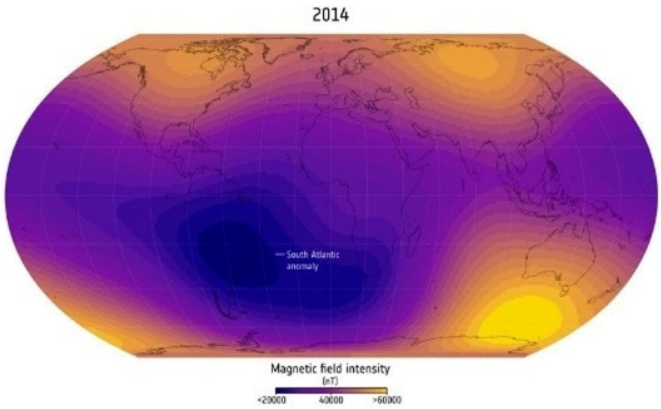

दक्षिण अटलांटिक विसंगति (SAA) के बारे में:

यह क्या है?

- दक्षिण अटलांटिक विसंगति दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के ऊपर स्थित एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र है, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वैश्विक औसत से काफी कम है।
- द्वारा पहचाना गया: पहली बार 19वीं शताब्दी में नोट किया गया, 2013 में लॉन्च किए गए ईएसए के स्वार्म उपग्रहों का उपयोग करके विसंगति को लगातार मैप और विश्लेषण किया गया है।

विसंगति का कारण:

- एसएए पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे और निकल के अनियमित प्रवाह के कारण होता है, जो भू-डायनेमो को बाधित करता है - वह तंत्र जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
- दक्षिण अटलांटिक के नीचे, रिवर्स फ्लक्स पैच देखे जाते हैं - ऐसे क्षेत्र जहां चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पृथ्वी से बाहर निकलने के बजाय फिर से प्रवेश करती हैं, जिससे स्थानीय चुंबकीय शक्ति कमजोर हो जाती है।
- ये जटिल कोर-मेंटल इंटरैक्शन चुंबकीय तीव्रता में स्थानिक भिन्नता पैदा करते हैं, जिससे SAA बनता है।

सुविधाएँ:

- स्थान: दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिम के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
- विस्तार: 2014 के बाद से 0.9% की वृद्धि हुई है और पश्चिम की ओर बढ़ना जारी है।
- दोहरी कोशिका संरचना: 2020 के बाद से, SAA दो कमजोर उप-कोशिकाओं में विभाजित हो गया है, एक दक्षिण अमेरिका की ओर और दूसरा दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के पास।

चुंबकीय कमजोर धब्बे क्या हैं?

परिभाषा:

- चुंबकीय कमजोर धब्बे पृथ्वी की सतह पर कम भू-चुंबकीय तीव्रता के स्थानीयकृत क्षेत्र हैं जो ग्रह के बाहरी कोर के भीतर चुंबकीय प्रवाह के असमान वितरण के कारण होते हैं।

वे क्यों बनते हैं:

- असमान कोर प्रवाह: पिघली हुई धातुएँ पृथ्वी के बाहरी कोर में समान रूप से प्रसारित नहीं होती हैं, जिससे कुछ क्षेत्र कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं।
- रिवर्स मैग्नेटिक फ्लक्स: एसएए जैसे कुछ क्षेत्रों में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कोर में पीछे की ओर लूप करती हैं, जिससे सतह की चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है।
- कोर डायनेमिक्स: तरल बाहरी कोर में निरंतर द्रव गति, संवहन धाराएं और थर्मल भिन्नता चुंबकीय शक्ति क्षेत्रों के आवधिक पुनर्गठन की ओर ले जाती है।

चुंबकीय कमजोर धब्बों के प्रभाव

- उपग्रह और अंतरिक्ष यान भेद्यता: एसएए से गुजरने वाले उपग्रहों से विकिरण जोखिम में वृद्धि होती है, जिससे हार्डवेयर क्षति, डेटा भ्रष्टाचार या उपकरणों में ब्लैकआउट का खतरा होता है।
- नेविगेशन चुनौतियाँ: क्षेत्र की ताकत में भिन्नता चुंबकीय नेविगेशन और अंशांकन प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है, खासकर निचली पृथ्वी की कक्षाओं में।
- अंतरिक्ष मौसम संवेदनशीलता: कमजोर ढाल आवेशित सौर कणों को पृथ्वी की सतह के करीब डुबकी लगाने की अनुमति देती है, जिससे अंतरिक्ष मौसम के खतरे बढ़ जाते हैं।
- क्षेत्रीय भिन्नता प्रभाव: एसएए का पश्चिम की ओर बहाव और विस्तार उपग्रहों, विशेष रूप से पृथ्वी-अवलोकन और संचार प्रणालियों की परिक्रमा के लिए जोखिम क्षेत्र को बढ़ाता है।

तूफान मेलिसा

संदर्भ:

तूफान मेलिसा, जमैका का अब तक का सबसे मजबूत तूफान और श्रेणी 5 तूफान, क्यूबा के सैंटियागो प्रांत की ओर मुड़ने से पहले 185 मील प्रति घंटे (295 किमी / घंटा) तक की हवाओं के साथ द्वीप को तबाह कर दिया है।

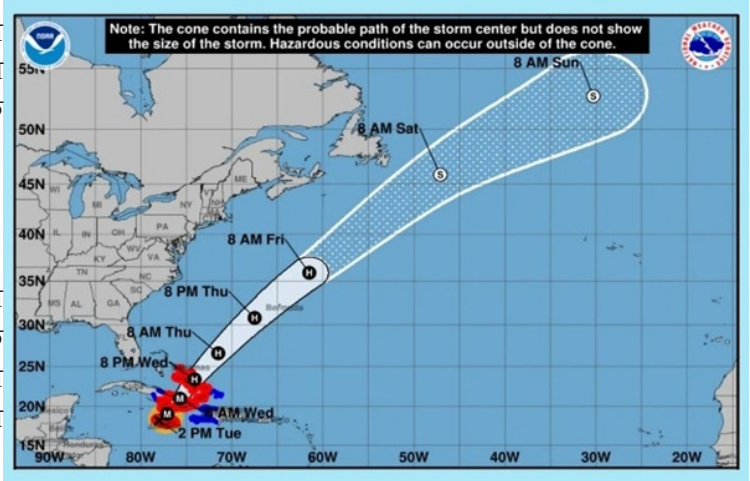

तूफान मेलिसा के बारे में:

यह क्या है?

- तूफान मेलिसा एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कैरेबियन सागर के ऊपर बना है और जमैका के इतिहास में दर्ज किया गया अब तक का सबसे मजबूत तूफान बन गया, जो तूफान गिल्बर्ट (1988) जैसे पिछले प्रमुख तूफानों को पार कर गया।

मूल:

- यह पूर्वी कैरिबियन के ऊपर एक उष्णकटिबंधीय अवसाद के रूप में उत्पन्न हुआ, जो असामान्य रूप से गर्म समुद्र के पानी और अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण धीरे-धीरे मजबूत हो गया, जो सैफिर-सिम्पसन पैमाने पर श्रेणी 5 तूफान में विकसित हुआ।

गठन प्रक्रिया:

- ट्रिगर: मध्य कैरेबियन सागर के ऊपर कम दबाव की गड़बड़ी विकसित हुई।
- गहनता: गर्म समुद्र की सतह के तापमान और उच्च आर्द्रता ने तेजी से तीव्रता को बढ़ावा दिया।
- प्रक्षेपवक्र: जमैका में पश्चिम की ओर बढ़ गया, फिर क्यूबा और बहामास की ओर उत्तर-पूर्व की ओर घुमावदार।
- प्रभाव: 185 मील प्रति घंटे तक की हवाएं, व्यापक बाढ़, कृषि हानि, बुनियादी ढांचे की क्षति और जमैका में 1.5 मिलियन से अधिक लोगों का विस्थापन।

सैफिर-सिम्पसन तूफान विंड स्केल के बारे में:

यह क्या है?

- सैफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल (SSHWS) एक 1-5 रेटिंग प्रणाली है जिसका उपयोग तूफानों को उनकी अधिकतम निरंतर हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह संभावित संपत्ति क्षति और प्रभाव गंभीरता का अनुमान लगाता है, हालांकि यह वर्षा या तूफान की वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है।

श्रेणियाँ और विशेषताएं:

- श्रेणी 1 (74-95 मील प्रति घंटे): मामूली छत और पेड़ क्षति का कारण बनता है; कुछ दिनों के लिए स्थानीय बिजली आउटेज।
- श्रेणी 2 (96-110 मील प्रति घंटे): प्रमुख छत और साइडिंग क्षति; कई दिनों से लेकर हफ्तों तक चलने वाली व्यापक बिजली विफलता।
- श्रेणी 3 (111-129 मील प्रति घंटे) - प्रमुख तूफान: विनाशकारी संरचनात्मक क्षति; बिजली और पानी कई दिनों से लेकर हफ्तों तक अनुपलब्ध है।
- श्रेणी 4 (130-156 मील प्रति घंटे) - प्रमुख तूफान: गंभीर संरचनात्मक विफलताओं के साथ विनाशकारी क्षति; हफ्तों तक निर्जन क्षेत्र।
- श्रेणी 5 (□157 मील प्रति घंटे) - प्रमुख तूफान: घरों का लगभग कुल विनाश; लंबे समय तक बिजली और पानी की कटौती; बड़े पैमाने पर विस्थापन।

दिल्ली में क्लाउड सीडिंग

संदर्भ:

पांच दशकों से अधिक समय में पहली बार, दिल्ली सरकार ने आईआईटी-कानपुर के सहयोग से कृत्रिम बारिश को प्रेरित करने और शहर के गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण किया है।

- इस प्रयोग में उत्तर और पूर्वी दिल्ली में सीडिंग सामग्री से लदे फ्लेयर्स को फैलाने वाला सेसना 206एच विमान शामिल था।

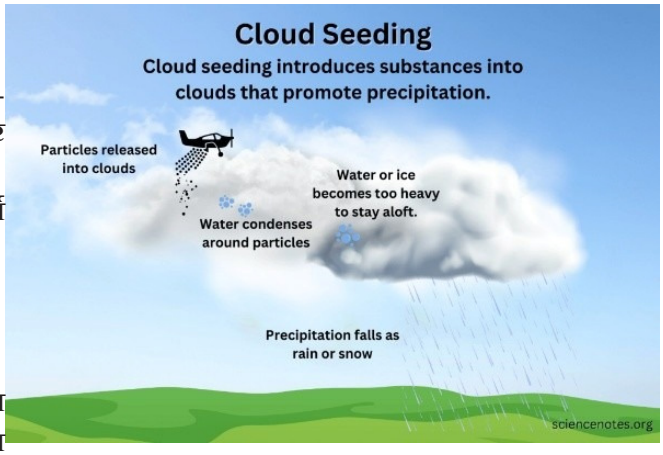

दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बारे में:

यह क्या है?

- क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसका उद्देश्य वर्षा को बढ़ाने के लिए कुछ रसायनों को बादलों में फैलाकर कृत्रिम

रूप से वर्षा को प्रेरित करना है। बारिश के माध्यम से निलंबित प्रदूषकों को व्यवस्थित करके वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक वैज्ञानिक उपाय के रूप में दिल्ली में इसका परीक्षण किया जा रहा है।

- शामिल संगठन: यह परियोजना दिल्ली सरकार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के बीच एक संयुक्त पहल है।

प्रयुक्त रसायन:

- सिल्वर आयोडाइड (एजीआई)
- पोटेशियम आयोडाइड (KI)
- सोडियम क्लोराइड (NaCl)
- ये "बीज कणों" या संघनन नाभिक के रूप में कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर वर्षा की बूंदें बनाती हैं।

क्लाउड सीडिंग कैसे काम करती है?

- उपयुक्त बादलों की पहचान: मौसम विज्ञानी पर्याप्त नमी सामग्री और गहराई वाले बादलों की पहचान करने के लिए पहले रडार और उपग्रह डेटा का उपयोग करके मौसम की स्थिति की निगरानी करते हैं। केवल ये बादल ही कृत्रिम वर्षा बनने की प्रक्रिया को बनाए रख सकते हैं।
- विमान/ड्रोन की तैनाती: एक छोटा विमान या ड्रोन (दिल्ली के मामले में, सेसना 206H) में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे विशिष्ट रासायनिक एजेंटों वाले सीडिंग फ्लेयर्स होते हैं।
- सीडिंग एजेंटों की रिहाई: एक बार जब विमान लक्षित ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो फ्लेयर्स प्रज्वलित हो जाते हैं और बादलों के आधार या आंतरिक भाग में छोड़ दिए जाते हैं। लगभग 2-2.5 किलोग्राम वजन वाली प्रत्येक चमक में महीन कण होते हैं जो संघनन या बर्फ के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं।
- न्यूक्लियेशन और संघनन प्रक्रिया: मुक्त कण आसपास के जल वाष्प को आकर्षित करते हैं। गर्म बादलों में, पानी की बूंदें नमक के कणों के आसपास बनती हैं और बढ़ती हैं; ठंडे बादलों में, सिल्वर आयोडाइड के चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। ये सूक्ष्मभौतिकीय प्रक्रियाएं बूंद के आकार और घनत्व को बढ़ाती हैं।
- बूंद की वृद्धि और सहवास: जैसे-जैसे अधिक बूंदें टकराती हैं और विलीन होती हैं, वे भारी और बड़ी होती जाती हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका नीचे की ओर गिरना तेज हो जाता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अंततः वर्षा होती है - या तो बारिश या बर्फ, तापमान के आधार पर।
- कृत्रिम वर्षा और प्रदूषण निवारण: प्रेरित वर्षा PM2.5, PM10 और धूल के कणों जैसे वायुजनित प्रदूषकों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, जिससे अस्थायी रूप से वायु गुणवत्ता और दृश्यता में सुधार होता है।
- दिल्ली के मामले में, बुराड़ी, करोल बाग और मयूर विहार जैसे क्षेत्रों को लक्षित करते हुए, 15-20% आर्द्रता के साथ बादलों में आठ फ्लेयर्स (प्रत्येक 2-2.5 किलोग्राम) दागे गए।
- नतीजा: मंगलवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश को प्रेरित करने के प्रयास "पूरी तरह से सफल" नहीं थे क्योंकि बादलों में नमी की मात्रा कम थी।

सीमाओं:

- मौसम पर निर्भरता: पर्याप्त बादल और नमी की आवश्यकता होती है, जिसकी अक्सर दिल्ली के शुष्क सर्दियों के महीनों में कमी होती है।
- अल्पकालिक राहत: सफल होने पर भी, वर्षा उत्सर्जन और पराली जलाने जैसे मूल कारणों को संबोधित किए बिना, केवल अस्थायी प्रदूषण में कमी प्रदान करती है।
- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: अवशिष्ट सिल्वर आयोडाइड मिट्टी और जल पारिस्थितिक तंत्र के लिए विषाक्तता का खतरा पैदा कर सकता है।

नौरादेही अभयारण्य चीतों का तीसरा घर बनेगा

संदर्भ:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य राज्य में चीतों का तीसरा घर बन जाएगा।

चीतों के लिए तीसरा घर बनने के लिए नौरादेही अभयारण्य के बारे में:

यह क्या है?

- नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य भारत के सबसे बड़े अभयारण्यों में से एक है, जो 1,197 वर्ग किमी में फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश के ऊपरी विंध्य रेंज में एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है।

में स्थित:

- यह अभयारण्य मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में स्थित है, जो यमुना और नर्मदा नदी घाटियों के बीच स्थित है।
- बामनेर, कोपरा और बेरमा जैसी प्रमुख नदियाँ इसके माध्यम से बहती हैं।

इतिहास और पारिस्थितिकी:

- मध्य भारतीय जीवों के संरक्षण के लिए एक अभयारण्य घोषित नौरादेही में मिश्रित पर्णपाती वन, विंध्य बलुआ पत्थर संरचनाएं और विविध प्रकार की मिट्टी (लाल, काली और जलोढ़) हैं।
- यह बाघ, तेंदुआ, सुस्त भालू, जंगली कुत्ता, चिंकारा, सांभर और काले हिरण सहित 250 से अधिक जानवरों की प्रजातियों के साथ-साथ सारस, गिद्ध और तीतर जैसी 170+ पक्षी प्रजातियों का समर्थन करता है।

सुविधाएँ:

- ऊंचाई: समुद्र तल से 400-600 मीटर ऊपर।
- वर्षा: सालाना लगभग 1,200 मिमी।
- घास, जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और बांस से भरपूर, जो इसे शाकाहारी और संभावित चीता शिकार आधार के लिए आदर्श बनाता है।

भारत में चीता संरक्षण:

- शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण 1952 में एशियाई चीता भारत में विलुप्त हो गया था।
- भारत सरकार ने कूनो नेशनल पार्क (2022) और बाद में गांधी सागर अभयारण्य (2024) में नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को फिर से पेश करते हुए प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया।
- नौरादेही अब तीसरे स्थल के रूप में काम करेगी, जो मध्य भारत में प्रजातियों के विस्तार, आनुवंशिक विविधीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली सुनिश्चित करेगी।

CCS UPSC

4 पर्यावरण

पर्यावरण निगरानी

संदर्भ:

आईसीएमआर ने 50 भारतीय शहरों में 10 वायरस के लिए अपशिष्ट जल निगरानी शुरू करने की योजना की घोषणा की, जिससे भारत की रोग निगरानी प्रणाली का विस्तार होगा।

पर्यावरण निगरानी के बारे में:

यह क्या है?

- पर्यावरण निगरानी सीवेज, अपशिष्ट जल, मिट्टी और हवा जैसे पर्यावरणीय नमूनों में रोगजनकों (वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी) की निगरानी है।
- यह समुदायों में छिपे और स्पर्शोन्मुख संक्रमणों की पहचान करके पारंपरिक नैदानिक मामलों का पता लगाने में मदद करता है।

यह काम किस प्रकार करता है?

- नमूना संग्रह: सीवेज संयंत्रों, अस्पतालों, हवाई अड्डों और सार्वजनिक स्थानों से नमूने लिए जाते हैं, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य संकेतकों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित होता है।
- रोगज़नक़ का पता लगाना: परीक्षण मल, मूत्र या श्वसन स्राव में बहाए गए वायरस, बैक्टीरिया और परजीवियों की पहचान करते हैं, जिससे छिपे हुए संक्रमण का पता चलता है।
- जीनोम अनुक्रमण: संपूर्ण-जीनोम अनुक्रमण उत्परिवर्तन और उभरते वेरिएंट को ट्रैक करने में मदद करता है, जो महामारी की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
- समय के साथ तुलना: दैनिक रोगज़नक़ भार विश्लेषण प्रसार के रुझान प्रदान करता है, जो आबादी में बढ़ते संक्रमण की अग्रिम सूचना प्रदान करता है।

सुविधाएँ:

- गैर-इनवेसिव: व्यक्तियों का परीक्षण किए बिना पूरे समुदायों की निगरानी करता है, गोपनीयता और व्यापक समावेशिता सुनिश्चित करता है।
- लागत प्रभावी: एकल अपशिष्ट जल परीक्षण हजारों लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाते हैं, जिससे यह कम लागत वाला और स्केलेबल बन जाता है।
- समय के प्रति संवेदनशील: नैदानिक मामलों के बढ़ने से 7-10 दिन पहले संक्रमण की वृद्धि का पता लगाता है, जिससे शुरुआती हस्तक्षेप संभव हो जाता है।
- स्केलेबल: हैजा और पोलियो से लेकर COVID-19 तक कई बीमारियों पर लागू, निगरानी पहुंच बढ़ाना।
- तकनीक-सक्षम: एआई/एमएल उपकरण पैटर्न का विश्लेषण करते हैं, और स्मार्ट सेंसर/खांसी-ऑडियो निगरानी अपशिष्ट जल से परे निगरानी का विस्तार करती है।

अर्थ:

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: सरकारों को स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया पहले से तैयार करने की अनुमति देता है।
- बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना: टीके, दवाएं और अस्पताल की क्षमता आवंटित करने में मदद करता है।

दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक

संदर्भ:

फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है, जो समुद्री जैव विविधता की रक्षा और क्षतिग्रस्त चट्टानों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रवाल "बीज" को फ्रीज करने और संरक्षित करने के लिए एक अग्रणी पहल है।

दक्षिण पूर्व एशिया के पहले कोरल लार्वा क्रायोबैंक के बारे में:

यह क्या है?

- एक वैज्ञानिक सुविधा जो रीफ बहाली या अनुसंधान में भविष्य में उपयोग के लिए अपनी आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करने के लिए अल्ट्रा-कम तापमान पर कोरल लार्वा को जमा और संग्रहीत करती है।
- कोरल के लिए "आनुवंशिक बीज तिजोरी" के रूप में कार्य करता है, जो जैव विविधता की रक्षा करने में मदद करता है जो जलवायु परिवर्तन और कोरल ब्लीचिंग के कारण खो सकता है।

शामिल राष्ट्र:

- यह परियोजना कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म के तहत एक क्षेत्रीय नेटवर्क का हिस्सा है।
- भाग लेने वाले देशों में फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं।

यह काम किस प्रकार करता है?

- कोरल लार्वा का संग्रह: कोरल लार्वा - मुक्त-तैराकी प्रजनन चरण - स्पॉनिंग घटनाओं के दौरान एकत्र किए जाते हैं।
- क्रायोप्रोटेक्शन: लार्वा क्रायोप्रोटेक्टिव समाधानों के संपर्क में आते हैं जो ठंड के दौरान बर्फ के क्रिस्टल के गठन को रोकते हैं।
- विट्रीफिकेशन प्रक्रिया: तेजी से जमने की तकनीक का उपयोग करके, लार्वा को -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में डुबोया जाता है, जिससे वे क्रिस्टलीकरण के बिना कांच जैसी स्थिति में बदल जाते हैं।
- पुनरुद्धार प्रक्रिया: जब आवश्यक हो, लेजर-आधारित तेजी से वार्मिंग सेकंडों के भीतर नमूनों को पिघला देती है, जिससे कोशिका क्षति को रोका जा सकता है।
- पुनर्जलीकरण और विकास: पुनर्जीवित लार्वा को समुद्री जल में पुनर्जलित किया जाता है, आंदोलन और बसने के लिए निगरानी की जाती है, फिर प्रवाल पुनर्विकास के लिए नियंत्रित टैंकों में स्थानांतरित किया जाता है।

सुविधाएँ:

- कोरल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करता है: दशकों तक कोरल जीनोटाइप बनाए रखता है, भले ही प्रजातियां जंगल में गायब हो जाएं।
- जलवायु-लचीली बहाली: क्रायोप्रिज़र्व्ड सामग्री का उपयोग करके रीफ पुनरुद्धार को सक्षम बनाता है, जो गर्म महासागरों में अनुकूली बहाली का समर्थन करता है।
- अनुसंधान संसाधन: प्रवाल विकास, प्रजनन और तनाव प्रतिरोध का अध्ययन करने के लिए एक दीर्घकालिक डेटा बैंक प्रदान करता है।
- सहयोगात्मक नेटवर्क: कोरल ट्रायंगल क्रायोबैंक नेटवर्क बनाने के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञता को एकीकृत करता है, साझा प्रोटोकॉल और डेटा सुनिश्चित करता है।
- मॉडल प्रजाति दृष्टिकोण: लुप्तप्राय लोगों तक विस्तार करने से पहले पोसिलोपोरा, एक्रोपोरा और गैलेक्सिया जैसे कठोर कोरल से शुरू होता है।

सीमाओं:

- तकनीकी जटिलता: मूंगा लार्वा बड़े, लिपिड समृद्ध और गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे विट्रीफिकेशन चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- प्रजाति-विशिष्ट प्रोटोकॉल: प्रत्येक प्रवाल प्रजाति को अलग-अलग ठंड और पुनरुद्धार मापदंडों की आवश्यकता होती है।
- कम जीवित रहने की दर: सभी पिघले हुए लार्वा जीवित नहीं रहते हैं या चट्टानों को सफलतापूर्वक पुन: उपनिवेश नहीं करते हैं।
- बुनियादी ढांचा और लागत: विशेष प्रयोगशालाओं, तरल नाइट्रोजन प्रणालियों और विशेषज्ञ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो विकासशील देशों में मापनीयता को सीमित करता है।

IUCN विश्व विरासत आउटलुक 2025

संदर्भ:

IUCN विश्व धरोहर आउटलुक 4 को अक्टूबर 2025 में अबू धाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में लॉन्च किया गया है, जो सभी प्राकृतिक और मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संरक्षण स्थिति का आकलन करता है।

Figure 2. Conservation outlook of sites in 2014, 2017, 2020 and 2025, for the 228 sites for which four datasets are now available.

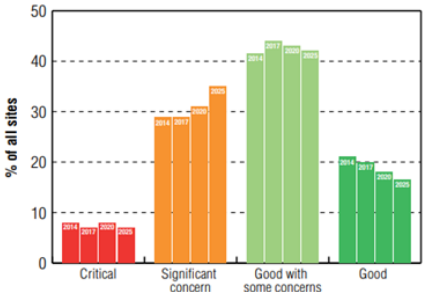

IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 के बारे में:

यह क्या है?

- आईयूसीएन विश्व विरासत आउटलुक एक वैश्विक मूल्यांकन प्रणाली है जो हर 3-5 साल में सभी यूनेस्को प्राकृतिक और मिश्रित विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करती है।
- द्वारा प्रकाशित: इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा अपने विश्व धरोहर कार्यक्रम और संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व आयोग (WCPA) के माध्यम से जारी किया गया।

में लॉन्च किया गया:

- चौथा संस्करण (आउटलुक 4) IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 (अबू धाबी) में लॉन्च किया जाएगा।
- पिछले संस्करण 2014, 2017 और 2020 में प्रकाशित हुए थे।

उद्देश्य:

- ट्रैक संरक्षण स्वास्थ्य: निगरानी करें कि प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों को कितने प्रभावी ढंग से प्रबंधित और संरक्षित किया जाता है।
- सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानें: अनुकरणीय प्रबंधन प्रदर्शित करें और साइटों के बीच ज्ञान साझा करने को बढ़ावा दें।
- खतरों की पहचान करें: क्षरण, जलवायु खतरों या शासन अंतराल का सामना करने वाली साइटों के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रदान करें।

IUCN विश्व धरोहर आउटलुक 4 का मुख्य सारांश:

1. वैश्विक रुझान: विश्व धरोहर स्थलों में से लगभग दो-तिहाई (□65%) 2020 से एक स्थिर या बेहतर संरक्षण दृष्टिकोण दिखाते हैं, जो उन्नत साइट शासन और बहाली के प्रयासों को दर्शाता है।
   - उदाहरण: पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित प्रबंधन के माध्यम से गैलापागोस द्वीप समूह और येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान की बेहतर स्थिति।
2. जलवायु खतरे: 80% से अधिक प्राकृतिक स्थलों को प्रवाल विरंजन, ग्लेशियर पिघलने और जंगल की आग जैसे प्रत्यक्ष जलवायु जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जो गंभीर पारिस्थितिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ पैदा करते हैं।
   - उदाहरण: ग्रेट बैरियर रीफ (ऑस्ट्रेलिया) प्रबंधन उन्नयन के बावजूद ब्लीचिंग घटनाओं का अनुभव करना जारी रखता है।
3. जैव विविधता दबाव: लगभग 60% स्थल आक्रामक प्रजातियों, निवास स्थान के नुकसान और अत्यधिक दोहन से तनाव में हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र में।
   - उदाहरण: हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में आक्रामक पौधे स्थानिक वनस्पतियों और जीवों को खतरे में डालते हैं।
4. सकारात्मक मामले: कोमोडो (इंडोनेशिया) और एल्डाबरा एटोल (सेशेल्स) जैसे समुद्री पार्क सख्त विनियमन, टिकाऊ पर्यटन और विज्ञान-आधारित निगरानी के कारण उल्लेखनीय सुधार दिखाते हैं।
   a) तकनीकी नवाचार: एआई-आधारित निगरानी, उपग्रह मानचित्रण और ईडीएनए नमूने पर बढ़ती निर्भरता ने संरक्षण पूर्वानुमान सटीकता में सुधार किया।
   - उदाहरण: ओकावांगो डेल्टा में यूनेस्को-आईयूसीएन का एआई पायलट वन्यजीव प्रवासन ट्रैकिंग को बढ़ाता है।
   b) सामाजिक-आर्थिक संबंध: रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि अच्छी तरह से प्रबंधित विरासत स्थल आजीविका, आपदा शमन और वैश्विक कार्बन पृथक्करण में योगदान करते हैं।
   - उदाहरण: प्राकृतिक साइटें विश्व स्तर पर □10% स्थलीय कार्बन की दुकान, जलवायु विनियमन कार्यों को मजबूत करती हैं।
- चेतावनी संकेत: लगभग 15 स्थलों को "खतरे में विश्व धरोहर" सूची में जोड़ा गया, जो नाजुक पारिस्थितिक तंत्र में संघर्ष से जुड़े आवास के नुकसान और प्रदूषण में वृद्धि को दर्शाता है।

भारत में रुझान:

1. कुल स्थल: भारत में 7 प्राकृतिक और मिश्रित विश्व धरोहर स्थल हैं, जो हिमालय की चोटियों से लेकर तटीय आर्द्रभूमि तक के पारिस्थितिक तंत्र को कवर करते हैं, जो वैश्विक प्राकृतिक विरासत क्षेत्र के 1.5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. बेहतर स्थल: काजीरंगा और मानस स्थानीय समुदाय की भागीदारी द्वारा समर्थित अवैध शिकार विरोधी गश्त, आवास बहाली और पर्यावरण-पर्यटन विनियमन के माध्यम से बेहतर पारिस्थितिक स्वास्थ्य दिखाते हैं।
3. जोखिम वाले स्थल: सुंदरबन में लवणता, चक्रवात और समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण मैंग्रोव स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाती है, जबकि पश्चिमी घाट खनन, निर्माण और भूमि-उपयोग संघर्षों का सामना करते हैं।
4. उभरती हुई चिंता: नंदा देवी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को हिमनदों के पीछे हटने और आक्रामक प्रजातियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें गंगा बेसिन पर संभावित दीर्घकालिक हाइड्रोलॉजिकल प्रभाव होते हैं।
5. नीति एकीकरण: वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 और लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) मिशन को KM-GBF 2030 लक्ष्यों के अनुरूप मजबूत राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है।
6. वित्त पोषण और डेटा अंतराल: रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के संरक्षित क्षेत्रों को प्रभावी निगरानी के लिए 30-40% अधिक आवर्ती धन की आवश्यकता है, विशेष रूप से समुद्री और सीमा पार क्षेत्रों में।

चुनौतियों:

1. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: बढ़ते वैश्विक तापमान प्रवाल विरंजन, ग्लेशियर के पिघलने और मरुस्थलीकरण को तेज कर रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और प्रजातियों के अस्तित्व को सीधे खतरा है।
2. असतत विकास: संरक्षित स्थलों के पास खनन, पर्यटन बुनियादी ढांचे और जलविद्युत परियोजनाओं का विस्तार आवासों को खंडित कर रहा है और पारिस्थितिक संपर्क को बाधित कर रहा है।
3. फंडिंग की कमी: लगभग 40% विरासत स्थलों में पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी है, जिससे बहाली, अवैध शिकार विरोधी और निगरानी पहल में बाधा आती है।
4. कमजोर शासन: अतिव्यापी संस्थागत जनादेश, खराब समन्वय और कमजोर कानून प्रवर्तन के कारण संरक्षित क्षेत्रों का अप्रभावी प्रबंधन होता है।
5. जैव विविधता डेटा अंतराल: अधूरा या पुराना पारिस्थितिक डेटा वास्तविक समय की निगरानी और अनुकूली नीति प्रतिक्रिया को सीमित करता है, जो साइट मूल्यांकन सटीकता को प्रभावित करता है।

सिफारिशों:

1. जलवायु-लचीली योजना: पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित शमन को बढ़ावा देते हुए, राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में विरासत स्थल संरक्षण को शामिल करना।
   - उदाहरण: भारत का लाइफ मिशन और राष्ट्रीय अनुकूलन कोष विरासत लचीलापन लक्ष्यों को एकीकृत कर सकते हैं।
2. हरित वित्तपोषण: साइट प्रबंधन को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक-निजी ग्रीन फंड, कार्बन क्रेडिट और पर्यावरण-निवेश उपकरण विकसित करना।
   - उदाहरण: यूएनडीपी-जीईएफ बायोफिन पहल विकासशील देशों में जैव विविधता वित्त जुटाती है।
3. सामुदायिक भागीदारी: निर्णय लेने, निगरानी और लाभ-साझाकरण में स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को सक्रिय संरक्षक के रूप में शामिल करें।
   - उदाहरण: मानस और पेरियार में पर्यावरण-विकास समितियों ने आजीविका से जुड़े संरक्षण में सुधार किया।
4. प्रौद्योगिकी एकीकरण: सटीक मैपिंग, गश्त और वास्तविक समय में खतरे का पता लगाने के लिए एआई, उपग्रह इमेजिंग, ईडीएनए विश्लेषण और ड्रोन का लाभ उठाएं।
   - उदाहरण: IUCN का ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस क्रॉस-साइट ट्रैकिंग के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करता है।
5. वैश्विक सहयोग: यूनेस्को-आईयूसीएन साझेदारी के तहत संयुक्त अनुसंधान, सीमा पार संरक्षण गलियारों और विरासत कूटनीति को बढ़ावा देना।
   - उदाहरण: भारत-नेपाल तराई आर्क लैंडस्केप क्षेत्रीय जैव विविधता सहयोग का उदाहरण है।

निष्कर्ष

आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 बढ़ते जलवायु और विकासात्मक दबावों के बीच प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सामूहिक वैश्विक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता की पुष्टि करता है। विरासत निगरानी में भारत की सक्रिय भागीदारी जैव विविधता आधारित विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। विज्ञान, वित्त और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना एक टिकाऊ, विरासत-सुरक्षित ग्रह को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

संदर्भ:

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण II को लागू किया क्योंकि शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 ("बहुत खराब") को पार कर गया।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के बारे में:

यह क्या है?

- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) एक वैधानिक ढांचा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए चरण-वार उपायों को निर्दिष्ट करता है। यह प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर पूर्वनिर्धारित क्रियाएं प्रदान करता है।

स्थापना:

- GRAP को पहली बार 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के निर्देशों के तहत पेश किया गया था।
- बाद में सीएक्यूएम द्वारा दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया ताकि आईएमडी और आईआईटीएम पूर्वानुमानों के आधार पर पूर्वानुमानित कार्रवाई को शामिल किया जा सके।
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई के बिगड़ने के कारण किए जाने वाले विशिष्ट हस्तक्षेपों की पहचान करके वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक श्रेणीबद्ध और पूर्वव्यापी प्रतिक्रिया प्रणाली बनाना है।

मानदंड/चरण: जीआरएपी वायु गुणवत्ता को एक्यूआई स्तरों और संबंधित कार्यों के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

मंच	कोटि	एक्यूआई रेंज	कार्यों
चरण I	गरीब	201–300	धूल नियंत्रण, अपशिष्ट हटाने, वाहन मानदंडों का प्रवर्तन
चरण II	बहुत गरीब	301–400	मैकेनिकल स्वीपिंग, सी एंड डी मॉनिटरिंग, डीजी सेट रेगुलेशन
चरण III	गंभीर	401–450	बीएस-III/IV वाहनों पर प्रतिबंध, निर्माण सीमाएं
चरण IV	गंभीर+	450 से ऊपर	ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, डब्ल्यूएफएच आदेश, सी एंड डी परियोजनाओं को रोकना

GRAP की मुख्य विशेषताएं:

- गतिशील कार्यान्वयन: वास्तविक समय के एक्यूआई डेटा और आईएमडी/आईआईटीएम पूर्वानुमानों के आधार पर क्रियाएं गतिशील रूप से सक्रिय होती हैं, जिससे अधिकारियों को प्रदूषण चरम से पहले प्रतिक्रिया देने की अनुमति मिलती है।
- संचयी दृष्टिकोण: प्रत्येक उच्च चरण में निचले चरणों से सभी उपाय शामिल होते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता बिगड़ने पर प्रतिबंधों को प्रगतिशील रूप से कड़ा करना सुनिश्चित होता है।
- अंतर-एजेंसी समन्वय: कार्यान्वयन में CAQM, CPCB, SPCB, शहरी स्थानीय निकायों (ULB) और यातायात पुलिस के बीच समन्वित प्रयास शामिल हैं, जो हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
- पूर्वानुमानित प्रवर्तन: जब पूर्वानुमान एक्यूआई में संभावित वृद्धि दिखाते हैं, तो प्रतिक्रियाशील वायु गुणवत्ता प्रबंधन के बजाय निवारक को बढ़ावा देने के लिए पहले से उपाय लागू किए जाते हैं।

ग्रीन पटाखे

संदर्भ:

जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, आतिशबाजी के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चर्चा फिर से शुरू हो गई है, विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हरे पटाखे-हालांकि कम प्रदूषणकारी हैं-पूरी तरह से साफ नहीं हैं।

ग्रीन पटाखों के बारे में:

यह क्या है?

- ग्रीन पटाखे पारंपरिक आतिशबाजी की तुलना में पार्टिकुलेट मैटर, जहरीली गैसों और शोर के स्तर के उत्सर्जन को कम करने के लिए सीएसआईआर-एनईईआरआई द्वारा विकसित इको-मॉडिफाइड पटाखे हैं। उनका लक्ष्य एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करना है जो प्रदूषण को कम करते हुए उत्सव बनाए रखता है।
- रासायनिक घटक: वे बेरियम नाइट्रेट, एक प्रमुख जहरीले घटक के बिना तैयार किए जाते हैं, और इसके बजाय पोटेशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंटियम लवण, जिओलाइट और आयरन ऑक्साइड जैसे सुरक्षित विकल्प का उपयोग करते हैं। ये एडिटिव्स कालिख को पकड़ने और उत्सर्जन में एल्यूमीनियम और तांबे जैसे धातु के अवशेषों को कम करने में मदद करते हैं।

यह काम किस प्रकार करता है?

- पुन: डिज़ाइन की गई रासायनिक संरचना नियंत्रित ऑक्सीकरण और कम दहन तापमान को सक्षम बनाती है, जिससे 30-40% कम PM□ के साथ प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है।□, SO□, और NO□ उत्सर्जन।
- जिओलाइट जैसे यौगिक धूल और गैसीय उप-उत्पादों के लिए अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं, प्रदूषक रिलीज को सीमित करते हैं।

सुविधाएँ:

- प्रामाणिकता के लिए क्यूआर कोड के साथ सीएसआईआर-नीरी प्रमाणन प्रणाली के तहत विकसित किया गया है।
- SWAS (सेफ वॉटर रिलीजर), STAR (सेफ थर्माइट क्रैकर), और SAFAL (सेफ मिनिमल एल्युमिनियम) जैसे वेरिएंट शामिल करें।
- हानिकारक धातु ऑक्साइड और भारी धातु विषाक्तता को कम करें।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य उत्सर्जन सीमा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों का पालन करें।
- सुरक्षित रसायन विज्ञान के साथ पारंपरिक रंगों और चमक को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया।

अर्थ:

- ग्रीन पटाखे त्योहारों के दौरान हवा, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण को कम करने, स्थायी उत्सवों की दिशा में एक संक्रमणकालीन नवाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- वे भारत के नेट-जीरो और स्वच्छ वायु लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं, जिससे देश औपचारिक सरकार समर्थित कार्यक्रम वाला एकमात्र राष्ट्र बन जाता है

मध्य एशियाई स्तनधारी पहल (CAMI)

संदर्भ:

भारत सहित मध्य एशियाई देशों ने 17 प्रवासी स्तनपायी प्रजातियों की रक्षा के लिए मध्य एशियाई स्तनधारी पहल (सीएएमआई) के तहत छह साल की सीमा पार संरक्षण योजना का समर्थन किया है।

मध्य एशियाई स्तनधारी पहल (CAMI) के बारे में:

यह क्या है?

- मध्य एशियाई स्तनधारी पहल (CAMI) जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के

संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) के तहत एक सहयोगी संरक्षण ढांचा है, जिसका उद्देश्य मध्य एशिया के विशाल स्टेपी, रेगिस्तान और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रवासी और खानाबदोश स्तनधारियों की रक्षा करना है।

- स्थापित: क्विटो, इक्वाडोर में आयोजित CMS के COP11 के दौरान 2014 में लॉन्च किया गया और बाद में COP13 (गांधीनगर, भारत, 2020) में संशोधित किया गया।
- उद्देश्य: प्रवासी कनेक्टिविटी को संरक्षित करना, निवास स्थान विखंडन, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का मुकाबला करना और साझा प्रजातियों के संरक्षण के लिए मध्य एशियाई देशों के बीच सीमा पार सहयोग को बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं:

- इसमें 17 प्रमुख प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें साइगा मृग, हिम तेंदुआ, जंगली ऊंट, यूरियल, अर्गली भेड़, बुखारा हिरण और फारसी तेंदुआ शामिल हैं।
- राष्ट्रीय कार्य योजनाओं, डेटा साझाकरण और भौतिक प्रवासन बाधाओं को दूर करने के माध्यम से क्षेत्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करता है।
- पृथक प्रजातियों के संरक्षण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र स्तर के प्रबंधन को बढ़ावा देता है।
- सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, आईयूसीएन और स्थानीय समुदायों को बहु-हितधारक दृष्टिकोण में शामिल करता है।

अर्थ:

- "उत्तर की सेरेनगेटी" को संरक्षित करता है, जो लंबी दूरी के अनियंत्रित प्रवासन के लिए दुनिया के सबसे बड़े शेष परिदृश्यों में से एक है।
- जलवायु परिवर्तन के अनुकूल प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण सीमापार पारिस्थितिक कनेक्टिविटी को बढ़ाता है।

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी)

संदर्भ:

बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) को अतिक्रमण से बचाने और संरक्षित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के बारे में:

यह क्या है?

- एसजीएनपी एक संरक्षित वन और राष्ट्रीय उद्यान है जो मुंबई और ठाणे, महाराष्ट्र के भीतर 104 वर्ग किमी में फैला हुआ है - जो एक महानगरीय शहर के अंदर स्थित दुनिया के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक बफर के रूप में कार्य करता है।
- स्थान: मुंबई के उत्तरी उपनगरों में स्थित, यह पार्क बोरीवली, मलाड, कांदिवली, भांडुप और मुलुंड जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो ठाणे शहर तक फैला हुआ है।

प्रमुख विशेषताएं:

- 1996 में स्थापित (संजय गांधी के नाम पर इसका नाम बदला गया)।
- प्राचीन कन्हेरी गुफाएं (पहली शताब्दी ईसा पूर्व) - बेसाल्ट चट्टान में उकेरी गई एक महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत स्थल।
- मुंबई के "हरे फेफड़े" के रूप में कार्य करता है, कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करता है और भूजल को फिर से भरता है।
- एक महत्वपूर्ण शहरी जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में कार्य करता है जो माइक्रॉक्लाइमैटिक संतुलन को बनाए रखता है।

वनस्पति:

- 1,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ, जिनमें सागौन, बांस, कर्वी (स्ट्रोबिलेंथेस कॉलोसस), और विविध घास के मैदान की वनस्पति शामिल हैं।
- हर आठ साल में कर्वी का समय-समय पर सामूहिक फूल वनस्पति विज्ञानियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है।

पशु:

- तेंदुए, बोनट मकाक, हिरण और जंगली सूअर सहित 40 स्तनपायी प्रजातियों का घर।
- 250 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ, जिनमें हॉर्नबिल, ड्रोंगो, मोर और प्रवासी फ्लाईकैचर शामिल हैं।

क्रायोडिल

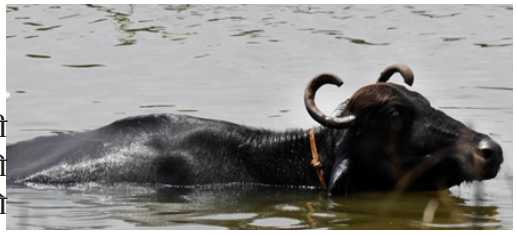

संदर्भ:

आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी (एनआईएएनपी), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने भैंस प्रजनन के लिए भारत का पहला अंडे की जर्दी मुक्त वीर्य संरक्षण समाधान क्रायोडिल विकसित किया है, जो वीर्य शेल्फ जीवन को 18 महीने तक बढ़ाने में सक्षम है।

क्रायोडिल के बारे में:

यह क्या है?

- क्रायोडिल एक उपयोग के लिए तैयार, अंडे की जर्दी मुक्त वीर्य विस्तारक है जिसे प्रजनन क्षमता और गतिशीलता को बनाए रखते हुए भैंस के वीर्य को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

द्वारा विकसित:

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), बेंगलुरु के तहत राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान (एनआईएएनपी) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है।

उद्देश्य:

- पारंपरिक अंडे की जर्दी-आधारित वीर्य विस्तारकों के लिए एक सुरक्षित, कुशल और किफायती विकल्प प्रदान करना और भारत में भैंस प्रजनन दक्षता को बढ़ाना।

सुविधाएँ:

- लंबी शेल्फ लाइफ: वीर्य को संदूषण या गतिशीलता के नुकसान के बिना 18 महीने तक संरक्षित करता है।
- माइक्रोब-मुक्त समाधान: अंडे की जर्दी से जुड़े माइक्रोबियल संदूषण के जोखिम को समाप्त करता है।
- स्थिर संरचना: अंडे की जर्दी के बजाय शुद्ध मट्ठा प्रोटीन का उपयोग करता है, जिससे वीर्य की गुणवत्ता लगातार सुनिश्चित होती है।
- लागत प्रभावी: आयातित वाणिज्यिक विस्तारकों की तुलना में सस्ता और उत्पादन में आसान।
- फील्ड-टेस्टेड इनोवेशन: 24 भैंस बैलों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो पिघलने के बाद उच्च शुक्राणु गति और प्रजनन क्षमता दिखाता है।

अर्थ:

- भैंस प्रजनन को बढ़ावा देता है: कृत्रिम गर्भाधान की सफलता दर को बढ़ाता है, जो भारत की डेयरी उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है।
- आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है: महंगे विदेशी विस्तारकों पर निर्भरता कम करता है, स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देता है।
- डेयरी अर्थशास्त्र में सुधार: प्रजनन दक्षता में सुधार करके दूध की उपज क्षमता को बढ़ाता है।

अमेज़ॅनफेस प्रयोग

संदर्भ:

ब्राजील के वैज्ञानिकों ने मनौस के पास AmazonFACE "क्लाइमेट टाइम मशीन" प्रयोग शुरू किया है ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि अमेज़ॅन वर्षावन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के भविष्य के स्तर पर कैसे प्रतिक्रिया देगा।

AmazonFACE प्रयोग के बारे में:

यह क्या है?

- AmazonFACE (फ्री-एयर CO_2 एनरिचमेंट) एक बड़े पैमाने पर जलवायु सिमुलेशन परियोजना है जिसे यह आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन-विशेष रूप से अमेज़ॅन-2050-2060 तक अपेक्षित ऊंचे CO_2 स्तरों पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। यह उष्णकटिबंधीय जंगलों में अपनी तरह का पहला प्रयोग है।

यह काम किस प्रकार करता है?

- 50-70 परिपक्व पेड़ों के समूहों के चारों ओर छह स्टील्स टॉवर रिंग स्थापित किए गए हैं।
- तीन रिंगों में, पेड़ों को भविष्य के जलवायु पूर्वानुमानों से मेल खाने वाली CO_2 सांद्रता के साथ धूमित किया जाता है, जबकि शेष नियंत्रण भूखंडों के रूप में काम करते हैं।
- निरंतर सेंसर हर 10 मिनट में प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन रिलीज और जल वाष्प विनिमय पर डेटा रिकॉर्ड करते हैं।
- लक्ष्य "भविष्य के माहौल" को फिर से बनाना और पारिस्थितिकी तंत्र-स्तरीय प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- स्थान: मनौस, ब्राजील के पास आयोजित, यूके सरकार के सहयोग से INPA (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अमेज़ॅन रिसर्च) और यूनिवर्सिडेड एस्टाडुअल डी कैंपिनास द्वारा समर्थित।
- वैज्ञानिक नवाचार: प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय जंगल में पहला बड़े पैमाने पर FACE प्रयोग, अमेरिका जैसे समशीतोष्ण क्षेत्रों में पहले के FACE परीक्षणों का विस्तार
- निरंतर निगरानी: बारिश, तूफान, CO_2 अवशोषण और श्वसन पर नज़र रखने वाले वास्तविक समय के पर्यावरणीय डेटा।
- जलवायु मॉडलिंग अनुप्रयोग: भविष्य की वायुमंडलीय परिस्थितियों में वन कार्बन भंडारण, जैव विविधता और लचीलेपन में परिवर्तन की भविष्यवाणी करने में मदद करता है।

- नीति लिंकेज: COP30 में जलवायु नीति विचार-विमर्श के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है, विशेष रूप से वर्षावन संरक्षण और कार्बन बजट के संबंध में।

अर्थ:

- जलवायु अनुकूलन अंतर्दृष्टि: यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि अमेज़ॅन वर्षावन बढ़ते CO_2 स्तर पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, वैश्विक जलवायु अनुकूलन रणनीतियों का मार्गदर्शन करेगा।
- वैज्ञानिक सफलता: उष्णकटिबंधीय वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र में दुनिया के पहले बड़े पैमाने पर CO_2 संवर्धन प्रयोग को चिह्नित करता है, जो जलवायु मॉडलिंग के दायरे का विस्तार करता है।
- नीति प्रासंगिकता: COP30 वार्ता के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है और वैश्विक जलवायु विज्ञान और कार्बन पृथक्करण अनुसंधान में ब्राजील के नेतृत्व को मजबूत करता है।

यूएनईपी अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025: "रनिंग ऑन एम्प्टी" जारी की, जिसमें चेतावनी दी गई है कि विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन के लिए वैश्विक वित्त अंतर काफी बढ़ गया है।

UNEP अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2025 के बारे में:

यह क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) का एक वार्षिक प्रमुख प्रकाशन जो जलवायु अनुकूलन योजना, कार्यान्वयन और वित्त पर वैश्विक प्रगति को ट्रैक करता है, यह आकलन करता है कि दुनिया जलवायु लचीलापन लक्ष्यों को प्राप्त करने से कितनी दूर है।
- द्वारा प्रकाशित: यूएनईपी-कोपेनहेगन जलवायु केंद्र कई वैश्विक संस्थानों और विशेषज्ञों के योगदान के साथ।
- उद्देश्य: यह मूल्यांकन करना कि क्या राष्ट्र-विशेष रूप से विकासशील देश-जलवायु प्रभावों के लिए पर्याप्त तेजी से अनुकूलन कर रहे हैं, और UNFCCC और COP30 के तहत वैश्विक वार्ताओं का समर्थन करने के लिए अनुकूलन वित्त अंतर को मापने के लिए

प्रमुख रुझान और सारांश:

- बड़े पैमाने पर वित्त अंतर: विकासशील देशों को 2035 तक सालाना 310-365 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान अनुकूलन वित्त केवल 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023) है - जो आवश्यकता से 12-14 गुना कम है।
- गिरती प्रतिबद्धताएँ: अनुकूलन वित्त 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2022) से कम हो गया, जिसका अर्थ है कि 2025 तक वित्त को दोगुना करने का ग्लासगो जलवायु संधि लक्ष्य चूक जाएगा।
- बढ़ती ऋण चिंताएँ: अनुकूलन वित्त का 58% ऋण-आधारित है, जिसमें गैर-रियायती ऋण भी शामिल है, जो कमजोर देशों के लिए असमानता को गहरा रहा है।
- असमान योजना प्रगति: 172 देशों में कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (एनएपी) है, लेकिन 36 पुराने हैं, जो वास्तविक प्रभाव को सीमित करते हैं।
- कार्यान्वयन अंतराल: विश्व स्तर पर 1,600 से अधिक अनुकूलन कार्यों की सूचना दी गई, जिनमें से ज्यादातर जैव विविधता, कृषि, जल और बुनियादी ढांचे में हैं, फिर भी कुछ ठोस परिणामों को मापते हैं।
- निजी क्षेत्र का खराब प्रदर्शन: निजी क्षेत्र केवल ~ 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है, लेकिन संभावित रूप से नीतिगत समर्थन के साथ सालाना 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश कर सकता है।
- बाकू-बेलेम रोडमैप (2024): कुल जलवायु वित्त में 2035 तक प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कल्पना करता है; ऋण जाल को रोकने के लिए अनुदान और गैर-ऋण लिखतों का आह्वान किया।
- COP30 संदर्भ: रिपोर्ट में जलवायु वित्त, पारदर्शिता और अनुकूलन लक्ष्यों को संरेखित करने के लिए ब्राजील की अध्यक्षता के नेतृत्व में "वैश्विक सामूहिक प्रयास (मुटिराओ ग्लोबल)" पर जोर दिया गया है।

भारत और अनुकूलन अंतर रिपोर्ट:

- भारत का महत्व: एक प्रमुख विकासशील राष्ट्र के रूप में, भारत की NAPCC और राज्य कार्य योजनाएँ कृषि, जल और बुनियादी ढांचे में मुख्यधारा में अनुकूलन के लिए UNEP के आह्वान के अनुरूप हैं।
- क्षेत्रीय भेद्यता: बार-बार होने वाली हीटवेव, बाढ़ और हिमनदों के पिघलने से अनुकूली निवेश की तात्कालिकता पर प्रकाश पड़ता है।
- नेतृत्व की भूमिका: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, लाइफ मिशन और जी20 प्रेसीडेंसी (2023) के तहत भारत की पहल जलवायु अनुकूलन कूटनीति में वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित करती है।

- वित्त निर्भरता: भारत अनुकूलन निवेश बाधाओं का भी सामना कर रहा है, जिसके लिए मजबूत वैश्विक साझेदारी और रियायती वित्त पोषण की आवश्यकता है।

अब तक की सफलता:

- व्यापक नीति अपनाना: 172 देशों के पास अब कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन ढांचा है, जो विकास अनिवार्यता के रूप में जलवायु लचीलेपन की लगभग सार्वभौमिक नीति मान्यता को चिह्नित करता है।
- उन्नत बहुपक्षीय वित्तपोषण: UNFCCC के तहत जलवायु निधि - जिसमें GCF, GEF और अनुकूलन कोष शामिल हैं - ने सामूहिक रूप से 2024 में 920 मिलियन अमेरिकी डॉलर वितरित किए, जो पिछले पांच साल के औसत से 86% की वृद्धि को दर्शाता है।
- प्रगति को मुख्यधारा में लाना: अनुकूलन को राष्ट्रीय विकास और राजकोषीय योजनाओं में तेजी से एकीकृत किया जा रहा है, विशेष रूप से छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) और कम विकसित देशों (एलडीसी) में, गरीबी में कमी और स्थिरता लक्ष्यों के साथ अनुकूलन को संरेखित करना।

सीमायें:

- गंभीर वित्त की कमी: उपलब्ध अनुकूलन वित्त - लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना - वास्तविक आवश्यकता का केवल बारहवां हिस्सा कवर करता है, जिससे विकासशील देशों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय तनाव पैदा होता है।
- ऋण-भारी तंत्र: आधे से अधिक अनुकूलन वित्त ऋण के रूप में है, जो पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए "अनुकूलन ऋण जाल" का खतरा बढ़ा रहा है।
- निजी क्षेत्र की कम भूमिका: उच्च जोखिम धारणा और जोखिम कम करने के लिए मिश्रित-वित्त तंत्र की कमी के कारण निजी क्षेत्र का अनुकूलन निवेश नगण्य रहता है।
- कमज़ोर ट्रैकिंग सिस्टम: कई देशों में विश्वसनीय निगरानी, मूल्यांकन और सीखने (MEL) ढांचे का अभाव है, जो अनुकूलन परिणामों की साक्ष्य-आधारित ट्रैकिंग को रोकता है।
- कुअनुकूलन का जोखिम: खराब तरीके से डिज़ाइन किए गए या अलग-थलग अनुकूलन उपायों से भेद्यता को कम करने के बजाय - विशेष रूप से ग्रामीण और कम आय वाले समुदायों में - भेद्यता बढ़ने का जोखिम होता है।

अनुशंसित आगे की राह :

- अनुदान-आधारित सहायता का विस्तार करना: वैश्विक जलवायु निधियों के माध्यम से विकासशील देशों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करते हुए, ऋण से अनुदान-आधारित या रियायती वित्त में बदलाव।
- निजी क्षेत्र को संगठित करना: अनुकूलन वित्त पोषण में सालाना 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का लाभ उठाने के लिए मिश्रित वित्त, गारंटी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- लचीलापन मेट्रिक्स को एकीकृत करें: बैंकिंग, बीमा और क्रेडिट प्रणालियों के भीतर जलवायु लचीलापन संकेतकों को एम्बेड करें, जोखिम-संवेदनशील निवेश निर्णयों को प्रोत्साहित करें।
- एनएपी को नियमित रूप से अपडेट करें: सुनिश्चित करें कि नए वैज्ञानिक प्रमाणों और जलवायु वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अनुकूलन योजनाओं को समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
- क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना: सामूहिक अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए आईएसए और सीडीआरआई जैसी पहलों के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण साझेदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना

निष्कर्ष

एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 इस बात की याद दिलाती है कि जलवायु लचीलापन खोखले वादों पर नहीं चल सकता। वित्तीय और नीतिगत विभाजन को पाटना दान नहीं है, बल्कि सामूहिक अस्तित्व में एक रणनीतिक निवेश है। केवल न्यायसंगत वित्त, नवाचार और वैश्विक एकजुटता के माध्यम से ही अनुकूलन जलवायु जोखिम के त्वरण को आगे बढ़ा सकता है।

सारंडा वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें प्रस्तावित सारंडा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र को 310 वर्ग किमी से घटाकर 250 वर्ग किमी करने की मांग की गई है, जिसमें आदिवासी आबादी और सामुदायिक अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता का हवाला दिया गया है।

सारंडा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

यह क्या है?

- सारंडा अभयारण्य झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में एक प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य है, जो सारंडा वन प्रभाग के भीतर स्थित है, जिसे एशिया के सबसे बड़े साल (शोरिया रोबस्टा) जंगलों में से एक के रूप में जाना जाता है और झारखंड-ओडिशा सीमा पर एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है।

स्थान:

- दक्षिणी झारखंड में स्थित, सारंडा क्षेत्र - जिसका अर्थ है "सात सौ पहाड़ियों की भूमि" - लगभग 856 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जिसमें से 816 वर्ग किमी आरक्षित वन है।
- यह सिंहभूम हाथी रिजर्व के भीतर स्थित है, जो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा बनाता है।

इतिहास:

- 1968 में बिहार वन अधिनियम के तहत गेम रिजर्व घोषित किया गया।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2022) ने झारखंड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत इसे अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वनस्पति: साल, कुसुम, महुआ और दुर्लभ ऑर्किड का घना आवरण।
- जीव: एशियाई हाथियों, चार सींग वाले मृग, सुस्त भालू, उड़ने वाली छिपकलियों और प्रवासी पक्षियों के लिए निवास स्थान।
- समुदाय: हो, मुंडा, उरांव और पीवीटीजी का घर, महुआ और राल जैसी वन उपज पर निर्भर है।
- खनिज संपदा: इसमें भारत के लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% हिस्सा है, जो इसे सेल और निजी ऑपरेटरों के लिए एक प्रमुख खनन क्षेत्र बनाता है।

अर्थ:

- पारिस्थितिक हॉटस्पॉट: पूर्वी भारत में एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक और जैव विविधता भंडार बनाता है।
- हाथी गलियारे: सारंडा, सिमिलिपाल और सुंदरगढ़ जंगलों के बीच वन्यजीव संपर्क बनाए रखता है।
- जनजातीय आजीविका और अधिकार: एफआरए, 2006 के तहत जनजातीय वन अधिकारों के संरक्षण के साथ संरक्षण को संतुलित करता है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डिजिलॉकर

संदर्भ:

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने घोषणा की कि वह जाली प्रस्तुतियों को रोकने के लिए डिजिलॉकर के माध्यम से उम्मीदवारों की जाति, आय और विकलांगता प्रमाण पत्र को सत्यापित करेगा।

- अपने शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में, यूपीएससी ने सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए "मेरा यूपीएससी साक्षात्कार" उपाख्यान पोर्टल भी लॉन्च किया।

डिजिलॉकर के बारे में:

यह क्या है?

- डिजिटल इंडिया के तहत एक प्रमुख पहल नागरिकों को प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचने और साझा करने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित मंच प्रदान करती है।
- मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित।
- उद्देश्य: कानूनी रूप से वैध डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच सुनिश्चित करके डिजिटल सशक्तिकरण, कागज रहित शासन और तेजी से सेवा वितरण प्राप्त करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

1. डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट: आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक और जाति प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप में सुरक्षित रूप से स्टोर करता है।
2. कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त: दस्तावेजों को आईटी नियम, 2016 के नियम 9ए के तहत मूल के बराबर माना जाता है।
3. नागरिक-केंद्रित: साझा करने के लिए उपयोगकर्ता की सहमति से कभी भी, कहीं भी दस्तावेज़ों तक पहुंच प्रदान करता है।
4. दक्षता: जारी करने वाले अधिकारियों से सीधे वास्तविक समय सत्यापन सक्षम करता है, देरी को कम करता है और धोखाधड़ी को कम करता है।
5. कागज रहित शासन: प्रशासनिक ओवरहेड्स को कम करता है और टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल रिकॉर्ड रखने को बढ़ावा देता है।

मेरे यूपीएससी साक्षात्कार पोर्टल के बारे में:

यह क्या है?

- संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी वर्ष के दौरान एक नई पहल शुरू की गई जिसमें सेवारत और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को अपने साक्षात्कार के अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया।
- उद्देश्य: उम्मीदवारों के लिए वास्तविक जीवन के उपाख्यानों का भंडार बनाना, भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाना और संस्थागत स्मृति को संरक्षित करना। चयनित प्रविष्टियाँ शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में 2026 में प्रकाशित की जाएंगी।

सुविधा की लागत: डिजिटल उपकरणों के स्वास्थ्य खतरे

संदर्भ:

भारत ने 2025 में 2.2 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न किया, जो चीन और अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा जनरेटर बन गया। औपचारिक रीसाइक्लिंग क्षमता के बावजूद, आधे से अधिक कचरे को अभी भी अनौपचारिक रूप से संसाधित किया जाता है।

सुविधा की लागत के बारे में: डिजिटल उपकरणों के स्वास्थ्य खतरे

भारत और ई-कचरे का बोझ:

- भारत का ई-कचरा 2017-18 के बाद से 150% बढ़कर 2025 में 0.71 मीट्रिक टन से 2.2 मीट्रिक टन हो गया।
- सीलमपुर (दिल्ली), मुरादाबाद (यूपी), भिवंडी (महाराष्ट्र) जैसे हॉटस्पॉट के साथ 65 शहर कुल ई-कचरे का 60% उत्पादन करते हैं।
- हालांकि 322 औपचारिक इकाइयां सालाना 2.2 मीट्रिक टन का प्रसंस्करण कर सकती हैं, >50 प्रतिशत कबाडीवालों और स्क्रैप डीलरों की अनौपचारिक श्रृंखलाओं में बनी हुई हैं।

ई-कचरे के स्वास्थ्य खतरे

श्वसन संबंधी बीमारियाँ:

- खुली हवा में जलने और एसिड उपचार से महीन कण पदार्थ निकलते हैं।
  - उदाहरण: 2025 एमडीपीआई अध्ययन में पाया गया कि 76-80% भारतीय अनौपचारिक ई-कचरा कर्मचारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से पीड़ित हैं।

न्यूरोलॉजिकल क्षति:

- सीसा और पारा जैसी भारी धातुएं बच्चों में मस्तिष्क के विकास को बाधित करती हैं।
  - उदाहरण: फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में 2023 की समीक्षा संज्ञानात्मक गिरावट और व्यवहार संबंधी विकारों के साथ रक्त सीसा के स्तर ≥5 μg/dL से जुड़ी है।

त्वचा और नेत्र संबंधी विकार:

- सीधे संपर्क से चकत्ते, जलन, जिल्द की सूजन और आंखों में जलन होती है।
  - उदाहरण: 2024 की समीक्षा में कुछ समूहों में 100% तक अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं में त्वचा संबंधी समस्याओं की सूचना दी गई।

आनुवंशिक और प्रणालीगत प्रभाव:

- डीएनए क्षति, ऑक्सीडेटिव तनाव और अंत:स्रावी व्यवधान तेजी से प्रलेखित हो रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए: डब्ल्यूएचओ ने नोट किया कि दुनिया भर में 18 मिलियन बच्चे ई-कचरा क्षेत्रों में रहते हैं या काम करते हैं, जिनमें से कई भारत में हैं।

सिंडेमिक प्रभाव:

- खतरे गरीबी, कुपोषण और खराब आवास के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, शहरी गरीबों के लिए खराब परिणाम।
  - उदाहरण: अनौपचारिक रीसाइक्लिंग हब उच्च गर्भपात और समय से पहले जन्म की रिपोर्ट करते हैं (गुइयू, चीन वैश्विक समानांतर के रूप में)।

नीति प्रतिक्रिया:

- मजबूत ईपीआर मानदंड - 2022 के नियमों ने विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को कड़ा कर दिया, जिससे उत्पादकों को संग्रह और रीसाइक्लिंग के लिए जवाबदेह बनाया गया।
- अनिवार्य पंजीकरण – अवैध, असुरक्षित प्रथाओं पर अंकुश लगाने और जवाबदेही में सुधार करने के लिए विघटनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं को पंजीकृत किया जाना चाहिए।
- औपचारिकता के लिए प्रोत्साहन - नीतियां अनुपालन-लिंक्ड प्रोत्साहन प्रदान करके अनौपचारिक से औपचारिक इकाइयों में परिवर्तन को प्रोत्साहित करती हैं।
- लगातार अंतराल - केवल 43% ई-कचरे को औपचारिक रूप से संसाधित किया गया था (2023-24); सीमित ईपीआर क्रेडिट पर विवाद प्रभावी प्रवर्तन में बाधा डालते हैं।

आगे की राह:

- अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप देना - कबड़्डीवालों को प्रशिक्षित करना, पीपीई, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ताकि सुरक्षित रीसाइक्लिंग प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए आजीविका की रक्षा की जा सके।
- प्रवर्तन को मजबूत करना - डिजिटल ट्रैकिंग, आवधिक ऑडिट शुरू करना और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को असुरक्षित, अपंजीकृत रीसाइक्लिंग इकाइयों पर नकेल कसने के लिए सशक्त बनाना।
- चिकित्सा निगरानी - कमजोर श्रमिकों और बच्चों की सुरक्षा के लिए ई-कचरा हॉटस्पॉट में नियमित स्वास्थ्य शिविर, आधारभूत अध्ययन और दीर्घकालिक निगरानी का आयोजन करें।
- नवाचार को बढ़ावा देना - किफायती, स्थानीय रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करना और परिवहन लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए विकेन्द्रीकृत केंद्र बनाना।
- जागरूकता निर्माण - स्कूल पाठ्यक्रम में ई-कचरा शिक्षा को एकीकृत करना और नागरिकों के बीच जिम्मेदार निपटान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक अभियान शुरू करना।

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल छलांग को बीमारी और गिरावट की जहरीली विरासत बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रणालीगत सुधारों को लोगों और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए विज्ञान, न्याय और नवाचार को जोड़ना चाहिए। तभी डिजिटल सशक्तिकरण वास्तव में सतत और समावेशी विकास के साथ जुड़ सकता है।

रोबोटिक्स में AI - भारत की स्वास्थ्य सेवा, कृषि और उद्योग को बदलना

संदर्भ:

एआई-संचालित रोबोटिक्स भारत में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है, 'एआई फॉर ऑल' और डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ी पहलों के तहत सटीकता, उत्पादकता और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है।

रोबोटिक्स में एआई के बारे में - भारत की स्वास्थ्य सेवा, कृषि और उद्योग को बदलना:

रोबोटिक्स में एआई का क्या अर्थ है?

- मैकेनिकल ऑटोमेशन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ती है ताकि रोबोट को पूर्व-प्रोग्राम किए गए निर्देशों का पालन करने के बजाय सीखने, अनुकूलित करने और स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
- मानव-मशीन सहयोग को बढ़ावा देता है, उद्योगों में रचनात्मकता, सुरक्षा और दक्षता बढ़ाता है।

सभी क्षेत्रों में प्रमुख अनुप्रयोग

स्वास्थ्य देखभाल:

- सटीक देखभाल के लिए रोबोटिक सर्जरी: एआई-संचालित रोबोट सर्जनों को माइक्रोमेट्रिक सटीकता के साथ न्यूनतम इनवेसिव प्रक्रियाएं करने में सहायता करते हैं, जिससे मानवीय त्रुटि और सर्जरी के बाद रिकवरी समय कम हो जाता है।
- डायग्नोस्टिक्स में एआई: मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम मेडिकल इमेजिंग, रक्त के नमूने और जीनोमिक डेटा का विश्लेषण करते हैं, जिससे बीमारी का शीघ्र पता लगाने और व्यक्तिगत उपचार योजनाएं सक्षम होती हैं।
- पुनर्वास और सहायक रोबोटिक्स: बुद्धिमान एक्सोस्केलेटन और रोबोटिक अंग चोटों या पक्षाघात के बाद रोगी के पुनर्वास का समर्थन करते हैं, गतिशीलता और पुनर्प्राप्ति परिणामों में सुधार करते हैं।
- बुजुर्ग और होम केयर ऑटोमेशन: स्पीच रिकग्निशन और इमोशन डिटेक्शन से लैस सर्विस रोबोट बुजुर्गों को दैनिक कार्यों, दवा अनुस्मारक और दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी में सहायता करते हैं।

कृषि:

- सटीक खेती और मृदा विश्लेषण: एआई-संचालित ड्रोन और एग्रीबॉट मिट्टी विश्लेषण, फसल मानचित्रण और उपज भविष्यवाणी करते हैं, जिससे किसानों को संसाधनों का अनुकूलन करने और बर्बादी को कम करने में मदद मिलती है।
- स्वचालित सिंचाई और मौसम भविष्यवाणी: स्मार्ट सिंचाई प्रणालियाँ पानी के उपयोग को विनियमित करने के लिए वास्तविक समय एआई-आधारित जलवायु और नमी डेटा का उपयोग करती हैं, जिससे शुष्क क्षेत्रों में स्थिरता में सुधार होता है।
- रोग का पता लगाना और कीट नियंत्रण: कंप्यूटर विज़न एल्गोरिदम फसल रोगों या कीटों के संक्रमण की जल्दी पहचान करते हैं, जिससे समय पर हस्तक्षेप और रासायनिक निर्भरता कम हो जाती है।
- केस स्टडी - साग्रू बागु पहल: तेलंगाना में 7,000 से अधिक किसानों ने मिट्टी और रोग की निगरानी के लिए एआई एग्रीटेक उपकरणों को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप उपज में 2 गुना तक सुधार और उच्च आय हुई।

उद्योग और रसद:

- स्मार्ट विनिर्माण और पूर्वानुमानित रखरखाव: एआई-एकीकृत रोबोट मशीन के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं और विफलताओं की भविष्यवाणी करते हैं, डाउनटाइम को कम करते हैं और उत्पादन दक्षता में सुधार करते हैं।
- सहयोगात्मक रोबोट (कोबोट्स): कोबोट मानव श्रमिकों के साथ काम करते हैं, विनिर्माण संयंत्रों में सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए गति और सटीकता को गतिशील रूप से समायोजित करते हैं।
- स्वचालित भंडारण और आपूर्ति श्रृंखलाएँ: स्व-नेविगेटिंग रोबोट इन्वेंट्री प्रबंधन, पैकेजिंग और ऑर्डर पूर्ति को सुव्यवस्थित करते हैं, लॉजिस्टिक्स में गति और सटीकता को बढ़ाते हैं।
- भारतीय रोबोटिक्स स्टार्टअप और नवाचार: ब्रेऑरेंज, एडवर्ब और एटीआई मोटर्स जैसे स्टार्टअप एआई-आधारित वेयरहाउस और मोबिलिटी रोबोट तैनात कर रहे हैं, जिससे भारत औद्योगिक स्वचालन का केंद्र बन गया है।

रोबोटिक्स में उभरते एआई रुझान:

- संवादात्मक जीनएआई और वॉयस इंटरफेस: मनुष्यों और रोबोटों के बीच सहज संचार को सक्षम करना।
- डोमेन-विशिष्ट एलएलएम: स्वास्थ्य सेवा, विमानन और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए एआई को अनुकूलित करें।
- एआई एजेंट और निर्णय समर्थन प्रणाली: रोबोट को जटिल, वास्तविक समय के संचालन को संभालने की अनुमति दें।
- समग्र एआई मॉडल: बेहतर अनुकूलनशीलता और सीखने के लिए कई एआई तकनीकों का मिश्रण करें।
- सॉवरेन एआई और भारत जीपीटी: भारत-विशिष्ट डेटासेट का उपयोग करके डेटा गोपनीयता और स्वदेशी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना।
- किफायती एआई प्लेटफॉर्म: नो-कोड टूल के माध्यम से एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए ऑटोमेशन एक्सेस का लोकतंत्रीकरण करें।

भारत के विकास के लिए महत्व:

- दक्षता, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ाता है: एआई-संचालित रोबोटिक्स औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाता है, पर्यावरण-अनुकूल संसाधन उपयोग को बढ़ावा देता है, और उच्च जोखिम वाले वातावरण में स्वचालन के माध्यम से कार्यकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- नवाचार और नौकरी परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है: नौकरियों को बदलने के बजाय, एआई डिजाइन, रखरखाव और डेटा एनालिटिक्स में नई भूमिकाएं बनाता है, जिससे भारत के कार्यबल को उच्च मूल्य वाले डिजिटल रोजगार की ओर बढ़ने में मदद मिलती है।
- आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करता है: भारत जीपीटी और आईआईटी के नेतृत्व वाली रोबोटिक्स पहल जैसे स्वदेशी एआई मॉडल डेटा संप्रभुता और घरेलू नवाचार सुनिश्चित करते हुए तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं।
- एआई और रोबोटिक्स में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करता है: रोबोटिक्स स्टार्टअप, नीति समर्थन और नैतिक एआई ढांचे में तेजी से वृद्धि भारत को इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और जिम्मेदार नवाचार के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

निष्कर्ष

एआई-संचालित रोबोटिक्स भारत के लिए एक परिवर्तनकारी छलांग है - प्रमुख क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता, सटीकता और स्थिरता को एकीकृत करना। मशीन दक्षता के साथ मानव रचनात्मकता का मिश्रण करके, यह उत्पादकता और समावेशिता को फिर से परिभाषित कर रहा है। नैतिक शासन और स्वदेशी नवाचार के साथ, भारत इंटेलिजेंट ऑटोमेशन की अगली वैश्विक लहर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

क्रू एस्केप सिस्टम (सीईएस)

संदर्भ:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गगनयान मिशन के एक महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र क्रू एस्केप सिस्टम (सीईएस) के कामकाज पर प्रकाश डाला है।

क्रू एस्केप सिस्टम (CES) के बारे में:

यह क्या है?

- क्रू एस्केप सिस्टम एक तेजी से काम करने वाला सुरक्षा तंत्र है जिसे आपात स्थिति के दौरान खराब लॉन्च वाहन से अंतरिक्ष यात्रियों को दूर ले जाने वाले क्रू मॉड्यूल को बाहर निकालने के लिए विकसित किया गया है।
- इसे गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण लॉन्च चरणों के दौरान अंतरिक्ष यात्री के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है, यहां तक कि एक भयावह विफलता से पहले भी चालक दल के मॉड्यूल को सेकंड के भीतर एक सुरक्षित दूरी पर अलग करना।

यह काम किस प्रकार करता है?

- LVM3 रॉकेट के आगे के छोर पर स्थित, CES कई हाई-बर्न सॉलिड मोटर्स का उपयोग करता है जो रॉकेट की तुलना में अधिक त्वरण उत्पन्न करते हैं।
- पता चली विसंगति के मामले में, एकीकृत वाहन स्वास्थ्य प्रबंधन (आईवीएचएम) प्रणाली सीईएस को ट्रिगर करती है।
- फिर क्रू मॉड्यूल को तेजी से खींचा जाता है, इसके बाद नियंत्रित समुद्री छींटे सुनिश्चित करने के लिए मल्टी-स्टेज पैराशूट की तैनाती की जाती है।

प्रकार:

- पुलर टाइप (इसरो द्वारा उपयोग किया जाता है): सीईएस ठोस मोटर्स का उपयोग करके क्रू मॉड्यूल को दूर खींचता है - गगनयान, सोयुज और सैटर्न वी मिशनों में अपनाया जाता है।
- पुशर प्रकार: मॉड्यूल को दूर धकेलने के लिए तरल-ईंधन इंजन का उपयोग करता है - स्पेसएक्स फाल्कन 9 में कार्यरत है।

अर्थ:

- लिफ्ट-ऑफ से पहले या शुरुआती चढ़ाई के दौरान भी चालक दल के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है, जो सबसे जोखिम भरा उड़ान चरण है।
- यह भारत की मानव-रेटेड प्रक्षेपण क्षमता और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा मानदंडों के पालन को दर्शाता है।

प्रोजेक्ट त्रिनेत्र: एआई प्रेडिक्टिव पुलिसिंग

संदर्भ:

महाराष्ट्र में अकोला पुलिस द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट त्रिनेत्र ने भविष्य कहनेवाला पुलिसिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।

प्रोजेक्ट ट्रिनेत्रा के बारे में: एआई प्रेडिक्टिव पुलिसिंग

यह क्या है?

- प्रोजेक्ट त्रिनेत्र (अगले अपराध आकलन और सामरिक संसाधन आवंटन के लिए लक्षित जोखिम-आधारित अंतर्दृष्टि) भारत की पहली एआई-संचालित प्रेडिक्टिव पुलिसिंग पहल है, जिसे डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करके दोहराए जाने वाले अपराधों का अनुमान लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- द्वारा शुरू किया गया: पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के नेतृत्व में अकोला पुलिस द्वारा शुरू किया गया।

उद्देश्य:

- डेटा-आधारित अपराधी जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से दोहराए जाने वाले अपराधों की भविष्यवाणी करना और उन्हें रोकना।
- पुलिस व्यवस्था को प्रतिक्रियाशील से निवारक की ओर स्थानांतरित करना, संसाधन परिनियोजन में दक्षता बढ़ाना।
- राष्ट्रीय शासन सुधारों के साथ जुड़े नैतिक, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित कानून प्रवर्तन प्रणालियों का निर्माण करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- रिपीट ऑफेंडर रिस्क स्कोरिंग (आरओआरएस): दोषसिद्धि प्रकार, अपराध प्रक्षेपवक्र और स्थानिक-अस्थायी निकटता के आधार पर अपराधियों को दोहराने के लिए संभाव्यता स्कोर असाइन करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है।
- दानेदार डैशबोर्ड: लक्षित गश्त के लिए वास्तविक समय स्टेशन-वार, अनुभाग-वार और क्षेत्र-वार जोखिम विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है।

नैतिक सुरक्षा उपाय:

- केवल पूर्व अपराधियों पर ध्यान केंद्रित करें - जाति, धर्म या भूगोल के आधार पर कोई प्रोफाइलिंग नहीं।
- पारदर्शी स्कोरिंग एल्गोरिथ्म, आंतरिक ऑडिट और नागरिक प्रतिक्रिया एकीकरण (प्रोजेक्ट रक्षा के माध्यम से)।
- मानव-इन-द-लूप दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भविष्यवाणियां कार्रवाई का मार्गदर्शन करती हैं, निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं।

चंद्रा की वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर-2 (CHACE-2) पेलोड

संदर्भ:

इसरो ने घोषणा की कि चंद्रयान -2 के चंद्र ऑर्बिटर पर सवार CHACE-2 पेलोड ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन (CME) प्रभाव का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन किया है।

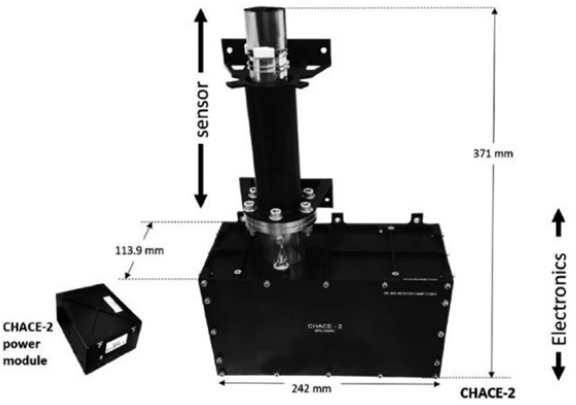

चंद्रा की वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर-2 (CHACE-2) पेलोड के बारे में:

यह क्या है?

- सीएचएसई-2 चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर एक न्यूट्रल गैस मास स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड है, जिसे इसरो द्वारा चंद्रमा के बेहद पतले वायुमंडल की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है, जिसे चंद्र एक्सोस्फीयर के रूप में जाना जाता है।
- पेलोड को 22 जुलाई, 2019 को जीएसएलवी एमके-III एम1 रॉकेट पर सवार होकर भारत के चंद्रयान -2 मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।

लक्ष्य:

- इसका प्राथमिक लक्ष्य 1-300 एमू की द्रव्यमान सीमा में चंद्र एक्सोस्फीयर की रासायनिक संरचना, स्थानिक और लौकिक विविधताओं और घनत्व का विश्लेषण करना है, साथ ही चंद्र सतह-एक्सोस्फीयर इंटरैक्शन को समझने के लिए जल वाष्प और भारी अणुओं का पता लगाना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- CHACE (चंद्रयान -1) और MENCA (मार्स ऑर्बिटर मिशन) उपकरणों का उत्तराधिकारी।

- चंद्रमा पर तटस्थ गैसों और समस्थानिक बहुतायत को मापने के लिए सुसज्जित।
- एक्सोस्फीयर संरचना और विविधताओं पर सीटू डेटा में वास्तविक समय प्रदान करता है।
- आर्गन -40 जैसी महान गैसों का पता लगाने और उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- चंद्र सतह प्रक्रियाओं और अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों को मॉडलिंग करने में मदद करता है।

खोजें:

- 10 मई, 2024 को चंद्र एक्सोस्फीयर दबाव में सीएमई-प्रेरित वृद्धि का पहला प्रमाण दर्ज किया गया, जब सौर इजेक्टा चंद्रमा से टकराया था।
- तटस्थ परमाणुओं की कुल संख्या घनत्व में दस गुना वृद्धि देखी गई, जो लंबे समय से अनुमानित सैद्धांतिक मॉडल की पुष्टि करती है।
- सौर गतिविधि चंद्र वायुमंडलीय स्थितियों को कैसे बदलती है, इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई, जो भविष्य के चंद्र आधार योजना और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण है।

जीसैट-7आर उपग्रह

संदर्भ:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) नवंबर में श्रीहरिकोटा से लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (एलवीएम-3) पर सवार सीएमएस-03 (जीसैट-7आर) संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है।

GSAT-7R उपग्रह के बारे में:

यह क्या है?

- जीसैट-7आर, जिसे सीएमएस-03 भी कहा जाता है, इसरो द्वारा विकसित अगली पीढ़ी का सैन्य संचार उपग्रह है, जो पुराने हो चुके जीसैट-7ए को बदलने के लिए है। यह भारतीय नौसेना, वायु सेना और सेना के लिए मजबूत, एन्क्रिप्टेड और लंबी दूरी के संचार लिंक सुनिश्चित करता है।

द्वारा विकसित: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)।

उद्देश्य:

- एक विस्तृत समुद्री और स्थलीय क्षेत्र में नौसैनिक संचालन, वायु रक्षा और रणनीतिक कमान नियंत्रण के लिए विश्वसनीय, वास्तविक समय संचार प्रदान करना। यह भारत के नेटवर्क-केंद्रित युद्ध और समुद्री डोमेन जागरूकता को मजबूत करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- मल्टी-बैंड संचार: जाम के खिलाफ अतिरेक और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए कू, का और यूएचएफ बैंड में काम करता है।
- व्यापक कवरेज: पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित संचार कवरेज प्रदान करता है, जो अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्वी तट तक फैला हुआ है।
- सबसे भारी भारतीय संचार उपग्रह: ~ 4,400 किलोग्राम वजनी, यह भारतीय धरती से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) के लिए लॉन्च किया गया इसरो निर्मित सबसे बड़ा उपग्रह है।
- उन्नत एन्क्रिप्शन: सुरक्षित सैन्य अभियानों के लिए एंटी-जैमिंग, फ्रीक्वेंसी होपिंग और एन्क्रिप्टेड डेटा लिंक की सुविधा है।
- लॉन्च व्हीकल: भारत के सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल LVM-3 के माध्यम से तैनात किया गया, जिसे पहले चंद्रयान-3 मिशन (2023) में इस्तेमाल किया गया था।

अर्थ:

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सामरिक और नौसैनिक संचार नेटवर्क को बढ़ाएगा।
- थिएटर कमांड के तहत तीन-सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता और पारस्परिकता का समर्थन करता है।
- भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है, जो बढ़ते हिंद-प्रशांत तनाव और निगरानी जरूरतों के बीच महत्वपूर्ण है।
- अंतरिक्ष रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है

बेंजीन

संदर्भ:

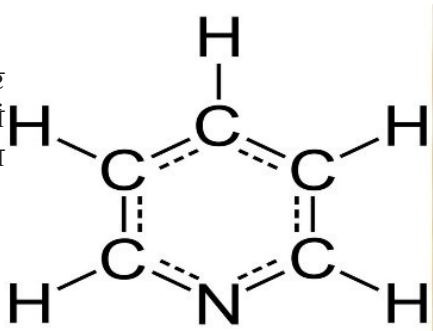

अपनी खोज के दो शताब्दियों बाद, बेंजीन आधुनिक रसायन विज्ञान और उद्योग की आधारशिला बना हुआ है। फिर भी, यह एक दोधारी अणु के रूप में खड़ा है - आधुनिक सामग्रियों की नींव लेकिन गंभीर पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिमों का स्रोत भी।

बेंजीन के बारे में:

यह क्या है?

- बेंजीन (C_6H_6) एक रंगहीन, अस्थिर, सुगंधित हाइड्रोकार्बन है जो प्लास्टिक, रंजक, डिटर्जेंट और फार्मास्यूटिकल्स सहित अनगिनत औद्योगिक यौगिकों की संरचनात्मक नींव बनाता है। इसकी अनूठी रिंग संरचना इसे सुगंधित रसायन विज्ञान की आधारशिला बनाती है।

द्वारा खोजा गया:

- इसे पहली बार 1825 में माइकल फैराडे द्वारा लंदन में रोशन गैस के तैलीय अवशेषों से अलग किया गया था और बाद में संरचनात्मक रूप से अगस्त केकुले (1865) द्वारा समझाया गया था, जिन्होंने इसकी चक्रीय हेक्सागोनल रिंग का प्रस्ताव रखा था - कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक क्रांतिकारी अवधारणा।

लक्षण:

- रासायनिक स्थिरता: असंतृप्त (C_6H_6) होने के बावजूद, यह स्थानीयकृत π-इलेक्ट्रॉनों के कारण उल्लेखनीय स्थिरता प्रदर्शित करता है - एक घटना जिसे सुगंधितता के रूप में जाना जाता है।
- भौतिक गुण: रंगहीन, मीठी महक वाला, अत्यधिक ज्वलनशील तरल; पानी में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक सॉल्वैंट्स के साथ मिश्रणीय।
- औद्योगिक डेरिवेटिव: स्टाइरीन, फिनोल, साइक्लोहेक्सेन, नायलॉन और पॉलीस्टाइनिन के लिए आधार बनाता है।

सीमायें:

- विषाक्तता: बेंजीन एक ज्ञात कार्सिनोजेन है, जो लंबे समय तक संपर्क में रहने पर ल्यूकेमिया और अस्थि मज्जा विकारों का कारण बनता है।
- पर्यावरणीय दृढ़ता: इसकी अस्थिरता और टूटने के प्रति प्रतिरोध वायु और भूजल प्रदूषण में योगदान करता है।
- व्यावसायिक खतरा: ऐतिहासिक रूप से, रिफाइनरियों और रासायनिक संयंत्रों में संपर्क के कारण व्यापक औद्योगिक बीमारियाँ हुईं, जिससे वैश्विक विनियमन को बढ़ावा मिला।

अनुप्रयोग:

- पेट्रोकेमिकल्स: बीटीएक्स यौगिकों (बेंजीन, टोल्यूनि, जाइलीन) के लिए प्रमुख फीडस्टॉक - प्लास्टिक, रबर और फाइबर में उपयोग किया जाता है।
- फार्मास्यूटिकल्स: एस्पिरिन, सल्फा ड्रग्स और एंटीहिस्टामाइन जैसी दवाओं के संश्लेषण के लिए आधार।
- सिंथेटिक सामग्री: नायलॉन, रेजिन और पॉलिमर बनाने में उपयोग किया जाता है - ऑटोमोबाइल, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक।
- रंग और डिटर्जेंट: रंग एजेंटों और सर्फैक्टेंट के लिए सुगंधित मध्यवर्ती का अभिन्न अंग।
- आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स: पॉलिमर और ओएलईडी के संचालन में उपयोग किया जाता है, जो नैनोमटेरियल्स और लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी विकसित भूमिका को प्रदर्शित करता है।

खुफिया क्रांति को सशक्त बनाना: कैसे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर भारत के एआई डेटा सेंटर बूम को बढ़ावा दे सकते हैं

संदर्भ:

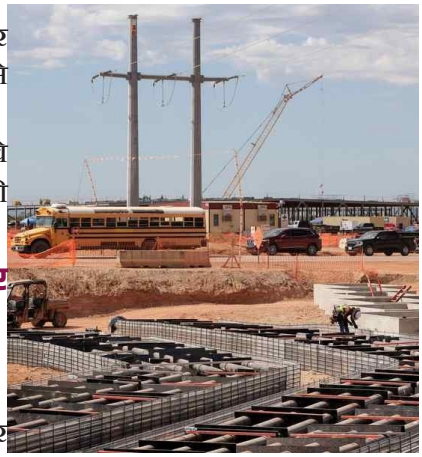

एआई डेटा सेंटर - जनरेटिव एआई और क्लाउड सेवाओं के पीछे डिजिटल इंजन - बड़े पैमाने पर वैश्विक बिजली की मांग को बढ़ा रहे हैं, जिससे देशों को छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) जैसे कम कार्बन, 24×7 ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

- भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा मिशन (2025) के माध्यम से बढ़ती AI और डेटा बुनियादी ढांचे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित SMR को तैनात करने की योजना की घोषणा की है।

खुफिया क्रांति को शक्ति प्रदान करने के बारे में: कैसे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर भारत के एआई डेटा सेंटर बूम को बढ़ावा दे सकते हैं

भारत की बिजली की मांग: डेटा और रुझान

- फ्लैट लेकिन राइजिंग कर्व: भारत की बिजली की मांग दो दशकों तक ~5% वार्षिक वृद्धि पर स्थिर रही, लेकिन अब एआई, ईवी और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ बढ़ रही है।

- औद्योगिक बदलाव: डेटा सेंटर, 5G और डिजिटल विनिर्माण जैसे ऊर्जा-गहन क्षेत्र नई बेस-लोड मांग परतों को जोड़ रहे हैं।
- क्षमता चुनौती: तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक होने के बावजूद, भारत का ग्रिड स्थानीय कमी और पारेषण तनाव का सामना कर रहा है।
- डीकार्बोनाइजेशन दबाव: भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, लेकिन उच्च-लोड सुविधाओं के लिए 24×7 आपूर्ति के लिए रुक-रुक कर एक बाधा बनी हुई है।

एआई डेटा केंद्रों की आवश्यकता:

- डिजिटल इंडिया पुश: डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल इंडिया जैसी नीतियों के लिए बड़े पैमाने पर घरेलू भंडारण और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।
- 5जी और आईओटी विस्फोट: 5जी और आईओटी उपकरणों का रोलआउट तेजी से डेटा उत्पन्न करता है, जिसके लिए उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग हब की आवश्यकता होती है।
- एआई और क्लाउड वर्कलोड: जनरेटिव एआई और एलएलएम को उच्च-घनत्व वाले जीपीयू की आवश्यकता होती है, जो डेटा केंद्रों को कम्प्यूटेशनल पावर ग्रिड में बदल देता है।
- सुरक्षा और संप्रभुता: भारत की डेटा संरक्षण व्यवस्था की मांग है कि संवेदनशील डेटा को राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर संसाधित किया जाए।
- आर्थिक गुणक: एआई डेटा सेंटर इकोसिस्टम नौकरियां पैदा कर सकता है, एफडीआई को आकर्षित कर सकता है और वैश्विक डिजिटल हब के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ा सकता है।

वैश्विक और भारत परिदृश्य:

- वैश्विक विकास: अमेरिका और चीन के नेतृत्व में डेटा केंद्रों द्वारा दुनिया भर में बिजली का उपयोग 460 TWh (2024) से बढ़कर 2035 तक 1,300 TWh हो सकता है।
- एस नेतृत्व: अमेरिका के पास वैश्विक क्षमता का 51% हिस्सा है, टेक्सास, वर्जीनिया और फीनिक्स में हब हैं, जो 25% ग्रिड मांग वृद्धि को बढ़ावा देते हैं।
- भारत का विस्तार: भारत की वर्तमान 1.4 गीगावॉट क्षमता 2030 तक 7 गीगावॉट तक पहुंच सकती है, जिसमें गूगल, रिलायंस, अदानीकॉनेक्स और योट्टा की परियोजनाएं शामिल हैं।
- क्षेत्रीय फोकस: इंडियाएआई मिशन के तहत मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जामनगर और विशाखापत्तनम में प्रमुख क्लस्टर उभर रहे हैं।

बिजली की आपूर्ति में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) की भूमिका:

- बेसलोड समाधान: एसएमआर 24×7 कम कार्बन बेसलोड शक्ति प्रदान करते हैं, जो निरंतर एआई डेटा सेंटर संचालन के लिए आदर्श है।
- स्केलेबल और मॉड्यूलर: 1-300 मेगावाट रेंज के साथ, एसएमआर को खपत केंद्रों के पास तैनात किया जा सकता है, जिससे ट्रांसमिशन नुकसान कम हो सकता है।
- डिज़ाइन द्वारा सुरक्षा: निष्क्रिय शीतलन, छोटे कोर और दुर्घटना-सहिष्णु ईंधन शामिल करें, जिससे विश्वसनीयता बढ़े।
- वैश्विक निवेश: विश्व स्तर पर एक अरब से अधिक की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है; भारत 2033 तक पांच एसएमआर चालू करने की योजना बना रहा है।
- नीति समर्थन: भारत के ₹20,000 करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावॉट का लक्ष्य है, जिसमें अरबों निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सुधार किए गए हैं।

एसएमआर की सीमाएं और चिंताएँ:

- नियामक बाधाएँ: वर्तमान लाइसेंसिंग ढांचे बड़े रिएक्टरों के अनुरूप हैं, जिससे SMR अनुमोदन में देरी होती है।
- लागत में वृद्धि: मॉड्यूलरिटी के बावजूद, बड़े पैमाने पर तैनाती के बिना प्रारंभिक पूंजीगत लागत उच्च बनी हुई है।
- अपशिष्ट निपटान के मुद्दे: नए ईंधन प्रकार (जैसे, HALEU) दीर्घकालिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चुनौतियाँ पेश करते हैं।
- परिवहन जोखिम: फ़ैक्टरी-निर्मित इकाइयों को सुरक्षित रसद और विकिरण सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
- सार्वजनिक स्वीकृति: बेहतर सुरक्षा के बावजूद, सामाजिक प्रतिरोध और परमाणु दायित्व संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं।

आगे की राह:

- नियामक सुधार: IAEA के सामंजस्य ढांचे के साथ संरेखित प्रौद्योगिकी-तटस्थ, सुव्यवस्थित लाइसेंसिंग विकसित करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: एसएमआर विक्रेताओं, एआई डेटा सेंटर खिलाड़ियों और नवीकरणीय फर्मों के बीच संयुक्त उद्यमों की सुविधा प्रदान करना।
- साइट पुनर्प्रयोजन: सेवानिवृत्त कोयला संयंत्रों और हाइड्रोजन हब को परमाणु-तैयार एसएमआर साइटों में परिवर्तित करें।
- कौशल और अनुसंधान: नियामकों को प्रशिक्षित करना, कोयला कार्यबल को फिर से कुशल बनाना और वैश्विक नेताओं के साथ एसएमआर अनुसंधान एवं विकास सहयोग को बढ़ावा देना।
- एकीकृत बिजली रणनीति: लचीला डिजिटल ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नवीकरणीय, एसएमआर और भंडारण प्रणालियों को मिलाएं।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे एआई नया औद्योगिक इंजन बन जाएगा, ऊर्जा उसकी ऑक्सीजन होगी। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और नवीकरणीय संकरों की ओर भारत की छलांग इस खुफिया जानकारी को जिम्मेदारी से शक्ति प्रदान करने का मार्ग प्रदान करती है। भविष्य उन देशों का है जो स्वच्छ, निरंतर और विवेक-संचालित ऊर्जा के साथ गणना को संतुलित कर सकते हैं।

6 अर्थव्यवस्था

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA)

संदर्भ:

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। यह चार विकसित यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भारत का पहला FTA है, जो 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन नौकरियों का वादा करता है।

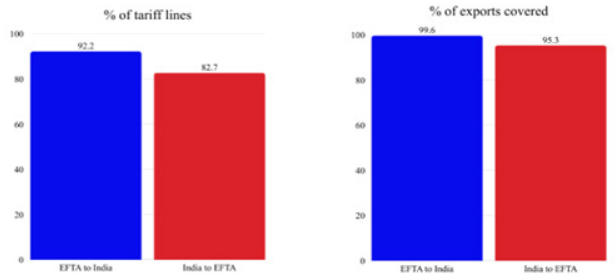

EFTA removes duties on 92.2% lines (covering 99.6% of India's exports). India offers 82.7% lines (95.3% of EFTA exports). Gold duty effectively unchanged.

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) के बारे में:

यह क्या है?

- भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA)।
- व्यापार, निवेश और रोज़गार सृजन प्रतिबद्धताओं को जोड़ने वाला पहला भारतीय FTA।

हस्ताक्षरित:

- 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित।
- 1 अक्टूबर 2025 से परिचालन में आएगा।

शामिल राष्ट्र (EFTA सदस्य):

- स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन।
- स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा EFTA व्यापार भागीदार है।

उद्देश्य:

- 15 वर्षों में $100 बिलियन FDI आकर्षित करना और 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करना।
- भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाज़ार पहुँच का विस्तार करना।
- सतत विकास, कौशल और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना।

TEPA की मुख्य विशेषताएं:

निवेश और रोज़गार:

- EFTA से 15 वर्षों में $100 बिलियन FDI की प्रतिबद्धता।
- भारत के विनिर्माण और सेवाओं में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन।

वस्तुओं के लिए बाज़ार पहुँच:

- EFTA 92.2% टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क पहुँच प्रदान करता है (भारत के निर्यात का 99.6%)।

सेवाएं और गतिशीलता:

- 100 से अधिक उप-क्षेत्रों (आईटी, शिक्षा, ऑडियो-विज़ुअल, व्यावसायिक सेवाएं) में प्रतिबद्धताएं।
- नर्सिंग, वास्तुकला, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपसी मान्यता समझौते (MRAs)।
- मोड 1 (डिजिटल डिलीवरी), मोड 3 (वाणिज्यिक उपस्थिति), मोड 4 (कार्मिक गतिशीलता) की सुविधा प्रदान करता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार:

- जेनेरिक दवाओं के लिए सुरक्षा उपायों के साथ TRIPS+ मानक।
- नवाचार की रक्षा करते हुए पेटेंट एवरग्रीनिंग को रोकता है।

सतत विकास:

- हरित विकास, सामाजिक समावेश, पर्यावरण संरक्षण पर जोर।
- नवीकरणीय ऊर्जा, सटीक इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य विज्ञान में प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs)

संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) नियमों को सरल बनाने के लिए एक मसौदा ढांचा जारी करेगा, जिससे उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के लिए पात्रता का विस्तार होगा।

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) के बारे में:

यह क्या है?

- बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) पात्र भारतीय संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त अनिवासी संस्थाओं से विदेशी मुद्रा या INR में लिए गए वाणिज्यिक ऋण हैं।
- वे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 और संबंधित RBI विनियमों के तहत शासित होते हैं।

शामिल संगठन:

- RBI – ECB ढांचे को विनियमित करता है और दिशानिर्देश जारी करता है।
- उधारकर्ता – भारतीय कॉर्पोरेट, पीएसयू, एनबीएफसी, पात्र ट्रस्ट और संस्थान।
- उधारदाता – अंतर्राष्ट्रीय बैंक, बहुपक्षीय एजेंसियां, निर्यात क्रेडिट एजेंसियां, विदेशी इक्विटी धारक, आदि।

ECBs का उद्देश्य:

- भारतीय संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर विदेशी पूंजी तक पहुँच प्रदान करना।
- घरेलू बाज़ारों से परे धन स्रोतों में विविधता लाना।
- बुनियादी ढांचे, विस्तार और दीर्घकालिक परियोजनाओं के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) की मुख्य विशेषताएं:

मार्ग:

- स्वचालित मार्ग (Automatic Route) – यदि मानक शर्तें पूरी होती हैं तो सीधे उधार लेने की अनुमति है; अधिकृत बैंकों (AD Category-I) द्वारा अनुमोदित।
- अनुमोदन मार्ग (Approval Route) – यदि शर्तें स्वचालित मार्ग में फिट नहीं होती हैं, तो प्रस्ताव विशेष अनुमोदन के लिए RBI के पास जाता है।

मूल शर्तें:

- एक न्यूनतम परिपक्वता अवधि (ऋण एक निश्चित वर्षों के लिए होना चाहिए)।
- उधार लेने की लागत (ब्याज + शुल्क) पर एक सीमा।
- नियम कि उधार लिए गए धन का उपयोग कहाँ किया जा सकता है और कहाँ नहीं।
- ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) और फॉर्म ECB के माध्यम से RBI को अनिवार्य रिपोर्टिंग।

अनुमति प्राप्त उपयोग:

- पूंजीगत व्यय, बड़ी परियोजनाओं, या बुनियादी ढांचे को निधि देना।
- मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्त करना।

अनुमति नहीं है:

- रियल एस्टेट व्यवसाय, शेयर बाजार में निवेश, या सट्टा गतिविधियों के लिए।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा

संदर्भ:

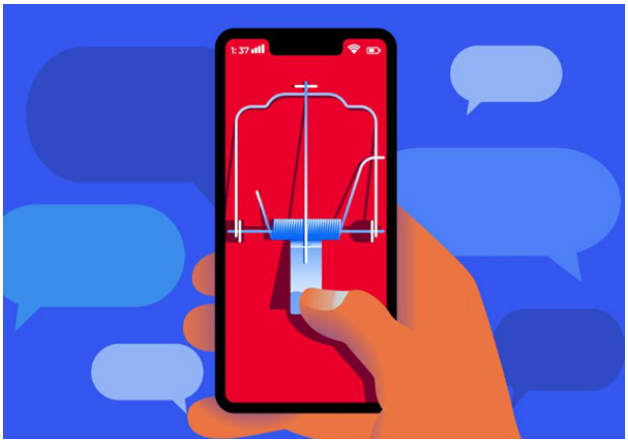

फिशिंग, UPI/OTP घोटाले, पहचान की चोरी और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी में तेज वृद्धि के बाद भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था सुर्खियों में है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के बारे में:

भारत में साइबर अपराध परिदृश्य:

- समस्या का पैमाना: 2023 में भारत में 13.9 लाख से अधिक साइबर अपराध मामले दर्ज किए गए (NCRB), लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि बदनामी या संस्थानों में अविश्वास के कारण कई असूचित रह जाते हैं।

- उदाहरण: 2025 में, एक 78 वर्षीय बैंकर ने "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले के माध्यम से ₹23 करोड़ गंवा दिए।
- उपयोग की जाने वाली रणनीति: सामाजिक इंजीनियरिंग मूल में है—डर, लालच, अत्यावश्यकता—जिसे फिशिंग, OTP/UPI धोखाधड़ी, ऋण/नौकरी घोटालों, रिमोट एक्सेस मैलवेयर और नकली सरकारी प्रतिरूपण के माध्यम से शोषित किया जाता है।

सबसे कमजोर कड़ियाँ:

- बुजुर्ग और ग्रामीण नागरिक: डिजिटल रूप से निरक्षर फिर भी आर्थिक रूप से कमजोर।
- बैंक: अक्सर सामान्य सलाह जारी करते हैं, असामान्य लेनदेन का पता लगाने में विफल रहते हैं, और कम KYC वाले खच्चर खातों की अनुमति देते हैं।
- साइबर पुलिस: कर्मचारियों, प्रशिक्षण और AI-संचालित उपकरणों की कमी, उनकी प्रभावशीलता को कम करती है।

संवैधानिक और संस्थागत आयाम:

- निजता का अधिकार (जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017): नागरिकों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 300A: संपत्ति की रक्षा करता है; डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी नागरिकों के वैध धन को खतरे में डालती है।
- RBI विनियम: बैंक डिजिटल धोखाधड़ी की कुछ श्रेणियों में पीड़ितों के लिए शून्य देयता सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य हैं।
- CERT-In: साइबर सुरक्षा घटनाओं के लिए आईटी अधिनियम के तहत नोडल एजेंसी, लेकिन खुदरा-स्तर पर धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए सक्रिय क्षमता का अभाव है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए खतरे:

- सामाजिक इंजीनियरिंग धोखाधड़ी: फिशिंग, OTP/UPI घोटालों, नौकरी/ऋण धोखाधड़ी, और नकली सरकारी प्रतिरूपण के माध्यम से डर, अत्यावश्यकता और विश्वास का फायदा उठाना।
  - उदाहरण: "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले ने 2025 में एक सेवानिवृत्त बैंकर से ₹23 करोड़ निकाल लिए।
- पहचान की चोरी और डेटा उल्लंघन: डेटा लीक और खराब एन्क्रिप्शन सुरक्षा के कारण आधार, पैन, या बैंक विवरण का दुरुपयोग।
- खच्चर खाते और धन शोधन: कमजोर KYC खच्चर खातों को सक्षम बनाता है, जिनका उपयोग धन के परतबंदी और फैलाव के लिए किया जाता है, जिससे वसूली मुश्किल हो जाती है।
- संस्थागत उपेक्षा: बैंक असामान्य उच्च-मूल्य लेनदेन की निगरानी करने में विफल रहते हैं; साइबर पुलिस कर्मचारियों और प्रौद्योगिकी में अपर्याप्त रूप से सुसज्जित रहती है।
- सीमा पार घोटाले: धोखाधड़ी नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, क्षेत्राधिकार संबंधी खामियों और कमजोर सहयोग ढांचे का फायदा उठाते हैं।

अब तक की गई पहल:

नियामक सुरक्षा उपाय:

- धोखाधड़ी की कुछ श्रेणियों के लिए RBI की शून्य देयता नीति।
- व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित संचालन के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023।

संस्थागत तंत्र:

- साइबर सुरक्षा घटना रिपोर्टिंग के लिए CERT-In।
- अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)।

जागरूकता अभियान:

- डिजिटल साक्षरता फैलाने के लिए RBI का साइबर जागरूकता अभियान और RBI कहता है अभियान।

तकनीकी कदम:

- कुछ बैंक AI-आधारित विसंगति का पता लगाने को अपना रहे हैं।
- शिकायत निवारण के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।

अनुशंसित उपाय:

- प्रौद्योगिकी और AI एकीकरण: वास्तविक समय विसंगति का पता लगाने, व्यक्तिगत लेनदेन प्रोफाइलिंग, और छेड़छाड़-सबूत KYC के लिए ब्लॉकचेन के लिए AI/ML तैनात करें।
- साइबर पुलिस को मजबूत करें: 24/7 साइबर त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयाँ स्थापित करें, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का विस्तार करें, और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में कार्यबल को प्रशिक्षित करें।
- बैंक जवाबदेही: KYC अनुपालन को सख्ती से लागू करें, खच्चर खातों को फ्रीज करने में विफल रहने वाले बैंकों को दंडित करें, और वास्तविक समय धोखाधड़ी अलर्ट अनिवार्य करें।
- अंतर-संस्थागत सहयोग: बैंकों, दूरसंचार और प्रवर्तन एजेंसियों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय धोखाधड़ी खुफिया ग्रिड बनाएं।
- नागरिक सशक्तिकरण: सामाजिक इंजीनियरिंग का मुकाबला करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण समुदायों और छात्रों के लिए लक्षित डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करें।
- वैश्विक समन्वय: अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए इंटरपोल, FATF और द्विपक्षीय साइबर संधियों को बढ़ाएँ।

निष्कर्ष:

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए AI-संचालित निगरानी और मजबूत बैंक जवाबदेही के माध्यम से प्रतिक्रियाशील निवारण से सक्रिय रोकथाम की ओर बदलाव की आवश्यकता है। सशक्त साइबर पुलिस और डिजिटल रूप से साक्षर नागरिक विकसित हो रही धोखाधड़ी की रणनीति का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। केवल प्रौद्योगिकी, संस्थानों और विश्वास के संयोजन से ही भारत वास्तव में एक लचीली डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है।

NHAI: राजमार्गों पर QR कोड साइन बोर्ड

संदर्भ:

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजमार्गों पर QR कोड-सक्षम परियोजना सूचना साइन बोर्ड स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।

NHAI: राजमार्गों पर QR कोड साइन बोर्ड के बारे में:

यह क्या है?

- एम्बेडेड QR कोड वाले डिजिटल सूचना बोर्ड जो यात्रियों को राजमार्ग-संबंधी विवरणों तक त्वरित पहुँच प्रदान करते हैं।
- टोल प्लाजा, विश्राम क्षेत्रों, ट्रक ले-बाय, प्रारंभ/समाप्ति बिंदुओं और रास्ते में सुविधाओं पर स्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्य:

- राजमार्ग निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं में पारदर्शिता में सुधार करना।
- यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा की जानकारी तक वास्तविक समय पहुँच के साथ सशक्त बनाना।
- उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन और सेवा प्रदाताओं से जल्दी जोड़कर सड़क सुरक्षा को मजबूत करना।

विशेषताएं:

- QR कोड पहुँच परियोजना विवरण तक: राजमार्ग संख्या, चेनेज, परियोजना की लंबाई, समय सीमा।
- संपर्क जानकारी का प्रदर्शन: राजमार्ग गश्ती, टोल प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, निवासी अभियंता, और NHAI फील्ड कार्यालय।
- आपातकालीन हेल्पलाइन 1033 का प्रमुख उल्लेख।
- आस-पास की सुविधाओं पर वास्तविक समय अपडेट: अस्पताल, शौचालय, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, मरम्मत की दुकानें, ई-चार्जिंग स्टेशन।
- टोल प्लाजा और विश्राम क्षेत्रों जैसे रणनीतिक स्थानों पर दृश्यता सुनिश्चित करता है।

स्टेबल कॉइन

संदर्भ:

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रों को "स्टेबलकॉइन के साथ जुड़ने की तैयारी करनी चाहिए," क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी में नवाचार वैश्विक मौद्रिक प्रणालियों को नया रूप दे रहे हैं और देशों को अनुकूलन करने या बहिष्कार का जोखिम उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

स्टेबल कॉइन के बारे में:

स्टेबलकॉइन क्या है?

- एक स्टेबलकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टोक्यूरेंसी है जिसे विशेष रूप से एक निश्चित अंतर्निहित संपत्ति के सापेक्ष स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि मुद्राओं या कीमती धातुओं की एक टोकरी, लेकिन आमतौर पर, अमेरिकी डॉलर जैसी एक फिएट मुद्रा।
- अत्यधिक अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन) के विपरीत, स्टेबलकॉइन का लक्ष्य मूल्य स्थिरता है, जो उन्हें ब्लॉकचेन ब्रह्मांड के भीतर विनिमय का अधिक विश्वसनीय माध्यम बनाता है और लेनदेन के लिए बेहतर अनुकूल है।

स्टेबलकॉइन के प्रकार: स्टेबलकॉइन आम तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में आते हैं:

पूरी तरह से आरक्षित स्टेबलकॉइन (Fully Reserved Stablecoins):

- यह क्या है: ये जारीकर्ता द्वारा आरक्षित में रखी गई उच्च-गुणवत्ता, तरल संपत्ति द्वारा एक-से-एक समर्थित होते हैं।
- यह कैसे काम करता है: जारी किया गया प्रत्येक सिक्का समतुल्य अंतर्निहित संपत्ति, जैसे फिएट मुद्रा या अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित होता है। यह प्रत्यक्ष संपार्श्विककरण कीमत को स्थिर करने में मदद करता है, क्योंकि धारक को सैद्धांतिक रूप से समान मूल्य पर खूंटी वाली संपत्ति के लिए सिक्का भुनाने का एक गारंटीकृत अधिकार होता है।

एल्गोरिथम स्टेबलकॉइन (Algorithmic Stablecoins):

- यह क्या है: ये स्टेबलकॉइन तरल भंडार द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, लेकिन स्वचालित नियमों के एक सेट द्वारा बनाए रखा जाता है।
- यह कैसे काम करता है: वे आपूर्ति और मांग असंतुलन का जवाब देने के लिए स्मार्ट अनुबंधों (कंप्यूटरीकृत एल्गोरिदम) का उपयोग करते हैं।
- यदि कीमत अपनी खूंटी से ऊपर व्यापार करती है, तो प्रोटोकॉल आपूर्ति बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए अतिरिक्त टोकन को मिंट (बनाता) करता है।
- यदि कीमत अपनी खूंटी से नीचे व्यापार करती है, तो प्रोटोकॉल आपूर्ति को कम करने और कीमत को वापस ऊपर धकेलने के लिए टोकन को जलाता (नष्ट करता) है।

मुख्य विशेषताएं:

- मूल्य स्थिरता: वे वाणिज्य, प्रेषण, और क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह के रूप में सेवा करने के लिए आवश्यक कम अस्थिरता प्रदान करते हैं।
- दक्षता: वे तेज़ और सस्ते लेनदेन को सक्षम करते हैं, खासकर सीमा-पार भुगतान के लिए, पारंपरिक, धीमे और अधिक महंगे वित्तीय मध्यस्थों को दरकिनार करते हुए।
- प्रोग्रामेबिलिटी: डिजिटल, ऑन-चेन संपत्ति के रूप में, उन्हें स्मार्ट अनुबंधों और स्वचालित वित्तीय प्रणालियों में एकीकृत किया जा सकता है, जिससे वित्तीय सेवाओं के भीतर नकद की गति तेज हो जाती है।
- डिजिटल फिएट: वे फिएट मनी के डिजिटल, ब्लॉकचेन-आधारित प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे वास्तविक समय निपटान के लिए पारंपरिक वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता के साथ अत्यधिक संगत हो जाते हैं।

एक एकीकृत राष्ट्रीय रोज़गार ढांचे की ओर

संदर्भ:

भारत की रोज़गार चुनौती एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में फिर से उभरी है क्योंकि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के विशेषज्ञों ने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने और बढ़ते नौकरी-कौशल बेमेल को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय रोज़गार ढांचे का आह्वान किया है।

एक एकीकृत राष्ट्रीय रोज़गार ढांचे की ओर:

रोज़गार के अवसर में रुझान:

- जनसांख्यिकीय लाभ: भारत 2050 तक 133 मिलियन श्रमिक जोड़ेगा, जो वैश्विक कार्यबल का लगभग 18% होगा।
- अनौपचारिक और गिग क्षेत्रों की ओर बदलाव: गिग अर्थव्यवस्था की नौकरियां 2030 तक 9 करोड़ तक पहुंच सकती हैं, लेकिन औपचारिक सुरक्षा का अभाव है।
- शहरी नौकरी संकट: स्वचालन और प्रवासन दबावों ने ग्रामीण-शहरी रोज़गार असमानताओं को चौड़ा कर दिया है।
- महिला भागीदारी अंतराल: बढ़ते शिक्षा स्तरों के बावजूद महिला श्रम बल भागीदारी दर 35% से नीचे बनी हुई है (PLFS 2024)।

एक एकीकृत रोज़गार ढांचे की आवश्यकता:

- खंडित दृष्टिकोण: मौजूदा कौशल, कल्याण और नौकरी कार्यक्रम साइलो में कार्य करते हैं, जिससे समन्वय और नीति परिणाम कमजोर होते हैं।
- जनसांख्यिकीय तात्कालिकता: 2043 तक भारत के कार्यबल के चरम पर पहुंचने के साथ, विलंबित सुधार जनसांख्यिकीय लाभांश के अवसर को बर्बाद कर सकते हैं।
- आर्थिक समावेशिता: एक एकीकृत नीति यह सुनिश्चित करती है कि रोज़गार वृद्धि क्षेत्रीय रूप से संतुलित, लिंग-संवेदनशील और प्रौद्योगिकी-संचालित हो।
- नीति सुसंगति: यह सामान्य, मापने योग्य रोज़गार परिणामों की ओर व्यापार, औद्योगिक और श्रम नीतियों को एकीकृत करती है।

की गई पहल:

- कौशल भारत मिशन और PMKVY: लघु अवधि और उद्योग-जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 40 करोड़ युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य है।
- राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल: नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं और कैरियर सलाहकारों के बीच एक डिजिटल पुल प्रदान करता है।
- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI): प्रदर्शन-आधारित क्षेत्रीय प्रोत्साहनों के माध्यम से विनिर्माण-नेतृत्व वाली नौकरी सृजन को प्रोत्साहित करता है।
- श्रम संहिताएँ (2020): अनुपालन को सरल बनाने और श्रमिक सुरक्षा में सुधार के लिए 29 श्रम कानूनों को समेकित करती है।
- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक योजनाएं: अनौपचारिक और गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कवरेज का विस्तार करती हैं।

शामिल चुनौतियां:

- स्नातक की गैर-रोजगार क्षमता: शैक्षणिक पाठ्यक्रम आधुनिक उद्योगों की व्यावहारिक कौशल आवश्यकताओं से विच्छेदित रहते हैं।
- कार्यान्वयन में देरी: श्रम सुधार और कौशल कार्यक्रम राज्यों और क्षेत्रों में असमान निष्पादन का सामना करते हैं।
- क्षेत्रीय असमानता: नौकरी की वृद्धि मेट्रो में केंद्रित है, जिससे पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक असमानता बढ़ रही है।
- लिंग अंतराल: सामाजिक बाधाएं और कार्यस्थल समर्थन प्रणालियों की कमी महिलाओं की श्रम भागीदारी को कम करती है।
- कमजोर डेटा सिस्टम: खंडित, पुराने रोज़गार आँकड़े साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण में बाधा डालते हैं।

आगे का रास्ता:

- एकीकृत राष्ट्रीय रोज़गार नीति: एक समन्वित रोज़गार ढांचे के तहत केंद्र और राज्य योजनाओं को मिलाएं।
- MSMEs और गिग श्रमिकों पर ध्यान दें: इन रोजगार-समृद्ध क्षेत्रों के लिए वित्त, डिजिटल उपकरण और सुरक्षा जाल तक पहुँच को मजबूत करें।
- कौशल-उद्योग संबंध: AI, रोबोटिक्स और हरित उद्योग की जरूरतों के साथ संरेखित करने के लिए उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार करें।
- समावेशी नौकरी सृजन: शहरी रोज़गार गारंटी और महिला-केंद्रित प्रोत्साहन जैसे लक्षित कार्यक्रम शुरू करें।
- वास्तविक समय डेटा डैशबोर्ड: समय पर, पारदर्शी कार्यबल अंतर्दृष्टि के लिए एक एकीकृत श्रम वेधशाला स्थापित करें।

निष्कर्ष:

भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को विकास इंजन में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक सुसंगत, समावेशी और डेटा-संचालित रोज़गार रणनीति असमानता को पाट सकती है और लचीलापन अनलॉक कर सकती है। नौकरियों को आर्थिक नीति का मूल, न कि एक उप-उत्पाद बनाना, 2047 तक विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का परिवर्तन

संदर्भ:

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर जैसी पहलों से प्रेरित एक बड़े परिवर्तन से गुज़र रहा है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और व्यापार दक्षता को बढ़ाना है।

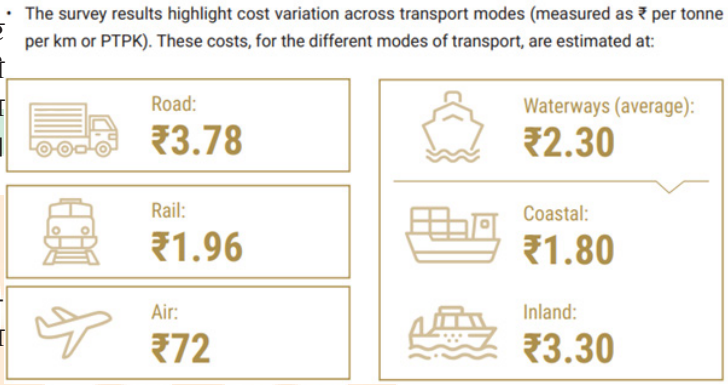

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के परिवर्तन के बारे में:

भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का अवलोकन:

- भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, जो कभी खंडित और लागत-गहन था, अब एक डिजिटल रूप से एकीकृत और बहुविध नेटवर्क में विकसित हो रहा है।
- 2021 में USD 215 बिलियन का मूल्य, यह परिवहन, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से कृषि, विनिर्माण, खुदरा और ई-कॉमर्स को जोड़ता है।
- सरकार के बुनियादी ढांचे के जोर और डिजिटल सुधारों ने भारत को एशिया में एक उभरता हुआ लॉजिस्टिक्स केंद्र बना दिया है।
- यह क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार देता है और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14% का योगदान देता है, जो आर्थिक लचीलेपन में इसकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है।1

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का आर्थिक महत्व:

- व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता: कुशल लॉजिस्टिक्स निर्यात लागत को कम कर सकता है, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति में सुधार होता है।
- सकल घरेलू उत्पाद विकास इंजन: लॉजिस्टिक्स लागत में 1% की कमी से सकल घरेलू उत्पाद को संभावित रूप से 2% तक बढ़ावा मिल सकता है।
- रोज़गार सृजन: परिवहन, भंडारण और आईटी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं में बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करता है।
- क्षेत्रीय विकास: ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे टियर-II और टियर-III शहरों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- राजस्व वृद्धि: बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता उच्च व्यापार और विनिर्माण गतिविधि के माध्यम से कर राजस्व को बढ़ाती है।

अब तक की गई पहल:

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022): डिजिटल और बुनियादी ढांचे के सुधारों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को 14-16% से एकल अंकों तक कम करने का लक्ष्य है।
- पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान (2021): एकीकृत बुनियादी ढांचे की योजना के लिए 1,700-परत GIS प्लेटफॉर्म पर 57 मंत्रालयों और 36 राज्यों को एकीकृत करता है।

- समर्पित फ्रेट कॉरिडोर: पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर अब 96% परिचालन में हैं, जिससे रेल मार्गों की भीड़ कम होती है और पारगमन समय कम होता है।
- बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क: भंडारण और अंतिम-मील दक्षता को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में 35 पार्क अनुमोदित हैं।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म: वास्तविक समय कार्गो ट्रैकिंग और डेटा एकीकरण के लिए ULIP और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक का शुभारंभ।
- समुद्री अमृत काल विजन 2047: बंदरगाह आधुनिकीकरण, हाइड्रोजन हब और जहाज निर्माण विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है।

जुड़ी हुई चुनौतियाँ:

- उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: सुधार के बावजूद, 2024 में लॉजिस्टिक्स लागत लगभग 14-16% बनी हुई है, जो अभी भी चीन (8%) और अमेरिका (6-8%) से अधिक है, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है।
- बुनियादी ढांचे में अंतराल: खराब अंतिम-मील कनेक्टिविटी, भीड़भाड़ वाले बंदरगाह, और सीमित बहुविध संपर्क परिवहन साधनों में माल की निर्बाध आवाजाही में बाधा डालते हैं।
- नियामक विखंडन: कई मंत्रालयों की उपस्थिति और नियामक अतिव्यापीकरण लॉजिस्टिक्स श्रृंखला में मंजूरी में देरी करते हैं और अक्षमता बढ़ाते हैं।
- कौशल की कमी: डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, स्वचालन, और लॉजिस्टिक्स एनालिटिक्स में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी परिचालन दक्षता को कमजोर करती है।
- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: डीजल-आधारित माल परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता और हरित ईंधन को अपनाने की धीमी गति उत्सर्जन बढ़ाती है और स्थिरता लक्ष्यों को कमजोर करती है।

आगे का रास्ता:

- एकीकृत बुनियादी ढांचा: सुगम कनेक्टिविटी के लिए सड़क, रेल, हवाई और बंदरगाह नेटवर्क को सिंक्रनाइज़ करने के लिए पीएम गति शक्ति और बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs) का विस्तार करें।
- हरित लॉजिस्टिक्स: उत्सर्जन को कम करने के लिए जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन-संचालित ट्रकों में निवेश करें, और कार्बन-तटस्थ फ्रेट कॉरिडोर को बढ़ावा दें।
- कौशल विकास: आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकी में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स विश्वविद्यालय और उद्योग-जुड़े प्रशिक्षण हब स्थापित करें।
- डिजिटल नवाचार: वास्तविक समय ट्रैकिंग, पारदर्शिता और भविष्य कहनेवाला लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को बढ़ाने के लिए AI, ब्लॉकचेन, IoT और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करें।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): वेयरहाउस, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण के लिए पीपीपी को बढ़ावा दें, दक्षता और निवेश-संचालित विकास सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष:

भारत का लॉजिस्टिक्स परिवर्तन विकसित भारत @2047 और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय है। बुनियादी ढांचे में सुधार, स्थिरता को अपनाने और लागत को कम करने से, भारत एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। अगले दशक को यह सुनिश्चित करने के लिए एकीकरण, नवाचार और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का एक चालक बन जाए।

तालिबान कूटनीति के बीच भारत-अफगानिस्तान संबंध

संदर्भ:

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की छह दिवसीय भारत यात्रा 2021 के बाद से पहले उच्च-स्तरीय तालिबान प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को चिह्नित करती है, जो सतर्क राजनयिक पुनर्-जुड़ाव का संकेत देती है।

तालिबान कूटनीति के बीच भारत-अफगानिस्तान संबंध:

भारत-अफगानिस्तान संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ:

- सभ्यतागत संबंध: भारत और अफगानिस्तान सिल्क रूट और साझा बौद्ध विरासत से जुड़े गहन सांस्कृतिक, भाषाई और व्यापारिक संबंध साझा करते हैं।
  - उदाहरण: काबुल-गांधार-तक्षशिला गलियारा इंडो-ग्रीक और बौद्ध आदान-प्रदान के लिए एक माध्यम था।
- राजनयिक समर्थन: 1947 के बाद, अफगानिस्तान पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का विरोध करने वाला एकमात्र देश था, जो भारत के साथ प्रारंभिक राजनीतिक संबंध को उजागर करता है।
- विकासात्मक जुड़ाव: भारत ने 2001 के बाद पुनर्निर्माण में $3 बिलियन से अधिक का निवेश किया - सलमा बांध, अफगान संसद और ज़ारंज-डेलाराम राजमार्ग का निर्माण किया, जिससे सद्भावना मजबूत हुई।

- मानवीय सहायता: 2021 तालिबान के अधिग्रहण के बाद, भारत ने "जन-केंद्रित जुड़ाव" बनाए रखा - 50,000 टन गेहूं, दवाएं, टीके और छात्रवृत्तियां प्रदान कीं।
- वर्तमान प्रासंगिकता: तालिबान शासन की गैर-मान्यता के बावजूद, भारत ने मानवीय चैनलों और क्षेत्रीय संवादों (जैसे, मॉस्को प्रारूप, एशिया का दिल) के माध्यम से एक वास्तविक जुड़ाव नीति अपनाई है।

जुड़ाव के लिए भारत का रणनीतिक तर्क:

क्षेत्रीय स्थिरता और कनेक्टिविटी:

- अफगानिस्तान मध्य एशिया के ऊर्जा बाज़ारों के लिए भारत का प्रवेश द्वार बना हुआ है।
  - उदाहरण: चाबहार बंदरगाह (ईरान) और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) अफगान स्थिरता पर निर्भर करते हैं।

पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करना:

- तालिबान के तहत अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध रखे हैं और CPEC संवादों में शामिल हो गया है, जिससे जटिलता बढ़ गई है।
- भारत पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को बेअसर करना चाहता है और BRI के तहत चीन के पश्चिमी विस्तार की जाँच करना चाहता है।

आतंकवाद विरोधी सहयोग:

- LeT, JeM और ISKP जैसे समूह अफगान धरती से काम करते हैं।
- भारत का जुड़ाव प्रत्यक्ष खुफिया जानकारी साझा करने और संकट प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

कट्टरपंथ के फैलाव को रोकना:

- एक अस्थिर अफगानिस्तान सीमा पार उग्रवाद और मादक पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

मानवीय और छवि कूटनीति:

- सहायता और शिक्षा के माध्यम से भारत का सॉफ्ट-पावर दृष्टिकोण नैतिक विश्वसनीयता और एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में वैश्विक मान्यता का निर्माण करता है।

नीतिगत दुविधाएं और राजनयिक चुनौतियां:

- गैर-मान्यता बनाम जुड़ाव: भारत आधिकारिक तौर पर तालिबान को मान्यता नहीं देता है लेकिन हितों की रक्षा के लिए व्यावहारिक रूप से जुड़ता है - एक वास्तविक यथार्थवाद।
- झंडा और प्रोटोकॉल मुद्दा: अंतर्राष्ट्रीय वैधता संतुलन बनाए रखने के लिए दुबई (2024) और नई दिल्ली (2025) जैसी राजनयिक बैठकों में तालिबान झंडे के प्रदर्शन को बाहर रखा गया है।
- ईरान-अमेरिकी प्रतिबंधों का गठजोड़: चाबहार प्रतिबंध छूट की वापसी भारत की अफगान कनेक्टिविटी रणनीति को प्रभावित करती है।
- बाहरी खिलाड़ियों का प्रभाव: पाकिस्तान के साथ अमेरिकी पुनः जुड़ाव, काबुल के साथ रूस-चीन सामान्यीकरण, और ईरान की रणनीतिक गहराई भारत की गणना को जटिल बनाती है।
- सुरक्षा और मानवाधिकार चिंताएं: भारत को अफगानिस्तान में समावेशिता, महिलाओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन पर अपने सैद्धांतिक रुख के साथ रणनीतिक जुड़ाव को संतुलित करना चाहिए।

क्षेत्रीय निहितार्थ यात्रा:

पहलू	भारत के लिए निहितार्थ
रणनीतिक	आतंकवाद विरोधी और कनेक्टिविटी पर संवाद को गहरा करता है, पाकिस्तान के लाभ को सीमित करता है।
आर्थिक	चाबहार के माध्यम से व्यापार गलियारों और अफगानिस्तान के $1-3 ट्रिलियन खनिज भंडार की खोज का दायरा खोलता है।
राजनयिक	सभी हितधारकों - रूस, ईरान और मध्य एशिया को शामिल करने वाले क्षेत्रीय स्थिरता कारक के रूप में भारत को पुनः स्थापित करता है।
सुरक्षा	चरमपंथी फैलाव के खिलाफ वास्तविक समय खुफिया समन्वय की अनुमति देता है।
प्रतीकात्मक	समर्थन के बिना जुड़ाव की भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता सिद्धांत" को प्रोजेक्ट करता है।

आगे का रास्ता:

- 'दोहरे ट्रैक' नीति अपनाना: लोगों से लोगों के बीच और विकासात्मक सहायता जारी रखें, जबकि तालिबान के साथ सशर्त राजनयिक जुड़ाव बनाए रखें।
- क्षेत्रीय समन्वय बढ़ाना: समावेशी क्षेत्रीय समाधान सुनिश्चित करने के लिए रूस, ईरान और मध्य एशिया के साथ मॉस्को प्रारूप और SCO तंत्र का लाभ उठाएं।
- चाबहार कनेक्टिविटी को मजबूत करें: निरंतर भारत-अफगान व्यापार पहुंच के लिए बहुपक्षीय प्लेटफार्मों के माध्यम से सीमित प्रतिबंधों में राहत के लिए बातचीत करें।

- आतंकवाद विरोधी संवाद का संस्थागतकरण करें: खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पार उग्रवाद की निगरानी के लिए एक भारत-अफगानिस्तान सुरक्षा संपर्क समूह बनाएं।
- अफगान लोगों में निवेश करें: शासन से परे सद्भावना बनाने के लिए अफगान युवाओं और महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पहल का विस्तार करें।

निष्कर्ष:

मुत्ताकी यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है - अफगानिस्तान में सतर्क अवलोकन से रणनीतिक व्यावहारिकता की ओर भारत का बदलाव। यथार्थवाद के साथ मूल्यों को संतुलित करते हुए, नई दिल्ली का सूक्ष्म जुड़ाव इसे दक्षिण-मध्य एशिया में एक स्थिरताकारी लंगर बना सकता है। अंततः, रचनात्मक कूटनीति—मान्यता नहीं—काबुल के लिए भारत का सेतु और एक सुरक्षित क्षेत्रीय भविष्य की कुंजी बनी हुई है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के नौ वर्ष

संदर्भ:

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) ने कार्यान्वयन के नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसमें ₹26 लाख करोड़ मूल्य के ऋण का समाधान किया गया है।

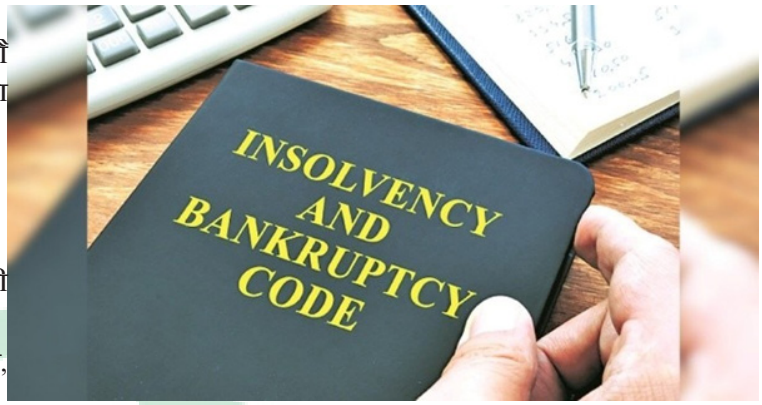

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के नौ वर्ष के बारे में:

IBC (2016) की उत्पत्ति और उद्देश्य:

- SARFAESI, DRT और SICA जैसे अकुशल ऋण वसूली प्रणालियों को बदलने के लिए पेश किया गया।
- ऋणदाता-प्रधान प्रक्रिया के बजाय एक समयबद्ध, ऋणदाता-नियंत्रण समाधान प्रक्रिया बनाना है।
- कॉर्पोरेट अनुशासन, क्रेडिट संस्कृति और वित्तीय बाज़ार स्थिरता स्थापित करता है।

प्रमुख उपलब्धियां (2016–2025):

- IBC तंत्रों के माध्यम से ₹26 लाख करोड़ के ऋण का समाधान किया गया।
- प्रवेश-पूर्व 30,310 मामले निपटाए गए (₹13.78 लाख करोड़ के डिफॉल्ट)।
- प्रवेश-पश्चात 1,314 मामले निपटाए गए; जून 2025 तक धारा 12A के तहत 1,919 वापस लिए गए।
- NPAs कम हुए: FY 2017-18 में 10.9% से FY 2024-25 में 2.3% तक; शुद्ध NPAs 0.5% तक गिर गए।
- क्रेडिट अनुशासन में सुधार: औसत ऋण अतिदेय दिन 248-344 से 30-87 दिनों तक गिर गए।

कॉर्पोरेट शासन और निवारण विशेषताएं:

- धारा 29A: डिफ़ॉल्टिंग प्रमोटरों को उनकी कंपनियों के लिए पुनः बोली लगाने से रोकती है।
- धारा 32: दिवालियापन से पहले किए गए अपराधों के लिए अपराधियों को प्रतिरक्षा से वंचित करती है।
- PUF लेनदेन: (वरीयता, कम मूल्यांकन, धोखाधड़ी) जवाबदेही और पारदर्शिता लाते हैं।
- कॉर्पोरेट नैतिकता, स्वच्छ लेखांकन और जिम्मेदार प्रबंधन व्यवहार को बढ़ावा देता है।

आर्थिक प्रभाव:

- बिक्री वृद्धि (76 प्रतिशत): समाधान के बाद की कंपनियों ने मांग और उत्पादन में मजबूत पुनरुद्धार का अनुभव किया, जो नए बाज़ार विश्वास और उपभोक्ता विश्वास को दर्शाता है।
- पूंजीगत व्यय (130 प्रतिशत वृद्धि): सुधारित फर्मों ने नए निवेश को आकर्षित किया क्योंकि उन्होंने साख योग्यता, वित्तीय स्थिरता और निवेशक विश्वास को फिर से हासिल किया।
- तरलता (80 प्रतिशत सुधार): पुनर्जीवित उद्यमों ने अपने नकद प्रवाह की स्थिति को बढ़ाया और ऋण बोझ को कम किया, जिससे टिकाऊ वित्तीय संचालन सुनिश्चित हुआ।
- रोज़गार और वेतन (50 प्रतिशत वृद्धि): समाधान प्रक्रिया ने नौकरियों की सुरक्षा की और नए रोज़गार के अवसर पैदा किए, खासकर स्टील, बिजली और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में।
- बाज़ार पूंजीकरण (₹2 लाख करोड़ से ₹6 लाख करोड़ तक): फर्म मूल्य का तीन गुना होना IBC की उद्यम संपत्ति को संरक्षित करने और समग्र आर्थिक उत्पादकता को मजबूत करने में प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

मुख्य विधायी और नियामक सुधार (2016–2024):

- 2017 संशोधन: धारा 29A पेश की, डिफ़ॉल्टिंग प्रमोटरों को पुनः बोली लगाने से अयोग्य घोषित किया, जिससे नैतिक जवाबदेही लागू हुई।
- 2018 संशोधन: घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता दी, जिससे उन्हें लेनदारों की समिति (CoC) में मतदान अधिकार मिले।
- 2019 सुधार: दिवालियापन परिणामों में गति और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने के लिए समाधान के लिए 330-दिन की सीमा तय की।

- 2020 (COVID राहत): मार्च 2020 के बाद के डिफॉल्ट के लिए नए दिवालियापन फाइलिंग को निलंबित कर दिया, महामारी संकट से व्यवहार्य फर्मों की रक्षा की।
- 2021 (MSMEs के लिए प्री-पैक): प्री-पैकेज्ड दिवालियापन समाधान को सक्षम किया, जिससे छोटे व्यवसायों को तेज, बातचीत से वसूली के विकल्प मिले।
- 2024 संशोधन: दक्षता के लिए डिजिटल फाइलिंग, सख्त प्रवेश समय सीमा, और परिहार लेनदेन पर स्पष्ट नियम अनिवार्य किए।

NCLT (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) की भूमिका:

- न्यायनिर्णयन प्राधिकरण: IBC के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन, विलय और पुनर्गठन मामलों के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।
- पारदर्शिता और निवेशक विश्वास: समयबद्ध, पारदर्शी और सुसंगत न्यायिक प्रक्रियाएं सुनिश्चित करता है, जिससे वैश्विक निवेशक विश्वास बढ़ता है।
- कॉर्पोरेट पुनरुद्धार: ₹4 लाख करोड़ से अधिक के समाधान मूल्य के साथ 3,763 कंपनियों को पुनर्जीवित किया, नौकरियों और पूंजीगत संपत्तियों की रक्षा की।
- दक्षता सुधार: सदस्य प्रशिक्षण और सर्वोत्तम अभ्यास साझाकरण के लिए टेम्पलेट-आधारित आदेश और आवधिक न्यायिक संगोष्ठी पेश किए।

पहचानी गई चुनौतियां:

- बुनियादी ढांचे की कमी: कई NCLT बेंचों में पर्याप्त अदालत कक्षों की कमी है, जिससे आधे दिन की बैठकें और मामलों का ढेर लग जाता है।
- जनशक्ति अंतराल: अनुबंध और प्रतिनियुक्ति अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बार-बार टर्नओवर और संस्थागत ज्ञान का नुकसान होता है।
- मामलों का बैकलॉग: एक समर्पित IBC वर्टिकल की अनुपस्थिति कंपनी कानून और दिवालियापन मामलों के मिश्रण की ओर ले जाती है, जिससे न्यायनिर्णयन धीमा हो जाता है।
- अदालत प्रबंधन: डेटा प्रबंधन और कार्यप्रवाह दक्षता के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (NCMS) की तत्काल आवश्यकता।

भविष्य की सिफारिशें:

- समर्पित IBC वर्टिकल: विशेषज्ञता और गति में सुधार के लिए NCLT के भीतर दिवालियापन मामलों के लिए एक विशेष स्थायी विंग स्थापित करें।
- डिजिटल और बुनियादी ढांचे का उन्नयन: पहुँच में सुधार और देरी को कम करने के लिए ई-कोर्ट, कागज रहित फाइलिंग और बेहतर लॉजिस्टिक्स का विस्तार करें।
- MSME समाधान को मजबूत करें: छोटे उद्यमों के तेज बदलाव के लिए प्री-पैक ढांचे और सरलीकृत प्रक्रियाओं का विस्तार करें।
- सार्वजनिक-निजी सहयोग: दिवालियापन साक्षरता और क्षमता को बढ़ाने के लिए उद्योग निकायों, कानून संस्थानों और थिंक टैंक के साथ साझेदारी करें।
- व्यक्तिगत दिवालियापन तक विस्तार: राष्ट्रव्यापी वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत ऋण समाधान के लिए IBC सिद्धांतों को लागू करें।

निष्कर्ष:

IBC ने कॉर्पोरेट जवाबदेही, तेज ऋण समाधान और कम NPAs सुनिश्चित करके भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है। निरंतर सुधारों, संस्थागत मजबूती और कुशल अदालत प्रबंधन के साथ, यह वित्तीय अनुशासन के लिए एक मॉडल ढांचा और विकसित भारत 2047 को साकार करने में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में काम कर सकता है।

राज्यों के लिए राजकोषीय स्थान बहाल करना

संदर्भ:

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का उन्मूलन केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित करता है। कई राज्यों ने राजकोषीय स्वायत्तता और राजस्व स्थिरता के नुकसान पर चिंता जताई है, सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए भारत के कर-साझाकरण तंत्र में सुधार की मांग की है।

राज्यों के लिए राजकोषीय स्थान बहाल करना:

राजकोषीय नीति का विकास और जीएसटी प्रभाव:

- उत्पत्ति से गंतव्य-आधारित कराधान की ओर बदलाव: 101वें संवैधानिक संशोधन (2017) ने जीएसटी पेश किया, जिसने कई अप्रत्यक्ष करों को एक गंतव्य-आधारित प्रणाली से बदल दिया, जिससे स्वतंत्र रूप से कर लगाने के राज्यों के अधिकार में कमी आई।
- जीएसटी परिषद में केंद्रीकृत निर्णय लेना: एक संयुक्त मंच होने के बावजूद, केंद्र के पास प्रमुख मतदान शक्ति (33%) है, जो इसे नीति निर्माण में एक निर्णायक बढ़त देता है।

- जीएसटी क्षतिपूर्ति युग का अंत: जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (जुलाई 2025) की समाप्ति संसाधन-गरीब राज्यों को राजस्व झटकों के प्रति संवेदनशील छोड़ देती है।
- कर स्लैब का पुनर्गठन: नवीनतम जीएसटी स्लैब पुनर्गठन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ₹2 लाख करोड़ का लाभ देना है, लेकिन यह राज्यों के राजकोषीय स्थान को भी कम करता है।
- राजकोषीय संघवाद का क्षरण: प्रमुख कर स्रोतों को एक छतरी के नीचे विलय करके, जीएसटी ने कराधान प्राधिकरण को केंद्रीकृत कर दिया है, जिससे राज्यों की राजकोषीय संप्रभुता कमजोर हो गई है।

वित्त आयोग और राजकोषीय हस्तांतरण की भूमिका:

- संवैधानिक जनादेश: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) ऊर्ध्वाधर (केंद्र-राज्य) और क्षैतिज (राज्यों के बीच) कर वितरण निर्धारित करता है, लेकिन इसके मानदंड अलग-अलग होते हैं, जिससे कथित अनुचितता होती है।
  - उदाहरण: 15वें वित्त आयोग ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद राज्यों के हिस्से को 42% से घटाकर 41% कर दिया।
- उपकर और अधिभार का उदय: ये बजट अनुमान 2025-26 में ₹4.23 लाख करोड़ के लिए खाते हैं, लेकिन विभाज्य पूल से बाहर रखे गए हैं, जिससे राज्यों को वास्तविक हस्तांतरण कम हो जाता है।
  - उदाहरण: 15वें वित्त आयोग ने नोट किया कि केंद्र की कर प्राप्तियों का 18% गैर-साझा करने योग्य उपकरों से आता है।
- घटते विचलन अनुपात: उच्च सिफारिशों के बावजूद, सकल कर राजस्व (GTR) में राज्यों का वास्तविक हिस्सा 33% से नीचे गिर गया है, जिससे संघीय वित्त में विश्वास का क्षरण हुआ है।
  - उदाहरण: FY2018-FY2023 के बीच, केंद्र ने गैर-विभाज्य राजस्व के माध्यम से ~₹12 लाख करोड़ अतिरिक्त बरकरार रखा।
- केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता: राज्य अपने कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 44% केंद्र पर निर्भर करते हैं, जिसमें बिहार (72%) और यू.पी. (61%) जैसे गरीब राज्य अत्यधिक निर्भरता दिखाते हैं।
  - उदाहरण: तमिलनाडु (31%) जैसे आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों को आनुपातिक रूप से कम मिलता है।
- असमान अनुदान और मानदंड: राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) और अनुदान संवितरण में पक्षपात का आरोप लगाते हैं, जो राजकोषीय इक्विटी और स्वायत्तता को विकृत करते हैं।
  - उदाहरण: योजना आयोग के उन्मूलन (2014) के बाद, CSS आवंटन राजनीतिक रूप से प्रभावित हो गए।

केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते राजकोषीय असंतुलन:

- केंद्रीकृत संसाधन नियंत्रण: केंद्र भारत के कुल कर राजस्व का लगभग 67% एकत्र करता है, जबकि राज्य कुल व्यय का 50% से अधिक संभालने के बावजूद केवल 33% एकत्र करते हैं।
  - उदाहरण: RBI की "राज्य वित्त रिपोर्ट 2025" इस लगातार बेमेल की पुष्टि करती है।
- उच्च व्यय जिम्मेदारियां: राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून और व्यवस्था, और स्थानीय शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं - जो कुल राष्ट्रीय व्यय का 52% से अधिक उपभोग करते हैं।
  - उदाहरण: COVID-19 के दौरान, राज्यों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का 70% वहन किया लेकिन राजस्व समर्थन की कमी थी।
- राजनीतिक और राजकोषीय घर्षण: विपक्ष शासित राज्य अक्सर निधियों की रिहाई में देरी और सशर्त अनुदान को राजकोषीय नियंत्रण के उपकरणों के रूप में उद्धृत करते हैं।
  - उदाहरण: GST क्षतिपूर्ति में ₹78,000 करोड़ की देरी (FY2021-22) ने अविश्वास को गहरा किया।
- संघीय वित्त में डिजाइन विषमता: कर बढ़ाने की केंद्र की शक्ति केंद्रीकृत है, जबकि व्यय कर्तव्य विकेंद्रीकृत हैं, जिससे ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन होता है।
  - उदाहरण: OECD भारत को विश्व स्तर पर सबसे अधिक राजकोषीय रूप से केंद्रीकृत संघीय प्रणालियों में शुमार करता है।
- तरलता और स्वायत्तता चुनौतियां: केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता राज्यों को अधिक उधार लेने के लिए मजबूर करती है, जिससे ऋण स्थिरता तनावपूर्ण हो जाती है।
  - उदाहरण: राज्यों का ऋण-से-GSDP अनुपात FY2024 में 31.2% तक बढ़ गया, जो FRBM थ्रेसहोल्ड से ऊपर है।

राजकोषीय स्वायत्तता और प्रस्तावित सुधारों की ओर:

- कर-साझाकरण सिद्धांतों को संशोधित करना: अर्थशास्त्री एक नए ऊर्ध्वाधर विचलन सूत्र का सुझाव देते हैं जो बढ़ते राज्य व्यय और क्षेत्रीय विषमताओं को दर्शाता है।
  - उदाहरण: 16वें वित्त आयोग (2025-30) से 41% विचलन सीमा पर फिर से विचार करने की उम्मीद है।
- व्यक्तिगत आयकर (PIT) साझा करना: ₹13.57 लाख करोड़ PIT आधार (BE 2025-26) को केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से (50:50) साझा करने का प्रस्ताव।
  - उदाहरण: यह वार्षिक रूप से ₹7 लाख करोड़ से अधिक प्रभावी राज्य विचलन बढ़ा सकता है।
- PIT टॉप-अप की अनुमति देना: राज्य अपनी सीमाओं के भीतर एकत्र किए गए व्यक्तिगत आयकर पर एक छोटा अधिभार (1-2%) लगा सकते हैं।
  - उदाहरण: यह मॉडल कनाडाई संघीय कराधान को दर्शाता है, जो प्रांतों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
- विभाज्य पूल के साथ उपकर का विलय: साझा पूल में उपकर और अधिभार राजस्व को एकीकृत करने से राजकोषीय स्थान और पारदर्शिता का विस्तार होगा।
  - उदाहरण: NIPFP अनुमानों (2024) के अनुसार, यदि विलय किया जाता है, तो राज्य वार्षिक रूप से ₹1.5 लाख करोड़ अधिक प्राप्त कर सकते हैं।

- राजकोषीय संघवाद को मजबूत करना: राज्यों को सशक्त बनाना स्थानीय जवाबदेही में सुधार करता है और संविधान के तहत सहकारी संघवाद सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है।
    - उदाहरण: तमिलनाडु की विशेषज्ञ समिति (2025) ने प्रोत्साहन-जुड़े राजकोषीय स्वायत्तता की सिफारिश की।

निष्कर्ष:

भारत का राजकोषीय संघवाद दोराहे पर है। राज्यों के साथ अधिक कल्याण और विकास जिम्मेदारियों को उठाते हुए, राजकोषीय स्वायत्तता को बहाल करना अनिवार्य है। कर विचलन को मजबूत करना, उपकर को एकीकृत करना और आयकर आधारों को साझा करना विश्वास और शक्ति को फिर से बना सकता है। सच्चा सहकारी संघवाद राज्यों को सशक्त बनाने में निहित है—न केवल प्रशासनिक रूप से, बल्कि वित्तीय रूप से भी।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लिए संदर्भ की शर्तें (ToR) को मंजूरी दे दी है।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में:

परिभाषा:

- 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन लाभों में संशोधनों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक अस्थायी विशेषज्ञ निकाय है।

स्थापना:

- 2025 के जनवरी में घोषित किया गया और 2026 से समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2025 में कैबिनेट अनुमोदन के बाद औपचारिक रूप से गठित किया गया।

संरचना:

- अध्यक्ष: न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त)
- अंशकालिक सदस्य: प्रो. पुलक घोष, IIM बैंगलोर
- सदस्य-सचिव: पंकज जैन, पेट्रोलियम सचिव

कार्यकाल:

- आयोग गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और विशिष्ट मुद्दों पर अंतरिम सिफारिशें प्रदान कर सकता है।

कवरेज:

- 8वां CPC केंद्र सरकार, रक्षा बलों, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कवर करता है।

कार्य और जनादेश:

- वेतन और पेंशन समीक्षा: वेतनमान, भत्ते और पेंशन संरचनाओं में बदलाव की जांच और प्रस्ताव करना।
- राजकोषीय विवेक: समग्र आर्थिक स्थिति पर विचार करना और वेतन संशोधनों की सिफारिश करते समय बजटीय अनुशासन बनाए रखना।
- क्षेत्रों में इक्विटी: परिलब्धियों और काम करने की स्थिति के मामले में केंद्रीय सेवाओं, PSUs और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित करना।
- राज्य वित्त प्रभाव: यह मूल्यांकन करना कि इसकी सिफारिशें राज्य सरकार के वित्त को कैसे प्रभावित करती हैं और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- पेंशन की स्थिरता: गैर-अंशदायी पेंशन देनदारियों और उनके दीर्घकालिक राजकोषीय निहितार्थों से संबंधित चिंताओं को संबोधित करना।

अपेक्षित कार्यान्वयन:

- सिफारिशों के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जो पहले CPC (1946) के बाद से अपनाए गए वेतन संशोधनों के दशक भर के चक्र को जारी रखता है।

संकट में रोज़गार क्षमता

संदर्भ:

भारत रोज़गार क्षमता संकट का सामना कर रहा है, जिसमें केवल 42.6% स्नातक नौकरी के लिए तैयार माने जाते हैं, जो शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच एक बढ़ते अंतराल को उजागर करता है।

संकट में रोज़गार क्षमता के बारे में:

परिभाषा:

- रोज़गार क्षमता एक स्नातक की गतिशील कार्य वातावरण में सफल होने के लिए ज्ञान, कौशल और मानसिकता को प्राप्त करने, लागू करने और अनुकूलित करने की क्षमता को संदर्भित करती है।

उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति न केवल रोज़गार योग्य हैं, बल्कि तेजी से बदलते उद्योगों में निरंतर सीखने, भूलने और फिर से सीखने में सक्षम टिकाऊ रूप से उत्पादक भी हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- समग्र कौशल सेट: तकनीकी विशेषज्ञता को संचार, टीम वर्क और समस्या-समाधान के साथ जोड़ता है।
- अनुकूलनशीलता: नई प्रौद्योगिकियों और कार्यस्थल सेटिंग्स में लचीलेपन को प्रोत्साहित करता है।
- आजीवन सीखना: क्षमताओं के निरंतर उन्नयन को बढ़ावा देता है।
- मूल्य निर्माण: सुनिश्चित करता है कि स्नातक संगठनात्मक लक्ष्यों में सार्थक रूप से योगदान करें।

शिक्षा जगत-उद्योग विभाजन के कारण:

शैक्षणिक पक्ष:

- अप्रचलित पाठ्यक्रम: अधिकांश कॉलेज विकसित हो रही नौकरी की भूमिकाओं, स्वचालन रुझानों और उभरती प्रौद्योगिकियों को दर्शाने में विफल रहने वाली सामग्री सिखाते हैं।
- सिद्धांत-भारी शिक्षा: कक्षा शिक्षण परीक्षा-केंद्रित रहता है, जिससे हाथों से किए जाने वाले परियोजनाओं या समस्या-समाधान प्रदर्शन के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है।
- सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण की कमी: छात्रों के पास तकनीकी ज्ञान होता है लेकिन संचार, टीम वर्क और अनुकूलनशीलता में आत्मविश्वास की कमी होती है।

उद्योग पक्ष:

- अपेक्षा बेमेल: कंपनियां "प्लग-एंड-प्ले" स्नातकों की मांग करती हैं लेकिन संरचित ऑनबोर्डिंग या मेंटरशिप में शायद ही कभी निवेश करती हैं।
- तेजी से तकनीकी बदलाव: कौशल आवश्यकताएं शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अनुकूल होने की तुलना में तेजी से बदलती हैं, जिससे लगातार कौशल अंतराल पैदा होता है।
- कमजोर जुड़ाव: फर्म अक्सर शिक्षा जगत को अप्रचलित मानती हैं, जिससे अनुसंधान, प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम डिजाइन में न्यूनतम सहयोग होता है।
- अल्पकालिक फोकस: कॉर्पोरेट टिकाऊ कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए दीर्घकालिक साझेदारी पर भर्ती अभियान को प्राथमिकता देते हैं।

की गई पहल:

- NEP 2020: समग्र शिक्षा सुधार के लिए लचीलेपन, अनुभवात्मक शिक्षा और मजबूत शिक्षा जगत-उद्योग एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- AICTE इंटर्नशिप नीति: इंजीनियरिंग छात्रों की व्यावहारिक समझ और रोज़गार क्षमता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रदर्शन को अनिवार्य करती है।
- कौशल भारत मिशन: बाज़ार की मांगों के साथ संरेखित क्षेत्रीय कौशल परिषदों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करता है।
- NASSCOM FutureSkills PRIME: प्रमाणित कार्यक्रमों के माध्यम से AI, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे डिजिटल डोमेन में युवाओं को कुशल बनाता है।3

जुड़ी हुई चुनौतियाँ:

- पाठ्यक्रम जड़ता: नए युग की कौशल आवश्यकताओं के जवाब में त्वरित अपडेट को नौकरशाही की देरी रोकती है।
- खंडित पारिस्थितिकी तंत्र: शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग के बीच कमजोर समन्वय नीति सुसंगति को सीमित करता है।
- सीमित संकाय प्रशिक्षण: शिक्षकों में अक्सर कॉर्पोरेट रुझानों, नई प्रौद्योगिकियों और शैक्षणिक नवाचार का प्रदर्शन कम होता है।

- शहरी-ग्रामीण विभाजन: ग्रामीण और छोटे संस्थान खराब बुनियादी ढांचे और न्यूनतम कॉर्पोरेट इंटरफ़ेस के साथ संघर्ष करते हैं।
- उद्योग द्वारा कम निवेश: निजी क्षेत्र संस्थागत सहयोग या मानव पूंजी विकास पर कम खर्च करता है।

आगे का रास्ता:

- पाठ्यक्रम सह-डिजाइन: नियोक्ताओं, विश्वविद्यालयों और नीति निर्माताओं से संयुक्त इनपुट के साथ नियमित रूप से पाठ्यक्रम को अपडेट करें।
- दोहरी-शिक्षा मॉडल: उच्च शिक्षा ढांचे में शिक्षुता और लाइव कॉर्पोरेट परियोजनाओं को एकीकृत करें।
- संकाय विसर्जन: अद्यतन कौशल हस्तांतरण के लिए उद्योग में संकाय इंटर्नशिप और सबाटिकल की सुविधा प्रदान करें।
- सॉफ्ट स्किल्स और नैतिकता लैब: संचार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और कार्यस्थल नैतिकता प्रशिक्षण के लिए समर्पित लैब स्थापित करें।
- डेटा-संचालित ट्रैकिंग: रोज़गार क्षमता प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व छात्रों के कैरियर परिणामों और कौशल वृद्धि की निगरानी करें।

निष्कर्ष:

भारत की रोज़गार क्षमता चुनौती प्रतिभा का संकट नहीं है, बल्कि संरेखण का संकट है। नवाचार, अनुकूलनशीलता और साझा जवाबदेही के माध्यम से शिक्षा जगत और उद्योग को जोड़ना शिक्षा को विकास के इंजन में बदल सकता है। सच्ची रोज़गार क्षमता तब उभरेगी जब सीखना जीवन को दर्शाता है - गतिशील, नैतिक और हमेशा विकसित।

विनिर्माण की पुनर्कल्पना

संदर्भ:

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने "विनिर्माण की पुनर्कल्पना: उन्नत विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत का रोडमैप" रोडमैप जारी किया, जिसमें बताया गया है कि कैसे AI, रोबोटिक्स और डिजिटल ट्विन्स जैसी फ्रंटियर प्रौद्योगिकियां भारत को 2035 तक शीर्ष-तीन वैश्विक विनिर्माण केंद्र बना सकती हैं।

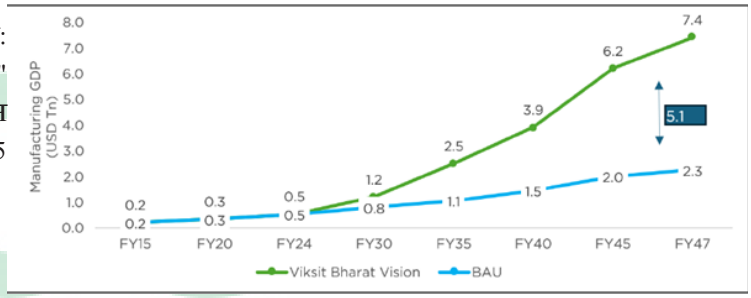

विनिर्माण की पुनर्कल्पना के बारे में:

प्रकाशित:

- CII और डेलॉइट के सहयोग से नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा प्रकाशित।

उद्देश्य:

- प्रौद्योगिकी एकीकरण, क्षेत्रीय फोकस और संस्थागत सुधारों के माध्यम से उन्नत विनिर्माण नेतृत्व के लिए भारत के रणनीतिक मार्ग का चार्ट बनाना।

दायरा:

- पाँच समूहों के तहत 13 उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों को कवर करता है और उत्पादन पारिस्थितिकी प्रणालियों में फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए 10-वर्ष का रोडमैप (2026–2035)।

भारत में विनिर्माण की वर्तमान स्थिति:

- विनिर्माण वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में 15-17% का योगदान देता है, जो चीन (25%) और दक्षिण कोरिया (27%) जैसे पूर्वी एशियाई समकक्षों से नीचे है।
- भारत का लक्ष्य इसे 2035 तक 25% तक बढ़ाना, 100+ मिलियन कुशल नौकरियां पैदा करना और 6.5% वैश्विक निर्यात हिस्सा प्राप्त करना है।
- ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र इस लक्ष्य के लिए केंद्रीय बने हुए हैं।

विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता:

- वैश्विक हब विजन: AI, रोबोटिक्स और डिजिटल ट्विन्स जैसी फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, भारत 2035 तक शीर्ष तीन वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में खुद को स्थान दे सकता है।
- आर्थिक लाभ: उन्नत विनिर्माण एकीकरण 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद में $270 बिलियन और 2047 तक $1 ट्रिलियन जोड़ सकता है, जिससे उच्च-मूल्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- रोज़गार सृजन: उच्च तकनीक समूहों का विस्तार 100 मिलियन से अधिक कुशल नौकरियां पैदा कर सकता है, जिससे समावेशी और टिकाऊ रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
- निर्यात बढ़ावा: भारत का व्यापारिक निर्यात वैश्विक व्यापार के 2% से 6.5% तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।
- नवाचार ड्राइव: AI, उन्नत सामग्री और रोबोटिक्स को एम्बेड करने से उत्पादन सटीकता, लचीलापन और वैश्विक स्थिरता प्रमाण-पत्र बढ़ेंगे।

मुख्य चुनौतियाँ:

- कम R&D निवेश: सकल घरेलू उत्पाद के 1% से नीचे R&D खर्च के साथ, भारत नवाचार क्षमता, पेटेंट और उच्च तकनीक उत्पाद विकास में पिछड़ रहा है।
- खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएं: सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स बाधाओं के कारण MSMEs वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ कमजोर एकीकरण का सामना करते हैं।
- कौशल की कमी: एक बड़ा कार्यबल स्वचालन और AI उपकरणों में अप्रशिक्षित रहता है, जिससे उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं को अपनाने में धीमी गति आती है।
- बुनियादी ढांचे में अंतराल: स्मार्ट औद्योगिक पार्क, 5G नेटवर्क और विश्वसनीय ऊर्जा की अनुपस्थिति वैश्विक स्तर के उत्पादन को बाधित करती है।
- नियामक अंतराल: एकीकृत डेटा शासन और प्रौद्योगिकी मानकों की कमी उद्योग-व्यापी डिजिटलीकरण और अंतर-संचालनीयता में देरी करती है।

अब तक की गई पहल:

- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM): प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में फ्रंटियर टेक अपनाने, R&D फंडिंग और नीति अभिसरण का समन्वय करता है।
- PLI योजनाएं: इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे सनराइज़ क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन-जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।
- औद्योगिक गलियारे: गति शक्ति और पीएम मित्र जैसी पहलें लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और क्लस्टर-आधारित प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं।
- मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया: आत्मनिर्भर उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करते हैं और विनिर्माण प्रक्रियाओं में डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करते हैं।
- कौशल भारत और AICTE पहलें: उद्योग-जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाते हैं और उद्योग 4.0 की जरूरतों के साथ संरेखित मॉड्यूलर कौशल को बढ़ावा देते हैं।

रिपोर्ट से मुख्य सिफारिशें:

- वैश्विक फ्रंटियर प्रौद्योगिकी संस्थान (GFTI): नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्नत R&D, परीक्षण और प्रमाणन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करें।
- प्लग एंड प्ले फ्रंटियर औद्योगिक पार्क: तैयार बुनियादी ढांचे, 5G और सिमुलेशन सुविधाओं के साथ 20 तकनीक-सक्षम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें।
- प्रौद्योगिकी पहुँच प्लेटफॉर्म: MSMEs को AI, रोबोटिक्स और स्वचालन उपकरणों तक किफायती रूप से पहुँच में मदद करने के लिए साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाएं।
- चैंपियन-आधारित मॉडल: बड़े उद्योगों को क्लस्टर-नेतृत्व वाले नवाचार और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से MSMEs को सलाह देनी चाहिए।
- विनिर्माण का सेवाकरण: मूल्य निर्माण के लिए AI और IoT द्वारा संचालित उत्पाद आउटपुट से एकीकृत सेवा समाधानों की ओर ध्यान केंद्रित करें।
- राष्ट्रीय डिजिटल बैकबोन: उत्पादन में निर्बाध डेटा विनिमय और भविष्य कहनेवाला दक्षता के लिए एक वास्तविक समय औद्योगिक IoT नेटवर्क बनाएं।
- कौशल मिशन: विशेषज्ञता को स्थानीय बनाने के लिए तमिलनाडु में रोबोटिक्स या महाराष्ट्र में हरित गतिशीलता जैसे राज्य-विशिष्ट फ्रंटियर टेक मिशन शुरू करें।

निष्कर्ष:

भारत एक विनिर्माण क्रांति के कगार पर खड़ा है जहाँ प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और परिवर्तन परिवर्तित होते हैं। फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों को गले लगाकर, भारत लागत दक्षता से वैश्विक उत्कृष्टता की ओर छलांग लगा सकता है। रोडमैप केवल "मेक इन इंडिया" की नहीं, बल्कि "इनोवेट इन इंडिया" की कल्पना करता है—2047 तक राष्ट्र के औद्योगिक भाग्य को फिर से परिभाषित करना।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)

संदर्भ:

मॉन्ट्रियल में 42वीं ICAO असेंबली के दौरान भारत को ICAO परिषद (2025-2028) के भाग II के लिए फिर से चुना गया है।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के बारे में:

यह क्या है?

- नागरिक उड्डयन में वैश्विक सहयोग की सुविधा प्रदान करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- सुरक्षित, संरक्षित और टिकाऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

स्थापना:

- 1944, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर शिकागो कन्वेंशन के तहत।
- मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा।
- सदस्यता: 193 राज्य।

उद्देश्य:

- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों का विकास और सामंजस्य स्थापित करना।
- वैश्विक विमानन की सुरक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और उचित विकास सुनिश्चित करें।
- समान हवाई संपर्क को बढ़ावा देना और कोई भी देश पीछे न छूटे।

कार्य

- मानक-सेटिंग: फ्रेम SARPs (मानक और अनुशंसित प्रथाएं)।
- चयन: ICAO परिषद (36 सदस्य) विधानसभा द्वारा हर तीन साल में चुनी जाती है।

सामरिक कार्य:

- मानक-सेटिंग: SARPs (मानक और अनुशंसित प्रथाएं) जारी करता है।
- सुरक्षा निरीक्षण: वैश्विक विमानन सुरक्षा योजना (जीएएसपी) को लागू करता है।
- हवाई नेविगेशन दक्षता: बुनियादी ढांचे और क्षमता को बढ़ाता है।
- सुरक्षा और सुविधा: विमानन और सीमा सुरक्षा को मजबूत करता है।
- आर्थिक विकास: सामंजस्यपूर्ण हवाई परिवहन ढांचे का समर्थन करता है।
- पर्यावरण संरक्षण: टिकाऊ विमानन ईंधन और जलवायु-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

भारत और ICAO:

- संस्थापक सदस्य (1944) 81 वर्षों तक परिषद में निर्बाध उपस्थिति के साथ।
- नीति, विनियमन और विमानन मानकों में सक्रिय रूप से योगदान देता है।
- सुरक्षा, संरक्षा, नवाचार और न्यायसंगत वैश्विक कनेक्टिविटी के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

राष्ट्रीय दलहन मिशन

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए ₹11,440 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय दलहन मिशन (2025-31) को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय दलहन मिशन के बारे में:

यह क्या है?

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत छह साल का केंद्रीय कार्यक्रम (2025-31)।
- दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उद्देश्य:

- घरेलू दलहन उत्पादन को 242 लाख टन (2024-25) से बढ़ाकर 2030-31 तक 350 लाख टन करना।
- नोडल मंत्रालय: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- अवधि: 2025-26 से 2030-31 (छह वर्ष)।
- बजट आवंटन: ₹11,440 करोड़।

प्रमुख विशेषताएँ:

- उत्पादन में वृद्धि: 1,130 किग्रा/हेक्टेयर की उपज उद्देश्य के साथ 310 लाख हेक्टेयर तक क्षेत्र का विस्तार करना।
- बीज सुरक्षा: 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज और 88 लाख मुफ्त बीज किट का वितरण; साथी पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाती है।
- सुनिश्चित खरीद: चार साल के लिए MSP पर अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद।
- बुनियादी ढांचा सहायता: 1,000 फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण इकाइयां प्रत्येक को ₹25 लाख तक की सब्सिडी के साथ।
- अनुसंधान और नवाचार: जलवायु-लचीली और कीट-प्रतिरोधी दलहन किस्मों के लिए बहु-स्थान परीक्षण।
- किसान प्रशिक्षण: आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

अर्थ:

- खाद्य और पोषण सुरक्षा: दालें भारतीय आहार में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत हैं।
- आयात में कमी: आयात निर्भरता में 15-20% की कटौती करता है, विदेशी मुद्रा की बचत करता है।
- किसान कल्याण: एमएसपी-आधारित आय स्थिरता और मूल्य-श्रृंखला को मजबूत करना सुनिश्चित करता है।

अनुमानित कराधान

संदर्भ:

नीति आयोग ने अपने पहले कर नीति वर्किंग पेपर (2025) में मुकदमेबाजी को कम करने, अनुपालन को सरल बनाने और स्थायी प्रतिष्ठान (PE) विवादों पर निश्चितता लाने के लिए विदेशी फर्मों के लिए एक वैकल्पिक प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव रखा।

प्रकल्पित कराधान के बारे में:

- अवधारणा: हस्तांतरण मूल्य निर्धारण या कार्यात्मक विश्लेषण के माध्यम से विस्तृत लाभ एट्रिब्यूशन के बजाय सकल प्राप्तियों के एक निश्चित मानित लाभ प्रतिशत के आधार पर कराधान।
- उद्देश्य: निश्चितता प्रदान करें, मुकदमेबाजी कम करें, अनुपालन को सरल बनाएं और पूर्वानुमानित राजस्व सुरक्षित करें।
- भारत में मौजूदा उपयोग: शिपिंग (धारा 44बी), तेल और गैस सेवाओं (44बीबी), एयरलाइंस (44बीबीए), और छोटे व्यवसायों (44एडी/44एडीए) में पहले से ही लागू है।

भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है?

1. मुकदमेबाजी-भारी शासन - पीई विवादों को हल होने में एक दशक से अधिक का समय लगता है (उदाहरण के लिए, हयात इंटरनेशनल 2025)।
2. नियमों में अस्पष्टता - "व्यापार कनेक्शन" और महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एसईपी) की व्यापक व्याख्या निवेश को रोकती है।
3. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लिगेसी – वोडाफोन जैसे मामलों ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है।

प्रस्तावित योजना कैसे काम करती है?

- उद्योग-विशिष्ट डीम्ड लाभ दर (उदाहरण के लिए, ईपीसी के लिए 10%, विपणन के लिए 15%, सेवाओं के लिए 20%, डिजिटल/ई-कॉमर्स के लिए 30%)।
- वैकल्पिक और खंडन योग्य - यदि वास्तविक लाभ कम है तो फर्म ऑप्ट इन कर सकती हैं, या ऑप्ट आउट कर सकती हैं और नियमित रिटर्न दाखिल कर सकती हैं।
- सुरक्षित बंदरगाह - यदि प्रकल्पित योजना चुनी जाती है, तो कर अधिकारी अलग से पीई अस्तित्व पर मुकदमा नहीं करेंगे।
- प्रशासनिक सादगी - ऑडिट और जटिल पुस्तकों की कम आवश्यकता; अनुपालन का बोझ कम से कम किया गया।
- संधि संगतता - वैकल्पिक प्रकृति डीटीएए के साथ संरेखण सुनिश्चित करती है।

नीति प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं:

1. वैश्विक मानदंडों के अनुरूप घरेलू कानून में पीई और लाभ एट्रिब्यूशन सिद्धांतों को संहिताबद्ध करना।

2. प्रति क्षेत्र डिज़ाइन की गई अनुमानित कराधान दरें, ऐतिहासिक लाभ मार्जिन के लिए कैलिब्रेट की गईं।
3. विवादों को कम करने के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) और आपसी समझौते की प्रक्रियाएं (एमएपी)।
4. डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित बंदरगाह - उच्च-लाभकारी, उपयोगकर्ता-गहन प्लेटफार्मों के लिए विशेष उपचार।
5. नियमों के निरंतर अनुप्रयोग के लिए कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण।
6. निवेशकों का विश् वास बनाने के लिए सार्वजनिक परामर्श तंत्र।

अपेक्षित लाभ:

- मुकदमेबाजी में कमी - तेजी से विवाद समाधान, अदालतों पर कम दबाव।
- बेहतर निवेशक विश्वास - पूर्वानुमेयता दीर्घकालिक, टिकाऊ एफडीआई को आकर्षित करती है।
- राजस्व सुरक्षा - न्यूनतम कर संग्रह सुनिश्चित करता है, यहां तक कि कम लाभ वाली या डिजिटल फर्मों से भी।
- व्यापार करने में आसानी - मेक इन इंडिया के साथ सरल अनुपालन, सरेखण।

समाचारों में अभ्यास

संदर्भ:

भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भारत की तैयारियों को मजबूत करने के लिए दो प्रमुख समुद्री अभ्यास - चेन्नई से दूर NATPOLREX-X (2025) और पश्चिमी तट पर अभ्यास कोंकण-25 - आयोजित कर रहे हैं।

अभ्यास के बारे में:

नेटपोलरेक्स-Ex 2025

- मेजबान और आयोजक: भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा 5-6 अक्टूबर, 2025 तक चेन्नई, तमिलनाडु के तट पर आयोजित किया गया।
- प्रतिभागी: केंद्रीय मंत्रालय, तटीय राज्य सरकारें, प्रमुख बंदरगाह, तेल-प्रबंधन एजेंसियां, समुद्री संगठन और 32 देशों के 40 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षक।
- उद्देश्य: समुद्री तेल रिसाव का जवाब देने के लिए भारत की राष्ट्रीय क्षमता का आकलन करना और उसे बढ़ाना और राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएसडीसीपी) के तहत अंतर-एजेंसी समन्वय का परीक्षण करना।

सुविधाएँ:

- प्रदूषण-नियंत्रण तकनीक से लैस जहाजों और विमानों की तैनाती।
- भारत की बहु-स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया रणनीति का प्रदर्शन।
- टिकाऊ समुद्री प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करें।

कोंकण-25 अभ्यास करें:

- मेजबान और शामिल राष्ट्र: भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी (यूनाइटेड किंगडम) के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, भारत के पश्चिमी तट पर 5-12 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किया गया।
- उद्देश्य: दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता, समुद्री डोमेन जागरूकता और संयुक्त परिचालन तत्परता में सुधार करना।

सुविधाएँ:

- दो चरण - बंदरगाह और समुद्री चरण - जिसमें पेशेवर आदान-प्रदान, संयुक्त कार्य समूह और जटिल समुद्री अभ्यास शामिल हैं।
- फोकस क्षेत्र: वायु-रोधी, सतह-रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध, उड़ान संचालन और नाविक विकास
- भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और ब्रिटेन के एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स (यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 25) के साथ-साथ नॉर्वे और जापान की संपत्तियां।

DRAVYA पोर्टल

संदर्भ:

आयुष मंत्रालय ने अपने पहले चरण में 100 प्रमुख औषधीय पदार्थों को डिजिटल रूप से सूचीबद्ध करने के लिए CCRAS द्वारा विकसित "DRAVYA" (Digitized Retrieval Application for Versatile Yardstick of Ayush) पोर्टल लॉन्च किया है।

DRAVYA पोर्टल के बारे में:

यह क्या है?

- DRAVYA एक एआई-रेडी डिजिटल नॉलेज रिपॉजिटरी है जो शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों से लिए गए आयुष औषधीय पदार्थों के बारे में जानकारी को समेकित करता है।

- यह आयुर्वेद और संबंधित प्रणालियों पर प्रामाणिक, साक्ष्य-आधारित डेटा को आसानी से खोजने योग्य और विश्व स्तर पर सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक गतिशील, ओपन-एक्सेस प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
- शामिल संगठन: आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) द्वारा विकसित।

उद्देश्य :

- साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और नवाचार के लिए आयुष पदार्थों पर शास्त्रीय और आधुनिक ज्ञान को डिजिटाइज़ और एकीकृत करना।
- आयुर्वेद, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और औषध विज्ञान के बीच अंतर-विषयक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक औषधीय डेटा की प्रामाणिकता, पहुंच और वैज्ञानिक सत्यापन सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- व्यापक सूची: अपने पहले चरण में 100 प्रमुख औषधीय पदार्थों को शामिल किया गया है, जो लगातार विस्तार कर रहा है।
- एआई-तैयार आर्किटेक्चर: डेटा एनालिटिक्स, अनुसंधान मानचित्रण और भविष्य के डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है।
- क्यूआर कोड एकीकरण: औषधीय पौधों के बगीचों और दवा भंडारों में उपयोग के लिए, सत्यापित डेटा का मानकीकृत प्रदर्शन सुनिश्चित करना।
- बहुआयामी डेटा: फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी और सुरक्षा जानकारी शामिल है।
- उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस: आयुष प्रणालियों में डेटा की आसान खोज, पुनर्प्राप्ति और तुलना की सुविधा प्रदान करता है।
- आयुष ग्रिड के साथ इंटरलिंकिंग: अन्य डिजिटल पहलों और अनुसंधान डेटाबेस के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है।

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन (2025-26 से 2030-31)

संदर्भ:

भारत के प्रधान मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली में दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन (2025-26 से 2030-31) का शुभारंभ किया।

दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31) के बारे में:

यह क्या है?

- दलहन उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने और दिसंबर 2027 तक आयात निर्भरता को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन।
- आधिकारिक तौर पर दलहान आत्मनिर्भरता मिशन के रूप में जाना जाता है, यह किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन रणनीतियों को एकीकृत करता है।
- नोडल मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कार्यान्वयन भागीदार:

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
- कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)
- नेफेड और एनसीसीएफ (खरीद के लिए)
- नीति आयोग (नीति और क्लस्टर सिफारिशें)
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) (साथी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल निगरानी के लिए)।
- कार्यान्वयन अवधि: 2025-26 से 2030-31
- कुल परिश्रम: ₹11,440 करोड़

उद्देश्य और उद्देश्य:

- आत्मनिर्भरता उद्देश्य : 2030-31 तक दालों के उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना।
- क्षेत्र विस्तार: 310 लाख हेक्टेयर में खेती का विस्तार करना, जिसमें 35 लाख हेक्टेयर चावल परती शामिल है।
- खरीद आश्वासन: अरहर (अरहर), उड़द और मसूर के लिए चार साल के लिए 100% MSP खरीद सुनिश्चित करें।
- बीज सहायता: 88 लाख मुफ्त बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करें।
- किसान सशक्तिकरण: सुनिश्चित कीमतों और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से लगभग 2 करोड़ किसानों को लाभान्वित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

प्रौद्योगिकी और बीज:

- बीज जीवनचक्र निगरानी के लिए साथी (बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने की क्षमता और समग्र सूची) पोर्टल का शुभारंभ।

- आईसीएआर द्वारा उच्च उपज देने वाली, कीट प्रतिरोधी, जलवायु-लचीली किस्मों का विकास।
- मूल्य श्रृंखला और प्रसंस्करण: मूल्यवर्धन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रति यूनिट 25 लाख रुपये की सब्सिडी के साथ 1,000 प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना।

संस्थागत तंत्र:

- आईसीएआर के पर्यवेक्षण के तहत राज्य-विशिष्ट रोलिंग पंचवर्षीय बीज उत्पादन योजनाएं।
- सुनिश्चित खरीद और किसान मूल्य स्थिरता के लिए पीएम-आशा के साथ एकीकरण।

क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण:

- नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार "वन ब्लॉक - वन सीड विलेज" मॉडल पर कार्यान्वयन।
- कुशल उत्पादन और वितरण के लिए एफपीओ के नेतृत्व वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करें।
- पोषण और कल्याण एकीकरण: प्रोटीन के सेवन में सुधार के लिए पीडीएस, आईसीडीएस और मिड-डे मील योजनाओं में दालों को शामिल करना।

मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (एमसीपीएस)

संदर्भ:

डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (एमसीपीएस) का 32,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो 25,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनाती में सक्षम पहली भारतीय निर्मित पैराशूट प्रणाली है।

मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) के बारे में:

यह क्या है?

- एमसीपीएस एक उन्नत उच्च ऊंचाई वाली सैन्य पैराशूट प्रणाली है जिसे विषम परिस्थितियों में विशेष बलों और पैराट्रूपर्स द्वारा फ्रीफॉल ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सामरिक मिशनों के दौरान उच्च ऊंचाई से सुरक्षित, नियंत्रित और सटीक लैंडिंग को सक्षम बनाता है।
- इस प्रणाली को डीआरडीओ की दो प्रयोगशालाओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (एडीआरडीई), आगरा, और
- रक्षा बायोइंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला (डीईबीईएल), बेंगलुरु।
- उद्देश्य: एक पूरी तरह से स्वदेशी, उच्च-प्रदर्शन वाली हवाई वितरण प्रणाली बनाना जो विशेष अभियानों के लिए आयातित पैराशूट पर निर्भरता को समाप्त करके भारत की रणनीतिक और परिचालन स्वायत्तता को बढ़ाती है।

प्रमुख विशेषताएं:

- उच्च ऊंचाई क्षमता: 25,000 फीट से ऊपर कुशलता से संचालित होता है, 32,000 फीट पर परीक्षण किया जाता है - जो किसी भी भारतीय प्रणाली के लिए उच्चतम है।
- बढ़ी हुई सुरक्षा: इसमें कम दर अवरोहण और बेहतर स्टीयरिंग नियंत्रण है, जो स्थिर, सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करता है।
- नेविगेशन संगतता: विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता के बिना सटीक जियोलोकेशन के लिए NaVIC (भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन) के साथ एकीकृत।
- परिचालन लचीलापन: युद्ध की स्थिति में पूर्व-निर्धारित ऊंचाई तैनाती और सटीक क्षेत्र नेविगेशन की अनुमति देता है।
- रखरखाव लाभ: त्वरित बदलाव और आसान मरम्मत क्षमता, आयातित प्रणालियों की तुलना में उच्च जीवनकाल उपयोगिता प्रदान करती है।

अर्थ:

- हवाई वितरण प्रणालियों में आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भरता) में एक बड़ी छलांग है।
- हवाई लड़ाकू गियर के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता समाप्त करके रणनीतिक भेद्यता को कम करता है।

उड़ान योजना

संदर्भ:

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना – उड़ान की 9वीं वर्षगांठ मनाई, जो भारत के क्षेत्रीय विमानन विकास में एक मील का पत्थर है।

उड़ान योजना के बारे में:

यह क्या है?

- उड़ान ("उड़े देश का आम नागरिक") प्रमुख क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) है जो दूरदराज के और क्षेत्रीय क्षेत्रों को प्रमुख शहरों से जोड़कर आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई है।
- राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) के तहत 21 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया, जिसमें 27 अप्रैल 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच पहली उड़ान शुरू हुई।

उद्देश्य :

- इस योजना का उद्देश्य किफायती उड़ानों के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों को जोड़कर विमानन का लोकतंत्रीकरण करना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना और संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ): किराए को किफायती रखने के लिए एयरलाइनों को वित्तीय सहायता।
- हवाई किराए की सीमा: यह सुनिश्चित करता है कि टिकट की कीमतें आम नागरिक की पहुंच के भीतर रहें।
- प्रोत्साहन ढांचा: हवाई अड्डे के शुल्क पर छूट और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर कर रियायतें।
- बहु-हितधारक शासन: समन्वित कार्यान्वयन के लिए MoCA, राज्य सरकारों, AAI और निजी ऑपरेटरों को शामिल करता है।
- उड़ान 5.5 और सीप्लेन दिशानिर्देश (2024): जल हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के लिए विस्तारित कवरेज, अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।

अब तक की सफलता:

- 93 हवाई अड्डों, 15 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डों में 649 मार्ग परिचालित हैं।
- उड़ान की 3.23 लाख उड़ानों के माध्यम से 1.56 करोड़ यात्रियों ने सेवा की।
- वीजीएफ के रूप में 4,300 करोड़ रुपये से अधिक और क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास में 4,638 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।
- भारत का हवाई अड्डा नेटवर्क 74 हवाई अड्डों (2014) से दोगुना होकर 159 (2024) हो गया।
- कृषि उड़ान और उड़ान यात्री कैफे जैसी पहल ग्रामीण हवाई रसद और समावेशिता को और बढ़ावा देती हैं।

ब्लू फ्लैग समुद्र तट

संदर्भ:

महाराष्ट्र के पांच समुद्र तटों - श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर - को फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (एफईई), डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है

ब्लू फ्लैग समुद्र तटों के बारे में:

यह क्या है?

- ब्लू फ्लैग एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल है जो समुद्र तटों, मरीना और टिकाऊ नौकायन पर्यटन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रबंधन के कड़े मानकों को पूरा करते हैं।
- संगठन शामिल: प्रमाणन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (एफईई), डेनमार्क द्वारा प्रदान किया जाता है, जो एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जो शिक्षा और प्रमाणन के माध्यम से स्थायी पर्यावरण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।
- भारत 2018 में आधिकारिक तौर पर ब्लू फ्लैग कार्यक्रम में शामिल हुआ।

उद्देश्य :

- ब्लू फ्लैग कार्यक्रम का उद्देश्य स्थायी तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना और आगंतुकों और स्थानीय समुदायों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल मनोरंजन स्थान सुनिश्चित करना है।

मानदंड (छह प्रमुख क्षेत्र):

- पर्यावरण शिक्षा और जुड़ाव: स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- जलवायु कार्रवाई: ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचे और तटीय कटाव और समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रति लचीलेपन को प्रोत्साहित करता है।
- जैव विविधता प्रबंधन: वन्यजीव आवासों की रक्षा और तटीय वनस्पति को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- प्रदूषण और जल गुणवत्ता: शीर्ष श्रेणी के जल परीक्षण, अपशिष्ट पृथक्करण और प्लास्टिक और तेल प्रदूषण के नियंत्रण को अनिवार्य करता है।
- अभिगम्यता: सुविधाओं और सेवाओं को विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए समावेशी और सुलभ होने की आवश्यकता है।
- सुरक्षा और सेवाएँ: आगंतुकों की सुरक्षा के लिए लाइफगार्ड, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन योजनाएँ लागू करता है।

वर्तमान भारत ब्लू फ्लैग स्थिति (2025 तक):

- कुल प्रमाणित समुद्र तट: 13 + 5 नए (कुल 18 समुद्र तट) पूरे भारत में ब्लू फ्लैग समुद्र तट।
- हाल ही में जोड़े गए हैं: महाराष्ट्र के पांच समुद्र तटों - श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर - को 2025 में प्रमाणन प्राप्त हुआ।

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस

संदर्भ:

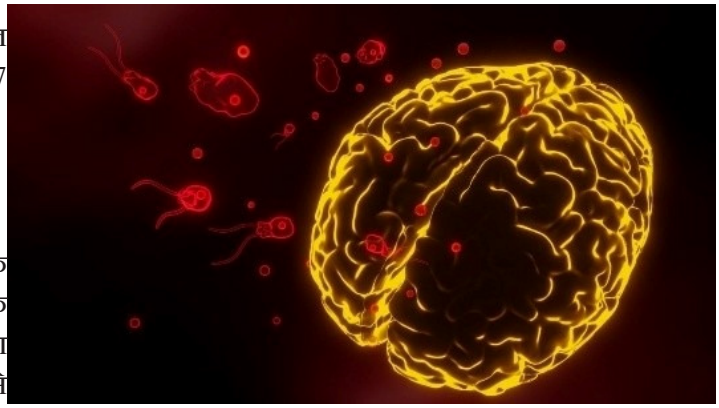

केरल ने अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के कारण एक और मौत की सूचना दी है, जिससे 2025 में राज्य में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है।

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के बारे में:

यह क्या है?

- अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, या प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (पीएएम), एक दुर्लभ लेकिन घातक मस्तिष्क संक्रमण है जो एक मुक्त-जीवित अमीबा के कारण होता है जो मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है, जिससे गंभीर सूजन और सूजन होती है।
- प्रेरक एजेंट: यह नेगलेरिया फाउलेरी के कारण होता है, जिसे आमतौर पर "मस्तिष्क खाने वाले अमीबा" के रूप में जाना जाता है।

वेक्टर और ट्रांसमिशन:

- यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है।
- संक्रमण तब होता है जब दूषित मीठे पानी (झीलों, तालाबों या बिना क्लोरीनयुक्त पूल से) नाक गुहा में प्रवेश करता है, जिससे अमीबा घ्राण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक यात्रा कर सकता है।
- यह गर्म मीठे पानी और मिट्टी में पनपता है, खासकर गर्मी के महीनों के दौरान।
- कहाँ पाया जाता है: नेगलेरिया फाउलेरी गर्म मीठे पानी के निकायों में पाया जाता है - जैसे कि झीलों, नदियों, गर्म झरनों, और खराब रखरखाव वाले स्विमिंग पूल - विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में।

लक्षण:

- प्रारंभिक लक्षण (एक्सपोजर के 1-9 दिन बाद): सिरदर्द, बुखार, मतली, उल्टी।
- उन्नत लक्षण: गर्दन में अकड़न, भ्रम, संतुलन खोना, दौरे, मतिभ्रम और कोमा - इलाज न किए जाने पर दिनों के भीतर मृत्यु हो सकती है।

उपचार:

- उपचार चुनौतीपूर्ण है; मृत्यु दर 95% से अधिक है।
- कुछ बचे लोग एम्फोटेरिसिन बी, मिल्टेफोसिन और सहायक देखभाल के शुरुआती प्रशासन के साथ ठीक हो गए हैं।
- रोकथाम में अनुपचारित मीठे पानी में तैरने से बचना, नाक क्लिप का उपयोग करना और पूल के उचित क्लोरीनीकरण को बनाए रखना शामिल है।

'23for23' पहल

संदर्भ:

भारत ने राष्ट्रव्यापी '#23for23' अभियान के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस (23 अक्टूबर, 2025) मनाया।

- सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय हिम तेंदुए की जनगणना का भी अनावरण किया, जिसमें भारतीय हिमालय में 718 व्यक्तियों को दर्ज किया गया।

'23for23' पहल के बारे में:

यह क्या है?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा समुदाय संचालित भागीदारी के माध्यम से हिम तेंदुए के संरक्षण में नागरिकों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

उद्देश्य:

- हिम तेंदुए के आवासों और संरक्षण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम (जीएसएलईपी) के तहत भारत के उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा में सार्वजनिक भागीदारी को प्रेरित करना।

भारत में हिम तेंदुए की जनगणना (2025) के मुख्य निष्कर्ष:

- कुल गणना: जनगणना में भारत के हिमालयी परिदृश्य में 718 व्यक्तिगत हिम तेंदुओं को दर्ज किया गया – जो पहला आधिकारिक राष्ट्रव्यापी अनुमान है।

क्षेत्रीय वितरण:

- लद्दाख: 477 व्यक्ति- भारत में सबसे अधिक आबादी।
- हिमाचल प्रदेश: 51 व्यक्ति।
- उत्तराखंड: 71 व्यक्ति।
- अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम: कुल 61 व्यक्ति।
- जम्मू और कश्मीर (लद्दाख को छोड़कर): 58 व्यक्ति।
- सहयोगी एजेंसियां: MoEFCC के नेतृत्व में, WWF-India, स्नो लेपर्ड ट्रस्ट और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के तहत स्थानीय समुदायों द्वारा समर्थित।

हिम तेंदुए के बारे में:

यह क्या है?

- मध्य और दक्षिण एशिया की उच्च ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं की मूल निवासी एक मध्यम आकार की बड़ी बिल्ली की प्रजाति, जो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख प्रजाति के रूप में अपने मायावी व्यवहार और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका के लिए जानी जाती है।

वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा अनसिया

IUCN स्थिति: असुरक्षित

- पर्यावास (वैश्विक): भारत, नेपाल, चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान सहित 12 देशों में पाया जाता है, जो आमतौर पर ठंडे, शुष्क और चट्टानी इलाकों में 3,000-5,000 मीटर की ऊंचाई के बीच होता है।
- पर्यावास (भारत): हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश - में वितरित किया गया है - जिसमें प्रमुख उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं।

लक्षण:

- ऊंचाई: ~ 60 सेमी; लंबाई: 100-130 सेमी; वजन: 35-55 किलो।
- गहरे रोसेट के साथ धुएँ के रंग का भूरा फर; चट्टानी ढलानों के खिलाफ उत्कृष्ट छलावरण।
- एकान्त और crepuscular (भोर और शाम के समय सक्रिय)।
- मूक शिकारी - अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत, हिम तेंदुए दहाड़ नहीं सकते।
- हर दो साल में प्रजनन करता है, 1-2 शावकों को जन्म देता है, जिससे जनसंख्या की वसूली धीमी हो जाती है।
- अपनी चुपके और दुर्लभता के कारण "पहाड़ों का भूत" के रूप में जाना जाता है।

रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) 2025

संदर्भ:

रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 जारी की। 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी, नई मैनुअल का उद्देश्य सालाना लगभग ₹1 लाख करोड़ की राजस्व खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाना है.

रक्षा खरीद मैनुअल (DPM) 2025 के बारे में:

यह क्या है?

- रक्षा खरीद नियमावली 2025 सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा राजस्व खरीद के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश है, जो पहले के डीपीएम 2009 का स्थान लेता है। यह परिचालन तैयारियों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है।

उद्देश्य :

- सभी रक्षा सेवाओं में खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाना।
- व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और रक्षा विनिर्माण में एमएसएमई और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना।
- खरीद कार्यों में निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- व्यापार में आसानी: निर्णय लेने में तेजी लाने और नौकरशाही की देरी को कम करने के लिए संशोधित प्रक्रियाएं।
- छूट जुर्माना: प्रमुख देरी के लिए 10% और स्वदेशीकरण परियोजनाओं के लिए 0.1% प्रति सप्ताह (पहले 0.5%) पर सीमित परिसमापन क्षति (LD) है।
- दीर्घकालिक आदेश: स्वदेशी रूप से विकसित वस्तुओं के लिए 5 साल और उससे अधिक तक के सुनिश्चित आदेशों का प्रावधान।
- कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं: आयुध निर्माणी बोर्ड से एनओसी की आवश्यकता को हटा दिया गया है, जिससे विक्रेता की भागीदारी सरल हो गई है।
- खरीद सीमा: ₹50 लाख तक सीमित निविदा पूछताछ की अनुमति; इसके अलावा, असाधारण मामलों में अनुमेय।
- विकास प्रावधान: प्लेटफॉर्म की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए जहाज की मरम्मत और विमानन ओवरहाल कार्य के लिए अग्रिम 15% की वृद्धि की अनुमति दी गई है।
- संरचित प्रारूप: दो खंडों में विभाजित - खंड I (मुख्य प्रावधान) और खंड II (प्रपत्र, परिशिष्ट और सरकारी आदेश)।

नए बिंदु जोड़े गए:

- नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी खरीद
- परामर्श और गैर-परामर्श सेवाएं

अर्थ:

- स्वदेशी डिजाइन और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करता है।
- सशस्त्र बलों के सभी अंगों में एकरूपता और पारदर्शिता बढ़ाता है।
- रक्षा तत्परता को बढ़ावा देते हुए समय पर और जवाबदेह खरीद की सुविधा प्रदान करता है।

महा मेडटेक मिशन

संदर्भ:

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने ICMR और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए महा मेडटेक मिशन शुरू किया है।

महा मेडटेक मिशन के बारे में:

यह क्या है?

- उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन (MAHA)-मेडटेक भारत में अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के नवाचार, विनिर्माण और व्यावसायीकरण में तेजी लाने, स्वास्थ्य सेवा में पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है।

शामिल संगठन:

- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ), इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया।

उद्देश्य :

- उच्च लागत वाले चिकित्सा आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, घरेलू क्षमता को मजबूत करना, और तपेदिक, कैंसर और नवजात देखभाल जैसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों और निदान तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- फंडिंग सहायता: स्टार्टअप, एमएसएमई, शैक्षणिक, अस्पताल और उद्योग सहयोग के लिए प्रति परियोजना ₹5-25 करोड़ (असाधारण मामलों के लिए ₹50 करोड़ तक)।
- व्यापक दायरा: इसमें उपकरण, निदान, प्रत्यारोपण, एआई/एमएल-आधारित उपकरण, रोबोटिक्स और सहायक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
- सक्षम फ्रेमवर्क: आईपी सुरक्षा के लिए पेटेंट मित्र, नियामक मंजूरी के लिए मेडटेक मित्र और सत्यापन के लिए एक नैदानिक परीक्षण नेटवर्क शामिल है।
- दो-चरण चयन: अवधारणा नोट्स (सितंबर-नवंबर 2025) के बाद पूर्ण प्रस्ताव (दिसंबर 2025 से)।

अर्थ:

- चिकित्सा प्रौद्योगिकी में भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करता है।
- प्रयोगशाला से बाजार तक उद्योग-अकादमिक सहयोग और अनुसंधान अनुवाद को बढ़ावा देता है।

चक्रवात मंथा

संदर्भ:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए हाई अलर्ट जारी किया है क्योंकि चक्रवात मंथा काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच लैंडफॉल करने के लिए तैयार है।

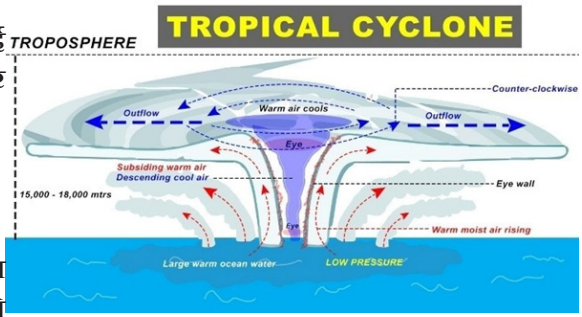

चक्रवात मंथा के बारे में:

यह क्या है?

- चक्रवात मंथा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है जो दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसके भारत के पूर्वी तट के पास पहुंचने पर एक गंभीर चक्रवाती तूफान (एससीएस) में बदलने की उम्मीद है, जिससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आसपास के राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।

मूल:

- तूफान की उत्पत्ति दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरे दबाव के रूप में हुई थी, जो गर्म समुद्र के तापमान, कम ऊर्ध्वाधर हवा के अपरूपण और उच्च आर्द्रता के कारण ताकत हासिल कर रही है, जो इस क्षेत्र में चक्रवात के निर्माण के लिए अनुकूल स्थितियां हैं।

चक्रवात कैसे बनते हैं?

- कम दबाव केंद्र: गर्म समुद्र का पानी (26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर) हवा को ऊपर उठाने का कारण बनता है, जिससे कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है।
- संघनन और ऊर्जा: जैसे ही नम हवा ऊपर उठती है, यह संघनित होती है और गुप्त गर्मी छोड़ती है, जिससे चक्रवात को बढ़ावा मिलता है।
- कोरिओलिस प्रभाव: पृथ्वी के घूमने से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त सर्पिल होती हैं, जिससे एक घूर्णन तूफान प्रणाली बनती है।
- विकास चरण: विक्षोभ □ गहरे अवसाद □ गहरे अवसाद □ चक्रवाती तूफान □ गंभीर चक्रवात □ सुपर साइक्लोन (हवा की गति के आधार पर)।

चक्रवातों का नामकरण:

- जिम्मेदार निकाय: उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों का नाम WMO/ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन (PTC) के तहत देशों द्वारा रखा जाता है - जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) की एक संयुक्त पहल है।
- सदस्य देश (13 देश): भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।

नामकरण प्रक्रिया:

- प्रत्येक देश पैनल को 13 सुझाए गए नाम प्रस्तुत करता है।
- आईएमडी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) क्षेत्रीय सूची को बनाए रखता है और नए चक्रवातों के बनने पर क्रमिक रूप से नाम निर्दिष्ट करता है।
- वर्तमान सूची (2020 में जारी) में कुल 169 नाम हैं।
- "मंथा" थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था जो 2020 की इस सूची से 13 सदस्य देशों में से एक है।

भारत में बुजुर्ग

संदर्भ:

हाल ही में पीआईबी की एक विज्ञप्ति ने वृद्ध आबादी की ओर भारत के तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रेखांकित किया, जिसके 2036 तक 230 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

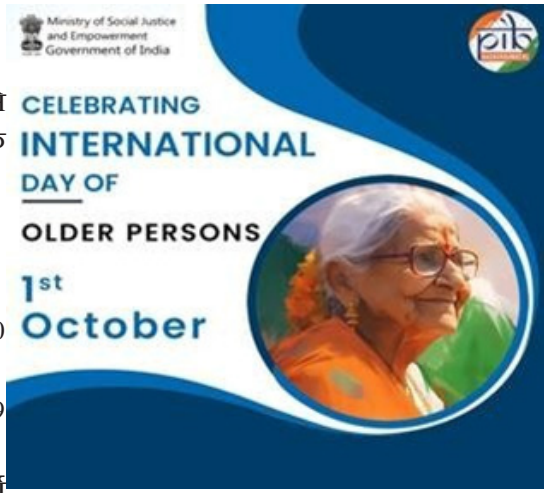

भारत में बुजुर्गों के बारे में:

वर्तमान डेटा और सांख्यिकी

- भारत की बुजुर्ग आबादी (60+) 2011 में 100 मिलियन से बढ़कर 2036 तक 230 मिलियन होने की उम्मीद है, जो कुल आबादी का 15% है।
- LASI 2021 के अनुसार, बुजुर्गों की आबादी 12% है, जिसके 2050 तक 319 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
- बुजुर्गों के बीच लिंग अनुपात: प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,065 महिलाएं; 58% बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनमें से 54% विधवा हैं।

- केरल में बुजुर्गों की हिस्सेदारी सबसे अधिक (2036 तक 23%) होगी; उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों की संख्या में सबसे तेजी देखने को मिलेगी।
- निर्भरता अनुपात प्रति 100 कामकाजी आयु के व्यक्तियों पर 62 आश्रित है, जो बढ़ते सामाजिक-आर्थिक दबाव को उजागर करता है।
- भारत में बुजुर्गों का महत्व:
- सामाजिक पूंजी: बुजुर्ग गहरे सांस्कृतिक, नैतिक और पारिवारिक ज्ञान रखते हैं, जो अंतर-पीढ़ीगत मूल्यों और परंपराओं को सहारा देते हैं।
- आर्थिक योगदानकर्ता: वे उभरती हुई "चांदी की अर्थव्यवस्था" को चलाते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल, आवास और वित्तीय उत्पादों की मांग पैदा होती है।
- ज्ञान भंडार: उनका अनुभव शासन, शिक्षा और सामुदायिक नेतृत्व भूमिकाओं को समृद्ध करता है।
- जनसांख्यिकीय अनिवार्यता: सतत विकास, सामाजिक सामंजस्य और स्वास्थ्य देखभाल समानता के लिए उम्र बढ़ने को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
- नैतिक दायित्व: बड़ों का कल्याण अनुच्छेद 41 (काम करने का अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार) और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है।

बुजुर्गों के लिए सरकारी पहल:

1. अटल पेंशन योजना (एपीवाई): असंगठित श्रमिकों को गारंटीकृत पेंशन (₹1,000-₹5,000/माह) प्रदान करती है; 8.27 करोड़ सब्सक्राइबर (2025)।
2. अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY): वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक समावेशन, देखभाल और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने वाला व्यापक कार्यक्रम।
3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी): देश भर में 696 वृद्धाश्रमों और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को वित्त पोषित करता है।
4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई): गरीब बुजुर्गों को श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर और डेन्चर जैसे सहायक उपकरण प्रदान करती है।
5. एसएजीई और सेक्रेड पोर्टल: 60+ आयु वर्ग के नागरिकों के लिए बुजुर्गों की देखभाल स्टार्ट-अप और पुन: रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
6. बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई): 713 जिलों में प्राथमिक और तृतीयक स्तरों पर वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।
7. एल्डरलाइन: शिकायत निवारण, परामर्श और आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन।
8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस): 60+ और 80+ आयु वर्ग के बीपीएल बुजुर्गों के लिए मासिक पेंशन।
9. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम (2007 और संशोधन 2019): बुजुर्ग माता-पिता को बनाए रखने और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए बच्चों पर कानूनी दायित्व।

बुजुर्गों के सामने चुनौतियाँ:

- स्वास्थ्य असुरक्षा: भारत को मधुमेह और मनोभ्रंश जैसी पुरानी बीमारियों के बढ़ते मामलों और बुजुर्गों के लिए सीमित मानसिक स्वास्थ्य सहायता या विशेष अस्पतालों के साथ अपर्याप्त वृद्धावस्था देखभाल बुनियादी ढांचे का सामना करना पड़ रहा है।
- आर्थिक भेद्यता: पेंशन कवरेज संकीर्ण बना हुआ है, जिससे कई वरिष्ठ नागरिकों-विशेष रूप से विधवा या ग्रामीण महिलाओं को बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल और रहने की लागत के बीच जीवित रहने के लिए परिवार या अनौपचारिक काम पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- सामाजिक अलगाव: शहरी प्रवास और संयुक्त परिवारों की गिरावट ने पारंपरिक देखभाल प्रणालियों को नष्ट कर दिया है, जिससे कई बुजुर्ग भावनात्मक रूप से उपेक्षित और सामाजिक रूप से डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
- डिजिटल डिवाइड: स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता तक सीमित पहुंच वृद्ध वयस्कों को टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी कल्याण प्लेटफार्मों से बाहर करती है।
- बुनियादी ढांचे में अंतराल: शहरी स्थान वरिष्ठ नागरिकों के लिए असुरक्षित और अमित्र बने हुए हैं, परिवहन में खराब पहुंच, रैंप, रेलिंग और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की कमी है।

आगे की राह:

- सिल्वर इकोनॉमी को मजबूत करना: वृद्धावस्था को आर्थिक अवसर में बदलने के लिए बुजुर्ग देखभाल प्रौद्योगिकी, बीमा मॉडल और सेवानिवृत्ति घरों में नवाचार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- एकीकृत नीति ढांचा: बुजुर्ग कल्याण नीतियों के एकीकृत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, वित्त और आवास मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना।
- वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा का विस्तार: जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था वार्ड स्थापित करना और सस्ती और सुलभ वरिष्ठ स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष्मान भारत के तहत टेलीमेडिसिन को बढ़ाना।
- सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना: बुजुर्गों की देखभाल को पेशेवर बनाने के लिए पेंशन योजनाओं को सार्वभौमिक बनाना और राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के माध्यम से औपचारिक देखभाल करने वाले प्रशिक्षण का विस्तार करना।
- डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना: डिजिटल साक्षरता अंतर को पाटते हुए ई-गवर्नेंस उपकरण, डिजिटल भुगतान और टेलीहेल्थ सेवाएं सीखने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करना।

- सामुदायिक जुड़ाव: बुजुर्गों के प्रति सहानुभूति, पारिवारिक बंधन और सम्मान पैदा करने के लिए स्कूलों और समुदायों में नैतिक पटम जैसी अंतर-पीढ़ीगत पहलों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत की बढ़ती आबादी एक सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक अवसर दोनों का प्रतीक है। देखभाल, समावेश और गरिमा के माध्यम से बुजुर्गों को सशक्त बनाना देश की नैतिक और विकासात्मक परिपक्वता को परिभाषित करेगा। भविष्य के लिए तैयार भारत को अपने वरिष्ठ नागरिकों को आश्रित के रूप में नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 की यात्रा में सक्रिय भागीदार के रूप में व्यवहार करना चाहिए।

कोइला शक्ति डैशबोर्ड

संदर्भ:

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने दो प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म – कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान (CLAMP) पोर्टल लॉन्च किया।

कोयला शक्ति डैशबोर्ड के बारे में:

यह क्या है?

- कोयला मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित एक स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड (एससीएडी) है जो खदान से बाजार तक पूरी कोयला मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करता है।
- संगठन: कोयला मंत्रालय द्वारा विकसित और अनुरक्षित।
- उद्देश्य: बेहतर परिचालन दक्षता के लिए वास्तविक समय की निगरानी, डेटा एकीकरण और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सक्षम करके भारत के कोयला पारिस्थितिकी तंत्र की डिजिटल रीढ़ के रूप में कार्य करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- एकीकृत दृश्यता: कोयला उत्पादन, रसद और खपत से डेटा को एक ही इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है।
- वास्तविक समय की निगरानी: लाइव एनालिटिक्स के साथ रेल, सड़क और मल्टीमॉडल सिस्टम के माध्यम से कोयले की आवाजाही को ट्रैक करता है।
- डेटा-संचालित शासन: मांग पूर्वानुमान और संसाधन आवंटन के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण सक्षम बनाता है।
- घटना प्रतिक्रिया प्रणाली: परिचालन व्यवधानों के लिए अलर्ट प्रदान करता है और तेजी से निवारण का समर्थन करता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: खुली और निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के लिए केपीआई प्रदर्शित करता है।

CLAMP पोर्टल के बारे में:

यह क्या है?

- कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान (क्लैंप) पोर्टल कोयला उत्पादक क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और अनुसंधान एवं पुनर्वास प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल समाधान है।
- उद्देश्य: रिकॉर्ड, भुगतान और अंतर-एजेंसी समन्वय को डिजिटाइज़ करके समयबद्ध, पारदर्शी और न्यायसंगत भूमि प्रबंधन सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ़्लो: भूमि रिकॉर्ड अपलोड करने से लेकर अंतिम मुआवजे के भुगतान तक।
- केंद्रीय भंडार: अद्यतन भूमि स्वामित्व और मुआवजे के विवरण को बनाए रखता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: मानवीय विवेक और प्रक्रियात्मक देरी को कम करता है।
- सार्वजनिक उपक्रमों में एकीकरण: कोयला सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य विभागों और जिला प्राधिकरणों को जोड़ता है।
- नागरिक-केंद्रित शासन: निष्पक्ष और शीघ्र पुनर्वास और पुनर्वास सुनिश्चित करता है।

मॉडल युवा ग्राम सभा पहल

संदर्भ:

पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से लोकतांत्रिक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में मॉडल युवा ग्राम सभा (MYGS) पहल शुरू की।

मॉडल युवा ग्राम सभा पहल के बारे में:

यह क्या है?

- मॉडल यूथ ग्राम सभा (MYGS) एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक ग्राम सभाओं के कामकाज का अनुकरण

करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। यह युवाओं के बीच नागरिक जागरूकता, नेतृत्व और सहभागी शासन को प्रोत्साहित करता है।

संगठन:

- पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया।
- जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), और राज्य सरकार के स्कूलों द्वारा समर्थित।

उद्देश्य :

- अनुभवात्मक और गतिविधि-आधारित शिक्षा के माध्यम से छात्रों के बीच लोकतांत्रिक नेतृत्व का पोषण करना।
- जिम्मेदार, सहभागी और समुदाय-उन्मुख नागरिकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ तालमेल बिठाना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- देश भर में 1,000+ स्कूलों में कार्यान्वयन।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल और एक समर्पित एमवाईजीएस डिजिटल पोर्टल का एकीकरण।
- मॉक ग्राम सभा सत्रों के माध्यम से टीम वर्क, पारदर्शिता और निर्णय लेने से सीखने, टीम वर्क को बढ़ावा देता है।
- शहर के छात्रों के लिए मॉडल वार्ड सभाओं के माध्यम से मॉडल को शहरी क्षेत्रों में विस्तारित करने की योजना है।

अर्थ:

- शिक्षा को शासन से जोड़ता है, छात्रों को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदार बनाता है।
- युवाओं में जमीनी स्तर पर जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी को मजबूत करता है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (एनबीएस)

संदर्भ:

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उनकी सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (NBS) के बारे में:

परिभाषा:

- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) उर्वरक विभाग के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो किसानों के लिए सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों में पोषक तत्व सामग्री (एन, पी, के, एस) के प्रति किलोग्राम एक निश्चित सब्सिडी प्रदान करती है।
- लॉन्च: 1 अप्रैल 2010 को गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए पहले की उत्पाद-आधारित सब्सिडी प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हुए पेश किया गया।
- कार्यान्वयन संगठन: उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित।

उद्देश्य :

- किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना।
- मिट्टी और फसल की आवश्यकताओं के आधार पर संतुलित उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना।
- उर्वरक उद्योग को दक्षता, लागत-प्रभावशीलता और प्रतिस्पर्धा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी: प्रति उत्पाद सब्सिडी के बजाय N, P, K और S पोषक तत्वों के लिए निश्चित सब्सिडी (₹/किग्रा)।
- एमआरपी निर्धारण में स्वतंत्रता: उर्वरक कंपनियां सरकार द्वारा निगरानी में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) उचित रूप से निर्धारित कर सकती हैं।
- कवरेज: डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड पर लागू होता है।
- विशेष सहायता: सरकार वैश्विक अस्थिरता के बीच कीमतों को स्थिर करने के लिए एनबीएस दरों के अलावा विशेष पैकेज (उदाहरण के लिए, डीएपी के लिए) की घोषणा कर सकती है।
- यूरिया अपवाद: यूरिया वैधानिक मूल्य नियंत्रण के तहत है, मार्च 2018 से प्रति 45 किलोग्राम बैग ₹242 की निश्चित एमआरपी के साथ।

अर्थ:

- किफायती उर्वरक: किसानों को रियायती कीमतों पर आवश्यक पीएंडके उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- पोषक तत्व संतुलन: विवेकपूर्ण और मिट्टी-विशिष्ट उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देता है, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता से बचता है।
- राजकोषीय दक्षता: उर्वरक कंपनियों को पारदर्शी और पूर्वानुमानित सब्सिडी वितरण प्रदान करता है।

समाचार में सैन्य अभ्यास

संदर्भ:

भारत और दक्षिण कोरिया ने बुसान नेवल हार्बर में अपने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन संस्करण का आयोजन किया, जो भारत-प्रशांत समुद्री सहयोग में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

- इसके साथ ही, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्राहिंद 2025 और रूस के साथ इंद्र 2025 की भी शुरुआत की, जो अपनी विस्तारित रक्षा साझेदारी को प्रदर्शित करता है।

समाचार में सैन्य अभ्यास के बारे में:

भारत-कोरिया गणराज्य नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास:

- शामिल राष्ट्र: भारत और दक्षिण कोरिया
- मेजबान स्थान: बुसान नेवल हार्बर, दक्षिण कोरिया
- उद्देश्य: नौसैनिक पारस्परिकता बढ़ाना, समुद्री साझेदारी को मजबूत करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएँ:

1. दो चरणों में आयोजित किया जाता है- बंदरगाह चरण (क्रॉस-डेक यात्राएं, प्रशिक्षण) और समुद्री चरण (आईएनएस सह्याद्री और आरओकेएस ग्योंगनाम के बीच संयुक्त अभियान)।
2. भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आपसी सीखने, परिचालन तालमेल और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना।

सैन्य अभ्यास 'ऑस्ट्राहिंद 2025':

- शामिल राष्ट्र: भारत और ऑस्ट्रेलिया
- मेजबान स्थान: पर्थ, ऑस्ट्रेलिया
- उद्देश्य: उप-पारंपरिक युद्ध और शहरी अभियानों में सैन्य सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएँ:

1. खुले और अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त कंपनी-स्तरीय सामरिक अभ्यास।
2. उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण और दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभियानों पर जोर।

सैन्य अभ्यास 'इंद्र 2025':

- शामिल राष्ट्र: भारत और रूस
- मेजबान स्थान: महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान
- उद्देश्य: भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी समन्वय और परिचालन तत्परता में सुधार करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

1. इसमें लाइव-फायर अभ्यास, यूएवी टोही और रेगिस्तानी परिस्थितियों में सटीक हमले शामिल हैं।
2. आधुनिक संघर्ष परिदृश्यों के लिए बंधक-बचाव मिशन, तोपखाने समन्वय और संयुक्त सामरिक योजना पर ध्यान केंद्रित करें।

8 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत और बहुध्रुवीय पश्चिम: चुनौतियाँ और अवसर

संदर्भ:

भारत की विदेश नीति विकसित होते "बहुध्रुवीय पश्चिम" के अनुकूल बन रही है, जो पश्चिमी शक्तियों के बीच आंतरिक विभाजन और यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की खोज से चिह्नित है। यह बदलता संतुलन भारत के लिए वैश्विक जुड़ाव और विविध साझेदारी के नए अवसर प्रदान करता है।

बहुध्रुवीय पश्चिम के बारे में: चुनौतियाँ और अवसर

बदलते पश्चिम में रुझान:

- रणनीतिक स्वायत्तता का उदय: मैक्रॉन और वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में यूरोप, अमेरिका से रक्षा, तकनीकी और आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश कर रहा है।
- शक्ति का बहुलवाद: पश्चिमी एकता कई केंद्रों—अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूके, जापान—को रास्ता दे रही है, जिनमें से प्रत्येक अलग वैश्विक भूमिकाएँ निभा रहा है।
- मध्य शक्तियों का पुनरुत्थान: भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर यूरोप के साथ तेजी से साझेदारी कर रहे हैं।

पश्चिम के बीच आंतरिक विभाजन के कारण:

- अमेरिकी राष्ट्रवाद: डोनाल्ड ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ने विश्वास को कम किया, नाटो, व्यापार समझौतों और वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठाए।
- अलग-अलग खतरे की धारणाएँ: यूरोप रूस को प्राथमिकता देता है; जबकि अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगी चीन को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- आर्थिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्विता: डेटा संप्रभुता, औद्योगिक सब्सिडी और एआई नियमों पर विवादों ने ट्रांस-अटलांटिक दरार को गहरा किया।
- सांस्कृतिक और वैचारिक ध्रुवीकरण: अमेरिकी दक्षिणपंथी द्वारा संस्कृति युद्धों का निर्यात और उदार मानदंडों में घटता विश्वास यूरोपीय भागीदारों को अस्थिर करता है।

बहुध्रुवीय पश्चिम के निहितार्थ:

- भारत के लिए अवसर: एक खंडित पश्चिम भारत को यूरोपीय संघ, यूके और अमेरिका के साथ एक साथ विविध साझेदारी बनाने देता है।
- सामूहिक प्रतिक्रिया का कमजोर होना: फूट चीन और रूस जैसी सत्तावादी शक्तियों के खिलाफ पश्चिमी संकल्प को कम कर सकती है।
- क्षेत्रीय संतुलन का उदय: यूरोप का आत्मनिर्भरता और हिंद-प्रशांत आउटरीच वैश्विक संरेखण और व्यापार गलियारों को नया आकार देता है।
- भारतीय चपलता की मांग: पश्चिमी बहुलवाद से लाभ उठाने के लिए, भारत को आंतरिक रूप से सुधार करना चाहिए—अपनी अर्थव्यवस्था और कूटनीति दोनों का आधुनिकीकरण करना चाहिए।

भारत की विस्तृत भूमिका:

- गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण तक: भारत ने तटस्थता से रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए विविध वैश्विक शक्तियों के साथ लचीले गठबंधन बनाने की ओर रुख किया है।
- यूरोप के हिंद-प्रशांत विज़न के लिए केंद्रीय: यूरोपीय संघ के 2025 के संयुक्त संचार ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता और खुले व्यापार को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत भागीदार के रूप में पहचाना है।
- गहरे होते आर्थिक संबंध: ईएफटीए, यूके और यूरोपीय संघ के साथ नए व्यापार समझौते यूरोपीय और पश्चिमी बाजारों के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण को दर्शाते हैं।
- तकनीकी और डिजिटल सहयोग: डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे, हरित प्रौद्योगिकी और एआई शासन पर संयुक्त कार्य वैश्विक मानकों को स्थापित करने में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।
- रक्षा और कनेक्टिविटी सहयोग: ग्लोबल गेटवे पहल के तहत साझेदारी संयुक्त रक्षा उत्पादन, लचीली आपूर्ति शृंखला और समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाती है।

तालिबान कूटनीति के बीच भारत-अफगानिस्तान संबंध

संदर्भ:

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की छह दिवसीय भारत यात्रा 2021 के बाद से पहले उच्च-स्तरीय तालिबान प्रतिनिधिमंडल की यात्रा है, जो सतर्क राजनयिक पुन: जुड़ाव का संकेत देती है।

तालिबान कूटनीति के बीच भारत-अफगानिस्तान संबंध के बारे में:

भारत-अफगानिस्तान संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ:

- सभ्यतागत संबंध: भारत और अफगानिस्तान सिल्क रूट और साझा बौद्ध विरासत से जुड़े गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और व्यापारिक संबंध साझा करते हैं।
  - उदाहरण: काबुल-गांधार-तक्षशिला गलियारा भारत-यूनानी और बौद्ध आदान-प्रदान के लिए एक सेतु था।
- राजनयिक समर्थन: 1947 के बाद, अफगानिस्तान पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का विरोध करने वाला एकमात्र देश था, जो भारत के साथ शुरुआती राजनीतिक जुड़ाव को उजागर करता है।
- विकासात्मक जुड़ाव: भारत ने 2001 के बाद पुनर्निर्माण में $3 बिलियन से अधिक का निवेश किया—सलमा बांध, अफगान संसद, और जारंज-डेलाराम राजमार्ग का निर्माण किया, जिससे सद्भावना मजबूत हुई।
- मानवीय सहायता: 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद, भारत ने "जन-केंद्रित जुड़ाव" बनाए रखा—50,000 टन गेहूँ, दवाइयाँ, टीके और छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं।
- वर्तमान प्रासंगिकता: तालिबान शासन की गैर-मान्यता के बावजूद, भारत ने मानवीय चैनलों और क्षेत्रीय संवादों (जैसे, मॉस्को प्रारूप, हार्ट ऑफ एशिया) के माध्यम से एक वास्तविक (de facto) जुड़ाव नीति अपनाई है।

जुड़ाव के लिए भारत का रणनीतिक तर्क:

क्षेत्रीय स्थिरता और कनेक्टिविटी:

- अफगानिस्तान मध्य एशिया के ऊर्जा बाजारों तक भारत का प्रवेश द्वार बना हुआ है।
- उदाहरण: चाबहार बंदरगाह (ईरान) और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) अफगान स्थिरता पर निर्भर हैं।

पाकिस्तान और चीन का मुकाबला:

- तालिबान के तहत अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण कर दिए हैं और सीपीईसी संवादों में शामिल हो गया है।
- भारत पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को बेअसर करना और बीआरआई के तहत चीन के पश्चिमी विस्तार की जाँच करना चाहता है।

आतंकवाद विरोधी सहयोग:

- एलईटी, जेईएम और आईएसपीके जैसे समूह अफगान धरती से काम करते हैं।
- भारत का जुड़ाव प्रत्यक्ष खुफिया साझाकरण और संकट प्रबंधन को सक्षम बनाता है।
- कट्टरता के फैलाव को रोकना: एक अस्थिर अफगानिस्तान सीमा पार उग्रवाद और मादक पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है।
- मानवीय और छवि कूटनीति: सहायता और शिक्षा के माध्यम से भारत का सॉफ्ट-पावर दृष्टिकोण एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नैतिक विश्वसनीयता और वैश्विक पहचान बनाता है।

नीतिगत दुविधाएँ और राजनयिक चुनौतियाँ:

- गैर-मान्यता बनाम जुड़ाव: भारत आधिकारिक तौर पर तालिबान को मान्यता नहीं देता है लेकिन हितों की रक्षा के लिए व्यावहारिक रूप से जुड़ता है—एक वास्तविक यथार्थवाद।
- झंडा और प्रोटोकॉल मुद्दा: दुबई (2024) और नई दिल्ली (2025) में राजनयिक बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय वैधता संतुलन बनाए रखने के लिए तालिबान के झंडे को प्रदर्शित करने से बचा जाता है।
- ईरान-अमेरिका प्रतिबंध गठजोड़: चाबहार प्रतिबंधों में छूट का हटना भारत की अफगान कनेक्टिविटी रणनीति को प्रभावित करता है।
- बाहरी खिलाड़ियों का प्रभाव: पाकिस्तान के साथ अमेरिका का पुन: जुड़ाव, रूस-चीन का काबुल के साथ सामान्यीकरण, और ईरान की रणनीतिक गहराई भारत के समीकरण को जटिल बनाते हैं।
- सुरक्षा और मानवाधिकार चिंताएँ: भारत को अफगानिस्तान में समावेशिता, महिलाओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन पर अपने सैद्धांतिक रुख के साथ रणनीतिक जुड़ाव को संतुलित करना होगा।

आगे की राह:

- 'दोहरी ट्रैक' नीति अपनाना: लोगों से लोगों और विकासात्मक सहायता को जारी रखना, जबकि तालिबान के साथ सशर्त राजनयिक जुड़ाव बनाए रखना।
- क्षेत्रीय समन्वय बढ़ाना: समावेशी क्षेत्रीय समाधानों को सुनिश्चित करने के लिए रूस, ईरान और मध्य एशिया के साथ मॉस्को प्रारूप और एससीओ तंत्र का लाभ उठाना।

- चाबहार कनेक्टिविटी को मजबूत करना: निरंतर भारत-अफगान व्यापार पहुँच के लिए बहुपक्षीय प्लेटफार्मों के माध्यम से सीमित प्रतिबंधों में छूट के लिए बातचीत करना।
- आतंकवाद विरोधी संवाद को संस्थागत बनाना: खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पार उग्रवाद की निगरानी के लिए एक भारत-अफगानिस्तान सुरक्षा संपर्क समूह बनाना।
- अफगान लोगों में निवेश: शासन से परे सद्भावना बनाने के लिए अफगान युवाओं और महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पहल का विस्तार करना।

मर्कसुर (MERCOSUR - दक्षिणी साझा बाजार)

संदर्भ:

भारत और दक्षिणी साझा बाजार (मर्कसुर) ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने वरीयता व्यापार समझौते (PTA) को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें दोनों पक्ष एक वर्ष के भीतर बातचीत को पूरा करने का लक्ष्य बना रहे हैं।

मर्कसुर (दक्षिणी साझा बाजार) के बारे में:

यह क्या है?

- मर्कसुर (Mercado Común del Sur): दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक गुट है जो सदस्य राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार, सीमा शुल्क संघ और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। यह ग्लोबल साउथ के सबसे प्रभावशाली व्यापारिक गुटों में से एक है।
- स्थापित: औपचारिक रूप से 26 मार्च 1991 को असुंसियन की संधि के माध्यम से बनाया गया, जिसे बाद में ओउरो प्रीतो के प्रोटोकॉल (1994) द्वारा मजबूत किया गया, जिसने मर्कसुर को एक कानूनी व्यक्तित्व और संस्थागत ढाँचा दिया।
- मुख्यालय: मोंटेवीडियो, उरुग्वे।

शामिल राष्ट्र:

- संस्थापक सदस्य: अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे।
- बाद में शामिल हुए: वेनेजुएला (सदस्यता वर्तमान में निलंबित) और बोलीविया (2023 में शामिल)।
- सहयोगी सदस्य: चिली, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, और सूरीनाम।
- आधिकारिक भाषाएँ: स्पेनिश और पुर्तगाली।

उद्देश्य:

- एक साझा बाजार बनाना जो माल, सेवाओं, पूंजी और लोगों के मुक्त आवागमन को सुगम बनाता है, जबकि क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, और पूरे दक्षिण अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करता है।

कार्य और तंत्र:

- व्यापार उदारीकरण: गुट के भीतर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को धीरे-धीरे हटाना।
- सामान्य बाह्य टैरिफ (CET): गैर-सदस्य आयातों के लिए समान टैरिफ नीति।
- संस्थागत ढाँचा: इसमें कॉमन मार्केट काउंसिल (CMC), कॉमन मार्केट ग्रुप (CMG), और व्यापार आयोग शामिल हैं।
- FOCEM (मर्कसुर संरचनात्मक अभिसरण कोष): सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने और आर्थिक विषमताओं को कम करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 2005 में स्थापित किया गया।
- सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण: श्रम, प्रवासन, शिक्षा और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देता है, जो "मानव-चेहरे वाले एकीकरण" के सिद्धांतों को दर्शाता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग का नया आर्क

संदर्भ:

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कैनबरा में उद्घाटन भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद (2025) के माध्यम से अपने रक्षा जुड़ाव को बढ़ाया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, हवाई ईंधन भरने और पनडुब्बी बचाव सहयोग पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग के नए आर्क के बारे में:

पृष्ठभूमि और विकास:

- रणनीतिक अभिसरण: भारत और ऑस्ट्रेलिया साझा लोकतांत्रिक आदर्शों और एक स्वतंत्र हिंद-प्रशांत पर संरेखित हुए, क्वाड और नियमित मंत्रिस्तरीय संवादों के माध्यम से क्षेत्रीय अस्थिरता का मुकाबला करने के लिए सहयोग किया।

- परिचालन को गहरा करना: टैलिस्मान कृपाण जैसे नियमित संयुक्त अभ्यास, रसद समझौते और हवाई ईंधन भरने के ढांचे ने उनके सशस्त्र बलों के बीच समन्वय और अंतर-संचालनीयता में सुधार किया।
- औद्योगिक और रसद अभिसरण: संबंध संयुक्त जहाज मरम्मत, रखरखाव और रक्षा विनिर्माण की ओर विस्तारित हुआ—रणनीतिक संवाद को परिचालन परिणामों में बदल दिया।

प्रमुख समझौते और तंत्र:

- संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वित समुद्री निगरानी, डोमेन जागरूकता और अंतर-संचालनीयता को बढ़ाता है।
- आपसी पनडुब्बी बचाव समर्थन व्यवस्था: पानी के नीचे बचाव कार्यों और नौसेना आकस्मिकता प्रबंधन के लिए एक संरचित ढाँचा स्थापित करता है।
- हवा से हवा में ईंधन भरने का समझौता (2024): सामरिक सहनशक्ति को मजबूत करता है और साझा हवाई ईंधन भरने की क्षमता के माध्यम से लंबी संयुक्त मिशनों को सक्षम बनाता है।
- वार्षिक रक्षा मंत्रियों का संवाद और संयुक्त स्टाफ वार्ता: राजनीतिक कार्यकाल में रक्षा चर्चाओं और परिचालन योजना के लिए संस्थागत निरंतरता बनाता है।
- रक्षा उद्योग गोलमेज: भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा क्षेत्रों के बीच औद्योगिक संबंधों, सह-उत्पादन और रखरखाव सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

साझेदारी को गहरा करने के चालक:

- रणनीतिक कारक: हिंद-प्रशांत की बदलती शक्ति गतिशीलता और चीन का मुखर रुख ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को घनिष्ठ सैन्य सहयोग की ओर प्रेरित किया है।
- व्यावहारिक चिंताएँ: दोनों संकट प्रबंधन के लिए स्वायत्त द्विपक्षीय क्षमताओं का निर्माण करके सुरक्षा निर्भरताओं में विविधता लाना चाहते हैं।
- औद्योगिक तालमेल: भारत का लागत-कुशल विनिर्माण ऑस्ट्रेलिया की उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी का पूरक है, जो एक संतुलित औद्योगिक साझेदारी बनाता है।
- क्षेत्रीय संदर्भ: भारत की हिंद महासागर उपस्थिति और ऑस्ट्रेलिया की प्रशांत स्थिति उन्हें एक स्थिर समुद्री सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्राकृतिक लंगर बनाती है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की विकसित भूमिका

संदर्भ:

भारत ने 14-16 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों (UNTCC) के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया, जो पहली बार भारतीय सेना ने ऐसे वैश्विक मंच का नेतृत्व किया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की विकसित भूमिका के बारे में:

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और भारत का योगदान:

- स्थापना: संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UNPKF) की स्थापना 1948 में संघर्षग्रस्त देशों को शांति और स्थिरता में संक्रमण में मदद करने के लिए की गई थी।
- भारत का योगदान: भारत सबसे बड़े और सबसे सुसंगत सैनिक योगदानकर्ताओं में से एक रहा है, जिसने 50 मिशनों में 3,00,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया है।
- महिला सशक्तिकरण: भारत ने लाइबेरिया (2007) में पहली अखिल-महिला पुलिस दल का नेतृत्व किया, जो लिंग समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

भारत का नैतिक और रणनीतिक विज़न:

- नैतिकता: भारत शांति स्थापना को "सेवा" के रूप में देखता है, जो वसुधैव कुटुंबकम् और अहिंसा में निहित है।
- नीति: इसकी "कोई राष्ट्रीय चेतावनी नहीं" की नीति राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दिए बिना निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करती है।
- '4 Cs' मॉडल: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के "4 Cs"—परामर्श (Consultation), सहयोग (Cooperation), समन्वय (Coordination), और क्षमता निर्माण (Capacity Building)—सामूहिक, न्यायसंगत शांति अभियानों के लिए भारत के मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- रणनीति: भारत संयुक्त राष्ट्र के भीतर लोकतंत्र की वकालत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सैन्य योगदान देने वाले देशों (TCCs) की मिशन योजना में निर्णायक राय हो।

शांति स्थापना में प्रौद्योगिकी की भूमिका:

- नैतिक गुणक: भारत जान बचाने, पारदर्शिता बढ़ाने और हताहतों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को एक नैतिक गुणक के रूप में बढ़ावा देता है।

- ड्रोन सिद्धांत: टोही, काफिले की सुरक्षा और हताहतों को निकालने के लिए यूएएस/सी-यूएएस सिद्धांत—लेयर्ड ड्रोन सिस्टम—की अवधारणा पेश की।
- स्वदेशी प्रणालियाँ: रक्षा एक्सपो 2025 ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 41 स्वदेशी प्रणालियाँ प्रदर्शित कीं, जो आत्मनिर्भर लेकिन विश्व स्तर पर साझा सुरक्षा उपकरणों के लिए भारत के जोर को उजागर करती हैं।
- ब्लूस्काई पीसकीपिंग कॉमन्स: टेलीमेट्री डेटा, ड्रोन फीड और टीसीसी अंतर-संचालनीयता मानकों के लिए एक साझा मंच बनाने का प्रस्ताव।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सीमाएँ:

- अस्पष्ट शासनादेश: मिशन अक्सर अस्पष्ट लक्ष्यों और राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ित होते हैं, परिचालन स्पष्टता को कम करते हैं।
- संसाधन बाधाएँ: कई मिशनों को अपर्याप्त धन, पुराने उपकरण और कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ता है।
- तटस्थता का क्षरण: आतंकवाद विरोधी या राजनीतिक भूमिकाओं में बढ़ते जुड़ाव पारंपरिक तटस्थता को कम करते हैं।
- जवाबदेही अंतराल: शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध और दुर्व्यवहार के आरोप कमजोर रूप से अभियोजित होते हैं, जिससे विश्वसनीयता कम होती है।
- विकसित युद्ध: हाइब्रिड, साइबर और ड्रोन-आधारित खतरों ने पारंपरिक शांति स्थापना ढांचे के अनुकूलन को पीछे छोड़ दिया है।

80 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र (UN): संभावना और अपूर्ण आशा का प्रतीक

संदर्भ:

जैसे-जैसे संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के 80 वर्ष (1945–2025) का जश्न मना रहा है, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक शांति स्थापना निकाय से लेकर 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने वाले वैश्विक संस्थान के रूप में अपने विकास पर विचार करता है।

80 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र के बारे में: संभावना और अपूर्ण आशा का प्रतीक

संयुक्त राष्ट्र का विकास:

- त्रासदी से जन्म: द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उभरा, संयुक्त राष्ट्र की परिकल्पना भविष्य के संघर्षों को रोकने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए एक सामूहिक सुरक्षा तंत्र के रूप में की गई थी।
- संस्थागत डिजाइन: 24 अक्टूबर 1945 को 51 संस्थापक सदस्यों के साथ स्थापित, संयुक्त राष्ट्र का ढाँचा—विशेष रूप से सुरक्षा परिषद (UNSC)—युद्ध के बाद की शक्ति पदानुक्रमों द्वारा आकार दिया गया था, जिसने पाँच स्थायी सदस्यों (P5) को वीटो शक्तियाँ प्रदान कीं।

काल	विकास फोकस
शीत युद्ध युग	अमेरिका और यूएसएसआर के बीच वैचारिक प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा।
शीत युद्ध के बाद का चरण	मानवीय हस्तक्षेप और शांति स्थापना के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुआ (जैसे नामीबिया और पूर्वी तिमोर)।
21वीं सदी	जलवायु कार्रवाई, सतत विकास और डिजिटल शासन तक ध्यान केंद्रित हुआ।

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भारत का मामला और भूमिका:

- संस्थापक सदस्य: भारत अपनी स्थापना से ही संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा रहा है, चार्टर ड्राफ्टिंग और अफ्रीका और एशिया में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान दे रहा है।
- सुधार के लिए वकालत: भारत 21वीं सदी की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के विस्तार की मांग करता है, जो ग्लोबल साउथ और उभरते लोकतंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है।
- शांति और विकास नेतृत्व: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में, भारत एसडीजी, जलवायु कूटनीति और लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से मानवीय सिद्धांतों को बनाए रखता है।
- रणनीतिक स्वायत्तता: गुटनिरपेक्षता और संप्रभुता के प्रति भारत का रुख कुछ शक्तियों के प्रभुत्व के बजाय बहुध्रुवीय, समावेशी वैश्विक व्यवस्था के लिए उसके जोर को दर्शाता है।
- सॉफ्ट पावर कूटनीति: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और वैक्सीन मैत्री जैसी पहलों के माध्यम से, भारत वैश्विक सहयोग और साझा मानवता के संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों को मजबूत करता है।

आज संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता:

- मानवीय लंगर: यूएनएचसीआर, डब्ल्यूएफपी और डब्ल्यूएचओ जैसी एजेंसियाँ संघर्ष और आपदा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहायता, भोजन और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना जारी रखती हैं।
- मानदंड-निर्धारण शक्ति: मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जैसे वैश्विक ढाँचे वैश्विक नैतिक मानकों को परिभाषित करते हैं।
- शांति स्थापना भूमिका: सीमाओं के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक संघर्षग्रस्त राष्ट्रों में स्थिरता और संवाद मंच प्रदान करते हैं।
- राजनयिक मंच: यह एकमात्र वैश्विक मंच बना हुआ है जहाँ विरोधी बातचीत कर सकते हैं, आम सहमति बना सकते हैं और जलवायु

परिवर्तन और डिजिटल नैतिकता जैसे मुद्दों में बहुपक्षवाद को आगे बढ़ा सकते हैं।

- नैतिक वैधता: संयुक्त राष्ट्र सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक बना हुआ है, जो छोटे और विकासशील राष्ट्रों को वैश्विक शासन में एक आवाज़ देता है।

वर्तमान चुनौतियाँ:

- अप्रचलित UNSC संरचना: 1945 की वास्तविकताओं में जमी हुई शक्ति का वितरण, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती शक्तियों को छोड़कर।
- बहुपक्षवाद का क्षरण: बढ़ते राष्ट्रवाद, लोकलुभावनवाद और संरक्षणवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास को कमजोर करते हैं।
- धन की कमी: अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों द्वारा विलंबित या रोके गए बकाया से बजट संकट और परिचालन कटौती हुई है।
- वीटो पक्षाघात: P5 सदस्यों द्वारा बार-बार किए जाने वाले वीटो यूक्रेन, गाजा और सीरिया जैसे संकटों पर सामूहिक कार्रवाई को बाधित करते हैं।
- संस्थागत जड़ता: नौकरशाही की कठोरता महामारी और साइबर खतरों जैसे वैश्विक आपात स्थितियों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया में बाधा डालती है।
- वीटो शक्ति (Veto Power): संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में केवल पाँच स्थायी सदस्यों (P5: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, और ब्रिटेन) के पास वीटो शक्ति है। इसका अर्थ है कि यदि कोई भी P5 सदस्य किसी प्रस्ताव पर 'ना' कहता है (वीटो का प्रयोग करता है), तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, भले ही अन्य सभी सदस्य पक्ष में हों।

आगे की राह:

- UNSC सुधार: वैधता और संतुलन के लिए भारत, ब्राजील, जापान और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए स्थायी सदस्यता का विस्तार करें।
- वित्तीय स्थिरता: समय पर योगदान सुनिश्चित करें, अभिनव वित्त पोषण मॉडल का पता लगाएँ और पारदर्शिता बढ़ाएँ।
- डिजिटल परिवर्तन: शांति स्थापना और मानवीय प्रतिक्रियाओं में सुधार के लिए एआई, बिग डेटा और वास्तविक समय की निगरानी का उपयोग करें।
- फ़ील्ड मिशनों को सशक्त बनाना: संकटों पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण करें।
- नैतिक नवीनीकरण: राजनीतिक पूर्वाग्रह के बिना न्याय, मानवाधिकारों और जवाबदेही को बनाए रखते हुए अपने नैतिक अधिकार को पुनः प्राप्त करें।

संयुक्त राष्ट्र (UN)

संदर्भ:

आज, 24 अक्टूबर 2025, संयुक्त राष्ट्र दिवस और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगाँठ का जश्न मनाता है। यह दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की याद दिलाता है, जो शांति, मानवाधिकारों और सतत विकास के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

United Nations | Peace, dignity and equality on a healthy planet

संयुक्त राष्ट्र (UN) के बारे में:

यह क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र (UN) एक अंतरसरकारी संगठन है जिसे दुनिया भर में शांति, सुरक्षा, मानवाधिकारों और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
- इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल हैं, जो इसे सबसे समावेशी वैश्विक निकाय बनाता है।

इतिहास:

- यह विचार पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कल्पना की गई थी, जिसमें "संयुक्त राष्ट्र" शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा 1942 में गढ़ा गया था।
- यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था।
- पहले महासचिव नॉर्वे के ट्राइग्वे ली थे।
- स्थापना: 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद, भविष्य के संघर्षों को रोकने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विफल लीग ऑफ नेशंस की जगह ली गई।

उद्देश्य:

- संवाद और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
- मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना।
- संकटों में मानवीय सहायता प्रदान करना।

कार्य:

- शांति स्थापना और सुरक्षा: 11 क्षेत्रों में शांति स्थापना मिशन तैनात करता है (2024 तक)।
- विकास एजेंडा: 2030 तक गरीबी को समाप्त करने और ग्रह की रक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को लागू करता है।
- मानवीय राहत: यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी और यूएनएचसीआर जैसी एजेंसियों के माध्यम से संघर्ष और जलवायु आपदाओं से प्रभावित लाखों लोगों को सहायता प्रदान करता है।
- वैश्विक शासन: अंतर्राष्ट्रीय संधियों, मानवाधिकार सम्मेलनों और पर्यावरण प्रोटोकॉल की देखरेख करता है।
- समन्वय तंत्र: छह मुख्य अंगों—महासभा, सुरक्षा परिषद, ईसीओएसओसी, आईसीजे, सचिवालय, और न्यास परिषद—के माध्यम से काम करता है।

अद्वितीय तथ्य:

- धन: इसके राजस्व का 72% सदस्य-राज्यों के योगदान से आता है, जिसमें अमेरिका, चीन और जापान शीर्ष योगदानकर्ता हैं।
- भारत ने 2024-25 में कुल संयुक्त राष्ट्र फंडिंग का 0.2088 प्रतिशत योगदान दिया।
- आधिकारिक भाषाएँ: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश।
- मुख्यालय: न्यूयॉर्क शहर, यूएसए में स्थित है।
- नोबेल शांति पुरस्कार विजेता: संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों को सामूहिक रूप से 12 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है।
- हालिया सदस्य: दक्षिण सूडान (2011) संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना।

CCS UPSC

9 सामाजिक मुद्दे

लड़कियों की शिक्षा का परिवर्तन

संदर्भ:

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीपी) योजना ने एक दशक पूरा कर लिया है, जो पूरे भारत में जन्म के समय लिंगानुपात और लड़कियों की शिक्षा के परिणामों में सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।

लड़कियों की शिक्षा के परिवर्तन के बारे में:

बालिका शिक्षा पर बदलती मानसिकता:

- उपेक्षा से आकांक्षा की ओर: "बेटी पढ़ेगा तो क्या करेगी?" से शिक्षा को महत्व देने की ओर बदलाव यह दर्शाता है कि समाज बेटियों को संपत्ति के रूप में मान्यता देता है।
- नेतृत्व का प्रभाव: कन्या केलावानी और बीपी जैसे अभियानों ने लड़कियों की शिक्षा को राजनीतिक इच्छाशक्ति द्वारा समर्थित एक जन आंदोलन में बदल दिया।
- सामुदायिक जागरूकता: जागरूकता अभियान, ग्रामीण रैलियों और महिला सम्मेलनों ने लड़कियों को स्कूल जाने में सामान्य बना दिया है।
- प्रतीकात्मक कार्रवाई: उपहारों की नीलामी करने या धन का योगदान करने वाले नेताओं ने संकेत दिया कि लड़कियों को शिक्षित करना एक सार्वजनिक प्राथमिकता है, न कि निजी बोझ।
- सांस्कृतिक परिवर्तन: शिक्षा अब गरिमा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के बराबर है, जो ग्रामीण और शहरी भारत में माता-पिता की पसंद को प्रभावित करती है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) के बारे में:

- उद्देश्य: कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बहु-मंत्रालयी प्रयास (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास) के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।

प्रभाव:

- जन्म के समय लिंगानुपात 919 (2015-16) से बढ़कर 929 (2019-21) हो गया।
- 30 में से 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अब राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रदर्शन करते हैं।
- बढ़ी हुई जागरूकता: मध्य प्रदेश में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 89.5% लोग बीपी के बारे में जानते हैं, जिसमें से 63.2% बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हैं।

सामाजिक और जनसांख्यिकीय तरंग प्रभाव:

- प्रजनन संक्रमण: शिक्षा के साथ, महिलाएं विवाह और प्रसव में देरी करती हैं, जिससे भारत का TFR 2.0 (NFHS-5) तक कम हो जाता है।
- स्वास्थ्य परिणाम: शिक्षित महिलाएं संस्थागत प्रसव और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचती हैं, जिससे आईएमआर 49 (2014) से घटकर 33 (2020) हो जाता है।
- कार्यबल प्रवेश: उच्च साक्षरता एसटीईएम, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम बनाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में विविधता आती है।
- पितृसत्ता को तोड़ना: दृश्यमान सफलता की कहानियां- लड़ाकू पायलट, सीईओ, इसरो वैज्ञानिक- भविष्य की पीढ़ियों के लिए लैंगिक भूमिकाओं को नया आकार देती हैं।
- जनसांख्यिकीय लाभांश: महिला शिक्षा जनसांख्यिकीय स्थिरता के साथ संरेखित होती है, स्वस्थ परिवारों का निर्माण करती है और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करती है।

दीर्घकालिक परिवर्तन और गुणक प्रभाव:

- शिक्षित माताओं का लाभ: स्कूली शिक्षा के साथ माताएं बच्चों के लिए बेहतर पोषण, सीखने और स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करती हैं।
- पीढ़ीगत परिवर्तन: एक शिक्षित लड़की अपने भाई-बहनों और बच्चों को प्रभावित करती है, जिससे प्रगति का एक अंतर-पीढ़ीगत चक्र बनता है।
- आर्थिक गुणक: कार्यबल में महिलाएं घरेलू आय और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में एक साथ योगदान करती हैं।

- सामुदायिक नेतृत्व: शिक्षित महिलाएं समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए पंचायतों, एसएचजी और नागरिक समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं।
- सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप: शिक्षा → सशक्तिकरण स्वस्थ परिवारों → मजबूत अर्थव्यवस्था → प्रगतिशील समाज → स्थायी सुधार सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तन एक गहन सामाजिक सुधार का प्रतीक है, जो मानसिकता को नया आकार देने के लिए नामांकन संख्या से परे है। यह महिलाओं की क्षमता को अनलॉक करके स्वस्थ परिवारों, मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और अधिक सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। वास्तव में, एक लड़की को शिक्षित करना पूरे समाज को शिक्षित करना है, एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील भविष्य को सुरक्षित करना है।

संपीड़ित श्वासावरोध

संदर्भ:

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में नौ बच्चों सहित 41 लोगों की मौत हो गई।

- अधिकांश मौतें कंप्रेसिव एस्फिक्सिया के कारण हुई, जो भीड़भाड़ वाली स्थितियों में ऑक्सीजन की कमी का एक खतरनाक रूप है।

कंप्रेसिव एस्फिक्सिया के बारे में:

यह क्या है?

- कंप्रेसिव एस्फिक्सिया एक प्रकार का यांत्रिक श्वासावरोध है जहां बाहरी बल छाती या पेट पर दबाव डालता है।
- यह फेफड़ों और डायाफ्राम को सामान्य रूप से काम करने से रोकता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी होती है।

यह कैसे होता है?

- भगदड़, भीड़ कुचलने या जब भारी वजन धड़ को दबाता है तो आम है।
- घनी भीड़ (>6-7 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर) में, छाती का संपीड़न डायाफ्राम की विस्तार और अनुबंध करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है, जिससे सामान्य श्वास अवरुद्ध हो जाता है।

लक्षण:

- सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न, चक्कर आना, नीली त्वचा या होंठ (सायनोसिस)।
- गंभीर मामलों में हाइपोक्सिया (ऑक्सीजन की कमी), हाइपरकेनिया (CO_2 बिल्ड-अप), बेहोशी, अंग विफलता और मृत्यु होती है।

उपचार:

- कुचलने वाले बल/भीड़ से तत्काल हटाना।
- आपात स्थिति में ऑक्सीजन सहायता, सीपीआर या उन्नत वायुमार्ग प्रबंधन प्रदान करें।
- अस्पताल की देखभाल में वेंटिलेशन, अंग क्षति के लिए उपचार और श्वसन संबंधी जटिलताओं की निगरानी शामिल हो सकती है।

ईपीएफ नए निकासी नियम 2025

संदर्भ:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफओ 3.0 के तहत निकासी नियमों को सरल बनाने वाले प्रमुख सुधारों की घोषणा की है।

EPF नए निकासी नियम 2025 के बारे में:

यह क्या है?

- संशोधित ईपीएफ निकासी ढांचा 30 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए अधिक लचीलापन, पहुंच में आसानी और तेजी से डिजिटल दावा निपटान प्रदान करने के लिए भविष्य निधि प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाता है।
- उद्देश्य: निकासी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सदस्यों को लंबे दस्तावेज़ीकरण के बिना तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना, और दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा के साथ अल्पकालिक तरलता को संतुलित करना।

नई सुविधाओं:

- सरलीकृत श्रेणियाँ: 13 निकासी उद्देश्यों को तीन मुख्य प्रकारों में विलय कर दिया गया है - आवश्यक आवश्यकताएं (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास की आवश्यकताएं, और विशेष परिस्थितियां।

- बढ़ी हुई सीमाएँ: शिक्षा के लिए 10 तक निकासी और सेवा के दौरान विवाह के लिए 5 निकासी, जबकि पिछली संयुक्त सीमा 3 थी।
- न्यूनतम शेष नियम: सदस्यों को अपने EPF कॉर्पस का 25% बनाए रखना चाहिए ताकि चक्रवृद्धि लाभ संरक्षित किया जा सके और रिटायरमेंट बचत सुनिश्चित की जा सके।
- सेवा अवधि में छूट: आवास के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर 12 महीने और शादी या शिक्षा के लिए 7 वर्ष कर दी गई है, जिससे पहुंच बढ़ जाएगी।
- पूर्ण निकासी विकल्प: सदस्य अब नियोक्ता और कर्मचारी शेयरों सहित पात्र शेष राशि का 100% तक निकाल सकते हैं।
- डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (EPFO 3.0): तेजी से प्रसंस्करण के लिए स्वचालित, दस्तावेज़-मुक्त बस्तियां, क्लाउड-आधारित कोर बैंकिंग एकीकरण और बहुभाषी स्वयं-सेवा पोर्टल पेश किए गए।
- विवाद समाधान के लिए विश्वास योजना: विलंबित पीएफ प्रेषण के लिए मुकदमेबाजी को कम करने के लिए दंडात्मक क्षति और सरलीकृत अनुपालन।

अर्थ:

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और श्रमिकों को आपात स्थिति के दौरान धन तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है।
- नौकरशाही की बाधाओं को कम करके और वास्तविक समय के ऑनलाइन दावों को बढ़ावा देकर जीवन को आसान बनाता है।
- भारत के फिनटेक विजन के साथ डिजिटल रूप से सुरक्षित और पेपरलेस भविष्य निधि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करता है।

डोपामाइन ओवरडोज - आधुनिक जीवन शैली हमारे दिमाग को फिर से तैयार कर रही है

संदर्भ:

न्यूरोसाइंटिस्ट और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ "डोपामाइन ओवरडोज" महामारी की चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि आधुनिक जीवन शैली - सोशल मीडिया, तत्काल संतुष्टि और डिजिटल हाइपर-उत्तेजना के प्रभुत्व में - मस्तिष्क की इनाम प्रणाली को फिर से आकार दे रही है, जिससे युवाओं में चिंता, अवसाद और ध्यान विकार बढ़ रहे हैं।

डोपामाइन ओवरडोज के बारे में - आधुनिक जीवन शैली हमारे दिमाग को फिर से तैयार कर रही है

डोपामाइन क्या है?

- डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसे अक्सर "फील-गुड केमिकल" कहा जाता है, जो आनंद, प्रेरणा, सीखने और आंदोलन को विनियमित करने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेतों को प्रसारित करता है।
- यह पुरस्कृत अनुभवों के दौरान जारी किया जाता है - जैसे खाना, लक्ष्य प्राप्त करना, या प्रशंसा प्राप्त करना - मस्तिष्क के मेसोलिम्बिक इनाम मार्ग (उदर टेगमेंटल क्षेत्र से नाभिक accumbens तक) को सक्रिय करना।

मस्तिष्क में इसकी भूमिका:

1. फील-गुड न्यूरोट्रांसमीटर: डोपामाइन, जिसे अक्सर "आनंद रसायन" कहा जाता है, प्रेरणा, इनाम और मनोदशा को नियंत्रित करता है। यह तब जारी होता है जब लोग खाते हैं, लक्ष्य प्राप्त करते हैं या प्रशंसा का अनुभव करते हैं।
2. तंत्रिका इनाम मार्ग: यह मुख्य रूप से मेसोलिम्बिक मार्ग के माध्यम से कार्य करता है - उदर टेगमेंटल क्षेत्र (वीटीए) से नाभिक accumbens तक - आनंददायक कार्यों को मजबूत करता है।
3. प्रेरणा का आधार: डोपामाइन हमें उन व्यवहारों को दोहराने के लिए प्रेरित करता है जो आनंद की ओर ले जाते हैं, मनुष्यों को सीखने, ध्यान केंद्रित करने और आदतें बनाने में मदद करते हैं।
4. लत और असंतुलन: अत्यधिक डोपामाइन रिलीज - दवाओं या कृत्रिम उत्तेजनाओं द्वारा ट्रिगर - रिसेप्टर डिसेन्सिटाइजेशन का कारण बनता है, व्यक्तियों को उत्तेजना के उच्च स्तर की ओर धकेलता है।
5. आधुनिक व्यवधान: जब डोपामाइन का स्तर लंबे समय से ऊंचा हो जाता है, तो मस्तिष्क की आधारभूत संतुष्टि कम हो जाती है - जिसके परिणामस्वरूप रोजमर्रा की जिंदगी में ऊब, कम प्रेरणा और भावनात्मक थकान होती है।

नए डोपामाइन चालक के रूप में प्रौद्योगिकी:

1. डिजिटल उत्तेजना: प्रत्येक सूचना, पसंद या स्क्रॉल डोपामाइन के माइक्रो-रिलीज को ट्रिगर करती है, जिससे उपयोगकर्ता निरंतर जुड़ाव चाहते हैं।
   - उदाहरण: एमआईटी रिसर्च (2023) में पाया गया कि औसत स्मार्टफोन उपयोगकर्ता दिन में 150 बार अपने फोन की जांच करते हैं, जो बाध्यकारी व्यवहार लूप को प्रतिबिंबित करते हैं।
2. एल्गोरिथम हेरफेर: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रुक-रुक कर इनाम प्रणाली के साथ डिज़ाइन किया गया है - कैसीनो में उपयोग किया जाने वाला वही तंत्र - उपयोगकर्ता समय और विज्ञापन राजस्व को अधिकतम करने के लिए।
   - उदाहरण: पूर्व Google नैतिकतावादी ट्रिस्टन हैरिस ने इसे "ध्यान की लत के लिए व्यवहार इंजीनियरिंग" कहा।
3. नशीली दवाओं के उपयोग के साथ तंत्रिका ओवरलैप: एफएमआरआई अध्ययनों से पता चलता है कि सोशल मीडिया का उपयोग कोकीन के समान मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है - विशेष रूप से नाभिक accumbens और उदर स्ट्रिएटम।

- उदाहरण: 2022 के नेचर कम्युनिकेशंस अध्ययन में डिजिटल उत्तेजनाओं और पदार्थ की ऊंचाई के बीच समान तंत्रिका हस्ताक्षर पाए गए।

4. डिजिटल निर्भरता में वृद्धि: डोपामाइन-ट्रिगरिंग सामग्री के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आवेग नियंत्रण कम हो जाता है और चिंता बढ़ जाती है।
   - उदाहरण: प्यू रिसर्च (2024) ने नोट किया कि 63% वयस्क अपने फोन से अलग होने पर चिंता की रिपोर्ट करते हैं - डिजिटल निकासी के संकेत।
5. किशोर भेद्यता: किशोरों को तंत्रिका प्लास्टिसिटी और भावनात्मक अपरिपक्वता के कारण अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिससे ध्यान और मनोदशा में दीर्घकालिक परिवर्तन होता है।
   - उदाहरण: अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (2023) ने पाया कि 3 घंटे/दिन में सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले किशोरों में अवसाद की दर 60% अधिक थी।

युवा और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:

1. न्यूरोकेमिकल डिसेन्सिटाइजेशन: उच्च डोपामाइन उत्तेजनाओं के लगातार संपर्क में रहने से रिसेप्टर संवेदनशीलता कम हो जाती है, जिससे वास्तविक जीवन के सुख सुस्त महसूस होते हैं।
   - उदाहरण: स्टैनफोर्ड मेडिसिन अध्ययन (2023) ने भारी स्क्रीन एक्सपोजर वाले किशोरों में डोपामाइन रिसेप्टर डाउनरेग्यूलेशन की पुष्टि की।
2. कम ध्यान अवधि: लगातार डिजिटल मल्टीटास्किंग टुकड़े ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे ध्यान की कमी जैसे लक्षण होते हैं।
   - उदाहरण: माइक्रोसॉफ्ट के ध्यान अध्ययन (2023) ने बताया कि औसत ध्यान अवधि गिरकर 8.25 सेकंड हो गई, जो सुनहरी मछली की तुलना में कम है।
3. भावनात्मक अस्थिरता: सोशल मीडिया से अत्यधिक उत्तेजना मूड स्विंग्स, ईर्ष्या और भावनात्मक थकावट को बढ़ावा देती है, जिससे भावनात्मक बुद्धिमत्ता कम होती है।
   - उदाहरण: यूनिसेफ (2024) ने पाया कि 43% किशोर ऑनलाइन तुलना संस्कृति से जुड़े मूड में उतार-चढ़ाव का अनुभव करते हैं।
4. बढ़ती चिंता और अवसाद: उच्च डोपामाइन चक्र ऑफ़लाइन होने पर वापसी के लक्षण पैदा करते हैं, नैदानिक निर्भरता की नकल करते हैं।
   - उदाहरण: WHO की 2023 वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट में डिजिटल ओवरस्टिम्यूलेशन के कारण किशोर अवसाद में 28% की वृद्धि दर्ज की गई।
5. वास्तविक दुनिया की प्रेरणा में कमी: कृत्रिम पुरस्कारों तक आसान पहुंच के साथ, युवा लोग अध्ययन, खेल और रिश्तों को कम उत्तेजक पाते हैं।
   - उदाहरण: कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण (2024) से पता चला है कि 52% युवा डिजिटल इनपुट के बिना प्रेरित रहने के लिए संघर्ष करते हैं।

पुनर्प्राप्ति का मार्ग - मस्तिष्क को पुनर्संतुलित करना

1. डोपामाइन उपवास: डिजिटल उत्तेजनाओं से ब्रेक लेने से मस्तिष्क को अपनी इनाम आधार रेखा को रीसेट करने और प्राकृतिक आनंद प्रतिक्रिया को बहाल करने में मदद मिलती है।
   - उदाहरण: सिलिकॉन वैली के पेशेवर डोपामाइन उपवास का अभ्यास करते हैं - साप्ताहिक 24-48 घंटे के लिए तकनीक से डिस्कनेक्ट करना।
2. माइंडफुल एंगेजमेंट: योग, ध्यान और जर्नलिंग जैसी गतिविधियाँ डोपामाइन को लगातार छोड़ती हैं और त्वरित ऊंचाई पर निर्भरता को कम करती हैं।
   - उदाहरण: हार्वर्ड माइंड-बॉडी इंस्टीट्यूट (2022) ने पाया कि प्रतिदिन 15 मिनट के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाले प्रतिभागियों में 27% तनाव में कमी आई है।
3. शारीरिक गति: नियमित व्यायाम प्राकृतिक डोपामाइन और एंडोर्फिन रिलीज को ट्रिगर करता है, जिससे मूड स्थिरता बढ़ती है।
   - उदाहरण: लैंसेट के एक अध्ययन (2022) में पाया गया कि 45 मिनट की दैनिक शारीरिक गतिविधि अवसाद के जोखिम को 30% तक कम कर देती है।
4. सार्थक मानवीय संबंध: वास्तविक दुनिया की बातचीत—दोस्ती, पारिवारिक समय और सहानुभूति—स्थायी डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज को प्रोत्साहित करते हैं।
   - उदाहरण: येल विश्वविद्यालय की एक न्यूरोसाइंस रिपोर्ट (2024) में कहा गया है कि आमने-सामने की बातचीत दीर्घकालिक कल्याण को बढ़ाने में डिजिटल लोगों से बेहतर प्रदर्शन करती है।
5. नींद और पोषण संतुलन: पर्याप्त आराम और पोषक तत्वों से भरपूर आहार न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन और मानसिक संतुलन को स्थिर करता है।
   - उदाहरण के लिए: डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश डोपामाइन स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए टायरोसिन (केले, बादाम, डेयरी) से भरपूर 7-9 घंटे की नींद और आहार का सुझाव देते हैं।

निष्कर्ष

आधुनिक डोपामाइन अर्थव्यवस्था - एल्गोरिदम, तत्काल संतुष्टि और डिजिटल अधिकता द्वारा संचालित - ने आनंद को निर्भरता में बदल दिया है। संतुलन बहाल करने के लिए सावधानीपूर्वक खपत, शारीरिक जीवन शक्ति और मानवीय संबंध की आवश्यकता होती है। सच्ची खुशी अंतहीन उत्तेजनाओं का पीछा करने में नहीं है, बल्कि मस्तिष्क को डोपामाइन पर गहराई को महत्व देने के लिए फिर से प्रशिक्षित करने में है।

कचरा कैफे

संदर्भ:

प्रधानमंत्री ने मन की बात में अंबिकापुर नगर निगम, छत्तीसगढ़ की अभिनव 'कचरा कैफे' पहल की प्रशंसा की, जो प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन प्रदान करता है - जो सामाजिक कल्याण के साथ अपशिष्ट प्रबंधन का संयोजन करने वाला एक मॉडल है।

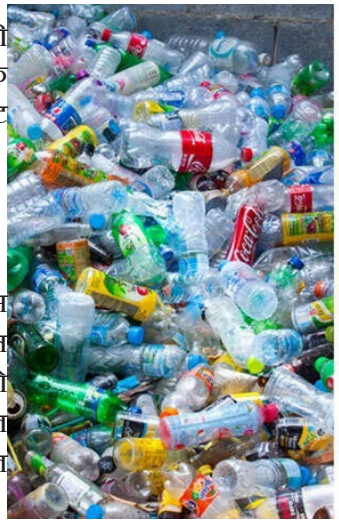

कचरा कैफे के बारे में:

यह क्या है?

- कचरा कैफे स्वच्छ भारत मिशन के तहत अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने और शून्य-अपशिष्ट जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल है। यह नागरिकों को भोजन के बदले प्लास्टिक कचरा जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, पर्यावरण संरक्षण को मानव कल्याण के साथ मिश्रित करता है।

सुविधाएँ:

- प्लास्टिक-फॉर-फूड मॉडल: 1 किलो प्लास्टिक कचरा जमा करने वाले व्यक्तियों को मुफ्त भोजन मिलता है; 0.5 किलो उन्हें नाश्ता कमाता है।
- शहरी स्थिरता: एकत्रित प्लास्टिक को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है या सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है, जिससे लैंडफिल दबाव कम हो जाता है।
- सामुदायिक समावेशन: महिला स्वयं सहायता समूहों के समर्थन से चलाएं, रोजगार और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दें।
- स्वच्छ भारत तालमेल: व्यवहार परिवर्तन और नागरिक जुड़ाव के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को मजबूत करता है।
- प्रतिकृति क्षमता: अंबिकापुर की सफलता ने केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रतिकृति को प्रेरित किया है।

अर्थ:

- अपशिष्ट से धन नवाचार और शहरी स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- स्वच्छता को पोषण से जोड़कर हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना।
- एसडीजी 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) और एसडीजी 11 (सतत शहर) के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को प्रदर्शित करता है।

10 रक्षा

युद्धक्षेत्र और परिवर्तन

संदर्भ:

कोलकाता में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 में, प्रधानमंत्री ने भविष्य के बहु-क्षेत्रीय युद्धों के लिए भारत के सशस्त्र बलों को तैयार करने के लिए सेवा साइलो से एकीकृत थिएटर कमांड की ओर बढ़ने पर जोर दिया।

युद्धक्षेत्र और परिवर्तन के बारे में:

युद्ध की बदलती प्रकृति:

- एआई और स्वचालन - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से निर्णय लेने और स्वायत्त प्रणालियों को सक्षम बनाता है, लेकिन साइबर तोड़फोड़ और नैतिक दुविधाओं के जोखिम को बढ़ाता है।
- ड्रोन और सटीक हथियार - कम लागत वाले ड्रोन और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री हमलों को अधिक घातक और सुलभ बनाते हैं, जिससे पारंपरिक युद्धक्षेत्र की गणना बदल जाती है।
- साइबर और सूचना युद्ध - युद्ध अब डिजिटल और मनोवैज्ञानिक डोमेन तक विस्तारित हो गए हैं, जहां गलत सूचना और हैकिंग बिना गोली चलाए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पंगु बना सकते हैं।
- दो-मोर्चे का खतरा – भारत को चीन और पाकिस्तान से एक साथ दबाव के लिए युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, संयुक्तता, संरचनात्मक सुधारों और तकनीक-संचालित तैयारियों की मांग करनी चाहिए।

समन्वय से कमांड तक:

- थिएटर कमांड को बढ़ावा - 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने एकीकृत परिचालन कमान के लिए सर्विस साइलो से एकीकृत थिएटर कमांड में स्थानांतरित होने का आग्रह किया
- अंतर-सेवा नियम 2025 - फील्ड संचालन में वास्तविक संयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए कमांडरों को प्रशासनिक और अनुशासनात्मक अधिकार के साथ सशक्त बनाना।
- आईडीएस मुख्यालय के तहत साइबर, अंतरिक्ष और विशेष अभियान विंग द्वारा एकीकृत रक्षा तैयारियों को बढ़ावा दिया गया है।
- नए मॉड्यूलर समूह - "रुद्र" और "भैरव" जैसी इकाइयां तेजी से मिशन-विशिष्ट तैनाती के लिए पैदल सेना, कवच, तोपखाने और निगरानी का विलय करती हैं।
- उभयचर सिद्धांत - भूमि-वायु-समुद्र तालमेल के लिए बनाया गया ढांचा, लेकिन भारत अभी भी चीन के परिपक्व एकीकृत आदेशों से पीछे है।

सैद्धांतिक और तकनीकी विकास:

- संयुक्त सिद्धांत – 2017 और 2018 के सिद्धांतों ने तालमेल के बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित किया, अब बहु-डोमेन युद्धों के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।
- रन संवाद सेमिनार - "हाइब्रिड योद्धाओं" के निर्माण पर जोर दिया गया जो कोडिंग, साइबर और सूचना युद्ध के साथ सामरिक कौशल को जोड़ते हैं।
- MQ-9B ड्रोन - लगातार ISR और सटीक स्ट्राइक प्रदान करते हैं, सीमाओं और समुद्रों के पार त्रि-सेवा रोजगार को मजबूत करते हैं।
- राफेल-एम जेट - वाहक विमानन को बढ़ाते हैं, नौसेना को मजबूत समुद्री हड़ताल और बेड़े की वायु रक्षा क्षमता प्रदान करते हैं।
- आकाशतीर-एआई नेटवर्क - भारतीय वायुसेना के कमांड सिस्टम के साथ सेना की वायु रक्षा को एकीकृत करता है, जो तेज और स्वचालित प्रतिक्रियाओं को सक्षम करता है।

एक आधुनिक बल बनाना:

- एकीकृत युद्ध समूह - "रुद्र" ब्रिगेड को तेजी से प्रतिक्रिया के लिए मल्टी-डोमेन परिसंपत्तियों के साथ 12-48 घंटों के भीतर तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- प्रलय मिसाइल परीक्षण – अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइलें कठोर लक्ष्यों के खिलाफ भारत की भूमि-आधारित थिएटर स्ट्राइक क्षमता का विस्तार करती हैं।
- कैरियर-केंद्रित नौसेना - राफेल-एम निकट अवधि के एयर विंग्स को स्थिर करती है जबकि नौसेना मानवयुक्त और मानव रहित प्रभुत्व के लिए 15 साल का रोडमैप तैयार करती है।

- नागरिक-सैन्य संलयन - पीएमई में डीआरडीओ, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी फर्मों और विश्वविद्यालयों का मजबूत एकीकरण नवाचार को तेज करेगा।

आगे की राह:

- क्रमिक थिएटर कमांड - सीमित जनादेश के साथ शुरू करें और परिचालन आवश्यकताओं के साथ अंतर-सेवा मतभेदों को संतुलित करते हुए विस्तार करें।
- मानकीकृत प्रणाली - एकीकृत डेटा और इंटरफेस प्रोटोकॉल निर्बाध संचार और अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करेंगे।
- टेक्नोलॉजिस्ट-कमांडर्स - पीएमई को अनुकूली योद्धाओं को बनाने के लिए एआई, साइबर, कोडिंग और तकनीकी प्रशिक्षण को नेतृत्व में एम्बेड करना चाहिए।
- औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र - रैपिड प्रोटोटाइप, बार-बार फील्ड ट्रायल और पुरानी प्रणालियों को त्यागने से सेना चुस्त रहेगी।

निष्कर्ष

भविष्य का युद्धक्षेत्र बहु-डोमेन होगा जहां गति, सूचना और अनुकूलनशीलता उतनी ही मायने रखती है जितनी कि मारक क्षमता। भारत के लिए, उभरते खतरों का सामना करने और परिचालन रूप से निर्णायक बने रहने के लिए सच्ची संयुक्तता, नागरिक-सैन्य संलयन और तकनीकी एकीकरण प्राप्त करना आवश्यक है।

असम-नागालैंड सीमा विवाद

संदर्भ:

असम के गोलाघाट जिले के विवादित बी सेक्टर में अल्पसंख्यक बहुल एक गांव में कथित तौर पर नगालैंड के सशस्त्र बदमाशों द्वारा लगभग 100 घरों में आग लगाने के बाद असम-नगालैंड सीमा भड़क गई।

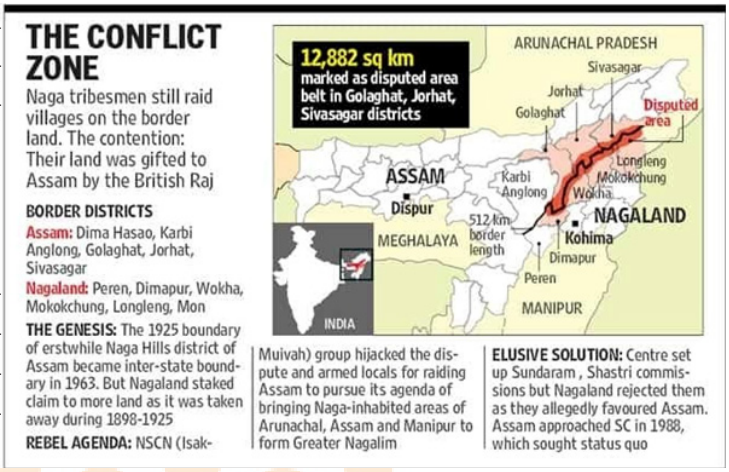

असम-नागालैंड सीमा विवाद के बारे में:

यह क्या है?

- असम-नागालैंड सीमा विवाद असम के गोलाघाट, जोरहाट और शिवसागर जिलों के कुछ हिस्सों पर नागालैंड द्वारा किए गए क्षेत्रीय दावों के इर्द-गिर्द घूमता है, विशेष रूप से विवादित क्षेत्र बेल्ट (डीएबी) में, जो आरक्षित वनों और वन भूमि का एक हिस्सा है।
- दोनों राज्य स्वामित्व का दावा करते हैं, जबकि सीआरपीएफ को 1979 से तटस्थ बल के रूप में तैनात किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

1. औपनिवेशिक सीमांकन (1826-1925): यांडाबो की संधि (1826) के बाद, अंग्रेजों ने नागा हिल्स जिला (1866) बनाया। बाद की अधिसूचनाओं ने नागाओं से परामर्श किए बिना सीमाओं को फिर से परिभाषित किया।
2. स्वतंत्रता के बाद के तनाव (1947-1963): नागाओं ने 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा की; बाद में, नागा हिल्स-तुएनसांग क्षेत्र अधिनियम (1957) और नागालैंड राज्य अधिनियम (1962) ने नागालैंड के राज्य के दर्जे को औपचारिक रूप दिया, लेकिन एक स्पष्ट सीमा समझौते के बिना।
3. आयोग और समझौते:
   - सुंदरम आयोग (1972): यथास्थिति बनाए रखने के लिए चार अंतरिम समझौतों का नेतृत्व किया।
   - शास्त्री आयोग (1985), जेके पिल्लई आयोग (1997), वरियावा और चटर्जी आयोग (2006) ने सीमा समाधान का प्रयास किया लेकिन असफल रहे।

विवादित क्षेत्र बेल्ट के बारे में:

- सीमा विवाद भूमि के महत्वपूर्ण इलाकों पर नागालैंड के क्षेत्रीय दावों पर केंद्रित है जो कानूनी रूप से असम की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर आते हैं।
- विवादित क्षेत्र बेल्ट (डीएबी): यह संघर्ष विवादित क्षेत्र बेल्ट (डीएबी) में केंद्रित है - वन भूमि (आरक्षित वन) जो 512.1 किलोमीटर अंतर-राज्य सीमा के साथ चलता है, जो मुख्य रूप से असम के गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर और कार्बी आंगलोंग जिलों में फैला हुआ है।

दावा:

- असम 1963 में नागालैंड के राज्य के गठन के समय परिभाषित संवैधानिक सीमा को बनाए रखता है।
- हालांकि, नागालैंड ऐतिहासिक पूर्व-औपनिवेशिक या औपनिवेशिक समझौतों (जैसे 1960 के 16-सूत्री समझौते) पर आधारित सीमा पर जोर देता है, जिसमें प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेजों द्वारा नागा हिल्स जिले से बाहर स्थानांतरित किए गए नागा पैतृक क्षेत्रों की "बहाली" शामिल होगी।
- असम का आरोप है कि नगालैंड ने डीएबी में अपने 60,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ)

संदर्भ:

लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की बैठक में, 57 देशों ने अमेरिकी विरोध के बाद एक साल तक कार्बन मुक्त वैश्विक शिपिंग के लिए एक रूपरेखा को अपनाने में देरी करने के लिए मतदान किया।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के बारे में:

यह क्या है?

- आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सुरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन को विनियमित करने, समान वैश्विक समुद्री मानकों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- 1948 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा निर्मित, आईएमओ 1958 में लागू हुआ और 1959 में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जो समुद्री शासन पर वैश्विक सहयोग की शुरुआत को चिह्नित करती है।
- मुख्यालय: संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है।
- उद्देश्य: इसका प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित, सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार शिपिंग को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी देश सुरक्षा या पर्यावरण मानकों की उपेक्षा करके अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त न करे।

कार्यों:

- SOLAS (समुद्र में जीवन की सुरक्षा) और MARPOL (जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम) जैसे वैश्विक समुद्री सम्मेलनों को तैयार और अद्यतन करता है।
- सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जहाज के डिजाइन, निर्माण, संचालन और निपटान को नियंत्रित करता है।
- जहाजों के कारण होने वाले समुद्री और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नियम विकसित करता है।
- नाविक प्रशिक्षण, प्रमाणन और प्रबंधन मानकों की देखरेख करता है।
- टिकाऊ समुद्री परिवहन को बढ़ावा देकर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी -14 (पानी के नीचे जीवन) का समर्थन करता है।

कार्बन-मुक्त शिपिंग के लिए फ्रेमवर्क के बारे में:

यह क्या है?

- कार्बन-मुक्त शिपिंग ढांचा आईएमओ की 2023 ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) रणनीति के तहत एक रणनीतिक योजना है जिसका उद्देश्य 2050 तक वैश्विक समुद्री परिवहन को शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर स्थानांतरित करना है।
- उद्देश्य: जहाजों के लिए एक वैश्विक ईंधन मानक और कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र शुरू करना, 2030 तक कार्बन तीव्रता को कम से कम 40% तक कम करना और सदी के मध्य तक शिपिंग क्षेत्र के पूर्ण डीकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करना।

सुविधाएँ:

- एक नया ईंधन मानक स्थापित करता है जो हरित हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे कम और शून्य-उत्सर्जन विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन के क्रमिक प्रतिस्थापन को अनिवार्य करता है।
- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने और भारी उत्सर्जकों को दंडित करने के लिए एक वैश्विक कार्बन-मूल्य निर्धारण तंत्र पेश करता है।
- पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप 2027 के बाद से उपायों को लागू करता है।
- समुद्री ईंधन दक्षता में तकनीकी नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
- कार्यान्वयन में समानता को बढ़ावा देता है, विकासशील देशों को अनुपालन के लिए वित्त और हरित प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की अनुमति देता है।

जेएआई रणनीति

संदर्भ:

भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने प्रधानमंत्री की "जेएआई रणनीति" - संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार के कार्यान्वयन की शुरुआत की है, जो आगामी त्रि-सेवा अभ्यास 'एक्स त्रिशूल' के साथ रक्षा तैयारियों को संरेखित करता है।

JAI रणनीति के बारे में:

यह क्या है?

- जेएआई रणनीति का अर्थ संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार है - भारत के रक्षा इकोसिस्टम को एक सामंजस्यपूर्ण, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बल में बदलने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक दूरदर्शी ढांचा।
- उद्देश्य: निर्बाध परिचालन तालमेल के लिए सशस्त्र बलों की सभी तीन शाखाओं को एकीकृत करना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत करना और भारत के सैन्य सिद्धांत में नवाचार और प्रौद्योगिकी को शामिल करना।

महत्व:

- तेजी से निर्णय लेने और संयुक्त युद्ध तैयारी के लिए तीनों सेनाओं के समन्वय को बढ़ावा देता है।
- स्वदेशी हथियारों, प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भरता) को प्रोत्साहित करता है।
- अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए एआई, साइबर और आईएसआर (इंटेलिजेंस-सर्विलांस-टोही) क्षमताओं का मिश्रण करते हुए नवाचार-आधारित परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है।
- उभरते वैश्विक खतरों और आधुनिक संघर्ष के बदलते चरित्र के साथ भारत की रक्षा मुद्रा को संरेखित करता है।

CCS UPSC

11 योजना नवम्बर 2025

1. करियर के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण

संदर्भ:

शिक्षा पूर्ण मानवीय क्षमता हासिल करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज विकसित करने, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने और 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौलिक है, इसलिए स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का बहु-विषयक दृष्टिकोण सर्वोपरि महत्व प्राप्त करता है। एनईपी 2020 नीति शिक्षा में शिक्षण और अधिगम के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर बहुत अच्छी तरह से ज़ोर देती है।

समग्र शिक्षा

- शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण विषयों के एकीकरण और अधिक समग्र तथा सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। यह एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो कई विषयों या अध्ययन के क्षेत्रों से सामग्री और शिक्षण विधियों को आत्मसात करता है।
- एक बहु-विषयक शिक्षा कार्यक्रम में, छात्रों को किसी एक विषय या अध्ययन के सीमित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जो व्यापक समझ को प्रतिबंधित करता है, विभिन्न विषय क्षेत्रों के ज्ञान, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली से परिचित कराया जाता है। इसमें विषयों का एकीकरण, परस्पर जुड़ी हुई शिक्षा और सहयोगात्मक ज्ञान शामिल है।
- शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण कठोर और पारंपरिक स्ट्रीम-आधारित संरचना को खत्म कर सकता है और छात्रों को उनके भविष्य के लक्ष्यों के अनुसार उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन के साथ अपने जुनून का पालन करने में सहायता कर सकता है। यह छात्रों के बीच कौशल विकास (skilling), पुनर्-कौशल विकास (reskilling) और उन्नत कौशल विकास (upskilling) की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो ज्ञान अर्थव्यवस्था के नए युग में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- एनईपी 2020 स्वामी विवेकानंद के 'मनुष्य निर्माण शिक्षा', श्री अरबिंदो के 'एकीकृत शिक्षा' और महात्मा गांधी की 'बुनियादी शिक्षा' के सच्चे सार को दर्शाता है।
- यह संचार, अनुकूलनशीलता, सत्यनिष्ठा, सहयोग, टीम वर्क, नेतृत्व, जवाबदेही, करुणा, समानुभूति, लचीलापन, आदि जैसे सॉफ्ट स्किल्स को 'जीवन कौशल' के रूप में मान्यता देता है, जबकि ज्ञान के क्षेत्र में महारत और दक्षता को 'कठोर कौशल (hard skills)' के रूप में मान्यता देता है।
- दोनों का संयोजन ज्ञान और पारस्परिक गुणों के बीच एक कुशल संतुलन बनाता है।
- गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं का एक स्रोत माना जाता था जिसने विशेषज्ञता और मानवता के तत्वों का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन किया। गुरुकुलों में छात्रों को ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, कानून, राजनीति और युद्ध कला के साथ-साथ अन्य व्यावसायिक और पेशेवर कौशल में प्रशिक्षित किया जाता था।
- विनम्रता, सत्यनिष्ठा, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और जीवन के अन्य सभी पहलुओं जैसे मूल्यों पर भी ज़ोर दिया गया था। बहु-विषयक शिक्षा केवल एक शैक्षिक दर्शन नहीं थी, बल्कि दुनिया को समझने का एक ठोस तरीका थी।
- बहु-विषयक शिक्षा भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को ऐसे आलोचनात्मक विचारकों को आकार देने में मदद करेगी जो अपनी शिक्षा से प्राप्त शिक्षा की व्यापकता और गहराई का उपयोग करके नए युग के मुद्दों को हल करने के लिए बॉक्स से बाहर सोच सकते हैं।
- यह छात्रों को वैश्विक रूप से जागरूक बनाने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और स्वतंत्र सोच वाले नैतिक नागरिक बनाने के लिए मूल्य-आधारित शिक्षा और वैश्विक नागरिकता शिक्षा (GCED) पर केंद्रित है।

करियर और रोजगार क्षमता

- नौकरी की स्थिरता प्राप्त करना और किसी पेशे के अनुरूप होना भारत में पारंपरिक करियर पथ की पहचान रहा है। बदलता विश्व परिदृश्य और 21वीं सदी की उभरती ज़रूरतें पहले से कहीं ज़्यादा अलग कौशल सेट और प्राथमिकताओं की मांग करती हैं।
- नौकरियों में कौशल और दक्षता बदल रहे हैं, इसलिए नौकरियों के प्रति दृष्टिकोण भी तदनुसार बदलना चाहिए। करियर मैपिंग, करियर विकल्प और करियर परामर्श को शिक्षार्थियों को रोज़गार बाज़ार और जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से जोड़ने के लिए प्रमुख प्रगति के रूप में मान्यता दी गई है।
- यदि शिक्षा के बहु-विषयक दृष्टिकोण को करियर मैपिंग और विकल्पों के साथ अच्छी तरह से जोड़ा जा सकता है, तो यह भारत को एक समृद्ध ज्ञान समाज और मानव पूंजी में वैश्विक महाशक्ति में बदल सकता है।

एकीकृत पाठ्यक्रम

- एनईपी 2020 का लक्ष्य आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और विश्वविद्यालयों में लचीले संयोजन और अवधि के साथ नए युग के पाठ्यक्रम शुरू करना है। ये पाठ्यक्रम बहु-विषयक शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और अनुसंधान-उन्मुख कार्यक्रमों पर ज़ोर देते हैं। विश्वविद्यालयों ने एनईपी 2020 के साथ संरेखित ऑन-डिमांड पाठ्यक्रम भी पेश करना शुरू कर दिया है।
- कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लेने वाले साहित्य के छात्र को पारंपरिक भारतीय शिक्षा परिदृश्य में अनसुना किया गया है।

कंप्यूटर कौशल और डिजिटल साक्षरता के साथ संयुक्त 'हिंदी साहित्य' पर एक पाठ्यक्रम कई मायनों में छात्रों के लिए सहायक होगा, खासकर अनुवाद-संबंधी क्षेत्रों में।

बहु प्रवेश और निकास विकल्प

- एनईपी 2020 बहु प्रवेश और निकास विकल्पों की अनुमति देता है, जिससे एक अधिक लचीला शिक्षण मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण संभव होता है। भारतीय अकादमिक पारिस्थितिकी तंत्र अपने पाठ्यक्रमों में ऐसी सुविधाएं शुरू करने के लिए कमर कस रहा है।
- क्रेडिट-आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों को उनकी पसंद और उद्योग की मांग के आधार पर कोई भी पाठ्यक्रम लेने में सक्षम बनाएगी। शिक्षाविदों को व्यावहारिक नौकरी के अनुभव के साथ मिलाना शिक्षार्थियों के करियर विकल्पों और योग्यता को रोज़गार बाज़ार की आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से मिला देगा।

बहु-विषयक पाठ्यक्रम

- पर्यावरण अध्ययन और स्थिरता: पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के पाठ्यक्रम कानून, डेटा प्रबंधन, पारिस्थितिकी, नीति और सामाजिक विज्ञान के साथ एकीकृत किए जा रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, स्मार्ट भवन, सामाजिक उद्यमिता पर पाठ्यक्रम युवाओं को विभिन्न करियर विकल्प प्रदान कर सकते हैं।
- कला और मानविकी: सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य के कार्यक्रम प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, रचनात्मक लेखन, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सॉफ्ट स्किल्स और कानून के ज्ञान के साथ आपस में जुड़े हुए हैं ताकि उन्हें रोज़गार योग्य बनाया जा सके।
- प्रौद्योगिकी का ज्ञान: एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर-सुरक्षा और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों को लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और सभी पारंपरिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के साथ विशेषज्ञता वाले बहु-विषयक कार्यक्रमों के रूप में पेश किया जाता है।
- स्वास्थ्य, चिकित्सा, मनोविज्ञान और संबद्ध विज्ञान: स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सामुदायिक स्वास्थ्य के पाठ्यक्रमों को सामाजिक कार्य, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक स्वास्थ्य, हर्बल पोषण, आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के ज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
- अर्थशास्त्र और व्यवसाय: बहु-विषयक दृष्टिकोण उद्यमिता, ई-कॉमर्स और वित्तीय साक्षरता जैसे विषयों में देखे जा सकते हैं, जो अक्सर अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रशासन, सार्वजनिक नीति, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी का संयोजन करते हैं।
- कंप्यूटर विज्ञान और उद्यमशीलता नेतृत्व: यह कंप्यूटर के ज्ञान को स्टार्ट-अप और उद्यमिता के निर्माण और नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण कौशल के साथ जोड़ता है।
- समग्र विकास: एनईपी 2020 छात्र के समग्र विकास पर ज़ोर देता है जिसमें उनका शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक कल्याण शामिल है। इसका उद्देश्य एक सुव्यवस्थित व्यक्ति विकसित करना है जो आत्मविश्वास और योग्यता के साथ विभिन्न स्थितियों और समस्याओं को संभाल सकता है।
- डिजिटल शिक्षा: एनईपी 2020 जीवन और काम करने के सभी क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा पर ज़ोर देता है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग छात्रों को आवश्यक डिजिटल कौशल से लैस करेगा और उन्हें डिजिटल युग के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगा।

निष्कर्ष:

एनईपी 2020 एक समग्र और बहु-विषयक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है, जिसका उद्देश्य अद्वितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना और आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान, अनुकूलनशीलता और सीखने के लिए आजीवन प्रेम की खेती के साथ-साथ सीखने के पथ की पहचान करना है। मुख्य मूलभूत कौशल में एक मजबूत नींव, एक लचीला और विविध पाठ्यक्रम और अभिनव शैक्षणिक दृष्टिकोण के माध्यम से, एनईपी 2020 में अच्छी तरह से विकसित व्यक्तियों को पोषित करने की क्षमता है जो समाज में सार्थक रूप से योगदान कर सकते हैं। हालांकि इसके कार्यान्वयन में चुनौतियां हैं, बहु-विषयक दृष्टिकोण में करियर विकल्पों के लिए अपार संभावित लाभ हैं।

2. दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा

संदर्भ:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 मानव क्षमता को खोलने और एक न्यायसंगत समाज के निर्माण की कुंजी के रूप में शिक्षा पर ज़ोर देकर इस दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती है। यह दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के साथ संरेखित है, जो समान कानूनी क्षमता की गारंटी देता है, भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और समावेशी प्रथाओं को अनिवार्य करता है। देश भर में समावेशी शिक्षा पहल बाधाओं को दूर करने और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं।

उनकी ज़रूरतों को समझना

- RPwD अधिनियम 2016 दृष्टिबाधितता (कम दृष्टि और अंधापन दोनों सहित) को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देता है। भारत में पाँच मिलियन से अधिक दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ, उनकी शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना एक संवैधानिक कर्तव्य और एक नैतिक अनिवार्यता दोनों है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों की विशिष्ट सीखने की ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए उनकी कुछ अनूठी सीखने की ज़रूरतों और महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

कानूनी और नीतिगत ढांचा

- दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016: यह ऐतिहासिक अधिनियम विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को अनिवार्य करता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को सुलभ शिक्षण वातावरण, उचित आवास और सहायक प्रौद्योगिकियों की पेशकश करने की आवश्यकता होती है। धारा 16 और 17 विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के कर्तव्यों को संबोधित करते हैं और शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम अनुकूलन जैसे उपायों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020: एनईपी 2020 समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, दृष्टिबाधित छात्रों का समर्थन करने के लिए बाधा-मुक्त पहुँच, पाठ्यक्रम समायोजन और व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण की वकालत करता है।
- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992: यह अधिनियम विशेष शिक्षकों और परामर्शदाताओं सहित विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए महत्वपूर्ण है जो दृष्टिबाधित छात्रों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाएं

- समग्र शिक्षा अभियान: प्री-प्राइमरी से कक्षा XII तक की स्कूली शिक्षा के लिए यह एकीकृत योजना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की पहचान और आकलन, आवश्यक सहायता और उपकरण प्रदान करने और विशेष शिक्षकों को तैनात करने पर ध्यान केंद्रित करके समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (SIPDA): यह केंद्रीय पहल सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और परिवहन प्रणालियों में बाधा-मुक्त वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पहुँच और समावेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। S1PDA बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल प्रशिक्षण और सहायक प्रौद्योगिकियों का समर्थन करता है।
- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS): गैर-सरकारी संगठनों को धन के माध्यम से, DDRS विशेष स्कूलों और समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों का समर्थन करता है। यह पूरे भारत में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काम करने वाले संस्थानों का समर्थन करता है।
- दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उच्चतर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले बेंचमार्क विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिससे उच्च शिक्षा का वित्तीय बोझ कम होता है।
- सहायता और उपकरण योजना की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (ADIP योजना): यह योजना विकलांग व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए आधुनिक, प्रमाणित सहायक उपकरण प्रदान करती है।
- दिव्यांगजन के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-SDP): यह योजना उनकी रोजगार क्षमता और स्वतंत्रता में सुधार के लिए विकलांग व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें पाठ्यक्रम डिजाइन, मेंटरशिप और प्लेसमेंट समर्थन शामिल है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा कार्यान्वित, यह योजना प्रमाणित प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से 2.5 मिलियन पीडब्ल्यूडी को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

संस्थागत सहायता

- राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन) NIEPVD: देहरादून में स्थित, NIEPVD एक प्रमुख स्वायत्त संगठन है जो शैक्षणिक कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एम.एड., बी.एड., डी.एड. इन स्पल एड. (वीआई)), और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह अनुसंधान, ब्रेल उत्पादन और क्षमता-निर्माण पहलों में भी सक्रिय रूप से शामिल है। अपनी बहुआयामी सेवाओं के माध्यम से, NIEPVD दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT): एनसीईआरटी, नई दिल्ली, ने दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए कई समावेशी पहलें शुरू की हैं। DIKSHA और PM e-Vidya जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से, एनसीईआरटी DAISY (डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम)-प्रारूप पाठ्यपुस्तकें और सुलभ डिजिटल सामग्री प्रदान करता है। बरखा पठन श्रृंखला टैक्टाइल दृश्यों के साथ सार्वभौमिक डिजाइन को बढ़ावा देती है। एनसीईआरटी ऑडियो पुस्तकें और शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री भी विकसित करता है।

मुख्य प्रवर्तक

- सुलभ शिक्षण सामग्री (Accessible Learning Materials) मानक मुद्रित सामग्री अक्सर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए दुर्गम होती है, जिससे वे पारंपरिक शैक्षिक सामग्री के साथ जुड़ने की अपनी क्षमता को सीमित करते हैं। समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, संसाधनों को ब्रेल पुस्तकें, टैक्टाइल आरेख, ऑडियो सामग्री और डिजिटल उपकरण जैसे सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध होना चाहिए। ये प्रारूप दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को प्रभावी ढंग से पढ़ने, लिखने और सीखने के लिए सशक्त बनाते हैं, शैक्षणिक सफलता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं। RPwD अधिनियम, 2016, और एनईपी, 2020, सुलभ शिक्षा को कानूनी अधिकार के रूप में पुष्टि करते हैं।
- कानूनी और संस्थागत सहायता (Legal and Institutional Support) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और संस्थागत सहायता महत्वपूर्ण है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में समावेशी शिक्षा और उचित आवास को अनिवार्य करता है। ये कानूनी और संस्थागत ढांचे दृष्टिबाधित छात्रों को समान शर्तों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं, स्वतंत्रता, कौशल विकास और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देते हैं।

- उपरोक्त के अलावा, पिछले 10 वर्षों में निम्नलिखित प्रमुख विकास हुए हैं जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं:
- RPwD अधिनियम 2016 अधिनियमित किया गया था, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा को व्यापक रूप से कवर करता है।
- भारत सरकार के DEPwD द्वारा यूनिकोड-मैप किए गए ब्रेल कोड जारी किए गए, जो ब्रेल के लिए अधिक तकनीकी समावेशन का मार्ग प्रशस्त करता है।
- मुफ्त ब्रेल पुस्तक उत्पादन और वितरण की योजना (अब DALM परियोजना) 2014-15 में शुरू की गई थी और नवंबर 2023 में ब्रेल के अलावा अधिक सुलभ प्रारूपों को शामिल करके और शिक्षा के सभी चरणों को पूरा करके संशोधित की गई थी।
- विज्ञान स्ट्रीम शिक्षा का प्रचार और सुविधा। मॉडल स्कूल, NIEPVD में भी 2024 में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे।
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ओरिएंटेशन और मोबिलिटी सहायता पर प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी (O&M)। RCI O&M प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत कर रहा है।
- कौशल विकास पाठ्यक्रम को हाल ही में पुनः डिज़ाइन किया गया था, और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।
- उच्च शिक्षा को सुविधाजनक बनाने और नौकरी हासिल करने के लिए मुफ्त कोचिंग योजनाएं शुरू की गईं।
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा अधिक वरीयताओं को समायोजित करने के लिए अधिक लचीले मूल्यांकन दिशानिर्देश पेश किए गए थे।

निष्कर्ष:

उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, सीमित क्षेत्रीय संसाधन, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण और सामाजिक कलंक सहित चुनौतियां बनी हुई हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए लगातार निवेश, नवाचार और जागरूकता की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करके कि प्रत्येक दृष्टिबाधित बच्चे को न्यायसंगत शैक्षिक अवसर प्राप्त हों, भारत एक ऐसे समाज के करीब पहुंच रहा है जहाँ सशक्तिकरण केवल एक संभावना नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक जीवित वास्तविकता है।

3. रचनात्मकता और उद्यमशीलता का विकास

संदर्भ:

एआई, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग के साथ दुनिया तेज़ी से विकसित हो रही है। अपने छात्रों को विकसित हो रहे भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को उभरती उद्योग मांगों के साथ संरेखित करें। 2047 में संस्थानों/विश्वविद्यालयों की प्रकृति प्रगतिशील और गतिशील होने की उम्मीद है, जिसमें नवाचार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाएगा। हमें अपने छात्रों को केवल ज्ञान से ही नहीं, बल्कि उद्योग 5.0—जो उद्योग 4.0 से परे अगला विकासात्मक छलांग है—के आने वाले युग में फलने-फूलने के लिए आवश्यक कौशल और मानसिकता से भी लैस करना चाहिए।

नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

इस दृष्टिकोण के साथ संरेखित, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) अपनी पहलों के माध्यम से जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, KAPILA—आईपी साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल (IICs), स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम (SIATPJ), स्कूल इनोवेशन काउंसिल (SICs), AICTE प्रोडक्टाइज़ेशन फेलोशिप, और AICTE औद्योगिक फेलोशिप प्रोग्राम शामिल हैं।

मेंटर और छात्रों को सशक्त बनाना

उच्च शिक्षा संस्थानों में हमारी ज़बरदस्त सफलता ने हमें स्कूलों में भी इसी तरह के कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। 'स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हमारी राष्ट्रीय नीति' इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नीति स्कूल छात्रों के बीच नवाचार, उद्यमशीलता क्षमताओं और समस्या-समाधान कौशल को विकसित करने पर केंद्रित है। यह नीति कक्षाओं में रचनात्मक विचार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने पर स्कूलों का मार्गदर्शन करती है, जहाँ छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में 1.5 मिलियन से अधिक स्कूलों और 250 मिलियन छात्रों के साथ, हम देश के प्रत्येक छात्र तक पहुँचने की उम्मीद करते हैं। स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम (SIATP) को संयुक्त रूप से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल (MIC), और CBSE द्वारा लॉन्च किया गया था। इस 72 घंटे के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, शिक्षकों को पाँच महत्वपूर्ण डोमेन में प्रशिक्षित किया जाता है:

- डिज़ाइन थिंकिंग और नवाचार
- विचार सृजन और हैंडहोल्डिंग
- उद्यमिता और प्रोटोटाइप/उत्पाद विकास
- बौद्धिक संपदा अधिकार
- वित्त, बिक्री और मानव संसाधन प्रबंधन

नवाचार डिज़ाइन और उद्यमिता (IDE):

यह एक और महत्वपूर्ण पहल है जिसे उजागर करने लायक है। आईडीई बूटकैंप, जिसे उच्च शिक्षा के लिए AICTE और MIC द्वारा, और स्कूलों के लिए MIC के सहयोग से DoSEL द्वारा लॉन्च किया गया था, को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों दोनों को व्यावहारिक जोखिम प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था। यह पहले ही स्कूलों के लिए 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों

में 48 स्थानों पर 9,692 प्रतिभागियों को, और उच्च शिक्षा के लिए 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 46 स्थानों पर 10,000 से अधिक प्रतिभागियों को लाभान्वित कर चुका है, जिससे एक लहर प्रभाव पैदा हो रहा है जो कक्षाओं को रचनात्मकता के केंद्र में बदल रहा है। उद्योग, ऊष्मायन केंद्रों और स्टार्टअप के प्रख्यात विशेषज्ञ मेंटर के रूप में आगे आए हैं, जो अपनी व्यावहारिक अंतर्दृष्टि साझा कर रहे हैं और प्रतिभागियों को समस्या-समाधान के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। बूटकैंप उन्हें डिज़ाइन थिंकिंग टूल में महारत हासिल करने, ग्राहक-केंद्रित समाधान बनाने और विचार से बाज़ार तक की उद्यमशीलता यात्रा को समझने की क्षमता से लैस करता है।

निष्कर्ष:

आज हम जो नवाचार के बीज बो रहे हैं, वे समाधान, स्टार्टअप और उद्यमों में खिलेंगे जो हमारे राष्ट्र के भाग्य को आकार देंगे। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए हाथ से काम करें कि 2047 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल मनाएगा, हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में गर्व से खड़े होंगे जिसने न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि नवाचार, ज्ञान और प्रगति का वैश्विक केंद्र भी बन गया है।

4. किशोर और एक साइबर सुरक्षित दुनिया

किशोरों को साइबर दुनिया के आसन्न खतरों से सुरक्षित रखने और स्क्रीन के उपयोग को न्यूनतम रखने के लिए, कई तरीके आज़माए जाते हैं। किशोरों को निर्देश दिए जाते हैं, फुसलाया जाता है और धमकाया जाता है। स्क्रीन या तो बिल्कुल नहीं दी जाती है या छीन ली जाती है। उन्हें लगातार याद दिलाया जाता है या फटकार लगाई जाती है कि वे फोन को दूर रखें। अगर वे नहीं सुनते हैं तो उन्हें भयानक परिणामों की चेतावनी दी जाती है। उनके सामने एक निराशाजनक भविष्य को धमकी भरे अंदाज़ में लटकाया जाता है। अफसोस, यह सब बहरे कानों पर पड़ता है।

किशोर मस्तिष्क को समझना

जब हम किशोरों के विकासात्मक चरण को समझते हैं, तो इन हस्तक्षेपों की व्यर्थता के कारण स्पष्ट हो जाते हैं। किशोर स्वतंत्र और जिम्मेदार वयस्क बनने की प्रक्रिया में हैं। इस संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए, मानव मस्तिष्क कुछ महत्वपूर्ण पुनर्गठन से गुज़रता है। तंत्रिका तंत्र अपने न्यूरॉन्स के बीच बहुत सारे नए कनेक्शन बनाता है। यह अक्सर उपयोग किए जाने वाले मार्गों को भी मज़बूत करता है, और कम उपयोग किए जाने वाले मार्गों को समाप्त करता है। भावनात्मक मस्तिष्क अपने चरम रूप में होता है। मस्तिष्क का फ्रंटल लोब, जो विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, को अभी तक गति पकड़नी बाकी है। साथ ही, जिस तरह से वे सोचते हैं वह मुख्य रूप से 'काले और सफेद' में होता है, जिसका अर्थ है कि वे तत्काल पुरस्कारों के आधार पर निर्णय लेते हैं, और अपने सोचने को दीर्घकालिक परिणामों तक बढ़ाने में विफल रहते हैं। इसका परिणाम अनिवार्य रूप से ब्रेक के बिना कार जैसी स्थिति में होता है। नतीजतन, किशोर जिज्ञासु, प्रयोगधर्मी और जोखिम लेने वाले होते हैं। उनका अपना दिमाग होता है। वे अलग तरह से सोचते हैं और वे अपने निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य के बारे में चेतावनियों का उनके लिए बहुत कम मतलब होता है। वे सलाह को नीची नज़र से देखते हैं और आदेशों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। चूंकि उन्हें प्रयोग करना पसंद है, इसलिए हर निषिद्ध चीज़ अनिवार्य रूप से ज़रूर-होनी-चाहिए बन जाती है। इन सभी कारणों से सामान्य माता-पिता की तकनीकें विफल हो जाती हैं। किशोरों तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें प्रक्रिया में शामिल करना है।

साइबर सुरक्षा शिक्षा

- ऑनलाइन सुरक्षा: ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। पासवर्ड का बार-बार बदलना, पासवर्ड किसी के साथ साझा न करना (भरोसेमंद दोस्तों के साथ भी नहीं), संदेश और फोटो और वीडियो पोस्ट करने से पहले सावधानी, और स्पष्ट व्यक्तिगत जानकारी से दूर रहना कुछ तरीके हैं। किशोर सोशल मीडिया पर व्यापक समय बिताते हैं। इसलिए, उन्हें बहुत ऑनलाइन बदमाशी (ऑनलाइन बुलीइंग) का सामना करना पड़ता है। उन्हें बदमाशी को संभालने के उचित तरीके सिखाए जाने चाहिए। वयस्कों को उन्हें मदद का आश्वासन देना चाहिए। उपयुक्त साइबर-सेल नंबर स्कूलों और घर पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 है।
- दूसरे के ऑनलाइन स्थान का सम्मान करना: ट्रोलिंग बहुत आम है क्योंकि लोग अनाम रहने का विकल्प चुन सकते हैं। यह अपराधी के साथ-साथ लक्षित व्यक्ति दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सम्मानजनक सीमाओं का ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे किशोरों को सीखने की आवश्यकता है।
- सक्रियता के लिए डिजिटल स्पेस का उपयोग करना: डिजिटल स्पेस का उपयोग विभिन्न समस्याओं या बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने, व्यक्तियों द्वारा किए गए अच्छे काम, पर्यावरण संरक्षण आदि को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।
- ज्ञान प्राप्ति और सीखने के लिए डिजिटल स्पेस का उपयोग करना: कई किशोर ऑफ़लाइन व्याख्यान के बजाय ऑनलाइन व्याख्यान में भाग लेना पसंद करते हैं। एक कॉलेज जाने वाले युवक ने एक बार मुझे बताया कि वह इसे पसंद करता है क्योंकि उसे वास्तविक व्याख्यान बहुत धीमा लगता है, और वह इसे ऑनलाइन दोगुनी गति तक बढ़ा सकता है। लेकिन ऑनलाइन सीखने का उपयोग इन-पर्सन लर्निंग के साथ मिलकर किया जाना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि किशोर सामाजिककरण से वंचित हो।
- डिजिटल साक्षरता: किशोरों को ऑनलाइन जानकारी लेते समय, मनोरंजन कार्यक्रम उपभोग करते समय और ऑनलाइन गेम खेलते समय अपने आलोचनात्मक निर्णय का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में शिक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- रील और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन: यह चिंताजनक है कि वास्तविकता और आभासी वास्तविकता के बीच की पतली रेखा कितनी आसानी से धुंधली हो जाती है। इंटरनेट की लत को अब एक वास्तविक बीमारी माना जाता है। इन-पर्सन मीटिंग, आउटडोर गेम्स, दूसरों की मदद करना, सामुदायिक कार्य में भाग लेना और घर के कामों में योगदान देना आज के किशोरों को जमीन से जोड़े रखने के कुछ तरीके हैं।

डिजिटल मीडिया साक्षरता के दृष्टिकोण

- अच्छा संचार: इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभावी संचार सबसे कीमती उपकरण है जो हमें किशोरों तक पहुँचने में मदद करता है। यह एक पुल के रूप में कार्य करता है जो इरादे और ज्ञान के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाता है। हम इस पुल के माध्यम से अपना प्यार और समानुभूति व्यक्त करते हैं। एक ऐसा संवाद जो सम्मानजनक, समानुभूतिपूर्ण, ईमानदार और निष्पक्ष हो, वह सबसे वांछनीय है।
- सक्रिय शिक्षण: जैसा कि नाम से पता चलता है, यह शिक्षण का पारंपरिक तरीका नहीं है। इसमें दो-तरफा संचार, चर्चाओं, निर्णय लेने और परिणामों में किशोरों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। किशोर अलग-अलग विकल्पों के साथ आते हैं क्योंकि उनके पास नए दृष्टिकोण का लाभ होता है। साथ ही, इस प्रकार की बातचीत वांछित परिणामों के साथ एक स्थायी छाप छोड़ती है।
- प्रत्याशित मार्गदर्शन: अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत! यह सुनिश्चित करना बेहतर है कि दूध पहली जगह में न गिरा हो। मोबाइल फोन सौंपे जाने के समय से ही व्यक्ति और परिवार के लिए कुछ आधारभूत नियम होने चाहिए; जिसमें क्या करें और क्या न करें, संभावित ऑनलाइन स्थितियों को संभालने के विभिन्न तरीके, उपयोग की समय सीमा, नियमों का पालन न करने के परिणाम आदि शामिल हैं।
- जीवन कौशल शिक्षा: किशोरों को जीवन कौशल से सशक्त बनाया जा सकता है ताकि वे मेक-बिलीव दुनिया में जाने के जबरदस्त प्रलोभन का विरोध करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ सीख सकें। जीवन कौशल अनुकूली व्यवहार की क्षमताएं हैं जो एक व्यक्ति को दिन-प्रतिदिन की स्थितियों को प्रभावी ढंग से और शालीनता से संभालने के लिए सशक्त बनाती हैं। मेनू की योजना बनाना जैसी सामान्य दिखने वाली स्थिति भी रचनात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच, निर्णय लेने, योजना बनाने और समय प्रबंधन जैसे कौशल प्रदान करने का एक शानदार अवसर हो सकती है। ये कौशल स्कूलों में गैर-धमकी भरे तरीके से प्रदान किए जा सकते हैं जहाँ कैप्टिव दर्शकों का एक अनूठा लाभ होता है।
- प्यार और समानुभूति: इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता-पिता और शिक्षक किशोरों से प्यार करते हैं; लेकिन किसी तरह, वह प्यार उन तक अपना रास्ता नहीं खोज पाता, यह चिंता और परवाह की बाढ़ में कहीं खो जाता है। आइए हम किशोरों के प्रति चिंता या गुस्सा व्यक्त करने जितना ही, अगर उससे ज़्यादा नहीं, तो प्यार व्यक्त करने के तरीके खोजें।
- सहकर्मी शिक्षा: सहकर्मी एक-दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि वे जीवन के एक ही चरण से गुज़र रहे हैं और वे एक ही भाषा बोलते हैं। हम सहकर्मी को अन्य किशोरों का समर्थन और शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं।
- कानून और ऐप्स: कानून हमें एक दिशानिर्देश देता है, हमें धोखाधड़ी से बचाता है, और इसे एक निवारक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह साबित हो गया है कि किशोरों के साथ कानूनों पर चर्चा करना उन्हें जिम्मेदार निर्णय लेने में मदद करता है। घर पर एक सामान्य कानून का पालन करने वाला वातावरण इन्हें लागू करना आसान बनाता है।
- रोल मॉडलिंग: उन माता-पिता के लिए जो अभी भी प्रौद्योगिकी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, एक रोल मॉडल बनना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे डिजिटल स्पेस का उपयोग कैसे करते हैं, वे वास्तविक और आभासी दुनिया को कैसे संतुलित करते हैं और वे सूचना अधिभार को कैसे संभालते हैं। नए की स्वस्थ स्वीकृति, और परंपरा का सम्मानजनक पालन महत्वपूर्ण है। किशोर वयस्कों का निरीक्षण करके यह सीख सकते हैं।

निष्कर्ष:

आइए हम अपने किशोरों को अच्छे साइबर नागरिक बनने और उनकी दुनिया को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक साथ आएं।

5. कौशल आधारित शिक्षा

संदर्भ:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में एकीकृत करके स्कूल शिक्षा के केंद्र में लाती है, यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक छात्र को व्यावहारिक कौशल विकसित करने और विविध करियर पथ तलाशने का अवसर मिले। यह ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा के जल्दी एकीकरण की वकालत करती है, जिसका उद्देश्य इसे हर बच्चे की सीखने की यात्रा का एक बुनियादी हिस्सा बनाना है। विशेष रूप से, ग्रेड 6 से 8 के छात्र स्थानीय कारीगरों - कुम्हार, बढ़ई, कलाकार, और अन्य - के साथ 10-दिवसीय 'बैगलेस' इंटर्नशिप जैसे लघुकालिक, व्यावहारिक अनुभव में संलग्न होते हैं, जिसे जिज्ञासा और जोखिम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ग्रेड 9 से 12 में व्यावसायिक शिक्षा मॉडल से अलग है, जो अधिक संरचित कौशल अधिग्रहण पर केंद्रित है, अक्सर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और उद्योग भागीदारों के सहयोग से, और इससे प्रमाणन या तकनीकी/उच्च शिक्षा या रोज़गार के रास्ते खुल सकते हैं।

प्रमुख उद्देश्य

नीति का इरादा व्यावहारिक और बहु-स्तरीय है: शिक्षा और रोज़गार क्षमता के बीच के अंतर को पाटना, शैक्षणिक-व्यावसायिक पदानुक्रम को कम करना, और छात्रों को बाज़ार-प्रासंगिक, समुदाय-संरेखित, और अनुकूलनीय कौशल से लैस करना। मुख्य हस्तक्षेपों में व्यावसायिक घटकों को एकीकृत करने वाले एक नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का विकास, हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से कौशल प्रयोगशालाओं का निर्माण, और आभासी व्यावसायिक शिक्षा के लिए SWAYAM जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग शामिल है। नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय सीखे और कई अन्य के संपर्क में आए - लोक विद्या जैसी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को एआई, रोबोटिक्स और आईओटी जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ मिलाना। कुल मिलाकर, एनईपी 2020 व्यावसायिक शिक्षा को केवल एक करियर ट्रैक के रूप में नहीं, बल्कि समग्र, भविष्य-उन्मुख शिक्षा के एक मुख्य तत्व के रूप में स्थान देता है।

एनईपी 2020 का व्यावसायिक प्रक्षेपवक्र

चूंकि हम एनईपी 2020 के लॉन्च के बाद से पांच साल पूरे कर रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए दृष्टि - जल्दी एकीकरण, समावेशिता और प्रासंगिकता में निहित - शिक्षा प्रणाली में सुधारों का मार्गदर्शन करना जारी रखती है। यह जमीनी स्तर पर इस दृष्टि के सामने आने का जायजा लेने का एक उपयुक्त क्षण है।

चुनौतियां

हालांकि, प्रगति और एक मजबूत नीतिगत ढांचे के बावजूद, कुछ अंतराल हैं। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर उच्च बनी हुई है, जो 2023-24 में 14.1 प्रतिशत के आसपास मँडरा रही है। छात्रों के स्कूल छोड़ने से, वे न केवल शिक्षा तक पहुँच खो देते हैं, बल्कि सार्थक और विविध व्यावसायिक रास्ते भी खो देते हैं। यह पारिवारिक बाधाओं, छात्र की अरुचि, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो पारंपरिक शिक्षाविदों को अपने भविष्य के साथ संरेखित नहीं देखते हैं, या अन्य कारणों से हो सकता है। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को अद्यतन करना एक दबाव वाली चुनौती बनी हुई है। कई हितधारकों ने उल्लेख किया है कि मौजूदा व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिजिटल सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, या हरित ऊर्जा जैसे तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में परिवर्तन की गति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को उद्योग-प्रासंगिक कौशल के साथ संरेखित रखना इसकी दीर्घकालिक विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके लिए उद्योग निकायों से निरंतर इनपुट की आवश्यकता होती है - जो अभी भी कई राज्यों में गायब है। हालांकि, इस मुद्दे के मूल में गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक धारणाएं निहित हैं। शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच कठोर अलगाव ने एक स्थायी सामाजिक पदानुक्रम बनाया है - जहाँ शैक्षणिक शिक्षा को प्रतिष्ठित माना जाता है, और व्यावसायिक शिक्षा को एक आपातकालीन उपाय (fallback) के रूप में देखा जाता है। यह न केवल ग्रहणशीलता को प्रभावित करता है, बल्कि लिंग भागीदारी को भी प्रभावित करता है। लड़के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर हावी हैं, जबकि लड़कियां - नामांकित होने पर भी - अक्सर पारंपरिक रूप से 'सुरक्षित' रूढ़िवादी क्षेत्रों जैसे सौंदर्य सेवाओं या सिलाई में निर्देशित होती हैं। ये विकल्प छात्रों की रुचि या बाज़ार की मांग के बजाय घरेलू ज़िम्मेदारियों के बारे में सामाजिक अपेक्षाओं से प्रेरित होते हैं।

आगे का रास्ता

व्यावसायिक शिक्षा में प्रारंभिक गति, बढ़ती नामांकन, कुछ राज्यों में बेहतर बुनियादी ढाँचा, और अधिक छात्र रुचि आशाजनक हैं। हालांकि, बिखरी हुई सफलताओं से प्रणालीगत परिवर्तन की ओर बढ़ने के लिए, हमें उन संरचनात्मक अंतरालों को दूर करना होगा जो एनईपी के व्यावसायिक दृष्टिकोण के वादे को सीमित करना जारी रखते हैं।

- सामाजिक धारणाओं को बदलना (Shift Societal Perceptions): व्यावसायिक ट्रैक को अभी भी दूसरे दर्जे का माना जाता है - केवल उन छात्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो शिक्षाविदों में 'कमजोर' माने जाते हैं। हमें शैक्षणिक-व्यावसायिक विभाजन को चुनौती देनी चाहिए। सार्वजनिक अभियान, नियोक्ता जुड़ाव, और पूर्व छात्र प्रदर्शन को व्यावसायिक सफलता का जश्न मनाना चाहिए। शिक्षक संवेदीकरण, माता-पिता कार्यशालाएं, और छात्रों के लिए आकांक्षा मानचित्रण मानसिकता को बदलने और कौशल-आधारित शिक्षा की स्थिति को ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं।
- बुनियादी ढांचे को मजबूत करना (Strengthen Infrastructure): सरकारें क्लस्टर मॉडल के माध्यम से संसाधन पूलिंग को प्रोत्साहित कर सकती हैं और आईटीआई जैसे मौजूदा संस्थानों का बेहतर उपयोग कर सकती हैं। किसी भी कमी को पाटने के लिए जीडीपी शिक्षा व्यय लक्ष्य के 6 प्रतिशत के साथ संरेखित होना आवश्यक है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी लैब सेटअप, उपकरण प्रावधान, और कौशल केंद्र विकास का समर्थन कर सकती है।
- कुशल व्यावसायिक शिक्षक (Skilled Vocational Educators): प्रशिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता एक अड़चन बनी हुई है। स्पष्ट भर्ती, प्रमाणन, और विकास पथ के साथ राज्य-स्तरीय व्यावसायिक शिक्षक कैडर स्थापित करना आवश्यक है। प्रशिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास, उद्योग विसर्जन, और आधुनिक शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षित होना चाहिए - न कि केवल तकनीकी सामग्री। क्षेत्र कौशल परिषदों और उद्योग निकायों के साथ भागीदारी इसका समर्थन कर सकती है।
- पाठ्यक्रम को अद्यतन करना (Update Curricula): पाठ्यक्रम गतिशील होना चाहिए और उद्योग प्रतिनिधियों, शैक्षणिक विशेषज्ञों, और व्यावसायिक शिक्षकों के साथ सह-डिज़ाइन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक स्थायी पाठ्यक्रम सलाहकार बोर्ड प्रासंगिकता और आवधिक समीक्षा सुनिश्चित कर सकता है, जबकि समस्या-समाधान, डिजिटल प्रवाह, और अनुकूलनशीलता जैसे मुख्य कौशल को एम्बेड कर सकता है।
- सूचित करियर निर्णयों को सुविधाजनक बनाना (Facilitating Informed Career Decisions): संरचित मार्गदर्शन के बिना, छात्रों - विशेष रूप से लड़कियों - को अक्सर रूढ़िवादी पाठ्यक्रमों या करियर पथों में धकेल दिया जाता है। प्रत्येक स्कूल को वर्ष-दर-वर्ष परामर्श, रुचि-आधारित आकांक्षा मानचित्रण, और विविध करियर विकल्पों के संपर्क की पेशकश करनी चाहिए। करियर पाथवे मॉड्यूल, डिजिटल अन्वेषण उपकरण, और माता-पिता का जुड़ाव मानक अभ्यास बनना चाहिए। विशेष रूप से लड़कियों को गैर-पारंपरिक, आकांक्षी क्षेत्रों - आईटी से लेकर ऑटोमोटिव मरम्मत तक - का पता लगाने के लिए समर्थित किया जाना चाहिए।
- समावेशन के लिए डिज़ाइन (Design for Inclusion): बुनियादी ढांचे के अंतराल और अनुकूलित पाठ्यक्रम की कमी के कारण दिव्यांगजन अक्सर मुख्यधारा के व्यावसायिक कार्यक्रमों से बाहर रह सकते हैं। समावेशी व्यावसायिक शिक्षा को यह सुनिश्चित करने के लिए नामांकन से परे जाना चाहिए कि CwSN सीख सकें और रोज़गार में संक्रमण कर सकें। इसके लिए सुलभ प्रयोगशालाएं, एक लचीला पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित विशेष शिक्षक, और कार्यस्थल एकीकरण को सक्षम करने के लिए नियोक्ता संवेदीकरण की आवश्यकता है।
- स्कूल-से-कार्य संक्रमण (School-to-Work Transition): इंटर्नशिप को स्पष्ट नीतियों, धन, और भागीदारी के माध्यम से संस्थानीकृत किया जा सकता है। राज्य स्थानीय उद्योगों, स्व-नियोजित पेशेवरों, या ई-मित्र जैसी सरकारी योजनाओं के सहयोग से लघुकालिक

प्लेसमेंट को अनिवार्य कर सकते हैं। छात्रों को प्रासंगिक अवसरों के लिए मैप करने के लिए स्कूल समन्वयकों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना (Leveraging Technology): DIKSHA और SWAYAM जैसे प्लेटफार्मों को स्थानीयकृत किया जाना चाहिए और स्कूल सीखने में एकीकृत किया जाना चाहिए। ग्रामीण कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण हैं। डेटा सिस्टम को लिंग, विकलांगता, स्थान, और रोज़गार परिणामों द्वारा अलग किए गए व्यावसायिक भागीदारी को ट्रैक करना चाहिए - UDISE+ और घरेलू सर्वेक्षणों के बीच एकीकरण का उपयोग करके।

निष्कर्ष:

सरकार द्वारा यह सहयोगी प्रयास न केवल लगातार कौशल अंतर को पाटने का लक्ष्य रखता है, बल्कि श्रम की गरिमा की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है, अंततः व्यावसायिक शिक्षा को पूरे राष्ट्र में आर्थिक विकास और सामाजिक गतिशीलता के लिए एक शक्तिशाली इंजन बनाता है।

6. शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली

संदर्भ:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारतीय शिक्षा में एक ऐतिहासिक सुधार पहल का गठन करती है और 21वीं सदी में देश का पहला प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली को व्यापक रूप से बदलकर राष्ट्र की बदलती विकासात्मक प्राथमिकताओं को संबोधित करना है। यह नीति एक समावेशी, लचीला और भविष्य-तैयार सीखने का पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए पाठ्यक्रमों, शिक्षाशास्त्र, नियामक तंत्र और शासन ढांचे को पुनः कल्पना करने का आह्वान करती है।

पहलू पर प्रकाश डालना

एनईपी 2020 का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) को सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में एकीकृत करने पर इसका ज़ोर है, जिससे शिक्षार्थियों को भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जा रहा है। इस समावेशन का उद्देश्य छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच, नवाचार और जड़ता की भावना को बढ़ावा देना है। एनईपी 2020 सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) जैसे वैश्विक उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जो न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वकालत करता है, जबकि साथ ही साथ शैक्षिक सुधार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों से प्रेरणा लेता है।

भारतीय ज्ञान प्रणालियों को समझना

भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ (IKS) एक छत्र शब्द है जो भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के पूरे स्पेक्ट्रम को समाहित करता है। पाँच सहस्राब्दियों से अधिक के दर्ज इतिहास और सांस्कृतिक कलाकृतियों, पुरातात्विक निष्कर्षों, साहित्य और सामाजिक प्रथाओं के विशाल संग्रह वाली सभ्यता के लिए, IKS के सटीक दायरे को परिभाषित करना एक अ immense कार्य है। इसमें साहित्यिक स्रोत, सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक रीति-रिवाज, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, और विविध भारतीय भाषाओं, बोलियों और क्षेत्रों में संरक्षित ज्ञान के अन्य भंडार शामिल हैं। किसी भी समाज में ज्ञान लगातार विकसित होता है, और इसलिए, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक भारत के बौद्धिक योगदान सामूहिक रूप से वही बनाते हैं जिसे IKS माना जाता है।

शैक्षणिक दृष्टिकोण और कार्यान्वयन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) एक स्वायत्त संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा 1961 में देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया था। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम डिजाइन करने, पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने और प्रकाशित करने, शिक्षण-सीखने की सामग्री बनाने, शैक्षिक अनुसंधान आयोजित करने, और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी पाठ्यपुस्तकें सीबीएसई स्कूलों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं और कई राज्य बोर्डों द्वारा अपनाई जाती हैं। पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के अलावा, एनसीईआरटी ई-पाठशाला और DIKSHA जैसे डिजिटल संसाधन भी विकसित करता है, जो प्रिंट और डिजिटल दोनों प्रारूपों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

भारतीय ज्ञान प्रणाली के माध्यम से शिक्षा को पुनर्जीवित करना केवल परंपरा को संरक्षित करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक समग्र, टिकाऊ और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण तरीके से सीखने को पुनः कल्पना करने के बारे में है। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ मिलाकर, भारत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बना सकता है जो बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक मूल्यों का पोषण करती है, और छात्रों को दुनिया के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है।

12 कुरुक्षेत्र नवम्बर 2025

1. राष्ट्रीय पोषण माह: सामाजिक व्यवहार संचार परिवर्तन (एसबीसीसी)

संदर्भ:

कुपोषण केवल एक सामाजिक या स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक संकट है। यह उत्पादकता को कम करता है, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर बोझ डालता है और मानव पूंजी विकास में बाधा डालता है। वैश्विक स्तर पर, कुपोषण से अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या प्रति व्यक्ति लगभग 500 अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। इस प्रकार, किसी भी राष्ट्र के लिए, कुपोषण से निपटना एक आर्थिक आवश्यकता बन जाती है।

पोषण अभियान के एसबीसीसी इंजन के रूप में पोषण माह

- राष्ट्रीय एसबीसीसी रणनीति जानबूझकर जन-, मध्य- और पारस्परिक-मीडिया और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) के मिश्रण का उपयोग करती है ताकि विभिन्न दर्शकों और प्रभावों जैसे माताओं, पिताओं, सासों, शिक्षकों, स्थानीय निर्वाचित नेताओं और धार्मिक/सामुदायिक हस्तियों तक पहुँचा जा सके।
- सामग्री में टीवी और रेडियो स्पॉट, मोबाइल वीडियो और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए फ़्लिपबुक से लेकर दीवार-पेंटिंग प्रोटोटाइप, लोक मीडिया (नुक्कड़ नाटक) और सामाजिक प्लेटफ़ॉर्म के लिए डिजिटल सामग्री शामिल है। पोषण माह इस रणनीति को निम्नलिखित के समन्वय द्वारा कार्यान्वित करता है:
  1. व्यापक प्रचार के लिए जनसंचार अभियान।
  2. सामुदायिक पैठ के लिए मध्य-मीडिया उपकरण (नुक्कड़ नाटक, स्कूल गतिविधियाँ, स्थानीय रेडियो)।
  3. अनुकूलित सहायता की आवश्यकता वाले परिवारों के लिए गहन पारस्परिक परामर्श (पोषण ट्रैकर द्वारा निर्देशित गृह भ्रमण)।
- पोषण अभियान के एक भाग के रूप में 2018 में शुरू किया गया राष्ट्रीय पोषण माह, पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे बड़े जन-नेतृत्व वाले पोषण आंदोलनों में से एक बन गया है। एक जन आंदोलन के रूप में परिकल्पित, यह जागरूकता, व्यवहार परिवर्तन और स्थानीय कार्रवाई के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए देश भर के समुदायों को संगठित करने का लक्ष्य रखता है।
- 2018 में पहले पोषण माह की शुरुआत मामूली रही। शुरुआती प्रयास मुख्यतः स्कूलों, समुदायों और आंगनवाड़ी केंद्रों में जागरूकता फैलाने पर केंद्रित थे, और उन्होंने उस नींव को रखा जो जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया जिसमें छोटे पैमाने पर नागरिक शामिल हुए।
- 2019 में, इस अभियान ने "पोषण त्यौहार से व्यवहार" थीम के साथ गति पकड़ी, जिसमें त्योहारों के उत्सवों को दैनिक जीवन में स्वस्थ पोषण प्रथाओं में बदलने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- 2021 में, अभियान ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सवों के साथ-साथ साप्ताहिक विषयगत गतिविधियों के साथ एक अधिक संरचित दृष्टिकोण अपनाया। इन विषयों में वृक्षारोपण अभियान और योग-आधारित पोषण जागरूकता से लेकर क्षेत्र-विशिष्ट पोषण किटों का वितरण और कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन शामिल थे।

निष्कर्ष:

पोषण माह, वर्ष भर चलने वाले एसबीसीसी और सेवा वितरण ढांचे का केंद्र बिंदु है। जब पोषण माह का रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाता है, तो यह सुपोषित भारत की व्यापक यात्रा में एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। पोषण माह इस बात का उदाहरण है कि कैसे अग्रिम पंक्ति प्रणालियों और स्थानीय शासन द्वारा समर्थित, एक सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध एसबीसीसी रणनीति, नीतिगत महत्वाकांक्षा को घरेलू व्यवहार में बदल सकती है। यदि भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य कुपोषण मुक्त पीढ़ी बनाना है, तो पोषण माह का महीना कैलेंडर का वह क्षण बना रहना चाहिए जब राष्ट्र न केवल अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करे, बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया को मापे, सीखे और सुदृढ़ भी करे।

2. भारत के भविष्य का पोषण

संदर्भ:

- आठवां पोषण माह चीनी और तेल की खपत को कम करके मोटापे से निपटने के महत्व, पोषण और देखभाल में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने, स्थानीय स्तर पर आवाज़ उठाने - जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता और अभिसरण कार्यों एवं डिजिटलीकरण पर भी केंद्रित है।

शिशु एवं छोटे बच्चों का आहार

- इनमें से, IYCF (शिशु एवं छोटे बच्चों का आहार) पोषण सुरक्षा की आधारशिला के रूप में उभर कर सामने आता है। हम अपने सबसे छोटे नागरिकों को जीवन के पहले 1,000 दिनों में - गर्भाधान से लेकर दो वर्ष की आयु तक - कैसे भोजन देते हैं, यह न केवल उनके विकास और स्वास्थ्य को आकार देता है, बल्कि उनके सीखने, उत्पादकता और भविष्य की संभावनाओं की नींव भी रखता है।

प्रारंभिक पोषण की शक्ति: सुपरफूड (स्तनपान) क्यों महत्वपूर्ण है

- भारत सहित दुनिया भर से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि जन्म और छह महीने के बीच का समय महत्वपूर्ण होता है। बच्चों में कुपोषण के लक्षण, जैसे कि बौनापन और कमज़ोरी, जीवन के इन्हीं शुरुआती महीनों में दिखाई देने लगते हैं।
- पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराना न केवल सांस्कृतिक ज्ञान है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि यह शिशुओं को संक्रमणों से बचाता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत बनाता है, स्वस्थ विकास को बढ़ावा देता है और शिशु मृत्यु दर को कम करता है।

पूरक आहार: मस्तिष्क और शरीर का निर्माण

- छह महीने की उम्र से, एक बच्चे की पोषण संबंधी ज़रूरतें स्तन के दूध से आगे बढ़ जाती हैं। इन शुरुआती वर्षों में प्रदान की गई देखभाल, पोषण और प्रोत्साहन स्वस्थ विकास और संज्ञानात्मक विकास की नींव रखते हैं।
- वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क जीवन के पहले 1,000 दिनों में सबसे तेजी से विकसित होता है, विशेष रूप से दो वर्ष की आयु तक, और 6 से 23 महीने के बीच भोजन की मात्रा और गुणवत्ता का उनके विकास पैटर्न पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।
- यह पूरक आहार को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) छह महीने की उम्र से स्तनपान के साथ-साथ पूरक आहार शुरू करने की सलाह देता है। 6 से 8 महीने की उम्र तक, बच्चों को स्तनपान के अलावा दो से तीन छोटे-छोटे भोजन की आवश्यकता होती है। 9 से 24 महीने की उम्र के बीच, इसे बढ़ाकर दिन में तीन से चार बार भोजन करना चाहिए, और 12 से 24 महीने की उम्र के बच्चों के लिए एक या दो स्वस्थ नाश्ते भी शामिल करने चाहिए।
- आहार में विविधता महत्वपूर्ण है। ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर होने चाहिए, चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा सीमित होनी चाहिए, और इनमें सभी प्रमुख खाद्य समूहों - अनाज और दालें, दूध उत्पाद, अंडे, मांस या मछली, के साथ-साथ फल और सब्ज़ियाँ शामिल होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उम्र में जंक फूड और चीनी-मीठे पेय पदार्थों से बचने के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, जिनके बच्चे के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं।

उत्तरदायी आहार और साझा ज़िम्मेदारी

- आहार केवल भोजन के बारे में नहीं है - यह समग्र देखभाल के बारे में है। एक महत्वपूर्ण विचार प्रतिक्रियाशील आहार को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य देखभालकर्ता और बच्चे के बीच एक दोतरफा, पोषणकारी संवाद स्थापित करना है।
- यह न केवल बच्चों को खाने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें स्वस्थ भोजन संबंधी प्राथमिकताएँ विकसित करने और धीरे-धीरे स्वतंत्र रूप से खाना सीखने में भी मदद करता है।
- शोध से पता चलता है कि प्रतिक्रियाशील आहार—जब देखभालकर्ता भोजन के समय बच्चों के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते हैं और भूख व तृप्ति के संकेतों पर ध्यान देते हैं—स्वस्थ भोजन संबंधी प्राथमिकताएँ स्थापित करने में मदद करता है, कुपोषण और मोटापे के जोखिम को कम करता है और भावनात्मक व संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है।

नीति से जमीनी स्तर पर कार्रवाई तक

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विज्ञान-आधारित आहार प्रथाओं को वास्तविक परिवर्तन में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है—अनुसंधान से नीति की ओर, और नीति से सामुदायिक स्तर पर व्यवहार की ओर।
- आंगनवाड़ी सेवाओं, घर-आधारित परामर्श, सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि प्रत्येक परिवार को सही समय पर सही ज्ञान प्राप्त हो और एक जन आंदोलन (जन आंदोलन) का निर्माण हो।
- नीतियाँ और कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब परिवार और समुदाय उन्हें अपनाएँ। IYCF प्रथाओं को अपनाकर और बढ़ावा देकर—छह महीने तक केवल स्तनपान, समय पर और विविध पूरक आहार, और उत्तरदायी देखभाल—हम कुपोषण को कम कर सकते हैं और अपने बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और उत्पादकता के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

पोषण माह मनाते हुए, आइए याद रखें कि पोषित बच्चे ही पोषित राष्ट्र हैं। आइए, हम सब मिलकर हर घर और हर समुदाय को बाल पोषण का अग्रदूत बनाने का संकल्प लें।

3. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के अंतर्गत ECCE पहल

परिचय:

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) मानव पूंजी का पहला आधार है। यह जन्म से छह वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास को संदर्भित करता है, जिसमें उनका शारीरिक और गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संचार का विकास, प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मकता शामिल है।

मुख्य विशेषताएँ:

- इसमें लचीली, गतिविधि-आधारित और पूछताछ-आधारित शिक्षा शामिल है, जिसमें अक्षर, भाषाएँ, संख्याएँ, रंग और आकृतियाँ शामिल हैं।
- वैश्विक साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि लगभग 90% मस्तिष्क विकास छह वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है और गर्भावस्था से दो वर्ष की आयु तक के पहले 1000 दिन बच्चे के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- ईसीसीई केवल प्रारंभिक साक्षरता और अंकगणित तक ही सीमित नहीं है। वास्तविक समग्र विकास में चरित्र विकास, स्वयं और दूसरों को समझना (सामाजिक-भावनात्मक कौशल) और सांस्कृतिक एवं सौंदर्यात्मक विकास शामिल है।

छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ईसीसीई हस्तक्षेप

- भारत का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 45) के अंतर्गत, राज्य को "सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास" करने का निर्देश देता है, जिससे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को मान्यता मिलती है।
- 2009 में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम ने छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दी।
- हालाँकि, आरटीई अधिनियम की धारा ग्यारह ने संबंधित सरकारों को तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को तैयार करने और छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए ईसीसीई प्रदान करने के उद्देश्य से निःशुल्क पूर्व-विद्यालय शिक्षा के प्रावधान हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
- कार्यक्रमिक स्तर पर, आंगनवाड़ी प्रणाली दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में 14 लाख आंगनवाड़ी (14 लाख सार्वजनिक बाल देखभाल केंद्र) हैं।
- यह कार्यक्रम निःशुल्क, सार्वभौमिक बाल देखभाल और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है, जो भारत के छह वर्ष से कम आयु के 46% से अधिक बच्चों तक पहुँचता है। मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लक्षित करते हुए, आंगनवाड़ी को 2009 में सार्वभौमिक बना दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा वंचित न रहे।

सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार

- सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) इस उद्देश्य के केंद्र में हैं।
- परिवारों और समुदायों को जोड़ने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में खेल दिवस, वार्षिक दिवस, रचनात्मकता दिवस जैसे मासिक ईसीसीई दिवस आयोजित किए जाते हैं।
- सितंबर में पोषण माह और मार्च में पोषण पखवाड़ा के दौरान बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाता है। इन अभियानों ने देश भर में ईसीसीई, पोषण और प्रारंभिक उत्तेजना पर केंद्रित जागरूकता गतिविधियों को सुगम बनाया है, जिसमें शिक्षा चौपाल, खेल-आधारित शिक्षण प्रदर्शन, DIY खिलौना मेले और विशेष गृह भ्रमण शामिल हैं।
- हमें सकारात्मक देखभाल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव संपर्क बिंदु के माध्यम से प्रत्येक माता-पिता तक पहुँचना चाहिए और इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि मूल रूप से खेल ही सीखना है। इससे पालन-पोषण के प्रतिमान में बदलाव आएगा और युवा शिक्षार्थियों की एक पीढ़ी को आत्मविश्वास, कौशल और आनंद के साथ भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:

मानव पूंजी को आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक प्रगति की आधारशिला मानते हुए, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कौशल में एकीकृत और निरंतर निवेश की मांग करता है। जन्म से वयस्कता तक प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने वाले एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके, भारत स्वयं को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है और 2047 तक विकसित भारत की आकांक्षा को साकार कर सकता है।

4. मोटापे से निपटने के लिए पोषण साक्षरता को बढ़ावा देना

संदर्भ:

इस महीने भारत अपना आठवाँ पोषण माह मनाने के लिए एकजुट हो रहा है, ऐसे में मोटापे पर ध्यान देना ज़रूरी है, जो एक बढ़ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है और बच्चों से लेकर किशोरों और वयस्कों तक, सभी आयु वर्गों को प्रभावित कर रही है।

मुख्य अंश:

- हमारे आस-पास, यह देखा जा सकता है कि चिप्स, बर्गर, फ्राइज़, मीठे पेय और इंस्टेंट स्नैक्स जैसे सस्ते और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ, दाल, रोटी, चावल और सब्जियों जैसे पौष्टिक, घर में बने भोजन की जगह ले रहे हैं।
- अधिक से अधिक बच्चे और किशोर पोषण की बजाय स्वाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। अनियमित नींद और देर रात तक स्क्रीन का उपयोग शरीर के चयापचय को बाधित करता है। ज़्यादा मात्रा में खाना, बार-बार नाश्ता करना और सोडा और पैकेज्ड जूस जैसे मीठे पेय पदार्थों का दैनिक सेवन इस समस्या को और बढ़ा देता है।
- बाहर खाने की बढ़ती संस्कृति और फास्ट-फूड पर निर्भरता, जहाँ भोजन मिनटों में हमारे घर तक पहुँचा दिया जाता है, ने पोषण की बजाय सुविधा को प्राथमिकता दी है। इसका असर परिवार के खान-पान के माहौल पर भी पड़ता है, जहाँ बच्चे अक्सर बड़ों की खान-पान की आदतों को अपनाते हैं।
- यह बदलाव एक ऐसी जीवनशैली से और भी जटिल हो जाता है जहाँ युवा खेल के मैदानों की बजाय टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताते हैं, जबकि लंबे कार्यदिवसों के बोझ तले दबे वयस्कों को व्यायाम के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। ये सभी प्रवृत्तियाँ मिलकर मोटापे को एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में लगातार बढ़ा रही हैं।
- हाल ही में जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के आँकड़े बताते हैं कि पेय पदार्थ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भोजन पर होने वाले खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, और यह प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती ही जा रही है।

- मोटापा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है।
- बच्चों के लिए, यह सिर्फ़ 'अतिरिक्त वज़न' ढोने का बोझ नहीं है, यह उन्हें चिढ़ाने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, उनके आत्मविश्वास को कम करता है और मधुमेह और हृदय रोग जैसी शुरुआती बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है, साथ ही पुरानी गैर-संचारी बीमारियों की संभावना भी बढ़ाता है।
- मोटापे के दूरगामी परिणाम होते हैं जो दिखने से कहीं आगे तक जाते हैं। इससे जोड़ों में दर्द, पीठ की समस्या और गतिशीलता में कमी हो सकती है, जिससे रोज़मर्रा की गतिविधियाँ भी मुश्किल हो जाती हैं।
- पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस), बांझपन और समय से पहले यौवन जैसे हार्मोनल असंतुलन अतिरिक्त वज़न से गहराई से जुड़े हैं।
- मोटापा कोलन, स्तन और यकृत सहित कई कैंसर के जोखिम को भी बढ़ाता है। इसका मन पर प्रभाव भी उतना ही चिंताजनक है क्योंकि एकाग्रता में कमी, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और संज्ञानात्मक गिरावट अक्सर देखी जाती है।

निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए:

- अच्छा पोषण और स्वास्थ्य वज़न और ऊँचाई की नियमित निगरानी से शुरू होता है—अपनी पोषण स्थिति जानने के लिए नियमित रूप से अपने वज़न की निगरानी करें।
- संतुलन बनाए रखने के लिए नमक, चीनी, मिठाई, तेल और तले हुए खाद्य पदार्थों को सीमित करना और जंक फूड कम करना आवश्यक है—स्थानीय रूप से उपलब्ध विकल्पों में से पौष्टिक भोजन चुनें।
- ध्यानपूर्वक भोजन करना, खाद्य लेबल को ध्यान से पढ़ना और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है—इन आदतों का लगन से अभ्यास करें।
- कम से कम 60 मिनट तक रोज़ाना शारीरिक गतिविधि या योग करने के साथ-साथ सुस्त काम से ब्रेक लेने से शरीर सक्रिय रहता है—फिट रहने के लिए समय निकालें।

आगे की राह:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी केंद्रों में तेल और चीनी के बोर्ड लगाकर अधिक वजन और मोटापे के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। ये प्रदर्शनियाँ बातचीत शुरू करने, आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करने और परिवारों को स्वस्थ भोजन विकल्पों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। हालाँकि, इनका वास्तविक प्रभाव आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अभिभावकों, शिक्षकों और सामुदायिक नेताओं के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है, जो इन्हें सक्रिय शैक्षिक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं और दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

स्वस्थ आदतें अपनाना आसान लग सकता है, लेकिन इसके लिए प्रतिबद्धता और बदलाव की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। यदि भारत भर के लाखों परिवार मिलकर ये छोटे-छोटे कदम उठाएँ, तो हम परिवर्तन की एक शक्तिशाली लहर पैदा कर सकते हैं। जैसे-जैसे हमारा देश विकसित भारत के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, अच्छे पोषण की संस्कृति का निर्माण हमें आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा।

5. जड़ों का पोषण: आदिवासी समुदायों के लिए पोषण न्याय

संदर्भ:

भारत के आदिवासी समुदाय लंबे समय से वन जैव विविधता, पारंपरिक फसलों और स्थानीय रूप से उपलब्ध जंगली खाद्य पदार्थों पर आधारित आहार पर निर्भर रहे हैं। उनकी खाद्य प्रणालियाँ केवल जीविका के लिए ही नहीं, बल्कि संस्कृति, पारिस्थितिक संतुलन, पैतृक भूमि अधिकारों और अंतर-पीढ़ी ज्ञान हस्तांतरण के लिए भी महत्वपूर्ण थीं। फिर भी, पिछले कुछ दशकों में, संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनों, संरक्षण नीतियों, भूमि अधिकारों के कमज़ोर क्रियान्वयन, जलवायु दबावों और स्वास्थ्य संबंधी बोझों ने उनके आहार को बदल दिया है और पोषण संबंधी गहरी क्षति पहुँचाई है।

संरक्षण और वन प्रशासन के दबाव:

- वनों तक पहुँच पर कानूनी प्रतिबंधों ने, चाहे वे बाघ अभयारण्य/वन्यजीव संरक्षण कानूनों के माध्यम से हों, वन्यजीव संरक्षण नीतियों के माध्यम से हों, या वन उपज के नियमन के माध्यम से हों, आदिवासियों की चारागाह या शिकार करने की क्षमता को कम कर दिया है।
- वन कानूनों द्वारा वनों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के व्यापक उदाहरण हैं, जिससे आदिवासी समुदायों की खान-पान की आदतें प्रभावित हुई हैं।

आर्थिक व्यावसायीकरण और एकल कृषि:

- संकर बीज कार्यक्रम, नकदी फसलें, रासायनिक आदान और राज्य-प्रवर्तित व्यावसायिक कृषि ने जलवायु-प्रतिरोधी देशी फसलों का स्थान ले लिया है। जंगली खाद्य पदार्थ और उनकी किस्में कम हो रही हैं।

खाद्य सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर निर्भरता:

- पीडीएस से मिलने वाला मुख्य चावल या गेहूँ का राशन, जो अक्सर सस्ता और आसानी से संसाधित होता है, ने बाजरा और अधिक पौष्टिक बहु-आहार खाद्य विकल्पों और अन्य बहु-स्रोत आदिवासी खाद्य पदार्थों का स्थान ले लिया है।

प्रवासन और धन प्रेषण:

- जैसे-जैसे वन क्षरण, भूमि की हानि और रोज़गार की कमी आदिवासियों को मौसमी या दीर्घकालिक प्रवास के लिए मजबूर करती है, धन प्रेषण आय, बाज़ार पर निर्भरता और अधिक प्रसंस्कृत या सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उनके आहार का हिस्सा बन जाते हैं।

सांस्कृतिक परिवर्तन और पीढ़ीगत क्षति:

- युवा लोग अक्सर पारंपरिक फसल व्यंजनों या चारागाह ज्ञान को नहीं सीखते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि युवाओं में जंगली पौधों के प्रति रुचि कम हो रही है, प्रसंस्करण कौशल (बाजरा आदि के लिए) कम हो रहे हैं, और बाजरे को "गरीबों का अनाज" समझा जा रहा है।

भूमि और वनों के कानूनी अधिकारों का कमज़ोर क्रियान्वयन:

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 लघु वन उपज और आवास पर अधिकार का वादा करता है, फिर भी कई क्षेत्रों में, आदिवासियों का पैतृक भूमि पर स्वामित्व या वन संसाधनों तक पहुँच विवादित या सीमित बनी हुई है। सुरक्षित भूमि के बिना, वे पारंपरिक फसलों की खेती या चारागाह के अधिकार को बनाए नहीं रख सकते।

जलवायु परिवर्तन: आदिवासी खाद्य सुरक्षा पर असमान प्रभाव वन क्षरण:

- खनन, गैर-देशी वृक्षों (जैसे यूकेलिप्टस) के रोपण, बाँध, असंवहनीय कृषि विस्तार, ये सभी जैव विविधता, वन आवरण और इस प्रकार जंगली खाद्य विकल्पों को कम करते हैं।
- ओडिशा के थुआमुल रामपुर में, कभी कंद, जामुन और पत्तियों से भरपूर वन अब बाँध परियोजनाओं, यूकेलिप्टस के रोपण और एकल-कृषि के कारण क्षीण हो रहे हैं।
- ये जलवायु दबाव पारंपरिक खाद्य प्रणालियों के नुकसान से होने वाले नुकसान को और बढ़ा देते हैं, जिससे पहले से ही कमज़ोर आबादी, खासकर आदिवासी बच्चों, गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर दबाव बढ़ जाता है।

प्रोटीन, एनीमिया, सिकल सेल रोग और कुपोषण: स्वास्थ्य पर बोझ

- परंपरागत रूप से, कई आदिवासी अर्थव्यवस्थाओं में शिकार, छोटे पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पकड़ना और कीड़े इकट्ठा करना जैसी गतिविधियाँ शामिल रही हैं। इनसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड और सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे विटामिन बी12 और हीमोग्लोबिन, प्राप्त होते थे।
- जैसे-जैसे जंगलों या जंगली जीवों तक पहुँच कम होती जाती है, और आहार मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों (बाजरा, दालें, चावल) की ओर बढ़ता जाता है, प्रोटीन की गुणवत्ता अक्सर कम होती जाती है। दालें फायदेमंद होती हैं, लेकिन आमतौर पर सीमित मात्रा में ही खाई जाती हैं, और पूरक आहार (दालें, बाजरा, जंगली खाद्य पदार्थों को मिलाकर) कम हो जाता है।
- बाजरा, हालाँकि अधिक पौष्टिक होता है, लेकिन कभी-कभी इसे ऐसे तरीकों से संसाधित या छिला जाता है जिससे पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बाज़ार में मिलने वाली दालें महंगी हो सकती हैं और इसलिए, अपनी पोषण संबंधी गुणवत्ता के बावजूद, कई आदिवासी समुदायों के लिए दुर्गम हो सकती हैं।

सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने आवश्यक हैं:

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करें: सुनिश्चित करें कि जंगलों और ज़मीनों पर आदिवासियों के दावों को समय पर और बिना किसी विरोधात्मक तरीके से मान्यता दी जाए; लघु वन उपज और शिकार/चारागाह के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करें। ज़मीन और जंगल के बिना, पारंपरिक आहार को बहाल नहीं किया जा सकता।
- बाजरा, जंगली खाद्य पदार्थों और स्थानीय फसलों की किस्मों को बढ़ावा दें: कई राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए बाजरा की घोषणा की है। बीज बैंक, सामुदायिक बीज केंद्र, और कृषि-पारिस्थितिक कृषि पद्धतियों के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रमगत समर्थन, साथ ही आंगनवाड़ी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्थानीय खाद्य पदार्थों को शामिल करने से समुदायों द्वारा बेहतर स्वीकृति मिलेगी और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार होगा।
- अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण: पोषण केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं है। कृषि, वानिकी, भूमि अधिकार, संरक्षण, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, सभी महत्वपूर्ण हैं। नीतियाँ, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, जिला एवं पंचायत स्तर पर इन नीतियों का क्रियान्वयन, जनजातीय मामलों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि, पर्यावरण एवं वन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आदि सहित विभिन्न विभागों के बीच समन्वित होना चाहिए।
- आदिवासी परिवेशों के अनुरूप ईसीडी सेवाओं में निवेश करें, जिनमें सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक आहार पद्धतियों का उपयोग करने वाले और स्थानीय खाद्य पदार्थों को शामिल करने वाले क्रेच शामिल हैं। सक्रिय सामुदायिक भागीदारी में अभिभावकों, विशेषकर माताओं को सहयोग प्रदान करें, और दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए लचीली सेवा प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, ईसीडी को आंगनवाड़ी, मातृ स्वास्थ्य और बाल विकास निगरानी में एकीकृत करें।
- न्याय के साथ संरक्षण: बाघ अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य और आरक्षित वनों की नीतियों में पारिस्थितिक संरक्षण और मानव पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच संतुलन होना आवश्यक है। उन्हें सहभागी संरक्षण सुनिश्चित करना होगा, स्थानीय समुदायों के साथ ऐसे संरक्षण के लाभों को साझा करना होगा और समुदायों की अपने क्षेत्रों में जड़ें जमाने को प्राथमिकता देनी होगी।
- निगरानी, आँकड़े और अनुसंधान - जनजातीय क्षेत्रों (विशेषकर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में) में अधिक संदर्भ-विशिष्ट आँकड़े, हस्तक्षेपों का मूल्यांकन, पोषण संबंधी परिणामों, कुपोषण, एनीमिया और एससीडी परिणामों पर नज़र रखना।

निष्कर्ष:

पोषण और जनजातीय जीवन, टिकाऊ और पौष्टिक खाद्य प्रणालियाँ न्याय, समानता और भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए। सरकारी नीतियों, नागरिक समाज के प्रयासों और शोधकर्ताओं को आदिवासियों में प्रारंभिक बाल्यावस्था पोषण को केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के मुद्दों के रूप में देखना चाहिए।

6. परिवारों का मिलकर पोषण

संदर्भ:

- भारत और अन्य विकासशील देशों के शोध से पता चलता है कि जब माताएँ ही नहीं, बल्कि दोनों माता-पिता भी उनके पालन-पोषण में शामिल होते हैं, तो बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है:
- जिन बच्चों के पिता सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, उनके पोषण संबंधी परिणाम बेहतर होते हैं, टीकाकरण की दर ज़्यादा होती है और बौनापन कम होता है।
- शुरुआती शिक्षा और खेल में पिता की भागीदारी स्कूल के लिए तत्परता और मज़बूत भाषा कौशल को बढ़ावा देती है।
- एक पालन-पोषण करने वाला पिता लड़कियों और लड़कों दोनों में भावनात्मक सुरक्षा और आत्म-सम्मान का निर्माण करने में भी मदद करता है।

महिला सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सक्रिय पिता और पति महिलाओं को देखभाल के पूरे बोझ से मुक्त करते हैं, जिससे:

- मातृ तनाव, प्रसवोत्तर अवसाद और अलगाव की भावना कम हो सकती है।
- महिलाओं को शिक्षा, रोज़गार या कौशल-निर्माण के लिए सक्षम बनाया जा सकता है।
- साझा निर्णय लेने और घरेलू हिंसा को कम करने में मदद मिल सकती है।

पुरुषों के अपने विकास के लिए

पुरुषों को भी सक्रिय देखभाल से गहरा लाभ होता है:

- वे अपने बच्चों के साथ बेहतर उद्देश्य और मज़बूत भावनात्मक जुड़ाव की बात करते हैं।
- जो पिता देखभाल करते हैं वे कम शराब पीते हैं, कम दुर्घटनाएँ होती हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं।
- देखभाल पुरुषों को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने, विषाक्त पुरुषत्व को चुनौती देने और गहरे रिश्ते बनाने का अवसर प्रदान करती है।
- भारतीय पुरुषों को देखभाल से क्या दूर रखता है?
- पितृसत्तात्मक अनुकूलन: बचपन से ही लड़कों को बताया जाता है कि खाना बनाना, खिलाना, सफाई करना या भावनात्मक अभिव्यक्ति 'स्त्री' गुण हैं। कई लोग अपने पिता को घरेलू भूमिकाएँ निभाते हुए कभी नहीं देखते।
- साथियों और समुदाय का दबाव: जो पुरुष इस नियम को तोड़ते हैं - जैसे अपने बच्चे को गोद में उठाना या सार्वजनिक रूप से अपने बच्चे को खाना खिलाना, अक्सर साथियों या यहाँ तक कि उनके अपने परिवारों द्वारा भी उपहास का पात्र बनते हैं।

नीति और संरचनात्मक बाधाएँ

- भारत का नीतिगत परिदृश्य, विशेष रूप से श्रम कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं में, पुरुषों द्वारा देखभाल को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, अधिकांश निजी क्षेत्र की नौकरियों में पितृत्व अवकाश नहीं मिलता है।

ज्ञान और सहयोग का अभाव

- कई पुरुष मदद करने की इच्छा तो व्यक्त करते हैं, लेकिन खुद को असमर्थ महसूस करते हैं। उन्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि नवजात शिशु को कैसे गोद में लें, संतुलित भोजन कैसे पकाएँ, या बच्चे की महत्वपूर्ण गतिविधियों को कैसे समझें।

पोषण और देखभाल में पुरुषों की भागीदारी की वास्तविक कहानियाँ

- दम्पतियों के लिए संयुक्त शिक्षा संचार और साझा ज़िम्मेदारियों को बेहतर बनाती है।
- दृश्य उपकरण (जैसे, भोजन कैलेंडर, भोजन योजनाकार) पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।
- देखभाल को पारिवारिक प्रगति (स्वास्थ्य, वित्त) के रूप में प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम पुरुषों को प्रभावी ढंग से शामिल करते हैं।
- पुरुषों की भागीदारी आहार विविधता, भोजन संबंधी प्रथाओं और मातृ कल्याण में सुधार करती है।
- सामाजिक मानदंड एक बाधा बने रहते हैं, लेकिन साथियों के उदाहरण और सामुदायिक आदर्श मदद करते हैं।

भारतीय पुरुषों की प्रमुख भूमिका देखभाल है

- भारतीय संदर्भ में, जहाँ देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ पारंपरिक रूप से महिलाओं को सौंपी जाती रही हैं, देखभाल और पोषण संबंधी गतिविधियों में पुरुषों की भागीदारी को पुनर्परिभाषित और सामान्य बनाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।
- इन भूमिकाओं में पुरुषों की भागीदारी केवल मदद करने के बारे में नहीं है, बल्कि बच्चों, महिलाओं और समग्र रूप से परिवार के कल्याण की साझा ज़िम्मेदारी लेने के बारे में है। नीचे पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में भारतीय पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली विशिष्ट, प्रभावशाली भूमिकाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है।

गर्भावस्था के दौरान: प्रसवपूर्व देखभाल में साथी

- प्रसवपूर्व अवस्था माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे, दोनों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। पुरुष इस चरण में निम्नलिखित तरीकों से सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं:
- अपने जीवनसाथी के साथ प्रसवपूर्व जाँच में जाना: उनकी उपस्थिति न केवल भावनात्मक समर्थन प्रदान करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि उन्हें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती रहे।
- पोषण योजना में मदद: पुरुष यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी गर्भवती साथी संतुलित, आयरन और प्रोटीन युक्त आहार लें। कई भारतीय घरों में, पुरुष किराने के बजट को नियंत्रित करते हैं - इसका लाभ स्वस्थ खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देने के लिए उठाया जा सकता है।
- पूरक आहार के सेवन की याद दिलाना और सहयोग करना: फोलिक एसिड, आयरन की गोलियों और कैल्शियम सप्लीमेंट्स के लिए याद दिलाना, और सरकारी या निजी क्लीनिकों से इन्हें प्राप्त करने में मदद करना।
- गर्भवती महिलाओं के लिए शारीरिक तनाव को कम करना: घर के कामों में मदद करके, सामान उठाकर या यात्रा कम करके, पुरुष एनीमिया, समय से पहले प्रसव या कम वजन वाले बच्चे जैसे जोखिम कारकों को कम कर सकते हैं।

प्रारंभिक शिक्षा और खेल: शिक्षक के रूप में पिता

- बाल विकास पोषण से कहीं अधिक है—इसमें उत्तेजना, भावनात्मक जुड़ाव और सीखना शामिल है। पिता ये कर सकते हैं:
- शब्दावली सुधारने के लिए अपने बच्चों को चित्र पुस्तकों से पढ़कर सुनाएँ या स्थानीय भाषाओं में कहानियाँ सुनाएँ।
- खेल-खेल में पालन-पोषण करें: बाहरी खेल, गाना, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना या काल्पनिक खेल, मोटर और सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं।
- उदाहरण द्वारा सिखाएँ: बच्चे अपने व्यवहार का अनुकरण करते हैं। जो पिता खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं या शांतिपूर्वक झगड़ों का समाधान करते हैं, वे लैंगिक समानता वाले, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान वयस्कों का निर्माण करते हैं।
- स्क्रीन टाइम पर नज़र रखें: मोबाइल फ़ोन और टीवी के बढ़ते संपर्क के साथ, पुरुषों को सीमाएँ निर्धारित करने और स्वस्थ विकल्प प्रदान करने में मदद करनी चाहिए।

स्वास्थ्य सेवा और पोषण सेवाओं की वकालत करना

पुरुष अक्सर परिवहन, वित्त और बाहरी सेवाओं तक पहुँच को नियंत्रित करते हैं। उन्हें ये करना चाहिए:

- संस्थागत प्रसव का समर्थन करें: भारत में कई घरेलू प्रसव अस्पताल जाने के लिए पुरुषों के समर्थन की कमी के कारण होते हैं।

CENTER FOR

CIVIL SERVICES

DEDICATED TO UPSC CSE